यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स कृत

विधि परीक्षा प्लानर

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

(Code of Civil Procedure, 1908)

Diglot Edition

प्रधान सम्पादक
आनन्द कुमार महाजन

सम्पादक/लेखक
अधिवक्ता अभिषेक सिंह

लेखक मण्डल
हर्ष वर्धन सिंह (LLM-NET), मनीष सिंह (LLM-NET),
अधिवक्ता रोहित सिंह, अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा

कम्प्यूटर ग्राफिक्स
बालकृष्ण, चरन सिंह, श्रेयांश जैन, आशीष गिरि

सम्पादकीय कार्यालय
यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स
12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002
फोन : 9415650134
Email : yctap12@gmail.com
website : www.yctbooks.com

प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने रूप प्रिंटिंग प्रेस, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर, यूथ कॉम्पिटिशन, 12, चर्च लेन, प्रयागराज के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव एवं सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मूल्य : 150/-

विषय-सूची

■ प्रारम्भिक (धारा 1-8) 4-15

■ न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय (धारा 9-14) 16-29

■ वाद करने का स्थान एवं वादों का संस्थित किया जाना (धारा 15-26) 30-38

■ समन और प्रकटीकरण (धारा 27-32) 39-40

■ निर्णय, डिक्री और खर्चे (धारा 33-35B) 41-42

■ निष्पादन (धारा 36-74) 43-53

■ अनुषंगिक कार्यवाहियाँ (धारा 75-78) 54-54

■ विशिष्ट मामलों में वाद (धारा 79-88) 55-59

■ विशिष्ट कार्यवाहियाँ (धारा 89-93) 60-64

■ अनुपूरक कार्यवाहियाँ (धारा 94-95) 65-65

■ अपील (धारा 96-112) 66-71

■ निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण (धारा 113-115) 72-75

■ उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध और नियम (धारा 116-131) 76-76

■ प्रकीर्ण (धारा 132-158) 76-82

■ प्रथम अनुसूचति (आदेश 1-51) 83-159

■ विविध 160-168

Trend Analysis of Question Paper

No.	Examination Name and Year	Total Paper	Number of questions	Total Questions
A.	**Uttar Pradesh Public Service Commision (UPPSC)**			
	UPPCS (J) (Pre) 2003-2018	7	17	119
	Vetting Officer 2020	1	8	8
B.	**Uttarakhand Public Service Commission**			
	UK (J) 2002-2021	12	15	180
C.	**Madhya Pradesh Public Service Commission/ High Court**			
	MPHC CJ 1996-2021	21	15	315
	MPPCS (ADPO) 1993-2016	8	15	120
	MPHC (AID)	1	15	15
D.	**Jharkhand Public Service Commission**			
	Jharkhand (J) 2008-2019	4	15	60
E.	**Chhattishgarh Public Service Commission**			
	CGPSC (J) 2003-2020	11	14	154
F.	**Bihar Public Service Commission**			
	BPSC (J) 2008 - 2021	6	6	36
	BPSC (APO) 2009 - 2020	4	6	24
G.	**Rajasthan Public Service Commission/High Court**			
	RJS 2013-2021	6	4	24
	RAJ (JLO) 2020	1	105	105
	RAJ (PO) 2020	1	12	12
H.	**Haryana (ADA) 2021**	**1**	**6**	**6**
I.	**Higher Judicial Service**			
	UP (HJS) 2009-2021	8	9	72
	MP (HJS) 2013-2020	8	6	48
	BIHAR (HJS) 2015-2021	3	6	18
	RAJASTHAN (D.J.) 2012-2016	3	2	6
	Total =	**106**		**1322**

नोट- उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के सम्यक विश्लेषण के उपरांत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के 106 प्रश्न-पत्रों के 1322 प्रश्नों का आद्वितीय संकलन प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय – 1

प्रारम्भिक (धारा 1-8)

1. From which date code of civil procedure, 1908 came into force.
कौन सी दिनांक से दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 लागू की गई।

(a) 1, January 1908/प्रथम जनवरी, 1908
(b) 1 April 1908/प्रथम अप्रैल, 1908
(c) 31 December 1908/इक्कतीस दिसंबर, 1908
(d) 1 January 1909/प्रथम जनवरी, 1909

Bihar (J) 2009

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 1(2) के अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1 जनवरी 1909 को लागू की गई।

2. The code of Civil Procedure, 1908 extends to the:
सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है-

(a) whole of India/सम्पूर्ण भारत पर
(b) whole of India, except the State of Jammu and Kashmir/जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर
(c) whole of India, except the Scheduled Areas and State of Jammu and Kashmir/अनुसूचित क्षेत्रों एवं जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर
(d) whole of India, except the State of Jammu and Kashmir, Nagaland and Tribal Areas /समस्त भारत में, जम्मू एवं कश्मीर तथा नागालैण्ड एवं जनजातीय क्षेत्र के सिवाय

Uttarakhand (J) 2012
UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 1 (3) के अनुसार,इस संहिता का विस्तार-
(a) जम्मू-कश्मीर राज्य,
(b) नागालैण्ड राज्य और जनजातिय क्षेत्रों के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
नोट-31अक्टूबर 2019 से इस संहिता का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर भी हो गया है।

3. Civil Procedure Code 1908 extends—
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 विस्तारित है–

(a) to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir/जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में
(b) to the whole of India except Nagaland and Manipur state/नागालैण्ड और मणिपुर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में
(c) to the whole of India except Nagaland and the tribal areas/नागालैण्ड राज्य और जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में
(d) to the whole of India except Jammu and Kashmir, Nagaland and tribal areas/जम्मू कश्मीर, नागालैण्ड राज्य और जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. The Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2002 came into force on-
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ-

(a) 1st April, 2002/1 अप्रैल, 2002 से
(b) 1st June, 2002/1 जून, 2002 से
(c) 6th June, 2002/6 जून, 2002 से
(d) 1st July, 2002/1 जुलाई, 2002 से

27th BPSC (J) 2011
29th BPSC (J) 2017
Uttarakhand (J) 2002,2006,2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2002, 1 जुलाई 2002 से प्रवृत्त हुआ है।

5. Code of Civil procedure 1908 is?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 है?

(a) Substantive law/सारवान विधि
(b) Procedural law /प्रक्रिया विधि
(c) Combination of substantive and procedural law/सारवान और प्रक्रिया विधि का समिश्रण है।
(d) Prescriptive law/निदेशात्मक विधि

Rajasthan (J) 2011

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सिविल मामलो के निस्तारण में न्यायालयों द्वारा जो प्रक्रिया अपनायी जायेगी उससे सम्बन्धित प्रक्रिया, दी गई है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 एक प्रक्रियात्मक विधि है।

6. The Provisions of Civil Procedure Code
सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध–

(a) Specifically apply to Writ Petitions/रिट याचिकाओं में विनिर्दिष्टतः लागू होते है।

(b) Do not specifically apply to Writ Petitions/विनिर्दिष्टः रिट याचिकाओं में लागू नहीं होते।
(c) Always apply to Writ Petitions/रिट याचिकाओं में हमेशा लागू होते है।
(d) Never apply to Writ Petitions/रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते है।

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध विनिर्दिष्टः रिट याचिकाओं में लागू नहीं होते। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से सम्बन्धित नियमों का वर्णन करता है, यह सिविल न्यायालयों पर लागू होता है। रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में नियम संविधान द्वारा उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार लागू होता है।

7. 'Decree' under Civil Procedure Code, 1908 has been defined in its
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है, इसकी
(a) Section 2(1)/धारा 2 (1) में
(b) Section 2(2)/धारा 2 (2) में
(c) Section 2(a)/धारा 2(a) में
(d) Section 2(b)/धारा 2(b) में

MPHC (CJ) 2021
UPPCS (J)-2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 2 (2)** में डिक्री को परिभाषित किया गया है,जिसके अनुसार डिक्री से ऐसे न्यायनिर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो वाद में के सभी या किन्ही विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारम्भिक या अन्तिम हो सकेगी।

8. Which of the following is not an essential element of a decree:
निम्नलिखित में से कौन डिक्री का आवश्यक तत्व नहीं है?
(a) A formal expression of adjudication/न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति
(b) Conclusive determination of the rights of the parties/पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक अवधारण
(c) An adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order/अपील में न्याय निर्णयन या आदेश से अपील में न्याय निर्णयन
(d) The adjudication must have been given in a suit./न्याय निर्णयन एक आदेश में दिया गया होना चाहिए

UP (HJS) 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (2) में डिक्री की परिभाषा दी गयी है। डिक्री के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है–
1. एक न्यायालय का न्यायनिर्णयन,
2. ऐसा न्याय निर्णयन किसी वाद में हो,
3. वाद में के पक्षकारों का सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में अवधारणा,
4. संबंधित पक्षकार के अधिकारों का निश्चायक अवधारण,
5. ऐसा न्यायनिर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए।

9. 'Decree', as defined by Section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 does not include–
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 में परिभाषित ''डिक्री'' में सम्मिलित नहीं है–
(a) A preliminary decree/एक प्रारंभिक डिक्री
(b) Rejection of a plaint/वादपत्र का नामंजूर किया जाना
(c) Determination of any question within Section 144 CPC/धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी प्रश्न का अवधारण
(d) Any order of dismissal for default/व्यतिक्रम हेतु खारिज करने का कोई आदेश

Rajasthan (J) 2017

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) में डिक्री को परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अन्तर्गत किसी प्रश्न का अवधारण आता है, किन्तु इसके अन्तर्गत–
(1) न तो कोई ऐसा न्यायनिर्णयन आयेगा जिसकी अपील, आदेश की अपील की भाँति होती है और
(2) न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आयेगा।

10. Decree shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within Section 144 of C.P.C.-
डिक्री के अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अंतर्गत आने वाले किसी प्रश्न का अवधारणा आता है:
(a) Wrong/गलत है
(b) Right/सही है
(c) It includes rejection of plaint but does not includes the determination of any question within Section 144 of C.P.C./वाद पत्र का नामंजूर किया जाना शामिल है, किन्तु धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण शामिल नहीं है
(d) It includes determination of any question within Section 144 but shall not include the rejection of a plaint/धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण शामिल है किन्तु वादपत्र का नामंजूर शामिल नहीं है

Chhattishgarh (J) 2004

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. Under Civil Procedure Code, which of the following statements are true regarding a decree?
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत, डिक्री के संबंध में, इनमें से कौन-सा कथन सही है?

(a) Conclusively determines the rights of parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit/डिक्री वाद के पक्षकारों के मध्य सभी अथवा किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण करती है
(b) Decree can be partly preliminary and partly final/डिक्री भागतः प्रारम्भिक और भागतः अन्तिम भी हो सकती है
(c) This would not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order /इसमें ऐसा न्याय निर्णयन नहीं आएगा, जिसकी अपील, एक आदेश की अपील की भांति होती है
(d) All of them /उपरोक्त सभी

MPHC CJ 2013 Shift-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. Which of the following is NOT a part of expression Decree as defined under Section 2(2) of Civil Procedure Code?
निम्नलिखित में से कौन, अभिव्यक्ति ''डिक्री'' का एक भाग नहीं है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के तहत परिभाषित किया गया है?

(a) Adjudication of civil court/सिविल कोर्ट द्वारा अधिनिर्णयन
(b) Conclusive determination of rights/अधिकारों का निर्णायक निर्धारण
(c) Any order of dismissal for defaults/गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश
(d) Formal expression of an Adjudication/एक अधिनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. Rejection of plaint is a:
वाद का खारिज किया जाना है-

(a) decree/डिक्री
(b) order/आदेश
(c) both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों
(d) neither (a) nor (b)/न तो (a) और न (b)

UP (HJS) 2016

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) के अनुसार, डिक्री के अंतर्गत निम्नलिखित आते है–
1. वादपत्र का नामंजूर किया जाना और
2. धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण।
इस प्रकार वाद का खारिज किया जाना एक डिक्री है।

14. Deemed Decree implies
डीम्ड डिक्री से अभिप्रेत है

(a) final judgment of the Court
न्यायालय का अन्तिम निर्णय
(b) final order of the Court
न्यायालय का अन्तिम आदेश
(c) first para of the judgment
निर्णय का प्रथम पैराग्राफ
(d) last para of the judgment till decree is prepared/निर्णय का अन्तिम पैराग्राफ जब तक डिक्री तैयार की जाये।

UPPCS (J)-2012

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन डीम्ड डिक्री से तात्पर्य वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण है। इसी प्रकार आदेश 21 नियम 58 के अधीन न्यायनिर्णयन और आदेश 21 नियम 98 या 100 के अधीन न्यायनिर्णयन भी डीम्ड डिक्री है।

15. Which of the above mentioned options are considered decree/उल्लेखित विकल्पों में से कौन आज्ञप्ति माने जाते हैं?

(a) Rejection of plaint /वादपत्र का नामंजूर किया जाना
(b) Determination of any question under section 144 of CPC/व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत किसी प्रश्न का अवधारण
(c) Adjudication under order 21 rule 58 CPC/व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 58 के अन्तर्गत न्याय-निर्णयन
(d) All the above /उपरोक्त सभी

MP (HJS) 2014

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. Which of the following is/are decree?
निम्नलिखित में कौन डिक्री है?

(a) Order of abatement of a suit/वाद के उपशमन का आदेश
(b) Dismissal of appeal as time barred/कालावरोधित अपील का खारिज किया जाना
(c) Dismissal of suit for want of evidence/साक्ष्य के अभाव में वाद का खारिज किया जाना
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

UP (HJS) 2014

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (2) के अनुसार, वाद के उपशमन का आदेश, कालावरोधित अपील का खारिज किया जाना तथा साक्ष्य के अभाव में वाद का खारिज किया जाना डिक्री है।

17. Which of the following order is not amounting to decree?
निम्नलिखित में से कौन सा आदेश डिक्री नहीं है?

(a) An order dismissing cross objection/प्रत्याक्षेप खारिज करने का आदेश
(b) An order of abatement of a suit/वाद के उपशमन का आदेश
(c) An order rejecting a plaint/वाद-पत्र नामंजूर करने का आदेश
(d) An order appointing a commissioner/कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : कमिश्नर को नियुक्त करने का आदेश डिक्री नही है। जबकि प्रत्याक्षेप खारिज करने का आदेश, वाद के उपशमन का आदेश तथा वाद पत्र का नामंजूर करने का आदेश डिक्री है।

18. Under the Code of Civil Procedure, 1908, Which of the following statement is not correct?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) Decree includes the rejection of Plaint./वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री के अन्तर्गत सम्मिलित है।
(b) Decree includes the determination of any question under section 144/धारा 144 के अन्तर्गत किसी प्रश्न का अवधारणा डिक्री के अन्तर्गत सम्मिलित है।
(c) Decree does not include any order of dismissal for default. /व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश डिक्री के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
(d) Decree includes any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. /डिक्री के अन्तर्गत कोई ऐसा न्याय निर्णय सम्मिलित है, जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है।

Rajasthan (J) 2021

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) (a) के अनुसार, डिक्री के अन्तर्गत कोई ऐसा न्यायनिर्णयन नहीं आएगा जिसकी अपील, आदेश की अपील की भाँत होती है।

19. Which of the following determination does not come under the definition of "Decree"
निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण ''डिक्री'' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता?

(a) An adjudication which conclusively determines the rights of the parties with regard to some of the matters in issue before the court.
ऐसा विनिश्चय जो न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों से संबंधित विवादग्रस्त विषयों में से कुछ विषयों को अन्तिम रूप से निर्णीत करता है।
(b) Rejection of a plaint
वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना
(c) Determination of any question under Section 144 of the Code of Civil Procedure
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत किसी प्रश्न का अवधारणा
(d) Dismissal of a suit for default
व्यक्तिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना

UPPCS (J)-2006

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 2(2) (b)** के अनुसार, व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना 'डिक्री की परिभाषा' के अन्तर्गत नहीं आता।
वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण डिक्री माना जाता है।

20. Which of the following is not a decree:
नीचे दिये गये इनमें से कौन आज्ञप्ति (डिक्री) नहीं है:

(a) Rejection of a plaint/वाद का खारिज किया जाना
(b) Dismissal in default/व्यतिक्रम के कारण खारिज
(c) Both (a) and (b)/दोनों (a) और (b)
(d) None of the above /इनमें से कोई नहीं

Bihar (HJS) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. Which one of the following is not a decree under Civil Procedure Code, 1908?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन डिक्री नहीं है?

(a) Rejection of a plaint for non-payment of court fee/न्यायालय फीस के असंदाय के कारण वादपत्र का अस्वीकार किया जाना।
(b) Any order of dismissal for default.
व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश
(c) Both (a) and (b)/दोंनों (a) और (b)
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPCS (J)-2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. Which is not a decree?
कौन-सी एक डिक्री नहीं है?

(a) Rejection of plaint/एक वादपत्र की अस्वीकृति
(b) Order or dismissal for default/अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश
(c) Determination of any-question within Section 144 of CPC/सी.पी.सी. की धारा 144 के अंतर्गत किसी भी सवाल का निर्धारण
(d) Conclusive adjudication that determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit/निर्णायक अधिनिर्णय जो मुकदमें में विवादों में सभी या किन्हीं मामलों के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करता है

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. Under CPC, which of the following is not a decree?
व्य. प्र. सं. के तहत, निम्नलिखित में से कौन एक डिक्री नहीं है?

(a) Dimissal of suit in default
व्यतिक्रम के लिए खारिजी
(b) Rejectoin of a plaint /वाद-पत्र की नामंजूरी
(c) Dismissal of suit in default & Rejection of a plaint - Both /व्यतिक्रम के लिए खारिजी एवं वाद-पत्र की नामंजूरी दोनों
(d) None /कोई नहीं

MPHC CJ 2013 Shift-I

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. Decree does not includes
डिक्री में शामिल नहीं है-

(a) The rejection of plaints/वाद पत्र का नामंजूर किया जाना
(b) The determination of any question within Section 144/धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण करना
(c) Any order of dismissal for default/व्यतिक्रम के लिये खारिज करने का कोई आदेश
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

25. A decree may be -
एक डिक्री हो सकती है-

(a) Preliminary/प्रारम्भिक
(b) Final/अंतिम
(c) Partly preliminary and partly final/अंशतः प्रारम्भिक, अंशतः अंतिम
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2021
MPHC CJ 2006
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार डिक्री तब प्रारम्भिक होती है, जब वाद के पूर्ण रूप से निपटारा किए जा सकने से पहले आगे और कार्यवाही की जानी है। वह तब अन्तिम होती है, जबकि ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। वह भागतः प्रारम्भिक और भागतः अन्तिम हो सकेगी। इस प्रकार डिक्री-(1) प्रारम्भिक, (2) अन्तिम, (3) अंशतः प्रारम्भिक एवं अंशतः अन्तिम हो सकती है।

26. A decree becomes final, when
एक आज्ञप्ति अंतिम हो जाती है-

(a) it conclusively determines the rights of the parties/जब वह निश्चायक रूप से पक्षकारों के अधिकारों को निश्चित कर देती है
(b) no appeal has been preferred against the decree/जब आज्ञप्ति के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है
(c) both (a) and (b)/दोनों (a) और (b)
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC (APO) 2013

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(2) में डिक्री को परिभाषित किया गया है। डिक्री प्रारम्भिक या अन्तिम हो सकती है। अंतिम डिक्री वाद में विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से अवधारण करती है।
प्रारम्भिक डिक्री अन्तिम डिक्री पर निर्भर नहीं होती, किन्तु अन्तिम डिक्री प्रारम्भिक डिक्री पर अवश्य निर्भर होती है। अन्तिम डिक्री के पारित हो जाने पर प्रारम्भिक डिक्री समाप्त नहीं होती, किन्तु प्रारम्भिक डिक्री के समाप्त होने पर अन्तिम डिक्री स्वतः निरसित हो जाती है।

27. A preliminary decree:
प्रारम्भिक डिक्री-

(a) Determines the rights of the parties with regard to some or any of the matters in controversy in the suit but does not completely execute the suit/किसी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में पक्षकारों के अधिकारों को अवधारणा करती है परन्तु वाद का पूर्णतया निष्पादन नहीं करती है
(b) Is a stage in working out the rights of the parties which are to be finally adjudicated by a final decree/पक्षकारों के अधिकारों जिन्हें अन्तिम डिक्री द्वारा अन्तिम न्याय निर्णीत किया जाना है उनके निर्धारण का एक व्यवस्था है
(c) Both (a) and (b)/उपरोक्त दोनों
(d) Neither (a) nor (b)/(a) न (b) न

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (c) : प्रारम्भिक डिक्री वाद में के पक्षकरों के अधिकारों का वहाँ अवधारण करती है जहाँ वाद को अन्तिम रूप से निपटाया नहीं गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) के स्पष्टीकरण के अनुसार-डिक्री तब प्रारम्भिक होती है जब वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिये जा सकने से पहले आगे और कार्यवाहियाँ की जानी है। प्रारम्भिक डिक्री वाद में विवादग्रस्त किसी या कुछ विषयों के सम्बन्ध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण करती है परन्तु यह वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं करती है। यह वाद में पारित किये जाने वाले अन्तिम डिक्री के पूर्व की एक व्यवस्था है।

28. Preliminary decree can be passed in a suit–
प्रारम्भिक डिक्री वाद में पारित की जा सकती है–

(a) for partition/विभाजन में
(b) of partnership/भागीदारी में
(c) for possession and mesne profits/कब्जा एवं अन्तःकालीन लाभों में
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी में

Uttarakhand (J) 2009
UP (HJS) 2012
MP (HJS) 2018
Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) में डिक्री की परिभाषा दी गई है। डिक्री प्रारम्भिक हो सकती है या अंतिम। निम्नलिखित मामलों में प्रारम्भिक डिक्री पारित की जा सकती है–

1. आधिपत्य एवं मध्यवर्ती लाभ के वाद में–आदेश 20 नियम 12
2. प्रशासनिक वादों में – आदेश 20 नियम 13
3. पूर्वक्रयाधिकार के वादों में – आदेश 20 नियम 14
4. विभाजन के वादों में – आदेश 20 नियम 18
5. भागीदारी के विघटन के वाद में – आदेश 20 नियम 15
6. लेखा के बंटवारे के वाद में – आदेश 20 नियम 16
7. बंधक के वादों में – आदेश 34
8. पुरोबंध के वादों में – आदेश 34
9. मोचन के वादों में – आदेश 34
10. बिक्री के वादों में – आदेश 34

29. Preliminary decree can be passed in a suit-
प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है?

(a) For partition/बंटवारे के लिए वाद में
(b) For possession and mesne profit/कब्जा एवं मध्यवर्ती लाभ के वाद में
(c) For partnership/साझेदारी के वाद में
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी में

Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

30. No preliminary decree is passed
निम्न में प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं की जाती है:

(a) in a partition suit /विभाजन के वाद में
(b) in a suit seeking specific performance of sale agreement/विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने के वाद में
(c) in a suit seeking the relief of foreclosure पुरोबंध की सहायता चाहने के वाद में
(d) in a suit seeking the relief of redemption मोचन की सहायता चाहने के वाद में

MPHC CJ 2017

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

31. Which of the following decisions is not a decree within the meaning of Section 2(2) of CPC?
सीपीसी की धारा 2(2) के अंतर्गत कौन सा निर्णय डिक्री नहीं है?

(a) Dismissal of an application for final decree/ अंतिम डिक्री के लिये एक आवेदन की बर्खास्तगी
(b) Award of tribunal in land acquisition case/भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकारण का अवार्ड
(c) An order of abatement/उपशमन का आदेश
(d) Order modifying scheme under Section 92/धारा 92 के तहत एक योजना को संशोधित करने का आदेश

Jharkhand (J) 2016

Ans. (b) : भूमि अधिग्रहण के मामले में न्यायाधिकरण (Tribunal) द्वारा दिया गया अवार्ड डिक्री नहीं है, अन्य शेष विकल्पों में दिया गया आदेश सी.पी.सी. की धारा 2(2) के तहत डिक्री है।

32. Which of the following statement/s is/are correct?

1. The expression "decree" includes of final order.
2. Garnishi is a person who is liable to pay a debt to a decree-holder or to deliver any movable property to him.

Select the correct statement using the code given below.
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. ''डिक्री'' पद के अन्तर्गत अंतिम आदेश सम्मिलित है।
2. गारनिशी वह व्यक्ति है जो डिक्रीदार को ऋण का भुगतान करने या उसे किसी चल सम्पत्ति का परिदान करने के दायित्व के अधीन होता है।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन चुनिए:
कूट:

(a) Only 1/केवल 1
(b) Only 2/केवल 2
(c) both (1) and (2)/1 और 2 दोनों
(d) Neither (1) nor (2)/न तो 1 और न ही 2

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(2) तथा आदेश 45 नियम 1 के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है। आदेश 45 नियम 1 के अंतर्गत परिभाषित डिक्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश भी आएगा।
सिविल प्रक्रिया संहिता में गारनिशी को परिभाषित नहीं किया गया है। आदेश 21 नियम 46A के अनुसार, न्यायालय कुर्की कराने वाले लेनदार के आवेदन पर ऐसे ऋण का संदाय करने के दायित्वाधीन गारनिशी को सूचना दे सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्णीतऋणी को उसके द्वारा शोध्य ऋण को न्यायालय में जमा करें।
अतः गारनिशी सिर्फ ऋण संदाय के लिए न कि चल सम्पत्ति का परिदान करने के दायित्वाधीन होता है।

33. 'Decree holder' means any person in whose favour a decree has been passed or an order capable of excecution has been made. This definition of the term 'decree holder' is mentioned under
''डिक्री धारक'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। ''डिक्री धारक'' प्रत्यय की यह परिभाषा वर्णित है

(a) Section- 2 (2), C.P.C. सि0प्र0सं0 की धारा 2 (2) में
(b) Section- 2(3), C.P.C. सि0प्र0सं0 की धारा 2 (3) में
(c) Section- 2 (4), C.P.C. सि0प्र0सं0 की धारा 2 (4) में
(d) Section- 2(d), C.P.C. सि0प्र0सं0 की धारा 2 (घ) में

UPPCS (J)-2006

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 2(3)** के अनुसार, ''डिक्रीदार'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन-योग्य आदेश किया गया है।

34. A decree holder has been defined as a person in whose favour a decree has been passed or an order capable of execution has been made under
एक डिक्री-होल्डर को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की जा चुकी है या एक निष्पादित किये जाने योग्य आदेश पारित किया जा चुका है–
(a) Section 2(2) of CPC
सी.पी.सी. की धारा 2(2) के अन्तर्गत
(b) Section 2(3) of CPC
सी.पी.सी. की धारा 2(3) के अन्तर्गत
(c) Section 2(4) of CPC
सी.पी.सी. की धारा 2(4) के अन्तर्गत
(d) Section 2(5) of CPC
सी.पी.सी. की धारा 2(5) के अन्तर्गत

BPSC (APO) 2011

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

35. "Decree holder" under subsection (3) of section 2 of CPC is-
धारा 2(3) सी.पी.सी. के अन्तर्गत डिक्रीधारक है–
(a) Plantiff/वादी
(b) Defendent/प्रतिवादी
(c) A person which is not a party in a suit but in his fevour a executionable order passed/एक व्यक्ति जो वाद में पक्षकार नहीं है परन्तु जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य एक आदेश पारित किया गया है
(d) All the above/उपरोक्त सभी

MP (HJS) 2014

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (3) में परिभाषित डिक्रीधारक पद के अन्तर्गत वादी, प्रतिवादी या कोई परव्यक्ति भी हो सकता है, बशर्ते ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है।

36. Under Civil Procedure Code, 1908 "Foreign Court" means
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन ''विदेशी न्यायालय'' से अभिप्राय है-
(a) A court situated outside India/न्यायालय, जो भारत के बाहर स्थित है
(b) A court situated outside the India and not established under the authority of Government of India/न्यायालय, जो भारत के बाहर है और केन्द्रीय सरकार के प्राधिकर से स्थापित नहीं किया गया है
(c) A court situated in India, applying foreign law/भारत में स्थित न्यायालय जो विदेशी विधि लागू करता है
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(5) के अनुसार, विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है, जो भारत के बाहर स्थित है और जो केन्द्र सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया है और न तो चालू रखा गया है।

37. According to section 2(5) of the civil procedure code 'Foreign court' means/दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (5) के अनुसार विदेशी न्यायालय' से अभिप्रेत है :
(a) A court situated outside India and established under the authority of Government of India/एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित हुआ है।
(b) A court situated outside India and not established under the authority of Government of India/एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है
(c) A court situated outside India applying foreign law/भारत में स्थित न्यायालय जो विदेशी विधि का उपयोजन (लागू) कर रहा है
(d) All of the above/उपर्युक्त में से सभी

MP (ADPO) 2009 Paper-I

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

38. Judge's is defined as the presiding officer of a Civil Court under.........of the Code of Civil Procedure, 1908-
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा......के अन्तर्गत न्यायाधीश न्यायालय का एक पीठासीन अधिकारी के रूप में परिभाषित है-
(a) Section 2(8)/धारा 2(8)
(b) Section 2(4)/धारा 2(4)
(c) Section 2(5)/धारा 2(5)
(d) Section 2(2)/धारा 2(2)

UP (HJS) 2014

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 (8) के अनुसार, 'न्यायाधीश' से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है।

39. Which of the following Section of the Civil Procedure Code, 1908 defines "Judge"?
निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में ''न्यायाधीश'' परिभाषित है ?
(a) Section 2(8)/धारा 2 (8)
(b) Section 2(4)/धारा 2(4)
(c) Section 2(6)/धारा 2(6)
(d) Section 2(12)/धारा 2(12)

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

40. 'Judgement' means
'निर्णय' का अर्थ है
(a) Part of the decree/आज्ञाप्ति का भाग
(b) Statement of judges on the grounds of a decree or order/न्यायाधीशों द्वारा आज्ञाप्ति या आदेश के आधारों पर किए गए कथन
(c) Adjudication of rights/अधिकारों का विनिश्चय
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(9) के अनुसार, निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है।

41. Judgment under Section 2 (9) of the Code of Civil Procedure, 1908 means
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (9) के अन्तर्गत निर्णय का अर्थ है-
(a) a decree/एक आज्ञप्ति
(b) dismissal of appeal summarily
अपील का संक्षिप्त रूप से खारिज होना
(c) statement of grounds of an order or decree
एक आदेश या आज्ञप्ति के आधारों का कथन
(d) all the above/उपरोक्त सभी

MP (ADPO) 2009 Paper-I
UPPCS (J)-2012

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

42. Under which one of the following Sections of Civil Procedure Code, 1908 "Legal Representative" has been explained?
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की निम्न धाराओं में से किसमें 'विधिक प्रतिनिधि' को समझाया गया है?
(a) Section 2(11)/धारा 2(11)
(b) Section 2(13)/धारा 2 (13)
(c) Section 2 (10)/धारा 2(10)
(d) Section 2(12)/धारा 2(12)

UPPCS (J)-2016

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 2(11)** में विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार, विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा में दखलंदाजी करता है, और जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है या जहाँ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है वहाँ वह व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जिसे वह सम्पदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है।

43. Statement: A minor can be a legal representative of a deceased person.
कथनः एक अवयस्क किसी मृत व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि हो सकता है।
Explanation: But in any legal proceedings, such minor must be represented by his next friend or guardian.
व्याख्याः लेकिन किसी विधिक प्रक्रिया में अवयस्क का प्रतिनिधित्व वाद-मित्र या संरक्षक द्वारा किया जाना चाहिए।
(a) Statement is true but explanation is false./कथन सत्य है, लेकिन व्याख्या असत्य है।
(b) Statement is false but explanation is true./कथन असत्य है, लेकिन व्याख्या सत्य है।
(c) Both the statement and explanation are false./कथन एवं व्याख्या दोनों असत्य हैं।
(d) Both the statement and explanation are true./कथन एवं व्याख्या दोनों सत्य हैं।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 2(11) के अनुसार, विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। इस धारा में दी गई परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि एक अवयस्क व्यक्ति भी विधि की दृष्टि से मृत व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन अवयस्क स्वयं वाद नहीं ला सकता है। आदेश 32 नियम 1 में प्रावधान किया गया है कि अवयस्क द्वारा हर वाद उसके नाम से ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जाएगा जो ऐसे वाद में अवयस्क का वाद-मित्र कहलाएगा।

44. In which of the following provision 'mesne profit' has been defined in the C.P.C.?
सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नांकित में से किस उपबंध में ''अन्तःकालीन लाभ'' को परिभाषित किया गया है?
(a) Section 2 (4)/धारा 2 (4)
(b) Section 2 (8)/धारा 2 (8)
(c) Section 2 (12)/धारा 2 (12)
(d) Section 2 (14)/धारा 2 (14)

Uttarakhand (J) 2002, 2009, 2011, 2014,2018
MP (ADPO) 2008 Paper-I
BPSC (APO) 2012

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(12) में अन्तःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार, सम्पत्ति के ''अन्तःकालीन लाभ'' से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत है, जो ऐसी सम्पत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हो या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किन्तु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

45. Shall be also included in Mesne Profits
मध्यवर्ती लाभ में यह भी शामिल है–

(a) Those profits due to improvements made by the person in wrongful possession of such property actually received
दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण हुए वास्तविक रूप से प्राप्त लाभ

(b) Profits including interest which the person is wrongful possession of such property actually received
ब्याज सहित वे लाभ जो ऐसी सम्पत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने प्राप्त किया है

(c) Those profits with interest which might be received there from any ordinary diligences by person in wrongful possession
ब्याज सहित वे लाभ जो दोषपूर्ण कब्जा रखने वाला व्यक्ति मामूली उद्यम से प्राप्त कर सकता था

(d) Both the profits including interest which the person in wrongful possession of such property actually received and those profits with interest which might be received there from with ordinary diligences by person in wrongful possession/ब्याज सहित वे लाभ जो ऐसी सम्पत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति ने प्राप्त किया है एवं दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति मामूली उद्यम से प्राप्त कर सकता था, दोनों

MP (HJS) 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

46. Profit received during wrongful possession over a property is
किसी सम्पत्ति पर सदोष कब्जे के दौरान अभिप्राप्त लाभ है-

(a) Casual profit/आकस्मिक लाभ
(b) Actual profit/वास्तविक लाभ
(c) Conditional profit/सशर्त लाभ
(d) All of the above/ये सभी

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(12) के अनुसार किसी सम्पत्ति पर सदोष कब्जे के दौरान अभिप्राप्त लाभ वास्तविक लाभ होता है।
अन्तः कालीन लाभ का अर्थ **किसी सम्पत्ति** के सम्बन्ध में ऐसे लाभों से है जिसको कोई व्यक्ति उस सम्पत्ति के दोषपूर्ण धारण के परिणामस्वरूप वास्तविक रूप से प्राप्त किया था या मामूली तत्परता द्वारा उस सम्पत्ति से प्राप्त किया होता।

47. Mesne profit can be claimed regarding
अन्तःकालीन लाभ का दावा किया जा सकता है

(a) movable property only/केवल चल सम्पत्ति के संबंध में
(b) immovable property only/केवल स्थावर सम्पत्ति के संबंध में
(c) both movable and immovable property/चल एवं स्थावर दोनों सम्पत्ति के संबंध में
(d) intellectual property only/बौद्धिक सम्पत्ति के संबंध में

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

48. "Mesne profits" does not include:
''अन्तः कालीन'' लाभ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैः

(a) Profit which a person in wrongful possession of property has actually received/लाभ जो सम्पत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त होता है
(b) Profit which a person in wrongful possession of property might with due diligence have received/लाभ जो सम्पत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता है
(c) Interest on the profits received by a person in wrongful possession of property/सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए लाभों पर ब्याज
(d) Improvement made by a person in wrongful possession of property/सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियाँ

MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(12) के अनुसार, सम्पत्ति के अंतःकालीन लाभ में सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ सम्मिलित नहीं है।

49. Which of the following pairs is not correctly matched under CPC?
दी.प्र.सं. के अन्तर्गत निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(a) Section 2(5) Foreign Court/धारा 2(5)-विदेशी न्यायालय
(b) Section 2(6) Foreign judgement/धारा 2(6)-विदेशी निर्णय
(c) Section 2(11) Legal representative/धारा 2(11)-विधिक प्रतिनिधि
(d) Section 2(10) Mense Profit/धारा 2(10)-अन्तःकालीन लाभ

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार निम्नलिखित सही सुमेलित है-

1. विदेशी न्यायालय	धारा 2(5)
2. विदेशी निर्णय	धारा 2(6)
3. विधिक प्रतिनिधि	धारा 2(11)
4. अन्तःकालीन लाभ	धारा 2(12)

50. Which of the following Sections of the code of Civil Procedure, define 'order'?
सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से कौन सी धारा 'आदेश' को परिभाषित करती है?
(a) Section 2(2)/धारा 2(2)
(b) Section 2(9)/धारा 2(9)
(c) Section 2(14)/धारा 2(14)
(d) Section 2(10)/धारा 2(10)

MP (ADPO) 2009 Paper-I
Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(14) 'आदेश' को परिभाषित करती है। ''आदेश'' से सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति (formal expression) अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है।

51. 'Pleader' is defined in the code of civil procedure in
सिविल प्रक्रिया संहिता में 'प्लीडर' को परिभाषित किया है
(a) Section 2(7)/धारा 2(7) में
(b) Section 2(15)/धारा 2(15) में
(c) Section 2(17)/धारा 2(17) में
(d) Section 2(11)/धारा 2(11) में

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
Uttarakhand (J) 2018

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(15) में 'प्लीडर' को परिभाषित किया गया है। धारा 2(15) के अनुसार, 'प्लीडर' से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटर्नी आता है।

52. The term "prescribed" under Section 2(16) of Civil Procedure Code, 1908 means
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(16) में प्रयुक्त ''विहित'' शब्दावली से अभिप्रेत है
(a) prescribed by court/ न्यायालय द्वारा विहित
(b) prescribed by society/समाज द्वारा विहित
(c) prescribed by rules /नियमों द्वारा विहित
(d) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं।

UPPCS (J)-2013

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 2(16)** में 'विहित' को परिभाषित किया गया है।
धारा 2(16) के अनुसार, ''विहित'' से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

53. Who amongst the following is not "a public officer" within the meaning of Section 2(17) of CPC?
दी.प्र.सं. की धारा 2(17) के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन ''लोक अधिकारी नहीं है?
(a) A Judge/एक न्यायाधीश
(b) Sarpanch of a Gram Panchayat/ग्राम पंचायत का सरपंच
(c) A person in the service getting pay from the Government/एक व्यक्ति जो सेवा में है और सरकार से वेतन पाता है।
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (b) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(17) के अन्तर्गत लोक अधिकारी में निम्नलिखित आते हैं-
(a) हर न्यायाधीश,
(b) अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य,
(c) संघ की सेना, नौसेना या वायु सेना का हर आयुक्त, आफिसर या राजपत्रित आफिसर जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा करता है,
(d) न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करें, या रखें, या किसी सम्पत्ति का भार सम्भाले या उस सम्पत्ति का व्ययन करें, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति, जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया है।
(e) हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है।
(f) सरकार का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करें, अपराधों की इत्तिला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करें।
(g) हर अधिकारी जो सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, रखना, व्ययन करना, सर्वेक्षण निर्धारण, संविदा करें,राजस्व आदेशिका का निष्पादन अन्वेषण, रिपोर्ट, सरकार के धन सम्बन्धी हितों के संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके।
(h) हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में है या उससे वेतन प्राप्त करता है, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है।

54. Who amongst the following is not a 'public officer' within the meaning of section 2(17) of CPC?
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17) के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है?

(a) A Judge/एक न्यायाधीश
(b) A person in service under the pay of Government/सरकार से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति
(c) Sarpanch of a Gram Panchayat/ग्राम पंचायत का सरपंच
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2012

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

55. Section 2(17) of the Code of Civil Procedure, 1908 defines public officer which includes-
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(17) लोक अधिकारी को परिभाषित करती है जिसमें सम्मिलित है:

(a) Government servant/सरकारी सेवक
(b) Commissioned officer of military/सेना का कमीशण्ड ऑफिसर
(c) Every Judge/प्रत्येक न्यायाधीश
(d) All of these/ये सभी

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

56. Following is not a 'Public Officer'-
निम्नलिखित लोक अधिकाकरी नहीं है–

(a) Every Judge/हर न्यायाधीश।
(b) Every member of All India Service/अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य।
(c) Every officer in pay of Government/हर अधिकारी जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है।
(d) Every gazetted officer in military not under the government service/मिलिटरी का राजपत्रित अधिकारी किन्तु सरकारी सेवा में नहीं है।

UPPCS (J)-2018

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(17) (c) के अनुसार, संघ की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा में है, लोक अधिकारी है।

57. Under the Code of Civil procedure, 1908 in which of the following case 'Signed' does not include 'Stamped'?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निम्नलिखित में से किस दशा में 'हस्ताक्षरित' के अन्तर्गत 'स्टाम्पित' नहीं आता है?

(a) Summon/समन
(b) Bailable Warrant/जमानती वारंट
(c) Attachment Warrant/कुर्की वारंट
(d) Judgement/निर्णय

Rajasthan (J) 2021

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(20) में प्रावधान किया गया है कि निर्णय या डिक्री की दशा के सिवाय हस्ताक्षरित के अन्तर्गत स्टाम्पित आता है।
अतः निर्णय या डिक्री की दशा में हस्ताक्षरित के अन्तर्गत स्टाम्पित नहीं आता है।

58. Courts of small causes, under Section 3 of CPC is subordinate to which of the following?
धारा 3 दी.प्र.सं. के अन्तर्गत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसमें अन्तर्विष्ट है?

(a) High Court only/केवल उच्च न्यायालय के
(b) District Court only/केवल जिला न्यायालय के
(c) Neither (a) nor (b)/न तो (a) और न तो (b) के
(d) Both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों के

Uttarakhand (J) 2012
UPPCS (J)-2016
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans : (d) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 3 के अनुसार, जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है।

59. Section 3 of the Code of Civil Procedure 1908, deals with
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 3 संबंधित है

(a) Pecuniary Jurisdiction/धन संबंधी क्षेत्राधिकार से
(b) Subordination of courts/न्यायालयों की अधीनस्थता से
(c) Definitions/परिभाषाओं से
(d) Stay of suit/वाद को रोकने से

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 3 न्यायालयों की अधीनस्थता से सम्बन्धित है।

60. Which of the following statement is not true?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

(a) The Code of Civil Procedure, 1908 shall not affect the power of Supreme Court under Article 136 of the Constitution./सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालती है।
(b) The Code of Civil Procedure, 1908 shall not interfere with rules made by Supreme Court for presentation of appeals to that court./सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 उच्चतम न्यायालय में अपीलों को उपस्थित करने के लिए उस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(c) The Code of Civil Procedure, 1908 limits the special law not in force./सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 विशेष विधि को जो अब प्रवृत्त नहीं है को परिसीमित करती है।

(d) The Code of Civil Procedure, 1908 does not extend to the State of Nagaland and the tribal areas./सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का विस्तार नागालैण्ड राज्य और जनजाति क्षेत्रों में नहीं है।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 4 व्यावृत्तियों (Savings) के सम्बन्ध में प्रावधान करता है। धारा 4(1) के अनुसार, इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह किसी विशेष स्थानीय विधि को जो अब प्रवृत्त है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति को या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को परिसीमित करती है या उन पर अन्यथा प्रभाव डालती।

61. Civil Procedure Code, 1908 is not applicable to which of the following, namely
दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908, निम्न में से किनके सन्दर्भ में लागू नहीं होती है?

(a) Civil matters/दीवानी मामलों में
(b) Revenue matters/राजस्व मामलों में
(c) Service matters/सेवा सम्बन्धित मामलों में
(d) Land law and local laws
भूमि विधि व स्थानीय विधि के मामलों में

UPPCS (J)-2012

Ans. (c) : दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 सेवा सम्बन्धी मामलों में लागू नहीं होता। सिविल प्रक्रिया संहिता दीवानों न्यायालयों पर लागू होता है। सामान्यतया राजस्व न्यायालयों पर राजस्व अधिनियमों या भाटक अधिनियमों में बताये गये प्रक्रिया सम्बन्धी नियम लागू होते है, परन्तु जहाँ ऐसे स्थानीय राजस्व या भाटक सम्बन्धी अधिनियम किसी विशेष प्रक्रिया के बारे में मौन हैं, वहाँ दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे (धारा 5)।

62. Under which Section of the Code of Civil Procedure "Pecuniary Jurisdiction" of the Court has been provided?
सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की धन-संबंधी अधिकारिता, का प्रावधान किया गया है?

(a) Section 3/धारा 3
(b) Section 4/धारा 4
(c) Section 5/धारा 5
(d) Section 6/धारा 6

Chhattisgarh (J) 2019
MP (ADPO) 2009 Paper-I
Uttarakhand (J) 2011, 2016, 2018

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 6 धन सम्बन्धी अधिकारिता से सम्बन्धित है। धारा 6 के अनुसार, अभिव्यक्त रूप में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय संहिता की किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे दे, जिनकी रकम या जिनकी विषय वस्तु का मूल्य उनकी मामूली अधिकारिता की धन सम्बन्धी सीमाओं से (यदि कोई हो) अधिक है।

63. An original suit for the value of Rs. 20 lac shall be instituted in the Court of:
20 लाख रुपये मूल्य के वाद को आरंभिक अधिकारिता वाले किस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा?

(a) High Court/उच्च न्यायालय
(b) District Judge/जिला न्यायाधीश के न्यायालय
(c) Civil Judge (Junior Division)
सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग) के न्यायालय में
(d) Civil Judge (Senior Division)
सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग) के न्यायालय में

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (b) : सिविल न्यायालय की तीन प्रकार की अधिकारिता होती है-(1) स्थानीय अधिकारिता (2) धन सम्बन्धी अधिकारिता और (3) विषयवस्तु सम्बन्धी अधिकारिता।
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में न्यायालय की धन सम्बन्धी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है।
20 लाख रुपये मूल्य के वाद को आरम्भिक अधिकारिता वाले जिला न्यायाधीश के न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है।

64. An original suit for the value of Rs. 50 lakh shall be instituted-
50 लाख रुपये के मूल्य का मूलवाद संस्थित होगा-

(a) High Court/उच्च न्यायालय
(b) District Court/जिला न्यायालय
(c) Civil Court (Senior Division)/सिविल न्यायालय (वरिष्ठ खण्ड)
(d) Any of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : न्यायालय का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होता है। राजस्थान राज्य में 50 लाख रूपये के मूल्य का मूलवाद सिविल न्यायालय वरिष्ठ के न्यायालय में संस्थित किया जायेगा।

अध्याय – 2

न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय (धारा 9-14)

1. In which Section of Civil Procedure Code provision relating to "Suit of a Civil nature" has been provided?
सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में 'सिविल प्रकृति का वाद' सम्बन्धित उपबन्ध का प्रावधान दिया गया है?

(a) Section 8/धारा 8 (b) Section 9/धारा 9
(c) Section 10/धारा 10 (d) Section 11/धारा 11

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 में "सिविल प्रकृति के वाद" से सम्बन्धित उपबन्ध किया गया है। धारा 9 के अनुसार, न्यायालयों को उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवेक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी।

2. Under Civil Procedure Code, a litigant having a grievance of Civil nature has a right to institute a Civil suit if cognizance is ....
सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, एक पक्षकार जो व्यवहार प्रकृति का विवाद रखता है उसे यह अधिकार है कि वह वाद प्रस्तुत कर सकता है यदि वाद का संज्ञान ....

(a) Not expressly barred
अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं है
(b) Impliedly barred /विवक्षित रूप से वर्जित है
(c) Expressly and Impliedly barred
अभिव्यक्त एवं विवक्षित रूप से वर्जित है
(d) None of these /इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2016

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 में न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादो का विचारण की अधिकारिता होगी।

3. All civil courts have jurisdiction to try:
सभी सिविल न्यायालयों को किन वादों के विचारण की अधिकारिता है?

(a) all suits of a civil nature
सिविल प्रकृति के सभी वाद।
(b) all suits of civil nature except suits of which their cognizance is expressly not barred.
सभी सिविल प्रकृति के वाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर अभिव्यक्त रोक नहीं है।
(c) all suits of civil nature except suits of which their cognizance is impliedly not barred.
सभी सिविल प्रकृति के वाद सिवाय जिनमें संज्ञान लेने पर विवक्षित रोक नहीं है।
(d) all suits of civil nature except suits the cognizance of which is expressly or impliedly barred.
उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के वाद।

UPPCS (J)-2003

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. Assertion (A): A civil court has jurisdiction to try all suits of civil nature
Reason (R) : The cognizance of a civil suit should barred expressly.
Answer using the code given below:
कथन (A): सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होती है।
कारण (A): सिविल वाद का संज्ञान अभिव्यक्त रूप से वर्जित होना चाहिए।
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
(b) Both (A) and (R) are true and (R) is not a correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सही है परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) (A) is true but (R) is false.
(A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(d) (A) is false but (R) is true
(A) गलत है, परंतु (R) सही है।

UPPCS (J)-2018

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अनुसार, सिविल न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होती है, जब तक की उन वादों का संज्ञान अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से वर्जित न हो।
उपरोक्त के आधार पर कथन सही है लेकिन कारण गलत है क्योंकि सिविल वाद का संज्ञान अभिव्यक्तः या विवक्षित रूप से वर्जित हो सकता है।

5. **Which of the following statement is true/निम्न में से कौन सा कथन सत्य हैः**

(a) according to section 9 of the Code of Civil Procedure, the Courts shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is expressly barred/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अनुसार न्यायालयों को उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान मात्र अभिव्यक्त रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी

(b) according to section 9 of the Code of Civil Procedure, the Courts shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is impliedly barred/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अनुसार न्यायालयों को उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान मात्र विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी

(c) according to section 9 of the Code of Civil Procedure, the Courts shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is expressly or impliedly barred/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अनुसार न्यायालयों को उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान मात्र अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी

(d) none of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2020

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. **Jurisdiction of civil court can be barred by - सिविल न्यायालयों की अधिकारिता बाधित की जा सकती है-**

(a) only expressly/सिर्फ अभिव्यक्त रूप से

(b) only impliedly /सिर्फ विवक्षित रूप से

(c) expressly or impliedly /अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से

(d) Neither expressly nor impliedly/न अभिव्यक्त रूप से और न ही विवक्षित रूप से

Chhattishgarh (J) 2012

Ans. (c) : सिविल न्यायालयों की अधिकारिता अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से बाधित की जा सकती है। धारा 9 के अनुसार, न्यायालयों को उन वादो के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादो के विचारण की अधिकारिता होगी।

7. **Which of the following is a right of civil nature- निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार दीवानी प्रकृति का है?**

(a) Right to share in offerings in a temple
मन्दिर के चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार

(b) Right to take out procession
जुलूस निकालने का अधिकार

(c) Right to worship in a temple
मंदिर में पूजा करने का अधिकार

(d) All of these/इनमें से सभी

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के अनुसार निम्नलिखित वाद सिविल प्रकृति के वाद है-

1.आनुवांशिक पद के अधिकार के लिए वाद
2. मत देने के अधिकार से सम्बन्धित वाद
3. पूजा के अधिकार सम्बन्धित वाद
4. सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार से सम्बन्धित वाद
5. सेवा से बर्खास्तगी के विरूद्ध वाद
6. जुलूस निकालने का अधिकार
7. लेखा सम्बन्धित वाद
8. व्यादेश का वाद
9. मंदिर के चढ़ावें में हिस्सा लेने का अधिकार
10. वैवाहिक अधिकारों के पुनरस्थापन के लिए वाद
11. दफनाने के अधिकार का वाद
12. विवाह विच्छेद का वाद
13. अपकृत्य या संविदा भंग की क्षतिपूर्ति वसूलने संबंधी वाद।

8. **Which of the following is a right of civil nature?**
निम्नलिखित में से कौन-सा एक अधिकार दीवानी प्रकृति का है?

(a) Right to worship in a temple
मन्दिर में पूजा करने का अधिकार

(b) Right to share in offerings in a temple/मन्दिर के चढ़ावे (Offerings) में हिस्सा लेने का अधिकार

(c) Right to take out procession
जुलूस निकालने का अधिकार

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

28th BPSC (J) 2014

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. **Which of the following is a suit of civil nature? निम्नलिखित कौन सा सिविल प्रकृति का वाद है?**

(a) Suits for upholding mere dignity or honour/मात्र गरिमा या सम्मान को कायम रखने के लिए वाद

(b) Suits for accounts/लेखा के लिए वाद

(c) Suits expressly barred by some enactment
स्पष्ट रूप से कुछ अधिनियम द्वारा वर्जित वाद

(d) Suits relating to political questions
राजनीतिक सवालों से संबंधित वाद

Jharkhand (J) 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. **Which one of the following is not a suit of civil nature?/निम्नलिखित में से कौन दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है?**

(a) Suits relating to right of worship
पूजा के अधिकार सम्बन्धित वाद
(b) Suits relating to partnership
भागीदारी से सम्बन्धित वाद
(c) Suits relating to common law rights
कॉमन लॉ राईट से सम्बन्धित वाद
(d) Suits relating to political questions
राजनैतिक प्रश्नों से सम्बन्धित वाद

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के अनुसार निम्नलिखित वाद सिविल प्रकृति का वाद (Nature of civil suit) नहीं है-
1. जातिगत प्रश्नों से सम्बन्धित वाद,
2. धार्मिक कार्यों या कर्मों से सम्बन्धित वाद,
3. गोपनीयता के अधिकार से सम्बन्धित वाद,
4. राजनैतिक प्रश्नों से सम्बन्धित वाद,
5. लोकनीति के विरुद्ध वाद,
6. अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से वर्जित वाद,
7. स्वैच्छिक देनदारी से सम्बन्धित वाद,
8. गरिमा और सम्मान को बचाये रखने के लिए वाद, इत्यादि

11. Which one of the following suits is not of a civil nature?
निम्नलिखित में से कौन-सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है?
(a) Suits relating to rights to property/सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार से सम्बन्धित वाद
(b) Suits for rents/भाड़े के लिए वाद
(c) Suits for recovery of voluntary payments or offerings/स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ाने की वसूली के लिए वाद
(d) Suits against dismissals from service/सेवा से बर्खास्तगी के विरुद्ध वाद

Jharkhand (J) 2008

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. Which of the following suit is not maintainable under Section 9 of the Code of Civil Procedure, 1908?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वाद पोषणीय नहीं है?
(a) Suits for specific relief/विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए वाद
(b) Suits relating to right to worship /पूजा करने के अधिकार से संबंधित वाद
(c) Suits relating to taking out of religions procession/धार्मिक जुलूस निकालने से संबंधित वाद
(d) Suits based on purely religious rights/पूर्णतः धार्मिक अधिकार पर आधारित वाद

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. Which one of the following is NOT a suit of civil nature?
निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है?
(a) Suits relating to rights of worship/पूजा से सम्बन्धित अधिकारों के लिए वाद
(b) Suits involving purely religious rights/केवल धार्मिक अधिकारों को अन्तर्ग्रस्त करने वाला वाद
(c) Suits for rent/भाटक के लिए वाद
(d) Suits for rights to hereditary office/वंशागत पद के अधिकारों वाला वाद

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

14. Which one of the following is not suit of Civil Nature?
निम्न में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है?
(a) Suits for rights to hereditary offices.
आनुवंशिक पद के अधिकार के लिए वाद
(b) Suits for right of Franchchise.
फ्रेंचाइज (आम चुनाव में नागरिक का वोट डालने का विशेषाधिकार) के लिए वाद
(c) suits for recovery of voluntary payments of offerings.
स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्राप्ति हेतु वाद
(d) suits relating to right of worship.
पूजा के अधिकार हेतु वाद

UPPCS (J)-2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. Which one of the following is not a suit of civil nature under C.P.C.?
सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कौन-सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है?
(a) A suit against deprivation from attending social functions/सामाजिक कार्यो से वंचित किए जाने के विरुद्ध वाद
(b) A suit for arrears of salary
वेतन के बकाया के लिए लाया जाने वाला वाद
(c) A suit for right of burial
मृतक के दफनाये जाने के अधिकार संबंधी वाद
(d) A suit for restitution of conjugal rights
दाम्पत्य अधिकारों के पुर्नस्थापना के लिए वाद

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक कार्यों से वंचित किये जाने से सम्बन्धित वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है।

16. Which of the following is not a suit of civil nature?
निम्नलिखित में से कौन-सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है?
(a) Right to worship/पूजा का अधिकार

(b) Suit for dissolution of marriage/विवाह विच्छेद के लिये वाद
(c) Suit relating to payment of wages under Payment of Wages Act/मजदूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित वाद
(d) Suit for rent/भाटक के लिये वाद

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 22 के अनुसार कोई भी न्यायालय मजदूरी की या मजदूरी में से की गई किसी कटौती की वसूली के लिए किसी वाद को ग्रहण नहीं करेगा। इस प्रकार विकल्प (c) सिविल प्रकृति का वाद नहीं है।

17. Which amongst the following is not a Civil nature suit:
निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है:
(a) Suit relating to property/सम्पत्ति सम्बन्धी वाद
(b) Suit relating to marriage/विवाह से संबंधित वाद
(c) Suit relating to expulsion from caste/जाति से निष्कासन सम्बन्धी वाद
(d) Suit relating to specific relief/विशिष्ट अनुतोष सम्बन्धी वाद

MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 सिविल प्रकृति के वाद से संबंधित है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर सम्पत्ति संबंधी वाद, विवाह से संबंधित वाद तथा विशिष्ट अनुतोष से संबंधित वाद सिविल प्रकृति के वाद माने गये है। अतः जाति से निष्कासन संबंधी वाद सिविल प्रकृति के वाद के अंतर्गत नहीं आता है।

जगन्नाथ बनाम अकाली (1894) के वाद में न्यायालय ने अवधारित किया कि यदि किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उसके विधिक अधिकारों का आघात पहुँचाना है जो उसकी प्रस्थिति से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में सिविल वाद संस्थित करके प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है और इस बात की घोषणा भी कराई जा सकती है कि उसको पुनः जाति में प्रवेश दिया जाए।

18. Which of the following is not a suit of civil nature/निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है?
(a) Suit relating to right to property/
सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित वाद
(b) Suit against expulsion from caste/
जाति के निष्कासन के विरुद्ध वाद
(c) Suit relating to right of worship/
पूजा के अधिकार से सम्बन्धित वाद
(d) Suit for specific relief/विशिष्ट अनुतोष हेतु वाद

MP (ADPO) 2009 Paper-I

Ans.(b): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

19. Under C.P.C., which of the following is not a suit of a civil nature
व्य. प्र. सं. के तहत, निम्न में से कौन-सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है?
(a) suit for correcting the date of birth in the service record
सेवा अभिलेख में जन्मतिथि सुधार के लिए वाद
(b) suit for declaration of the right to worship
पूजा करने के अधिकार की घोषणा के लिए वाद
(c) suit for vindication of a mere dignity connected with an office
पद से सम्बद्ध केवल गरिमा बचाने के लिए वाद
(d) suit for a religious office /धार्मिक पद के लिए वाद

MPHC CJ 2013 Shift-I

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के स्पष्टीकरण (1) में सिविल प्रकृति के वाद की परिभाषा दी गयी है। जिसके अनुसार पद से सम्बद्ध केवल गरिमा बचाने का वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, क्योंकि इससे कोई अधिकार या दायित्व प्रभावित नहीं होता है।

20. Dhulabhai v. State of M.P. is related to which of the following under CPC?
धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है?
(a) Jurisdiction of Civil Court/सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से
(b) Pleadings/अभिवचन से
(c) Interim Orders/अन्तरिम आदेश से
(d) First Appeal/प्रथम अपील से

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : धूलाभाई बनाम मध्य-प्रदेश राज्य (1969 SC) का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार कभी समाप्त नहीं होता है।

21. Which of the following is a leading case on the exclusion of the jurisdiction of civil courts?
निम्नलिखित में से कौन सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के अपवर्जन पर महत्त्वपूर्ण वाद है?
(a) Dhulabhai V. State of M.P./धुलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य
(b) Gundaji V. Ramchandra/गुण्डाजी बनाम रामचन्द्र
(c) Noor Mohd. Khan Vs. Fakirappa/नूर मोहम्मद खान बनाम फकिरप्पा
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

UP (HJS) 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. If a right or a liability is created by a statute, which of the following situation may arise-
एक अधिकार या दायित्व किसी कानून द्वारा बनाया गया है, तब इसके अन्तर्गत कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है।

(a) The statute may create a specific forum for its enforcement./कानून इसके प्रवर्तन के लिए विशेष मंच बना सकता है
(b) If no machinery is provided for enforcement civil court can entertain/यदि प्रवर्तन के लिये कोई मशीनरी नहीं की गयी है, तो सिविल न्यायालय उस वाद का संज्ञान ले सकती है
(c) Both (a) and (b)/ (a) और (b) दोनो
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattisgarh (J) 2019

Ans. (c) : निर्वचन का सामान्य सिद्धांत है विशिष्ट विधि, सामान्य विधि पर अभिभावी होती है अतः यदि किसी विशेष विधि में दिये गये अधिकार एवं दायित्व के सम्बन्ध में प्रवर्तन के लिये विशेष मंच प्रदान किया गया है, तो उसी मंच द्वारा उसका प्रवर्तन किया जायेगा और यदि ऐसा मंच नहीं प्रदान किया गया है, तो सिविल न्यायालय उस वाद का संज्ञान ले सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 से स्पष्ट हो जाता है कि जब तक की वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे।

23. Which of the following Sections of the Code of Civil Procedure deals with stay of suit?
सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा वाद के स्थगन से सम्बन्धित है?
(a) Section 16/धारा 16
(b) Section 10/धारा 10
(c) Section 13/धारा 13
(d) Section 12/धारा 12

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 वाद के स्थगन (Stay of suit) से सम्बन्धित प्रावधान करती है। धारा 10 का मुख्य उद्देश्य वादों/मुकदमों की बाहुलता को रोकना है और समान क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को एक ही समय में समान वाद कारण व समान विषय वस्तु और समान अनुतोष की प्राप्ति के लिए एक से अधिक वादों को ग्रहण, विचारण और निर्णीत करने से रोकना है।

24. The term "Res Sub Judice" means
''न्यायाधीन विषय'' (रेस सब जुडिस) शब्दावली से अभिप्राय है-
(a) Stay of suit/वाद का रोक दिया जाना
(b) Stay of appeal/अपील का रोक दिया जाना
(c) Stay of application/आवेदन का रोक दिया जाना
(d) Stay of execution/निष्पादन का रोक दिया जाना

Uttarakhand (J) 2015, 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

25. Section 10 of Civil Procedure Code deals with-
धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सम्बन्धित है-
(a) Res subjudice/विचाराधीन मामला
(b) Res judicata/पूर्व न्याय
(c) Mesne profit/मध्यवर्ती लाभ
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

26. Section 10 civil procedure code stay?
धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता में रोकी जाती है?
(a) Proceeding of the suit /वाद की कार्यवाही
(b) Trail of the suit/वाद का विचारण
(c) enquiry into the suit/वाद की जांच
(d) Proceeding incidental to the suit/वाद की आनुषंगिक कार्यवाहियाँ

MP (HJS) 2018

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के अन्तर्गत पश्चात्वर्ती वाद के विचारण को स्थगित किया जाता है या पश्चात्वर्ती वाद के विचारण की कार्यवाही रोकी जाती है। धारा 10 के अन्तर्गत पश्चात्वर्ती वाद का संस्थित किया जाना नहीं रोका जाता है। इस धारा के अन्तर्गत पश्चात्वर्ती वाद खारिज भी नहीं किया जाता है। धारा 10 के अन्तर्गत पश्चात्वर्ती वाद के स्थगन की कार्यवाही तभी रोकी जाती है जब धारा 10 में वर्णित सभी शर्ते पूरी हो जाये।

27. As per restrictions prescribed under Section 10 C.P.C. which of the following is barred.
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-10 के अन्तर्गत विहित निर्बन्धनों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या बाधित है:
(a) Institution of a suit/किसी वाद को संस्थित करना
(b) Framing of the issues/विवाद्यकों की विरंचना
(c) Grant of an injunction/किसी व्यादेश का दिया जाना
(d) Trial of the suit/वाद का विचारण

UPHJS 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. The rule of res sub judice as provided in section 10 of civil procedure Code/दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में प्रदत्त विचाराधीन न्याय का नियम :
(a) Stays the trial of the subsequent suit/पश्चात्वर्ती वाद के विचारण को रोकता है
(b) Stays the trial of the previous suit/पूर्ववर्ती वाद के विचारण को रोकता है
(c) Prevents simultaneous hearing of previous and subsequent suits under all the circumstances/सभी परिस्थितियों में पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती वादों की साथ-साथ सुनवाई को निवारित करता है।
(d) Stays the institution of the subsequent suit/पश्चात्वर्ती वाद को संस्थित होने से रोकता है।

MP (ADPO) 2009 Paper-I

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. If two suits between same parties involve same subject matter and same question then .... suit/s should be stayed
दो समान वादों में समान पक्षकारों के मध्य समान विषय वस्तु एवं समान मामले हैं वहाँ वाद/वादों को रोक दिया जाना चाहिए।

(a) Former/पूर्ववर्ती
(b) Subsequent/पश्चात्वर्ती
(c) Both/दोनों
(d) None of the axbove/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

30. Under the principle of sub-judice which of the following is not an essential conditions for stay of suit?
न्यायाधीन के सिद्धान्त के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पश्चात्वर्ती वाद के स्थगन के लिए आवश्यक नहीं है?

(a) That the matter in the issue in the suit is directly and substantially is in issue in the first suit /यह कि वाद का विवादित विषय-वस्तु प्रत्यक्षतः और सारतः प्रथम वाद में विवाद्यक के समान है
(b) That the parties in the second suit are the same /यह कि दूसरे वाद में पक्षकार समान हैं
(c) That the court in which the suit in instituted is competent to grant the relief claimed in the subsequent suit
यह कि जिस न्यायालय में पश्चात्वर्ती वाद प्रस्तुत हुआ है वह ऐसे वाद में अनुतोष देने में सक्षम है
(d) That the previous suit is pending in a Foreign Court
यह कि पूर्व वाद विदेशी न्यायालय में लंबित है.

MPHC CJ 2011

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 में वर्णित न्यायाधीन के सिद्धान्त के अन्तर्गत पश्चातवर्ती वाद के स्थगन के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्ते है-
1. पूर्ववर्ती संस्थित वाद तथा पश्चातवर्ती वाद के विवाद बिन्दु प्रत्यक्षतः और सारतः एक जैसे हो,
2. ऐसा वाद उन्हीं पक्षकारों के मध्य या ऐसे पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हुआ हो जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हों,
3. वह न्यायालय जिसमें पूर्वतन वाद संस्थित किया गया है, पश्चात्वर्ती वाद में अनुतोष प्रदान करने के लिए सक्षम हो या अधिकारिता रखता हो,
4. पूर्वतन संस्थित वाद निम्नलिखित में से किसी न्यायालय में लम्बित हो-
   1) उसी न्यायालय में या
   2) भारत के किसी न्यायालय में, या
   3) भारत की सीमाओं से परे किसी ऐसे न्यायालय में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है, या
   4) उच्चतम न्यायालय में।

31. Does the pendency of a civil suit in a foreign Court preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action?
क्या विदेशी न्यायालय में किसी सिविल वाद का लम्बित होना उसी वाद पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में न्यायालयों को प्रवारित करता है?

(a) yes/हाँ
(b) No/नहीं
(c) Will depend on the nature of the suit/वाद की प्रकृति पर निर्भर करेगा
(d) Will depend on the pecuniary valuation of the suit/वाद के आर्थिक मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

Uttarakhand (J) 2014
MPHC (CJ) 2015
Chhattishgarh (J) 2003

Ans : (b) सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 10 के स्पष्टीकरण के अनुसार, विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लम्बित होना उसी वाद-हेतुक पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में के न्यायालयों को प्रवारित नहीं करता।

32. Section 10 of the Civil Procedure Code, 1908 does not apply when the previous suit is pending
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 उस हालत में लागू नहीं होती है जबकि पूर्व वाद

(a) in the same court
उसी न्यायालय में लम्बित हो।
(b) in a foreign court
किसी विदेशी न्यायालय में लम्बित हो।
(c) in the court outside India established on carried on/भारत की सीमाओं से बाहर और पर ऐसे न्यायालय में लम्बित हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है।
(d) in any other court in India
भारत में किसी भी अन्य न्यायालय में

UPPCS (J)-2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. The pendency of a suit in ________ does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action.
________ में किसी वाद का लम्बित होना, उसी वाद हेतुक पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में/के न्यायालयों को प्रवरित नहीं करता।

(a) District Court/जिला न्यायालय
(b) High Court/उच्च न्यायालय
(c) Foreign Court/विदेशी न्यायालय
(d) Supreme Court/उच्चतम न्यायालय

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

34. Under which Section of the Code of Civil Procedure provisions relating to "Principle of Res Judicata" has been provided?

सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में 'प्रांग न्याय का सिद्धान्त' सम्बन्धित उपबन्ध दिया गया है?

(a) Section 11/धारा 11 (b) Section 10/धारा 10
(c) Section 12/धारा 12 (d) Section 13/धारा 13

Uttarakhand (J) 2011
MPHC (CJ) 2009

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में प्राङ्न्याय के सिद्धान्त का उपबंध किया गया है। प्राङ्न्याय या पूर्व न्याय **'न्याय का एक सिद्धान्त'** है जिसके अनुसार यदि किसी विषय पर अंतिम निर्णय दिया जा चुका है तो यह मामला फिर से उसी न्यायालय या किसी दूसरे न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है।

35. Res Judicata (Previous judgment) shall prevent–
रैस ज्यूडिकाटा (पूर्व न्याय) रोकता है :

(a) To file appeal/अपील को दायर करने से
(b) To try suit/वाद को जारी रहने से
(c) To execution process/निष्पादन की प्रक्रिया से
(d) To institute suit/वाद को दायर करने से

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

36. What does the provisons of Section 11 of Civil Procedure Code deal with?
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान किससे संबंधित है?

(a) Res judicata/प्राङ्न्याय
(b) Res subjudice/ न्यायाधीन वाद
(c) Garnishree Order/गार्निशी आदेश
(d) Foreign Judgement/विदेशी निर्णय

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

37. On which of the following maxim the doctrine of 'Res Judicata' is based?
'प्राड्न्याय' का सिद्धान्त निम्न में से किस सूत्र पर आधारित है?

(a) Qui facit per alium facit per se/क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी
(b) Ex turpi causa non oritur actio/एक्स टर्पी कौजा नॉन-ओरिटर एक्सिओ
(c) Interest reipublicae ut sit finis litiuum/इन्टरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिश लिटियम
(d) Respondent superior/रिस्पान्डेंट सुपीरियर

BPSC (APO) 2013
Uttarakhand (J) 2018

Ans. (c) : 'पूर्वन्याय' (Res Judicata) का सिद्धान्त निम्नलिखित तीन सूत्रों पर आधारित है—
(1) Interest Republicae ut sit finis litium अर्थात् यह राज्य के हित में है, कि मुकदमेबाजी का अन्त हो,
(2) Nemo dabet vis vexari pro una et eadem causa अर्थात् किसी भी व्यक्ति को एक ही वाद हेतुक के लिए दो बार तंग नहीं किया जायेगा, या दोहरे वाद से सुरक्षा,
(3) Res Judicata pro veritate occipitur अर्थात् न्यायालय के निर्णय को सही और अन्तिम माना जाना चाहिए।

38. The doctrine of "res judicata" as contained in Section 11, is based on which maxim?
धारा 11 में निहित ''पूर्व-न्याय'' का सिद्धांत किस सूत्रवाक्य पर आधारित है?

(a) None of these/इनमें से कोई नहीं
(b) Interest republicate ut sit finis litium
इन्ट्रेस्ट रिपब्लिकेट अट सिट फिनिस लिटियम
(c) Lex non cogit and impossibilia
लेक्स नॉन कोजिट एण्ड इम्पेशीबिलिया
(d) Executio juris non habet injuriam
एक्जीक्यूटियो ज्यूरिम नॉन हेबिट इन्जुरियम

MPHC (CJ) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. On which of the following maxim the doctrine of 'Res Judicata' is based?/'प्रांगन्याय' का सिद्धान्त निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित है?

(a) Qui facit pe alium facit per se
क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी
(b) Ex turpi causa non oritur actio
एक्स टर्पी कौजा नॉन ओरिटर एक्सिओ
(c) Respondent superior/रिस्पोन्डेट सुपीरियर
(d) Interest republica ut sit finish litium
इन्टरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिश लिटियम

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

40. Under section 11 of Civil Procedure Code, the principle of res-judicate based upon the following legal maxim-/व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा-11 के अन्तर्गत प्रांगन्याय का सिद्धान्त निम्न विधिक सूत्र पर आधारित है–

(a) No person should be vexed twice over the same cause./किसी भी व्यक्ति को एक ही हेतुक के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिये
(b) It is in the interst of the state that there should be an end to litigation /राज्य का हित इस बात में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो
(c) Both (a) and (b)/दोनों (अ) और (ब)
(d) Neither (a) nor (b)/(अ) और (ब) में से कोई नहीं

MP (ADPO) 2009
MP (HJS) 2013

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

41. Basic idea in Rule of Res-judicata has sprouted from the maxim?
पूर्व न्यास (रेस जूडिकेटा) के नियम का प्रादुर्भाव निम्न सूत्र (मेक्सिम) से हुआ है–

(a) ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
ई इनकम्बीट प्रोवेटियो क्यू डिसिट, नान क्यू नेगेट
(b) fraus et jus nunquam cohabitant/फ्रास इट जश ननक्वैम कोहैबिटेंट
(c) damnum sine injuria/डेमनम साइन इन्जूरिया
(d) nemo debet bis vesari pro una et eadem causa/ नैमो डेबिट बिस बेक्सरी प्रो यूना एट एडम कोजा

Rajasthan (DJC) 2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

42. The doctrine of res judicata as contained in Section 11, is based on the maxim
धारा 11 में वर्णित रेस ज्युडिकेटा का सिद्धान्त इस सूत्र पर आधारित है:

(a) Nemo debet bis vexari pro una eadem causa
नैमो डेबिट बिस वेक्सरी प्रो यूना एडम कोजा
(b) Interest republica ut sit finis litiuum
इन्ट्रेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिटियम
(c) Lex non cogit and impassibilia
लेक्स नॉन कोजिट एड इस्पेशीबिलिया
(d) Executio juris non habet injuriam
एक्जीक्यूटियो ज्यूरिस नॉन हेबिट इन्जुरियम

MPHC CJ 2010

Ans. (a&b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

43. Principle of res-judicata is
पूर्व न्याय का सिद्धांत-

(a) mandatory/आज्ञापक है।
(b) directory/निदेशात्मक है।
(c) discretionary/विवेकाधीन है।
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2021
UPPCS (J)-2016

Ans. (a) : रेस जूडिकेटा (पूर्वन्याय) का सिद्धान्त सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में सम्मिलित है। धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार पूर्वन्याय का सिद्धान्त आज्ञापक प्रावधान है। इसके आज्ञापक परिणाम से केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत बचा जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत वे आधार दिये गये हैं जिनका सहारा लेकर एक वाद के निर्णय से बचा जा सकता है।

44. Which one of the following is not necessary for the applicability of the doctrine of res-judicata
पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है:

(a) Former suit must be pending before a competent court/पूर्ववर्ती वाद किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो
(b) Former suit must have been heard and finally decided by a competent court/पूर्ववर्ती वाद किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुनकर अंतिम रूप से निर्णीत हो
(c) Parties in the former suit as well as the subsequent suit must be the same/पूर्ववर्ती तथा पश्चात्वर्ती वादों में पक्षकार समान हो
(d) Subject matter in the former and the subsequent suit must be the same/पूर्ववर्ती तथा पश्चात्वर्ती वादों की विषय-वस्तु समान हो

MPHC (CJ) 2007
Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में पूर्व न्याय के सिद्धांत का उपबन्ध दिया गया है–
पूर्व न्याय के सिद्धांत के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है–
(1) दो वाद होना चाहिए– एक पूर्ववर्ती वाद और एक पश्चातवर्ती वाद
(2) जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद पर निर्णय दिया है उसमें पश्चातवर्ती वाद पर भी निर्णय देने की क्षमता होना चाहिए।
(3) विषय-वस्तु दोनों वादों में प्रत्यक्षतः और सारतः चाहे वास्तविक रूप में या आन्वयिक रूप से समान होना चाहिए।
(4) पूर्ववर्ती वाद किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुनकर अंतिम रूप से निर्णीत हो
(5) पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती दोनो वादों में पक्षकार समान हो
(6) दोनो पक्षकारों को पूर्ववर्ती वाद में उसी स्वत्व या हैसियत के अधीन मुकदमेबाजी आवश्यक है।
अतः विकल्प (a) पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए आवश्यक नहीं है।

45. Res judicata shall applies-/प्राङ्न्याय प्रवर्तित होता है–

(a) Between plaintiff and defendant /एक वादी और प्रतिवादी के बीच में
(b) Between Co-plaintiff/सहवादियों के बीच में
(c) Between co-defendant/सहप्रतिवादियों के बीच में
(d) All the above/उपरोक्त सभी

MP (HJS) 2014

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के धारा 11 में वर्णित प्रांग न्याय का सिद्धान्त वादी और प्रतिवादी, सहवादियों तथा सह-प्रतिवादियों के बीच प्रवर्तित होता है।

46. Principle of res judicata applies
पूर्व न्याय (res judicata) का नियम लागू होता है

(a) between co-plaintiffs/सह-वादियों के बीच
(b) between co-defendants/सह-प्रतिवदियों के बीच
(c) Both (a) and (b)/दोनो (a) और (b)
(d) Neither (a) nor (b)/ (a) और न ही (b)

28th BPSC (J) 2014

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में वर्णित प्राङन्याय का सिद्धान्त सहवादियों के बीच एवं सहप्रतिवादियों के बीच प्रयोज्य होता है।

47. In which of the following writs, the doctrine of res judicata is not applicable?
निम्नांकित में से किस रिट के मामले में प्राड्न्याय का सिद्धान्त लागू नही होता है?

(a) Certiorari/उत्प्रेषण
(b) Mandamus/परमादेश
(c) Quo Warranto/अधिकार पृच्छा
(d) Habeas Corpus/बंदी प्रत्यक्षीकरण

Uttarakhand (J) 2002,2006

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में समाविष्ट पूर्व न्याय का सिद्धान्त बन्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट में लागू नहीं होता है। **गुलाम सरवर बनाम भारत संघ** (1967SC) के वाद में न्यायालय ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर प्राङ्गन्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता तथा इस पर आन्वयिक प्राङ्गन्याय भी लागू नहीं होता है।
जी.के. डुडानी बनाम एस.डी.शर्मा (1986 SC) और दरयाव सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 (1961 SC) के मामलों में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया की बन्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट के सिवाय सभी रिटों पर प्राङ्गन्याय का सिद्धान्त लागू होता है।

48. Principle of res judicata does not apply-
रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत प्रयोज्य नहीं होता है–

(a) to Writ of Habeas Corpus
हैबियस कार्पस की रिट पर
(b) to Interlocutary Orders/अंतर्वर्ती आदेशों पर
(c) to dismissal under Order 17, Rule 3/आदेश 17 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत खारिज किए जाने पर
(d) To exparte judgementएक पक्षीय निर्णय पर

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

49. A files against B one suit on 6th January, 2020 and on the same grounds asking for same relief another on 18th February, 2020. Suit filed in February is decided by the court of competent jurisdiction on merits before the suit filed in January could be decided. Examine the validity of statement that suit filed on 6th January, 2020 is valid and res judicata will apply on the suit filed in February as it was filed later.
क ने ख के खिलाफ एक दावा 6 जनवरी, 2020 को प्रस्तुत किया तथा उन्हीं आधारों पर उसी प्रकृति की सहायता के लिए अन्य दावा 18 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किया। सक्षम न्यायालय द्वारा गुणदोषों के आधार पर फरवरी में प्रस्तुत दावे का निराकरण, जनवरी में प्रस्तुत हुए दावे के निराकरण से पूर्व ही कर दिया जाता है। इस अभिकथन की वैधता की जांच करें कि ''6 जनवरी, 2020 को दायर किया गया दावा वैध है और प्रांग न्याय का सिद्धांत फरवरी में दायर वाद पर लागू होगा क्योंकि इसे बाद में दायर किया गया था''।

(a) The statement is true/अभिकथन सही है
(b) The statement is false/अभिकथन गलत है
(c) Principle of res judicata has no application to decide the validity of given statement
दिये गये अभिकथन की वैधता के निर्धारण हेतु पूर्व न्याय का सिद्धांत यहां लागू नहीं होता है
(d) Validity of statement depends upon the discretionary power of Court/अभिकथन की वैधता न्यायलय की विवेकाधिकार शक्ति पर निर्भर करती है

MPHC CJ 2020

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में अभिकथित सिद्धान्त पूर्वन्याय से सम्बन्धित है।
धारा 11 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार–पूर्ववर्ती वाद ऐसे वाद का द्योतक है, जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं।

50. The rule of constructive res judicata is-
आन्वयिक पूर्व न्याय का नियम-

(a) A product of judicial interpretation
न्यायिक निर्वचन की देन है
(b) A rule of equity/साम्या का नियम है
(c) Contained expressly in C.P.C.
सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है
(d) A part of Supreme Court rules
उच्चतम न्यायालय के नियमों का एक भाग है

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में आन्वयिक पूर्व न्याय का नियम अभिव्यक्त है। स्पष्टीकरण 4 के अनुसार, ऐसा विषय जो पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाया जाता है, उसके बारे में यह समझा जायेगा कि वह पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है।

51. Under which one of the following provisions of C.P.C. the principle of constructive resjudicata has been explained:
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के निम्न में से किस प्रावधान में आन्वयिक प्राङ्गन्याय की व्याख्या की गई है?

(a) Section 11 explanation I/धारा 11 स्पष्टीकरण I
(b) Section 11 explanation III
धारा 11 स्पष्टीकरण III
(c) Section 11 explanation IV
धारा 11 स्पष्टीकरण IV
(d) Section 11 explanation VII
धारा 11 स्पष्टीकरण VII

UPPCS (J) 2006
Rajsthan JLO 2013
Uttarakhand (J) 2008, 2018, 2012
Bihar (HJS) 2015, 2018
MP ADPO 2009,2010,2016 Paper-I
30th BPSC (J)2018
BPSC (APO)2002

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

52. Which of the following provisions lays down that any matter which might have been made ground of defence or attack in a former suit but has not been made shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit.
निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान यह कहता है कि कोई बात जो किसी पूर्ववर्ती वाद में आक्रमण या बचाव का आधार बनाई जा सकती थी पर नहीं बनाई गई वह ऐसे माना जायेगा जैसे उस वाद में वह प्रत्यक्ष रूप से व सारभूत रूप से विवादग्रस्त थी

(a) Section 9 of the CPC/धारा 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
(b) Section 10 of the CPC/धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
(c) Section 11 of the CPC/धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
(d) Section 12 of the CPC/धारा 12 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

53. Principle of constructive res judicata is contained in
सृजनात्मक पूर्व न्याय का नियम वर्णित है

(a) Explanation III to Section 11
व्याख्या III धारा 11 में
(b) Explanation IV to Section 11
व्याख्या IV धारा 11 में
(c) Explanation VI to Section 11
व्याख्या VI धारा 11 में
(d) Explanation VII to Section 11
व्याख्या VII धारा 11 में

28th BPSC (J) 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

54. A files a suit for declaration that he is entitled to certain land as the heir of C. The suit is dismissed. Subsequently suit is claimed on the basis of adverse possession, subsequent suit is barred on the ground of
अ एक घोषणात्मक वाद संस्थित करता है कि वह स का उत्तराधिकारी होने के नाते एक निश्चित भूमि का प्राधिकारी है। वाद खारिज कर दिया जाता है। पश्चातवर्ती वाद का दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किया गया। पश्चातवर्ती वाद वर्जित है

(a) Constructive res-judicata
प्रलक्षित प्राड्.न्याय के द्वारा
(b) actual res-judicata/वास्तविक प्राड्.न्याय के द्वारा
(c) either (a) or (b)/या तो (a) द्वारा या (b) द्वारा
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPCS (J)-2016

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 11 के स्पष्टीकरण 4** के आन्वयिक प्राड्.न्याय (Constructive res judicata) के सिद्धान्त से सम्बन्धित है जिसके अनुसार ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए, यह समझा जायेगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षत: और सारत: विवाद्य रहा है। अत: प्रस्तुत समस्या में पश्चातवर्ती वाद प्रलक्षित प्राड्.न्याय के द्वारा वर्जित होगा।

55. Assertion (A) : The rule of constructive res judicata is applicable to writ petitions.
कथन (A): रचनात्मक प्राक्कथन का नियम रिट याचिकाओं पर लागू होता है।
Reason (R) : Public policy considerations underlying res judicata also hold true in relation to writ proceedings.
कारण (R): प्राङ्न्याय के पीछे निहित लोकनीति सम्बन्धी कारण रिट कार्यवाहियों पर भी लागू होते है।

Code/कूट:
(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A/दोनों A एवं R सत्य है और R, A की सही स्पष्टीकरण है
(b) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A/दोनों A एवं R सत्य है किन्तु R, A की सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) A is true but R is false/A सही है लेकिन R गलत है
(d) A is false but R is true/A गलत है लेकिन R सही है

Jharkhand (J) 2008

Ans. (a) : रचनात्मक प्राक्कथन का नियम (Rule of constructive res-judicata) का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में दिया गया है। रचनात्मक प्राक्कथन का नियम रिट याचिकाओं (बंदी प्रत्यक्षिकरण रिट के सिवाय) पर लागू होता है।
प्राङ्न्याय का सिद्धांत रिट याचिकाओं (writ petition) पर लागू होने का कारण लोकनीति (public interest) है।
नोट : रेस जुडिकेटा का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षिकरण रिट पर लागू नहीं होता है।

56. Any relief claimed in the plaint, which is not expressly granted by the decree, shall for the purpose of this section of civil procedure code be deemed to have been refused, this provision is vested to?/वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष, जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा। यह प्रावधान निहित है?

(a) Section 11 Explanation 2/धारा 11 स्पष्टीकरण 2
(b) Section 11 Explanation 3/धारा 11 स्पष्टीकरण 3
(c) Section 11 Explanation 4/धारा 11 स्पष्टीकरण 4
(d) Section 11 Explanation 5/धारा 11 स्पष्टीकरण 5

MP (HJS) 2016

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 स्पष्टीकरण 5 के अनुसार, वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नही दिया गया है तो ऐसे दावो को नामंजूर कर दिया गया समझ जायेगा।

57. Principle of res judicata applies to.......
प्राड्.न्याय का सिद्धान्त लागू होता है-

(a) Suits only/केवल वादों में
(b) Execution proceedings only/केवल निष्पादन कार्यवाहियों में
(c) Arbitration proceedings only/केवल माध्यस्थम् कार्यवाहियों में
(d) Suits as well as execution proceedings/वाद एवं निष्पादन कार्यवाहियों में

MPHC CJ 2006
UP (HJS) 2014

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 की धारा 11 के स्पष्टीकरण 7 के अनुसार, प्राङ्गन्याय का सिद्धान्त किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे और धारा 11 में किसी वाद, विवाद्यक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जाएगा।

58. The provisions of Res Judicata also apply to the execution proceedings of a decree
पूर्व न्याय के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को भी लागू होंगेः

(a) Yes /हाँ
(b) No /नहीं
(c) Only applies to the suit
केवल वादों पर लागू होते हैं
(d) Not apply if objection raised by judgment Debtor
निर्णीत ऋणी द्वारा आपत्ति करने पर लागू नहीं होगा

Chhattigarh (J)2003
MPHC CJ 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

59. The principle of Res Judicata:
प्रांग न्याय का सिद्धान्त

(a) applies to criminal proceedings also/दाण्डिक कार्यवाहियों पर भी लागू होती है
(b) applies to suit only/केवल वाद में लागू होती है
(c) applies to execution proceedings also/निष्पादन कार्यवाहियों में भी लागू होती है
(d) can be decided by the parties to the suit/वाद के पक्षकारों द्वारा निर्णय किया जा सकता है

25th BPSC (J) 2000

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

60. The principle of res judicata is not applicable to which of the followings:
प्राङ्गन्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर प्रयोज्य नहीं होता हैः

(a) Suits/वादों पर
(b) Execution of decree proceeding/डिक्री के निष्पादन कार्यवाहियों पर
(c) Arbitration proceeding/माध्यस्थम कार्यवाहियों पर
(d) All are correct/सभी विकल्प सही

MP (ADPO) 2016 Paper-I
Chhattisgarh (J) 2019

Ans. (c) : प्राङ्गन्याय का सिद्धांत माध्यस्थम कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 प्राङ्गन्याय के सिद्धांत से संबंधित है। यह वादों तथा निष्पादन कार्यवाहियों पर लागू होता है।
धारा 11 के स्पष्टीकरण 7 के अनुसार, प्राङ्गन्याय का सिद्धांत डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे।

61. Whether an issue heard and finally decided by a competent court of limited jurisdiction shall operates as res judicata in a subsequent suit, that the aforesaid court was not competent of try:
क्या कोई विवाद्यक, जो सीमित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, किसी पश्चातवर्ती वाद में जिसका विचारण करने के लिए पूर्वोक्त न्यायालय सक्षम नहीं था, पूर्व न्याय के रूप में प्रवृत्त होगा?

(a) No /नहीं
(b) Yes /हाँ
(c) Answer would depend upon the nature of the issue /उत्तर विवाद्यक की प्रकृति पर निर्भर होगा।
(d) None of the above /उपर्युक्त में से कोई नहीं

MPHC CJ 1996
Chhattishgarh (J) 2004, 2008

Ans. (b) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के स्पष्टीकरण 8 के अनुसार, कोई विवाद्यक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है और अतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, किसी पश्चातवर्ती वाद में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था।

62. Which of the following is not a case on res judicata?
निम्न में से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर नहीं है?

(a) Duche's of Kington case/डचेस ऑफ किंग्टन का वाद
(b) Chhajju Ram v. Neki/छज्जूराम बनाम नेकी
(c) Munni Bibi v. Trilok Nath/मुन्नो बीवी बनाम त्रिलोकनाथ
(d) Byram Pestonji Gariwala v. Union Bank of India/बाइरेम पेस्टनजी गरीवाला बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में पूर्व न्याय के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं। **छज्जूराम बनाम नेकी (1922 प्रीवी काउंसिल)** का वाद पूर्व न्याय से सम्बन्धी नहीं है, यह धारा 114 में दिये पुनर्विलोकन से सम्बन्धित है। जबकि **डचेस ऑफ किंग्स्टन का वाद (1976)**, **मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकीनाथ (1931) का वाद** तथा **बाइरेम पेस्टनजी गरीवाला बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (1922)** का वाद पूर्वन्याय पर आधारित है।

63. In which of the following case Sir Laurence Jenkins has observed that "the rule of res judicata, while founded on account of precedent, is directed by a wisdom which is for all times"?

सर लारेंस जैनकिन्स ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह संप्रेक्षण किया है कि ''प्राङ्न्याय का नियम यद्यपि कि पूर्व निर्णय पर आधारित है, उस प्रज्ञान पर आदेशित है जो सर्वकालिक है''?

(a) Lal Chand v. Radha Kishan/लालचन्द बनाम राधा किशन

(b) Sheopersan v. Ramanand Singh/श्योपरसन बनाम रामनन्द सिंह

(c) Sulochana Amma v. Narayan Nair/सुलोचना अम्मा बनाम नारायण नायर

(d) Pandurang Ramachandra v. Shantibai/पाण्डुरंग रामचन्द्र बनाम शान्तीबाई

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) श्योपरसन बनाम रामनन्द सिंह (1916 PC) के वाद में सर लारेंस जैनकिन्स ने यह संप्रेक्षण किया है कि ''प्राङ्गन्याय का नियम यद्यपि कि पूर्व निर्णय पर आधारित है, उस प्रज्ञान पर आदेशित है जो सर्वकालिक है।''

64. The principle of constructive res-judicata was explained by the Hon'ble Supreme Court in the case of

आन्वयिक प्राङ्न्याय के सिद्धान्त की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में की गई है-

(a) Daryao v. State of U.P./दरयाव बनाम उ.प्र. राज्य

(b) State of U.P. v. Nawab Hussain/उ.प्र. राज्य बनाम नवाब हुसैन

(c) Both (a) and (b) above/उपर्युक्त (a) और (b) दोनों

(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : दरयाव सिंह बनाम उ.प्र. राज्य (1961, S.C.) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम आन्वयिक प्राङ्गन्याय की व्याख्या करते हुये यह धारित किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में आन्वयिक प्राङ्गन्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होगा।

उ.प्र. राज्य बनाम नवाब हुसैन (1977, S.C.) में धारित किया गया कि सभी अनुतोष एक बार में मांगा जाना चाहिए अन्यथा आन्वयिक प्राङ्गन्याय के सिद्धान्त से पश्चातवर्ती मामला बाधित होगा।

65. Which one of the following cases is related to the principle of Res judicata?

निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्राङ्गन्याय से सम्बन्धित है?

(a) Satyacharan V. Devrajan
सत्याचरण बनाम देवराजन

(b) M.S. Cooperative Marketing Federation Ltd. v. Indian Bank, Bombay/एम0 एच0 कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि0 बनाम इण्डियन बैंक बाम्बे

(c) P.C. Jairath v. Amrit Jairath
पी0वी0 जयरथ बनाम अमृत जयरथ

(d) All of the above/उपरोक्त सभी

UPPCS (J)-2003

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 11** पूर्व-न्याय का उपबंध करती है।

सत्याचरण बनाम देवराजन का वाद पूर्व-न्याय (धारा 11) से संबंधित है। शेष दोनों वाद **एम.एच. कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि0 बनाम इण्डियन बैंक बाम्बे,-** धारा 10 से तथा **पी0सी0 जयरथ बनाम अमृत जयरथ-** धारा 10 (C.P.C.) तथा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28 से सम्बन्धित है।

66. The case Daryao Vs. State of U.P. AIR 1961 SC 1457 is related to

दरयाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1457 का वाद संबंधित है

(a) Suit of civil nature/सिविल प्रकृति के वाद से

(b) Transfer of execution proceedings/निष्पादन प्रक्रिया के अन्तरण से

(c) Adjournment/स्थगन से

(d) Doctrine of Res-Judicata/प्राङ्ग न्याय के सिद्धांत से

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : दरयाव बनाम उ0प्र0 राज्य (1961, SC) का वाद प्राङ्ग न्याय के सिद्धांत से सम्बन्धित है। पूर्व न्याय के सिद्धान्त से सम्बन्धित निदर्शक वाद ड्यूचेस ऑफ किंग्सटन में प्रतिपादित सिद्धान्त का अनुमोदन दरयाब सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य (1961) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किया।

67. Which of the following landmark judgments of the Supreme Court deals with the applicability of res judicata in writ petitions?

सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक फैसलों में से किसका सम्बन्ध रिट पिटीशन्स में रेस जूडीकेटा के लागू होने से है?

(a) Satyadhan Ghosal v. Deorajin Debi
सत्यधन घोषाल बनाम देओराजिन देवी

(b) Daryao v. State of UP
दरयाव बनाम स्टेट ऑफ यू. पी.

(c) LIC v. Indian Automobiles and Co.
जीवन बीमा निगम बनाम ऑटोमोबाइल्स ऐन्ड कं.

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

29th BPSC (J) 2017

Ans. (b) : दरयाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1961 SC) के ऐतिहासिक मामलें में उच्चतम न्यायालय ने प्रांग न्याय के आधार तथा क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया तथा न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि यदि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाएं गुण-दोषों के आधार पर निरस्त कर दी जाती है, तो यह निर्णय प्रांग न्याय के रूप में प्रयोज्य होगा एवं अनुच्छेद 32 के अधीन प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर भी लागू होगा।

68. Which of the following judgments of the Supreme Court deals with the applicability of Res-judicata in writ petitions?

सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में से किसका सम्बन्ध रिट-याचिकाओं में प्राङ्गन्याय के लागू होने से है?

(a) L.I.C. v. India Automobiles and company/जीवन बीमा निगम बनाम इण्डिया ऑटोमोबाइल्स एण्ड कं
(b) Daryao v. State of U.P./दरयाव बनाम उ.प्र. राज्य
(c) Bhula Bhai v. State of M.P./भूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य
(d) Premier Automobile v. Kamlakar/प्रीमियर ऑटोमोबाइल बनाम कमलाकर

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

69. A decision or finding given by Court without jurisdiction-
बिना अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दिया हुआ निर्णय और निष्कर्ष–

(a) can operate as res-judicata under all circumstances
सभी परिस्थितियों में प्राङ्ग न्याय का परिचालन होगा
(b) cannot operate as res-judicata
प्राङ्ग न्याय का परिचालन नहीं होगा
(c) can operate as res-judcata under certain circumstances only
विशेष परिस्थितियों में प्राङ्ग न्याय का परिचालन होगा
(d) may operate as res-judicata or may not operate as res judicata/प्राङ्ग न्याय का परिचालन हो सकता है और नहीं भी हो सकता

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (b) : प्राङन्याय का सिद्धान्त सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में वर्णित है। इसे लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद का विचारण किया है वह पश्चातवर्ती वाद का विचारण करने के लिए सक्षम हो। न्यायालय की क्षमता से तात्पर्य क्षेत्राधिकार से है। अतः बिना अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दिया हुआ निर्णय और निष्कर्ष शून्य होगा और प्राङन्याय का परिचालन नहीं होगा।

70. An order passed without jurisdiction, attains finality in favour of same parties. Whether principle of res judicata, under C.P.C., would apply to such an order, between same parties?
एक आदेश जो बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है, कुछ पक्षकारों के पक्ष में अन्तिम होता है। क्या सी.पी.सी. के तहत पूर्व न्याय का सिद्धांत ऐसे आदेश को उन्हीं पक्षकारों के बीच लागू होगा?

(a) Yes /हाँ
(b) No /नहीं
(c) Depends upon the nature of suit
वाद की प्रकृति पर निर्भर है
(d) It is discretion of Court
यह न्यायालय का स्वविवेक है

MPHC CJ 2013 Shift-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

71. the principle of res judicata should apply-/ प्रांगन्याय का सिद्धान्त लागू हो सकेगा–

(a) Only in separate proceeding/केवल पृथक् कार्यवाहियों में
(b) the letter stage of the same proceeding /उसी कार्यवाही की पश्चात्वर्ती अवस्था
(c) (a) and (b) both are correct/(a) और (b) दोनों सही है।
(d) All the above are correct./उपरोक्त सभी सही है।

MP (HJS) 2015

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 प्राङ्गन्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। यदि किसी पूर्ववर्ती वाद में पक्षकारों के बीच कार्यवाही पर सुनवायी करके अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है, तो ऐसी कार्यवाही का विनिश्चय उसी विवाद्यक पर पश्चातवर्ती कार्यवाही में प्राङ्गन्याय के रूप में प्रवर्तित होगा। प्राङ्गन्याय का सिद्धांत न्यायिक विनश्चयों को अंतिमता प्रदान करने की आवश्यकता पर आधारित है, जो उसी मामले को दो बार उठाये जाने को निवारित करता है और यह केवल इस धारा के विनिर्दिष्ट शब्दों तक सीमित नहीं है और प्राङ्गन्याय का सिद्धांत एक ही मुकदमे के दो प्रक्रमों के बीच लागू है। (यू.पी. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 446)
अतः स्पष्ट है कि प्राङ्गन्याय का सिद्धांत उसी कार्यवाही की पश्चातवर्ती अवस्थाओं में लागू होता है।

72. Under Section 13 of CPC which of the following judgments shall not be conclusive?
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन निम्न में से कौन सा निर्णय निश्चायक नहीं होगा?

(a) Judgment not on merit/गुणागुण के बिना दिया गया।
(b) Judgment founded on breach of Indian Law/भारतीय विधि के भंग पर आधारित दिया गया-निर्णय
(c) Judgement against International law/अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध दिया गया-निर्णय
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2014
MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans : (d) सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 13 के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में विदेशी निर्णय निश्चायक नहीं होगा-
(a) जब वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है,
(b) जब वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है,
(c) जब वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या भारत की विधि को उन मामलों में जिनको वह लागू है मान्यता देने से इन्कार करने पर आधारित है,
(d) जब वह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है,
(e) जब वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है,
(f) जब वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है।

73. A foreign judgement/एक विदेशी निर्णय

(a) can never be conclusive/कभी अंतिम नहीं हो सकता
(b) can be conclusive as to any matter indirectly adjudicated upon between the same parties/अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हो और उस विषय पर उनमें परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका हो
(c) can be conclusive as to any matter directly adjudicated upon between the same parties if it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction/अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हो और उस विषय पर उनमें सीधे तौर पर निर्णय हो चुका हो और जिसे सक्षम न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया हो
(d) can be conclusive as to any matter directly adjudicated upon between the same parties if it has been pronounced by a court of competent jurisdiction/अंतिम हो सकता है अगर पक्षकार एक हो, उस विषय पर उनमें सीधे तौर पर निर्णय हो चुका हो और जिस पर सक्षम न्यायालय ने निर्णय दिया हो

Jharkhand (J) 2019

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(6) में विदेशी निर्णय को परिभाषित किया गया है तथा विदेशी निर्णय के अंतिमता (Conclusiveness) से संबंधित प्रावधान धारा 13 में दिया गया है।
धारा 13 के अनुसार, एक विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे दावा करते है, प्रत्यक्षतः निर्णीत किसी विषय के संबंध में निश्चायक होगा।
विदेशी न्यायालय के निर्णय के अंतिमता या निश्चायकता पर निम्न आधार पर आक्षेप लगाया जा सकता है-
1. वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है, या
2. वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है, या
3. वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध या भारत की विधि को मान्यता देने से इंकार पर आधारित है, या
4. कार्यवाही नैसर्गिक न्याय (Natural justice) के विरुद्ध है, या
5. वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, या
6. वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है।

**74. Under Section 13 of CPC, a foreign judgment can be challenged on the ground of:
सि.प्र.सं. की धारा 13 के तहत, विदेशी निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है:**

(a) competency of the Court pronouncing the judgment/निर्णय घोषित करने वाले न्यायालय की सक्षमता
(b) sustaining a claim founded on a breach of law in force in India/दावा भारत में लागू किसी विधि के उल्लंघन में है
(c) being obtained by fraud/कपट द्वारा अभिप्रापत है
(d) All of these/ये सभी

MP (HJS) 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

**75. Validity of a foreign judgement can be challenged under Section 13 of the CPC
एक विदेशी न्यायालय के निर्णय को सी.पी.सी. की धारा 13 के अन्तर्गत चुनौती दी जा सकती है–**

(a) in a civil court only/केवल दीवानी न्यायालय में
(b) in a criminal court only
केवल आपराधिक न्यायालय में
(c) both in civil court and in criminal court
दीवानी और आपराधिक दोनों न्यायालय में
(d) neither in civil court nor in criminal court
न तो दीवानी न्यायालय में और न ही आपराधिक न्यायालय में

BPSC (APO) 2012
28th BPSC (J) 2014

Ans : (a) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 में विदेशी न्यायालय के निर्णय की निश्चायकता के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 13 में उन दशाओं का भी उपबंध किया गया है जिसके अन्तर्गत विदेशी न्यायालय के निर्णय को दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

**76. A suit instituted in India for enforcing a foreign judgment is to be filed within how many years:
विदेशी निर्णय को लागू करने के लिए वाद भारत में कितने वर्षों के भीतर दायर होना चाहिए-**

(a) Within one year from the date of the judgment/निर्णय तिथि से एक वर्ष के भीतर
(b) Within five years from the date of the judgment/निर्णय तिथि से पाँच वर्ष के भीतर
(c) Within two years from the date of the judgment/निर्णय तिथि से दो वर्ष के भीतर
(d) Within three years from the date of the judgment/निर्णय तिथि से तीन वर्ष के भीतर

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (d) : विदेशी निर्णय का भारत में प्रवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है-
(1) भारतीय न्यायालय में निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से।
(2) भारतीय न्यायालय में वाद संस्थित करके। विदेशी निर्णय पर आधारित वाद भारतवर्ष में निर्णय की तिथि से 3 वर्ष के भीतर ही संस्थित कराया जा सकता है (अनुच्छेद 101 मर्यादा अधिनियम 1963)।

77. Section 14 Civil procedure code provides that, the court shall presume upon the production of certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent Jurisdiction. this presumption-/धारा 14 सी.पी.सी. यह प्रावधान करती है कि न्यायालय विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के प्रस्तुत होने पर यह उपधारणा करेगी कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। यह उपधारणा–

(a) is a revocable presumption of fact./तथ्य की खण्डनीय उपधारणा है
(b) is a irrevocable presumption of fact./तथ्य की अखण्डनीय उपधारणा है
(c) is a revocable presumption of Law./विधि की खण्डनीय उपधारणा है
(d) is a irrevocable presumption of Law/विधि की अखण्डनीय उपधारणा है

MP (HJS) 2014

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के धारा 14 में विदेशी न्यायालय के निर्णय के बारे में उपधारणा से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार यदि किसी विदेशी न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह उचित है परन्तु यह उपधारणा अधिकारिता का अभाव साबित करके खण्डित की जा सकती है।
इस प्रकार यह उपधारणा विधि की एक खण्डनीय उपधारणा है।

अध्याय – 3

वाद करने का स्थान एवं वादों का संस्थित किया जाना (धारा 15-26)

1. Place of suing is mentioned in which part of Civil Procedure Code?
सिविल प्रक्रिया संहिता के किस भाग में वाद संस्थित करने का स्थान वर्णित है?

(a) Part I/भाग I (b) Part II/भाग II
(c) Part III/भाग III (d) Part IV/भाग IV

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के भाग 1 (धारा 15 से 25) में वाद करने का स्थान वर्णित है। वाद संस्थित करने का स्थान निर्धारित करने के लिए विभिन्न वादों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
(1) अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद (धारा 16, 17 और 18)
(2) शरीर या जंगम सम्पत्ति के प्रति किये गये दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद (धारा 19)
(3) अन्य वाद (धारा 20)

2. Under Section 15 of the Code of Civil Procedure, every suit shall be instituted in
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अन्तर्गत सभी वाद दायर किये जायेंगे

(a) district Court/जिला न्यायालय में।
(b) the court of lower grade
निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में।
(c) the court of higher grade
उच्चतर श्रेणी के न्यायालय में।
(d) all of the above/उपरोक्त सभी में।

Uttarakhand (J) 2009,2018

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 15 में प्रावधान किया गया है कि हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। न्यायालय की सक्षमता वाद-पत्र में किए गए मूल्यांकन के आधार पर निश्चित की जायेगी।

3. Every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it. This provision relates to
हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जो उसका विचारण करने में सक्षम है। यह प्रावधान सम्बंध रखता है।

(a) Territorial jurisdiction/क्षेत्रीय अधिकारिता से
(b) Pecuniary jurisdiction/धन सम्बन्धी अधिकारिता से
(c) Both (a) & (b)/दोनों (a) और (b) से
(d) Jurisdiction as to subject-matter
विषयवस्तु के सम्बंध में अधिकारिता

UPPCS (J)-2016
Rajasthan (JLO) 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 15** उस न्यायालय के बारे में बताती है जहां वाद संस्थित किया जायेगा। धारा 15 के अनुसार, हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। किसी न्यायालय की सक्षमता उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता तथा धन संबंधी अधिकारिता से निर्धारित की जाती है जबकि अधिकारिता मुख्यता तीन प्रकार की होती है-
1. धन सम्बन्धी अधिकारिता।
2. क्षेत्रीय अधिकारिता।
3. विषय वस्तु संबंधी अधिकारित।

4. According to Section 16 of the Civil Procedure Code a suit regarding Immovable property may be instituted in a court in which jurisdiction-
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के अंतर्गत अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद दायर किया जा सकता है, एक ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत–

(a) Defendant resides/प्रतिवादी निवास करता है
(b) Defendant carries the business/प्रतिवादी व्यापार करता है
(c) Property is situated/सम्पत्ति स्थित है
(d) at all of the above places/उपरोक्त सभी जगह

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 16 के अनुसार, वे वाद जो निम्नलिखित के सम्बन्ध में है उस न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को भीतर वह सम्पत्ति स्थित है—
(a) भाटक या लाभों सहित या रहित स्थावर सम्पत्ति को प्रत्युद्धरण के लिए
(b) स्थावर सम्पत्ति के विभाजन के लिए
(c) स्थावर सम्पत्ति के बंधक की या उस पर के भार की दशा में पुरोबंध, विक्रय या मोचन के लिए
(d) स्थावर सम्पत्ति में से किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए
(e) स्थावर सम्पत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए
(f) करस्थम् या कुर्की के वस्तुतः अधीन जंगम सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए।

5. **Which one of the following is not a suit relating to immovable property?/निम्नांकित में से कौन स्थावर संपत्ति संबंधी वाद नहीं है?**
(a) Suit for recovery of immovable property
स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वाद
(b) Suit for partition of immovable property
स्थावर संपत्ति के विभाजन का वाद
(c) Suit for redemption of mortgaged property
बंधकग्रस्त संपत्ति के मोचन का वाद
(d) Suit for rent in respect of immovable property/स्थावर संपत्ति से संबंधित भाटक का वाद

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 16 के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित भाटक का वाद शामिल नहीं है, जबकि स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण (रिकवरी) के लिए वाद, स्थावर सम्पत्ति के विभाजन के लिए वाद, बंधकग्रस्त सम्पत्ति के मोचन का वाद, धारा 16 के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति संबंधी वाद है।

6. **Where may suit for partition of immovable property be instituted?**
स्थावर सम्पत्ति के बँटवारे के लिए वाद कहाँ संस्थित होगा?
(a) Where subject matter or property is situated
जहाँ संबंधित वस्तु या सम्पत्ति स्थित है
(b) Where defendant actually and voluntarily resides/जहाँ प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है
(c) Where defendant carries on business
जहाँ प्रतिवादी कारोबार करता है
(d) Where defendant works for gain
जहाँ प्रतिवादी अभिलाभ के लिए काम करता है

MPHC CJ 2012

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 16 के अनुसार, स्थावर सम्पत्ति के बंटवारे के लिए प्रत्येक वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह सम्पत्ति स्थित है।

7. **Suit for partition of immovable property shall be instituted in the Court where:**
स्थावर सम्पत्ति के लिए, विभाजन का वाद, उस न्यायालय में संस्थित होगा, जहाँ:
(a) Plaintiff resides /वादी रहता है
(b) Plaintiff carries on his profession
वादी अपना व्यवसाय करता है
(c) Subject matter is situated /विषय वस्तु स्थित है
(d) With the permission of the District Judge, in any Court
जिला न्यायाधीश की अनुमति से किसी भी न्यायालय में

MPHC CJ 2007

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. **Suit for partition of joint immovable property shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction–**
संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में–
(a) Property is situated/संपत्ति स्थित है
(b) Plaintiff resides/वादी निवास करता है
(c) Defendant resides/प्रतिवादी निवास करता है
(d) All of these/ये सभी

MPHC CJ 2020

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. **Suit relating to immovable property can be filed under Section 16 of Civil procedure Code in such a court within whose local jurisdiction/दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद दायर किया जा सकता है एक ऐसे न्यायालय में जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत :**
(a) The defendant resides/प्रतिवादी निवास करता है
(b) The defendant carries on business/
प्रतिवादी व्यापार करता है
(c) The property is situated/सम्पत्ति स्थित है
(d) The plaintiff resides or carries on business/
वादी निवास करता है या व्यापार करता है

Chhattishgarh (J) 2008
MP (ADPO) 2009 Paper-I

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 16 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर सम्पत्ति स्थित है।

10. **Subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law suits for recovery of possession or immovable property must be instituted in the court:**
किसी विधि द्वारा धन सम्बन्धी या अन्य परिसीमा के अध्यधीन अचल सम्पत्ति के कब्जे की प्राप्ति का वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए?
(a) within whose jurisdiction both the parties reside/जिसकी अधिकारिता में दोनों पक्षकार निवास करते हैं
(b) within whose jurisdiction the defendant reside/जिसकी अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता है
(c) within whose jurisdiction the plaintiff reside
जिसकी अधिकारिता में वादी निवास करता है
(d) within whose local limits of jurisdiction the property is suitated/जिसकी स्थानीय अधिकारिता में सम्पत्ति अवस्थित है

25th BPSC (J) 2000

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 16 के अनुसार, किसी विधि द्वारा विहित धन सम्बन्धी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए अचल सम्पत्ति के कब्जे की प्राप्ति का वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में सम्पत्ति स्थित है।

11. **A suit regarding immovable property may be instituted in a court in whose jurisdiction.**
स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद दायर किया जा सकता है, एक ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत :
(a) Defendant resides/प्रतिवादी निवास करता है
(b) Property is situated /सम्पत्ति स्थित है
(c) Defendant carries business/प्रतिवादी व्यापार करता है
(d) All of these/ये सभी

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 16 के अनुसार, स्थावर सम्पत्ति से संबंधित वाद उस न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर सम्पत्ति स्थित है या उस न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है।

12. Parties by their consent/agreement-
पक्षकार आपस में करार कर सकते हैं–
(a) can confer jurisdiction on a court where there is none in law/न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने जो विधि द्वारा उसे प्राप्त नहीं है
(b) can oust the jurisdiction of the court when there is one in law/न्यायालय को अधिकारिता न हो जो कि विधि द्वारा उसमें निहित है
(c) can oust the jurisdiction of one of the courts when are two courts having simultaneous jurisdiction in law/दो समान अधिकारिता वाले न्यायालय के अधिकारिता प्राप्त होने पर उसमें से किसी एक न्यायालय की अधिकारिता को बाहर कर सकते है,
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

UP (HJS) 2012

Ans. (c) : पक्षकारों के करार द्वारा न तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार (jurisdiction) बनता है और न ही समाप्त होता है। यद्यपि पक्षकार करार द्वारा दो समान अधिकारिता वाले न्यायालय में से किसी भी एक न्यायालय को अधिकारिता से अपवर्जित कर सकता है।

13. Judgement and decree passed by the court which lacks inherent jurisdiction-
अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री-
(a) is a nullity/शून्य है
(b) Would never operate as res judicata
वह कभी भी पूर्वन्याय के रूप में प्रवर्तित नहीं होगी
(c) Can be challenged in subsequent suit
पश्चातवर्ती वाद में चुनौती योग्य है
(d) All of these are correct/ये सभी सही है

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (d) : विधि का यह सुस्थापित नियम है कि अधिकारिता विहिन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री प्रारम्भतः शून्य और अप्रभावी होती है तथा ऐसा निर्णय और डिक्री कभी भी पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित नहीं होगी।

14. A suit for partition of properties situated in different cities-
विभिन्न शहरों में स्थित सम्पत्तियों के विभाजन का वाद-
(a) separate suits have to be filed in each of the cities where the properties are situated
पृथक-पृथक वाद उन शहरों में संस्थित करना पड़ेगा, जहाँ कि सम्पत्तियाँ स्थिति हैं,
(b) can be instituted in a city where any property are situated/संस्थित किया जा सकता है, जिस शहर में कोई भी सम्पत्ति स्थित हो
(c) can be instituted in a city where majority of properties/property of maximum value is situated/उस शहर में संस्थित किया जा सकता है, जिस शहर में बहुसंख्यक सम्पत्ति/अधिकतम मूल्य की सम्पत्ति स्थित हो
(d) can be instituted where defendants or any of them resides/संस्थित किया जा सकता है, जहाँ की प्रतिवादीगण या उनमें से एक प्रतिवादी निवास करता हो

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 17 के अनुसार, जहां वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर की स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में है वहां वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर सम्पत्ति का कोई भाग स्थित है।

15. Where the local limits of jurisdiction of courts are uncertain, the place of institution of suit shall be decided according to the provision of
जहाँ न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहाँ वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा द्वारा निर्धारित होगा?
(a) Section 17 of C.P.C./धारा 17
(b) Section 18 of C.P.C./धारा 18
(c) Section 19 of C.P.C./धारा 19
(d) Section 20 of C.P.C./धारा 20

Uttarakhand (J) 2002,2012,2018
UPPCS (J)-2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 18 के अनुसार, जहाँ यह अनिश्चित है कि दो या अधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में से किसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति स्थित है वहां उनमें से कोई न्यायालय उस अनिश्चिता के सम्बन्ध में कथन को अभिलिखित कर उस सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद को ग्रहण कर उसका निपटारा कर सकेगा।

16. Section 18 of the Civil Procedure Code provides for
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 18 उपबन्धित करती है
(a) Place of institution of suit in respect of immovable property where the property is situated in the jurisdiction of one court.
एक अचल सम्पत्ति के बारे में वाद प्रस्तुत करने का स्थान, जहाँ सम्पत्ति एक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।
(b) Place of instituion of suit in respect of immovable property where the property is situated in the jurisdiction of different courts.
एक अचल सम्पत्ति के बारे में वाद प्रस्तुत करने का स्थान, जहाँ सम्पत्ति अलग-अलग न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में है।
(c) Place of institution of suits in respect of immovable property where the local limits of jurisdiction of courts are uncertain.
एक अचल सम्पत्ति के बारे में वाद प्रस्तुत करने का स्थान, जहाँ न्यायालय की स्थानीय सीमायें अनिश्चित है।
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

UPPCS (J)-2006,2003
MP (ADPO) 2010 Paper-I
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
Jharakhand (J) 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

17. Suit shall be instituted for compensation for wrongs to person where
शरीर के प्रति किये गये अपकार के लिये प्रतिकर के लिये वाद दायर किया जायेगा जहाँ

(a) Defendant resides/प्रतिवादी निवास करता है
(b) Defendant carries on business/प्रतिवादी कारोबार करता है
(c) Personally works for gain/अभिलाभ के लिये स्वयं कार्य करता है
(d) At the option of the plaintiff, any court mention above/किसी भी उपरोक्त न्यायालय में वादी के विकल्प पर

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 19 के अनुसार, जहां वाद शरीर या जंगम सम्पत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर-
• निवास करता है या,
• कारबार करता है या,
• अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है,
तो वाद वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा।

18. A suit for compensation for wrong done to the person or to moveable property, where the wrong was done within the local jurisdiction of one court and the defendant resides within the local limits of another court–
जहाँ एक न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के भीतर दोषकारित किया गया है और प्रतिवादी दूसरे न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर निवास करता है, वहाँ व्यक्ति के या चल सम्पत्ति के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का वाद–

(a) can be instituted in the court within whose local jurisdiction the wrong has been committed/उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में संस्थित किया जा सकेगा जहाँ दोषकारित किया गया
(b) can be instituted in the court within whose local jurisdiction the defendant resides/उस न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता है
(c) Either (a) or (b) at the option of the plaintiff/वादी के विकल्प पर या तो (a) या (b) में
(d) can be instituted anywhere in India./भारत में कहीं भी संस्थित किया जा सकेगा

UP (HJS) 2012

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 19 के अनुसार, जहाँ वाद शरीर या जंगम सम्पत्ति के प्रति किये गये दोष के लिए प्रतिकर के लिए है वहाँ यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो वाद वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा।

19. A suit filed for compensation for a wrong done to a person or movable property shall be instituted in the court within whose jurisdiction
शरीर या जंगम सम्पत्ति के प्रति किये गये दोष के लिये प्रतिकर हेतु वाद ऐसी अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा जहां

(a) the wrong was done /दोष कारित किया गया है
(b) the defendant resides /प्रतिवादी निवास करता है
(c) the defendant personally works for gain
प्रतिवादी अभिलाभ के लिय स्वयं काम करता है
(d) any of the rest three options
अन्य तीनों विकल्पों में से किसी भी

BPSC (APO) 2011
MPHC CJ 2017

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 19 के अनुसार, शरीर या जंगम सम्पत्ति के प्रति किये गये दोष के लिए प्रतिकर हेतु वाद वादी के विकल्प पर निम्न में से किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है-
(1) जहां दोष कारित किया गया है,
(2) जहां प्रतिवादी निवास करता है,
(3) जहां प्रतिवादी कारबार करता है, या
(4) प्रतिवादी अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है।

20. A residing in Dehradun, beats B in Lucknow, B may sue A under CPC:
देहरादून में निवास करने वाला 'अ' लखनऊ में 'ब' को पीटता है। 'ब', 'अ' पर सिविल प्र.सं. के अन्तर्गत वाद ला सकता है

(a) either in Lucknow or in Dehradun/लखनऊ या देहरादून में
(b) only in Lucknow/केवल लखनऊ में
(c) only in Dehradun/केवल देहरादून में
(d) anywhere else/अन्यथा कही भी

Rajsthan (DJC) 2012
Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 19 के दृष्टांत (a) पर आधारित है जिसके अनुसार, 'B', 'A' पर देहरादून या लखनऊ में वाद ला सकता है। धारा 19 शरीर या जंगम सम्पत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद संस्थित करने के सम्बन्ध में उपबंध करता है।

21. 'A' residing in Mumbai publishes statements defamatory against 'B' in Delhi. Where can 'B' file a suit for compensation against 'A'?
'अ' मुम्बई में रहता है और 'ब' के विरुद्ध मानहानि करने वाले वक्तव्य दिल्ली में छापता है। 'व' क्षतिपूर्ति हेतु 'अ' के विरुद्ध वाद कहाँ दाखिल कर सकता है?

(a) Only Delhi/केवल दिल्ली में
(b) Only Mumbai/केवल मुम्बई
(c) Either in Delhi or Mumbai
या तो दिल्ली में अथवा मुम्बई
(d) Where 'B' himself resides
जहाँ 'ब' स्वयं रहता है।

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (c) प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 19 के दृष्टांत (b) पर आधारित है जिसके अनुसार, 'B', 'A' के विरुद्ध वाद दिल्ली अथवा मुम्बई में संस्थित कर सकता है। धारा 19 शरीर या जंगम सम्पत्ति के प्रति किए गये दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद संस्थित करने के लिए उपबंध करता है।

22. 'X' residing in Delhi, publisher defamatory statement 'Y' in Kolkata. 'Y' can sue 'X' at
'X' दिल्ली में रहता है, 'Y' के विरुद्ध मानहानि जनक कथनों का प्रकाशन कलकत्ता में करता है। 'Y', 'X' के विरुद्ध दावा कर सकता है

(a) Only Delhi/सिर्फ दिल्ली में
(b) Only Kolkata/सिर्फ कलकत्ता में
(c) Any where in India/भारत में किसी भी जगह
(d) Either in Delhi or in Kolkata/या तो दिल्ली में या कलकत्ता में

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. 'A' residing in Delhi, published an article defamatory to 'B' at Jaipur. Where suit for defamation will be filed?
'अ' दिल्ली का निवासी एक मानहानिकारक चीज 'ब' के विरूद्ध जयपुर में प्रकाशित करता है। मानहानिकारक वाद कहाँ संस्थित किया जायेगा?

(a) Delhi/दिल्ली
(b) Jaipur/जयपुर
(c) Either Delhi or Jaipur/या तो दिल्ली में या जयपुर में
(d) In any Court of India/भारत के किसी भी न्यायालय में

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. Which of the following is correct statement insofar as section 20 of the Code of Civil Procedure, 1908 is concerned?
जहाँ तक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के धारा 20 का सम्बन्ध है, निम्न में से कौन-सा कथन सही है?

(a) the suit has to be instituted in the Court of the Lowest grade competent to try it/वाद को उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए, जो उसका विचारण करने में सक्षम हो
(b) the suit has to be instituted in the Court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides of carries on business or personally works or gain/वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जायेगा, जिसकी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी वास्तविक और स्वैच्छिक रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है
(c) the suit has to be instituted in the Court within the local limits of whose jurisdiction, the cause of action wholly or in part arises/वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जायेगा, जिसकी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार में वाद हेतुक पूर्णतया या भागतः उत्पन्न होता है
(d) all of the above are correct/उपरोक्त सभी सत्य है

UP (HJS) 2018 Part-III
Rajsthan (J) 2015 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 के अनुसार, अचल सम्पत्ति एवं शरीर या जंगम सम्पत्ति के प्रति किये गये दोषों से भिन्न प्रत्येक वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर-
1. वाद-हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा हुआ है, या
2. प्रतिवादी वाद के प्रारम्भ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, या
3. जहाँ प्रतिवादी एक से अधिक है वहाँ वाद प्रतिवादियों में से किसी एक के निवास, कारोबार या अभिलाभ के लिए काम करने के स्थान पर संस्थित किया जा सकता है।

25. A suit shall be instituted in a Court within the local limits of whose jurisdiction:
एक वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जायेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर :

(a) The plaintiff resides /वादी निवास करता है
(b) The Stamp Paper for entering into the contract was purchased
जहां संविदा करने के लिए स्टाम्प-पत्र क्रय किये गये
(c) Where no cause of action in part or full arose
जहाँ कोई वाद-हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा नहीं होता है।
(d) Where the cause of action wholly or in part arises/जहाँ वाद-हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है

MPHC CJ 2009

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20(c) के अनुसार, अचल सम्पत्ति, शरीर या चल-सम्पत्ति के प्रति किए गये अपकार (दोष) सम्बन्धी वादों के अतिरिक्त अन्य सभी वाद ऐसे न्यायालय की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर संस्थित किए जायेंगे जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा हुआ है।

26. 'A' is a furniture producer of Saharanpur. 'B' carries on business at Varanasi. 'B' through his agent at Saharanpur, buys hundred chairs from 'A' and requires 'A' to deliver them 'C' at Saharanpur. 'B' falls to pay the price of the chairs purchased.
'A' सहारनपुर में एक फर्नीचर निर्माता है। 'B' वाराणसी में कारोबार करता है। 'B' सहारनपुर में अपने अभिकर्त्ता के माध्यम से 'A' से कुर्सियाँ खरीदता है और सहारनपुर में 'C' को उनका परिदान करने को 'A' से अपेक्षा करता है। 'B' खरीदी गयी कुर्सियों की कीमत का भुगतान करने में असफल हो जाता है।

(a) 'A' may file suit only at Saharanpur/'A' केवल सहारनपुर में वाद दायर कर सकेगा
(b) 'A' may file suit only at Varansi/'A' केवल वाराणसी में वाद दायर कर सकेगा
(c) 'A' may file suit either in Saharanpur or at Varanasi/'A' या तो सहारनपुर या वाराणसी में वाद दायर कर सकेगा
(d) 'A' may file a civil suit at Lucknow being capital of the Uttar Pradesh/'A' उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ में सिविल वाद दायर कर सकेगा

UP (HJS) 2018 Part-II,III

Ans. (c) : प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20 के दृष्टान्त (a) पर आधारित है जिसके अनुसार, A या तो सहारनपुर या वाराणसी में वाद दायर कर सकेगा।
धारा 20 के अनुसार, वाद वहाँ संस्थित किया जा सकता है–
1. जहाँ प्रतिवादी निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, अथवा
2. जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है।

27. An immovable property held by Y is situated at Bhopal and the wrongdoer personally works for gain at Indore A suit to obtain compensation for wrong to the property may be instituted:
'ख' द्वारा धारित एक स्थावर सम्पत्ति भोपाल में स्थित है और उसे हानि पहुंचाने वाला इंदौर में अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। ऐसी सम्पत्ति के प्रति किये गये दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वाद संस्थित किया जा सकेगा–

(a) At Bhopal /भोपाल में
(b) At Indore /इंदौर में
(c) Either at Bhopal or at Indore
भोपाल में या इंदौर में
(d) None of these /इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 1996

Ans. (c) प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 पर आधारित है जिसके अनुसार B स्थावर सम्पत्ति के प्रति किये गये दोष के लिए वाद भोपाल (जहाँ वाद हेतुक पैदा हुआ) या इंदौर (जहाँ प्रतिवादी अभिलाभ के लिए काम करता है) में संस्थित कर सकता है।

28. Section 20 of CPC does not apply to
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 लागू नहीं होती है-

(a) Arbitration proceedings/माध्यस्थम् कार्यवाहियों में
(b) Civil proceedings/सिविल कार्यवाहियों में
(c) Both (a) and (b)/(a) तथा (b) दोनों में
(d) Neither (a) or (b)/न तो (a) न ही (b) में

Jharkhand (J) 2016, 2019

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20 अचल सम्पत्ति तथा शरीर व चल सम्पत्ति के प्रति किए गये दोषों के लिए वादों से भिन्न वादों के संस्थित किये जाने का प्रावधान करता है। माध्यस्थम कार्यवाहियों में पक्षकारों द्वारा नियत स्थान पर ही वाद संस्थित किया जा सकता है अतः धारा 20 माध्यस्थम कार्यवाहियों में वाद स्थान निर्धारण हेतु लागू नहीं होता है।

29. Where two or more courts have the jurisdiction, the jurisdiction of a civil court under Section. 20, CPC. :
जहाँ दो या दो से अधिक न्यायालय अधिकारिता रखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अधीन सिविल न्यायालय की अधिकारिता-

(a) Can be excluded by a clear agreement between the parties/पक्षकारों के बीच स्पष्ट करार द्वारा अपवर्जित की जा सकती है
(b) cannot be excluded under any circumstance/ किसी परिस्थिति में अपवर्जित नहीं की जा सकती है
(c) can be excluded by a Court's order/न्यायालय के आदेश द्वारा अपवर्जित की जा सकती है
(d) none of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2016
UP (HJS) 2018 Part-III

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20 के अन्तर्गत यदि दो या अधिक न्यायालय अधिकारिता रखते है तो न्यायालय की अधिकारिता पक्षकारो बीच स्पष्ट करार द्वारा अपवर्जित की जा सकती है।
मेसर्स श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस कारपोरेशन लि0 बनाम रामा मिश्रा (2002 SC) के वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि दो या दो से अधिक न्यायालयों में वाद संस्थित किया जा सकता है तो ऐसी अवस्था में पक्षकारों के बीच विशेष न्यायालय में वाद संस्थित करने का करार विधि सम्मत है।

30. 'Objections as to local or pecuniary jurisdiction shall be raised at the first opportunity'. This is the essence of C.P.C.
'क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियाँ प्रथम सुलभ अवसर पर उठाई जानी चाहिए।' यह निष्कर्ष है दीवानी प्रक्रिया संहिता की

(a) Section 20/धारा 20 (b) Section 21/धारा 21
(c) Section 24/धारा 24 (d) Section 25/धारा 25

Uttarakhand (J) 2008,2006

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21 में प्रावधान किया गया है कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अथवा आर्थिक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में, जिनमें विवाद्यक स्थिर किये जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो।

31. Objection as to place of suing shall be allowed in the court of first instance, is the essence of
वाद संस्थित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृत होगी। यह सिविल प्रक्रिया की किस धारा का सार है?

(a) Section 21 A/धारा 21-A (b) Section 20/धारा 20
(c) Section 22/धारा 22 (d) Section 21/धारा 21

UPPCS (J) 2006
Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. Object as to place of suing shall be allowed in the court of first instance under which one of the following sections of Civil procedure Code/वाद संस्थित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा के अन्तर्गत स्वीकृति होगी?

(a) Section 21-A/धारा 21-क
(b) Section 22/धारा 22
(c) Section 21/धारा 21
(d) Section 20/धारा 20

MP (ADPO) 2010 Paper-I

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. Objection as to place of suing under the Code of Civil Procedure, 1908 may be made in-
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप किया जा सकता है–

(a) Section 25/धारा 25 में
(b) Section 26/धारा 26 में
(c) Section 20/धारा 20 में
(d) Section 21/धारा 21 में

BPSC (APO) 2012

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

34. Which of the following jurisdiction of the court is not covered under Section 21 the Code of Civil Procedure, 1908?
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21 में न्यायालय का निम्न में से कौन सा क्षेत्राधिकार अन्तर्निहित नहीं है?

(a) Territorial Jurisdiction/प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
(b) Pecuniary Jurisdiction/धन संबंधी क्षेत्राधिकार
(c) Jurisdiction of executing court/निष्पादन करने वाले न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(d) Jurisdiction relating to subject-matter/विषय-वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 21 में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (धारा 21(1), धन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार (धारा 21(2), तथा निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता (धारा 21(3), के बारे में उल्लेख किया गया है परन्तु विषय वस्तु सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का उल्लेख नही किया गया है।

35. Section 21 of the CPC deals with -
सी.पी.सी. की धारा 21 .... के साथ संबंधित है।
(a) Pecuniary and territorial jurisdiction/आर्थिक और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र
(b) Subject matter and personal jurisdiction/विषय-वस्तु और व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र
(c) Personal and admirality jurisdiction/व्यक्तिगत और नावाधिकरण अधिकार क्षेत्र
(d) Probate and summary jurisdiction/प्रोबेट और सारांश अधिकार क्षेत्र

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

36. Which of the provision of the Code of Civil Procedure, 1908 provides that the objection regarding territorial or pecuniary jurisdiction has to be raised at the first available opportunity?
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 का कौनसा प्रावधान उपबंधित करता है कि स्थानीय अथवा धन संबंधित क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्ति प्रथम उपलब्ध अवसर पर ही उठानी होगी?
(a) Section 10/धारा 10 (b) Section 11/धारा 11
(c) Section 20/धारा 20 (d) Section 21/धारा 21

Rajasthan (J)2018,2019

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 21 में प्रावधान किया गया है कि वाद लाने के स्थान या न्यायालय की धन सम्बन्धी अधिकारिता के बारे में कोई आक्षेप किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में जिनमें विवाद्यक स्थिर किये जाते है, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया हो और जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता न हुई हो।

37. Under the Code of Civil Procedure, 1908, objection to jurisdiction as to the place of suing shall not be allowed by any Appellate or Revisional Court. Unless such objection was taken
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत वाद दायर करने के स्थान के बारे में कोई भी आपत्ति किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण वाले न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं की जायेगी जब तक ऐसी आपत्ति
(a) in the court of first instance
प्रथम बार के न्यायालय में न लायी गयी हो।
(b) at the earliest possible opportunity
यथासम्भव प्रथम अवसर पर न की गयी हो
(c) and there has been a consequent failure of justice./यह वाद तथा कार्यवाहियों दोनों की रोक के रूप में प्रवर्तित होता है।
(d) When all the condition of (a), (b) and (c) are fulfilled.
जब (a), (b) तथा (c) तीनों शर्तें पूरी की गयी हो।

UPPCS (J)-2013

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

38. When can an objection as to the place of suing can be raised under sec. 21 of the code of civil Procedure?/वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत कब लिया जा सकता है?
(a) an any time/किसी भी समय
(b) may also be taken for the first time all the appellate or revisional stage/अपीलीय या पुनरीक्षण अवस्था पर भी पहली बार लिया जा सकता है
(c) First opportuninty as for as possible in court for the first time/प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (HJS) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. A suit to set aside an objection as to the place of bringing the suit shall be/वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर आज्ञप्ति को अपास्त करने के लिए वाद–
(a) braught at the place where the previous suit has been decided/उस स्थान पर लाया जायेगा जहाँ पूर्ववर्ती वाद का विनिश्चय किया गया है
(b) braught to the place where the jurisdiction to bring the latter suit exists/उस स्थान पर लाया जायेगा, जहाँ पश्चातवर्ती वाद को लाने की अधिकारिता विद्यमान है
(c) braught to the place where, after the subsequenct suit cause for/उस स्थान पर लाया जायेगा, जहाँ पश्चातवर्ती वाद के लिए वादकारण उत्पन्न हुआ है
(d) Bar of the suit/वाद का वर्जन है

MP (HJS) 2016

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21A वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन करती है। किसी पूर्ववर्ती वाद में पारित डिक्री की विधिमान्यता को वाद लाने के स्थान के बारे में किसी आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई वाद नही लाया जायेगा।

40. Under which provision of Civil Procedure Code, a High Court can transfer any case?
सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से उपबन्ध के अन्तर्गत एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांरित कर सकता है?

(a) Section 20/धारा 20
(b) Section 12/धारा 12
(c) Section 24/धारा 24
(d) Section 15/धारा 15

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने तथा उनको सुनने के पश्चात् किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को हस्तांरित कर सकता है।

41. Under which provision of Civil Procedure Code, a High Court can transfer a case?
दीवानी प्रक्रिया के कौन से प्रावधान में, एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है।

(a) Section 25 C.P.C./धारा 25 दी.प्र.स.
(b) Section 20 C.P.C./ धारा 20 दी.प्र.स.
(c) Section 12 C.P.C./ धारा 12 दी.प्र.स.
(d) Section 15 C.P.C./ धारा 15 दी.प्र.स.

27th BPSC (J) 2011

Ans. (*) : प्रश्न का सही उत्तर **धारा 24** होगा परन्तु विकल्प में धारा 24 नहीं है।

42. Which of the following power is not granted to the High Court under Section 24 of the code of Civil Procedure, 1908?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्न में से कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय को निहित नहीं है?

(a) Power to transfer a suit pending before it for trial to any court subordinate to it and competent to try./किसी वाद को जो उसके सामने विचारण के लिए लंबित है, अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को अन्तरित करने की शक्ति जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है।
(b) Power to withdraw any suit pending in subordinate court and try of the same./अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी वाद को प्रत्याहरण करने एवं उसका विचारण करने की शक्ति
(c) Power to transfer a suit pending before it for trial to other High court./किसी ऐसे वाद को जो उसके सामने विचारण के लिए लम्बित है, उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में अन्तरित करने की शक्ति
(d) Power to transfer a suit from a court which has no jurisdiction to try it./किसी वाद को उस न्यायालय से अन्तरित करने की शक्ति, जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता नहीं है।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा एक राज्य के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में अन्तरिक करने का अधिकार संहिता कि धारा 25 के अन्तर्गत केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को है।

→ संहिता कि धारा 24 सम्बन्धित उच्च न्यायालय को केवल अपने राज्य के अन्तर्गत मामले को एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में अन्तरित करने का अथवा उस मामले को अपने यहाँ मगाने का अधिकार प्रदान करती है।

43. In reference of District Court, which one of the following statements is not correct?
जिला न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है-

(a) It can transfer any suit, appeal or other proceeding pending before it for trial to competent to try or dispose of the same
वह ऐसे विवाद, अपील, या अन्य कार्यवाही को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लम्बित है, अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है
(b) It can withdraw any suit and appeal or other proceeding pending in any Court subordinate to it/वह अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा
(c) It can try or dispose of the suit, appeal or other proceeding withdrawn from any Court subordinate to it or it may transfer the same for trial or disposal to some other Court subordinate to it and competent to try or dispose of the same/वह उस वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जो उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय से प्रत्याहरित की गई हो, का स्वयं विचारण या निपटारा कर सकेगा अथवा उसे ऐसे किसी अन्य न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा जो उसके अधीनस्थ हो तथा उसका विचारण या निपटारा करने के लिए सक्षम हो
(d) It cannot retransfer any suit, appeal or other proceeding to the Court from which it was withdrawn/वह उस वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को उसी न्यायालय को पुनः अन्तरित नहीं कर सकेगा, जिससे जिसका प्रत्याहरण किया गया था

MPHC CJ 2002

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24(1)(b)(iii) के अनुसार, जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा तथा उसका विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को पुनः अन्तरित कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था।

44. Section 25 of the CPC provides for which of the following?
दी.प्र.सं. की धारा 25 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करती है?

(a) Power of the Supreme Court to transfer suits/वादों के अन्तरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति
(b) Power of the High Court to transfer suits/वादों के अन्तरण की उच्च न्यायालयों की शक्ति
(c) Power of District Courts to transfer suits/वादों के अन्तरण की जिला न्यायालयों की शक्ति
(d) Power of Commissioner to transfer the suits/वादों के अन्तरण की कमिश्नर (आयुक्त) की शक्ति

Uttarakhand (J) 2012, 2018

Ans : (a) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 25 के अनुसार किसी पक्षकार के आवेदन पर अन्य पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात और उनमें से जो सुनवाई के इच्छुक हो उनको सुनने के पश्चात यदि उच्चतम न्यायालय का किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए वादों का अन्तरण आवश्यक है तो वह निर्देश दे सकेगा कि किसी राज्य के किसी उच्च-न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को कोई वाद अपील या अन्य कार्यवाही अन्तरित कर दी जाए।

45. Which of the following court has power to transfer an appeal under Section 25 of the Code of Civil Procedure, 1908?
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 25 के अन्तर्गत निम्न में से किस न्यायालय को अपील के अन्तरण की शक्ति निहित है?

(a) Supreme Court/उच्चतम न्यायालय को
(b) High Court/उच्च न्यायालय को
(c) District Court/जिला न्यायालय को
(d) Court of Small Causes/लघुवाद न्यायालय को

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

46. By whom can the transfer of suit or proceedings from one state to other state be ordered?
मुकदमें या कार्यवाही का एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरण किसके आदेश द्वारा किया जा सकता है?

(a) Central Government/केन्द्र सरकार
(b) Supreme Court/उच्चतम न्यायालय
(c) High Court/उच्च न्यायालय
(d) Parliament/संसद

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के धारा 25 में यह प्रावधानित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय को यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि न्याय प्राप्ति हेतु ऐसा करना आवश्यक है तो वह निदेश दे सकेगा कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय में अन्तरित कर दिया जाय।

47. The provision for the institution of suits is given in which of the following sections of C.P.C.?/सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित में से किस धारा में वादों को संस्थित करने का उपबन्ध है?

(a) Section 26/धारा 26
(b) Section 30/धारा 30
(c) Section 28/धारा 28
(d) Section 25/धारा 25

Uttarakhand (J) 2002, 2014

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 में वादों को संस्थित करने का उपबन्ध किया गया है। धारा 26 के अनुसार, हर वाद वादपत्र को उपस्थित करके, या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाये, संस्थित किया जायेगा तथा प्रत्येक वाद पत्र में तथ्य शपथपत्र द्वारा साबित किये जायेंगे।

48. Under Section 26 of the Civil Procedure Code, 1908, in every plaint, fact should be proved by
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 26 के अधीन प्रत्येक वादपत्र में तथ्यों को सिद्ध होना चाहिए

(a) affidavit/शपथपत्र द्वारा
(b) oral evidence/मौखिक साक्ष्य द्वारा
(c) document/दस्तावेज द्वारा
(d) examination of plaintiff/वादी की परीक्षा द्वारा

UP (HJS) 2016
UPPCS (J)-2016
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 26(2)** के अनुसार, प्रत्येक वादपत्र में तथ्य शपथपत्र द्वारा साबित किये जायेंगे।

अध्याय – 4

समन और प्रकटीकरण (धारा 27-32)

1. Which of the following is not provided as a penalty for compelling attendance of a person against whom summons has been issued under Section 32 of CPC.
व्य.प्र.सं. की धारा 32 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शास्ति उस व्यक्ति को हाजिर होने को विवश करने के प्रयोजन के लिए, जिसके विरुद्ध समन जारी किया गया है, नहीं है–

(a) Impose a fine not exceeding twenty thousand rupees
20 हजार रूपये से अनधिक जुर्माना अधिरोपित करना

(b) issue a warrant for his arrest
गिरफ्तारी क लिए वारन्ट जारी करना

(c) Attach and sell his property
सम्पत्ति को कुर्क एवं विक्रय करना

(d) Order him to furnish security for his appearance and in default commit him to civil prison/उसे आदेश देना कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यक्तिक्रम करने पर सिविल कारागार को सुपुर्द करना

MP (HJS) 2020

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 32 के अनुसार, न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है, हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए–
(1) उसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट निकाल सकेगा,
(2) उसकी सम्पत्ति को कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय कर सकेगा,
(3) उसके ऊपर पांच हजार रूपये से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा,
(4) उसे आदेश दे सकेगा कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा।

2. Which one of the following penalty cannot be imposed by the court to compel the attendance of any person to whom a summons has been issued under Section 30 of the Code of Civil Procedure, 1908?
न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है, को हाजिर होने के लिए विवश करने बाबत निम्न में से कौन सी शास्ति अधिरोपित नहीं कर सकता?

(a) Issue a warrant for his arrest/उसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट निकालना।

(b) Attach and sell his property/उसकी सम्पत्ति को कुर्क एवं विक्रय करना।

(c) Impose a fine upon him exceeding five thousand rupees/उसके ऊपर पाँच हजार रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित करना।

(d) Order him to furnish security for his appearance/उसकी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति का आदेश देना।

MP HC (CJ) 2014
MP (HJS) 2019
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. A person against whom summons has been issued may be compelled under Section 32 of C.P.C. to attend by-

एक व्यक्ति जिसके विरूद्ध सम्मन जारी हो गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अधीन उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता हैः

(a) Issue of a warrant/वांरट जारी करके

(b) Attachment and sale of his property/संपत्ति की कुर्की और विक्रय करके

(c) Imposing a fine/जुर्माना करके

(d) Ordering him to furnish security for his appearance/उपस्थिति के लिए प्रतिभूति लेकर

Select the correct answer with the help of the code given below:

निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनियेः

(a) 1 and 4/1 और 4

(b) 3 and 4/3 और 4

(c) 1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 और 4

(d) 2 and 4/2 और 4

MP (HJS) 2017

Uttarakhand (J) 2002

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. **The court may compel the attendance of any person to whom a summons has been issued under Section 32 C.P.C. and for the purpose may impose a fine upon him not exceeding:**
दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है उसकी उपस्थिति न्यायालय बाध्य कर सकता है। और इस प्रयोजन के लिए उस पर अर्थदण्ड लगा सकता है, जो

(a) Rs. five hundred/पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं

(b) Rs. one thousand/एक हजार रुपये से अधिक नहीं

(c) Rs. three thousand/तीन हजार रुपये से अधिक नहीं

(d) Rs. five thousand/पाँच हजार रुपयें से अधिक नहीं

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. **The Court may impose a fine for default upon a person required to give evidence or to produce documents directed under Section 30(b) of CPC, and such fine as per Section 32(c) is not to exceed/किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे सी. पी. सी. की धारा 30(b) के अधीन गवाही देने अथवा दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया हो, न्यायालय से अनुपस्थित रहने पर धारा 32(c) के तहत जुर्माना किया जा सकता है, जो निम्नलिखित राशियों मे से किससे अधिक नहीं हो सकता?**

(a) ₹ 500

(b) ₹ 1,000

(c) ₹ 5,000

(d) ₹ 10,000

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. **If any person fails to comply with a summons to attend as witness the Revenue Officer cannot:**
यदि कोई व्यक्ति साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए समन का अनुपालन करने में चूक करेगा तो राजस्व अधिकारी–

(a) Issue a bailable warrant of his arrest
उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी नहीं कर सकेगा।

(b) Order him to furnish security for appearance
उस व्यक्ति को उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश नहीं दे सकेगा।

(c) Attach his property
उस व्यक्ति की सम्पत्ति को कुर्क नहीं कर सकेगा।

(d) Impose upon him a fine
उस व्यक्ति पर जुर्माना अधिरोपित नहीं कर सकेगा।

MPHC CJ 1996

Ans. (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

अध्याय – 5

निर्णय, डिक्री और खर्चे (धारा 33-35B)

1. **What interest can be awarded during the pendency of the suit?**
विचाराधीन प्रकरण में कितना ब्याज दिलाया जा सकता है?
(a) 6 percent/6 प्रतिशत
(b) 9 percent/9 प्रतिशत
(c) 12 percent/12 प्रतिशत
(d) No interest will be awarded/कोई ब्याज नहीं दिलाया जायेगा

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 के अंतर्गत, न्यायालय मूल राशि पर डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्वत्तर तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे, छह प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक की ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे ब्याज के भुगतान का आदेश कर सकेगा।
वाणिज्यिक संव्यवहार से उद्भूत न्यायनिर्णीत राशि के सम्बन्ध में आगे के ब्याज की दर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिक हो सकती है।

2. **A final ex parte judgment is not binding on**
एक अन्तिम एक पक्षीय निर्णय किस पर बाध्यकारी नहीं है-
(a) legal representatives of a party/किसी पक्ष के विधिक प्रतिनिधियों
(b) all bonafide assignees/सभी सद्भावी समनुदेशिती
(c) third parties/तृतीय पक्षों पर
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

UPHJS 2020

Ans. (c) : किसी न्यायालय का निर्णय दो प्रकार से दिया जाता है। लोकलक्षी निर्णय जो सम्पूर्ण विश्व के प्रति मान्य होता है और व्यक्तिबन्धी निर्णय जो केवल पक्षकारों के बीच बाध्यकारी होता है। सिविल मामले में अन्तिम एक पक्षीय निर्णय केवल पक्षकारों व उसके विधिक प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होता है वह तृतीय पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं होता है।

3. **Under Section 34 of C.P.C. court can award interest from the date of decree to the date of payment or such earlier date as the court thinks fit. Rate of such interest shall not exceed .... per annum.**
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्वतर तारीख तक जो ठीक समझे ब्याज दिला सकेगा। ऐसे ब्याज की दरः
(a) Nine percent/नौ प्रतिशत
(b) Ten percent/दस प्रतिशत
(c) Six percent/छह प्रतिशत
(d) Twelve percent/बारह प्रतिशत
वार्षिक से अधिक नहीं होगी।

MPHC CJ 1996,2002
Chhattishgarh (J) 2004,2008

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. **The expression, "Each party shall bear his own costs" implies that**
अभिव्यक्ति ''प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्च का वहन करेगा'' में विवक्षित है कि-
(a) both the parties are entitled to cost from each other/दोनों पक्षकार एक-दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी हैं
(b) both the parties are not to be deprived of costs/दोनों पक्षकारों को खर्च से वंचित नहीं किया जाएगा
(c) both the parties are to be deprived of costs/दोनों पक्षकारों को खर्च से वंचित किया जाएगा
(d) both the parties are not entitled to cost from each other/दोनों पक्षकार एक-दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी नहीं है

Jharkhand (J) 2008

Ans. (d) : खर्च से सम्बन्धित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35 तथा आदेश 20A में किया गया है।
अभिव्यक्ति 'प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्च का वहन करेगा' में विवक्षित है कि दोनों पक्षकार एक-दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी नहीं है।

5. **Under the Code of Civil Procedure, 1908, for the first time provision for compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defences, has been made under**
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत पहली बार मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चों का प्रावधान किया गया है :

(a) Section 35 of the Code
संहिता की धारा 35 के अन्तर्गत
(b) Section 35 (B) of the Code
संहिता की धारा 35 (ख) के अन्तर्गत
(c) Section 35 (A) of the Code
संहिता की धारा (क) के अन्तर्गत
(d) Section 34 of the Code
संहिता की धारा 34 के अन्तर्गत

UPPCS (J)-2013

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 35-A** मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकरात्मक खर्चे का उपबंध करती है।

6. Compensatory cost may be awarded under section 35A of Civil procedure code-
धारा 35-क सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकारात्मक व्यय दिया जा सकता है:

(a) False or vexatious claim or defence/झूठे अथवा परेशान करने वाले दावा अथवा बचाव के मामलों में
(b) In case of probable claim or defence /अनधिसंभाव्य दावा अथवा बचाव के मामलों में
(c) both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों
(d) None of the (a) or (b)/(a) अथवा (b) कोई भी नहीं

Chhattisgarh (J) 2011

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Maximum amount which a court may order for payment of compensatory cost in case of false or vexatious claims or defences under Civil Procedure Code 1908, is
मिथ्या या तंग करने वाले दावों, या प्रतिरक्षाओं के प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन अधिकतम कितनी राशि के लिए आदेश दे सकता है?

(a) Rs. 10,000/-/रू. 10,000
(b) Rs. 3,000/-/रू. 3,000
(c) Rs. 25,000/-/रू. 25,000
(d) Any amount/कोई भी रकम

25th BPSC (J) 2000
MPHC (CJ) 2007
Rajasthan (JLO) 2013 Paper II
MP HJS 2014
Uttarakhand (J) 2015
Chhattishgarh (J)2020

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35-A (2) के अनुसार, कोई भी न्यायालय मिथ्या या तंग करने वाले दावों, या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चों के रूप में ₹ 3000 से अनधिक या अपनी धन सम्बन्धी अधिकारिता तक की राशि के लिए आदेश दे सकता है।

8. Any amount which a court, will order to be paid as compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defences, shall not exceed the amount of—
मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे के रूप में कोई भी न्यायालय जिस रकम के संदाय का आदेश करेगा वह रकम-

(a) Two thousand rupees or the amount within its pecuniary jurisdiction whichever is less
दो हजार रुपये अथवा उसकी धन सम्बन्धी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से जो भी कम हो
(b) Three thousand rupees or the amount within its pecuniary jurisdiction whichever is less
तीन हजार रुपये अथवा उसकी धन सम्बन्धी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में जो भी कम हो
(c) Four thousand rupees or the amount within its pecuniary jurisdiction whichever is less
चार हजार रुपये अथवा उसकी धन सम्बन्धी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से जो भी कम हो
(d) Five thousand rupees or the amount within its pecuniary jurisdiction whichever is less
पाँच हजार रुपये अथवा उसकी धन सम्बन्धी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से जो भी कम हो से अधिक रकम नहीं होगी।

MPHC CJ 2002

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

9. Section 35 B of the Code of Civil Procedure, 1908 deals with
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35 ख संबंधित है

(a) costs for causing delay/विलम्ब कारित करने पर खर्चे से
(b) cost of the suit/वाद के खर्चे से
(c) interest/ब्याज से
(d) compensatory costs in respect of false or vaxatious claims or defences/मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे से

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35 B विलम्ब कारित करने के लिए खर्च (cost) प्रदान किये जाने से सम्बन्धित उपबंध करता है।

अध्याय – 6

निष्पादन (धारा 36-74)

1. सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में 'डिक्री पारित करने वाला न्यायालय' पद परिभाषित है–

(a) 2(2) (b) 2(3)
(c) 37 (d) 3

MP (HJS) 2015

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 37 में डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा दी गयी है।

2. Under Section 37 of Civil Procedure Code, 1908 in relation to the execution of decrees, the expression "Court which passed a decree" be deemed to include–
सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 की धारा 37 के अंतर्गत डिक्रियों के निष्पादन के संबंध में डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के बारे में समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत आता है–

1. **the Court which passed decree**
जिस न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है।
2. **the Court of first instance where decree has been passed in the exercise of Appellate jurisdiction/अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित डिक्री की दशा में प्रथम बार का न्यायालय**
3. **Appellate Court, where decree has been passed in the exercise of Appellate jurisdiction**
अपीलीय अधिकारिता में पारित डिक्री की दशा में वह अपील न्यायालय

(a) 1 and 2 both/1 एवं 2 दोनों
(b) 1 and 3 both/1 एवं 3 दोनों
(c) All 1, 2 and 3/1, 2 एवं 3 सभी
(d) Only 1/केवल 1

MPHC (CJ) 2021

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 37 के अनुसार, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के बारे में समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत–
1. जिस न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है तथा
2. अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित डिक्री की दशा में प्रथम बार का न्यायालय, तथा
3. जहां प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रह गया है, वहां वह न्यायालय आता है, जो यदि वह वाद जिसमें डिक्री पारित की गई है डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन देने के समय संस्थित किया जाता तो ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता रखता है, आता है।

3. A decree may be executed by
एक डिक्री निष्पादित करायी जा सकती है:

(a) Tehsildar/तहसीलदार द्वारा।
(b) Collector/जिलाधिकारी द्वारा।
(c) District Judge/जिला न्यायाधीश द्वारा।
(d) Either by the Court which passed it or to which it is sent/या तो इसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह भेजी गयी है।

UPPCS (J) 2006
Uttarakhand (J) 2009, 2012, 2014, 2018

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 38 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी डिक्री का निष्पादन या तो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे निष्पादन के लिए डिक्री भेजी गयी हो, के द्वारा किया जायेगा।

4. A decree may be executed either by the Court which passed it, or by the Court to which it is sent for execution has been provided under:
सी.पी.सी. की किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि डिक्री का निष्पादन या तो वह न्यायालय कर सकता है जिसने उसे पारित किया है अथवा उस न्यायालय द्वारा जिसके पास उसे निष्पादन के लिये भेजा है?

(a) Section 37 of the CPC/सी.पी.सी. की धारा 37
(b) Section 39 of the CPC/सी.पी.सी. की धारा 39
(c) Section 38 of the CPC/सी.पी.सी. की धारा 38
(d) Section 35 of the CPC/सी.पी.सी. की धारा 35

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. A degree may be executed
किसी डिक्री का निष्पादन :

(a) by the court which passed the decree
उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा वह पारित की गई है
(b) by any other court to which a decree has been sent for execution /किसी भी न्यायालय द्वारा जिसको निष्पादन हेतु भेजा जाए, किया जा सकता है
(c) both statements are correct
उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं
(d) both statements are incorrect
उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं

MPHC CJ 2006

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. **By whom a decree can be executed?**
डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा कराया जाता है ?
(a) By Collector /जिलाधिकारी द्वारा
(b) By District Judge/जिला न्यायाधीश द्वारा
(c) The Court passed decree or by court to whom it has been transferred डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे यह अन्तरित किया गया है।
(d) By Tehsildar/तहसीलदार द्वारा

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. **Which of the following statement is not true?**
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
(a) A decree may be executed by the court which passed it./डिक्री का निष्पादन उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
(b) A decree may be executed by the court to which it is sent for execution./डिक्री उस न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकती है जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है।
(c) The court which passd the decree may of its own motion send it for execution to any subordinate court of competent jurisdiction./डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वप्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकता है।
(d) The court which passed a decree may execute it against property outside the local limits of jurisdiction./न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर संपत्ति के विरूद्ध डिक्री का निष्पादन कर सकता है।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 39 (4) के निर्वचन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध डिक्री का निष्पादन नहीं करा सकता है।

8. **Which of the following power is not vested in the court executing transferred decree?**
अन्तरित डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है?
(a) Power to send the decree for execution to another court/किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति
(b) Power to execute the decree against legal representative of deceased judgement debtor/मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध डिक्री को निष्पादित करने की शक्ति
(c) Power to order attachment of decree/डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति
(d) Power to order execution at the instance of transferee of decree/डिक्री के अन्तरिती की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 42(1) के अनुसार,अन्तरित डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ है-
(a) धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति।
(b) धारा 50 के अधीन मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति।
(c) डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति।
धारा 42(4) में प्रावधान किया गया है कि वह न्यायालय जिसको डिक्री निष्पादन हेतु भेजी गई है, निम्नलिखित शक्तियाँ नहीं है-
1. डिक्री के अंतरिती की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति,
2. किसी फर्म के विरूद्ध पारित डिक्री की दशा में आदेश 21 नियम 50 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी डिक्री के निष्पादन की इजाजत देने की शक्ति।

9. **Provision relating to 'Precept' is provided in Civil Procedure Code under/'आज्ञापत्र' से सम्बन्धित उपबन्ध सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित धारा के अन्तर्गत प्रावधानित है-**
(a) Section 40/धारा 40
(b) Section 44A/धारा 44-ए
(c) Section 45/धारा 45
(d) Section 46/धारा 46

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 46 में आज्ञापत्र के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। धारा 46 के अनुसार, डिक्रीदार के आवेदन पर डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को, जो डिक्री का निष्पादन करने के लिए सक्षम है, आज्ञापत्र निकाल सकेगा कि आज्ञापत्र में निर्णीत ऋणी की विनिर्दिष्ट सम्पत्ति कुर्क कर ले।

10. **Section 46 of CPC deals with-**
धारा 46 सीपीसी सम्बन्धित है-
(a) Transfer of decree/डिक्री का अन्तरण
(b) Precepts/आज्ञा पत्र
(c) Supplemental proceedings/अनुपूरक कार्यवाहियाँ
(d) Execution of decree outside India/भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. **Which of the following court may issue precept?**
निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आज्ञापत्र जारी कर सकता है?
(a) Only High court/केवल उच्च न्यायालय
(b) The court in whose jurisdiction the property is situated./न्यायालय जिसकी अधिकारिता में सम्पत्ति स्थित है।
(c) The court passing the decree/डिक्री पारित करने वाला न्यायालय
(d) Only District court/केवल जिला न्यायालय

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 46 के अनुसार, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर आज्ञापत्र जारी कर सकता है।

12. An executing court cannot determine the question relating to which of the following?
एक निष्पादन न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रश्न का निर्धारण नहीं कर सकता है

(a) Execution of decree/डिक्री का निष्पादन
(b) Discharge of decree/डिक्री का उन्मोचन
(c) Satisfaction of decree/डिक्री का तुष्टि
(d) Modification of decree/डिक्री में परिवर्तन

Uttarakhand (J) 2002,2016
Jharkhand (J) 2008

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 (1) के अन्तर्गत डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय निम्नलिखित प्रश्नों का अवधारण कर सकेगा-
1. डिक्री के निष्पादन से सम्बन्धित
2. डिक्री के उन्मोचन से सम्बन्धित
3. डिक्री के तुष्टि से सम्बन्धित।

13. During proceeding for execution of a decree, if a question arises as to whether any person is or is not the representative of a party, such question shall, be determined by/डिक्री की निष्पादन प्रक्रिया के दौरान यदि प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति एक पक्ष का प्रतिनिधि है अथवा नहीं, तो ऐसा प्रश्न निर्णीत किया जायेगा-

(a) the court which passed the decree/न्यायालय, जिसने डिक्री पारित की है, द्वारा
(b) the court executing the decree/डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा
(c) the Appellate Court/अपीलीय न्यायालय द्वारा
(d) a separate suit/एक अलग वाद द्वारा

Jharkhand (J) 2014,2015,
Uttarakhand (J) 2015
MP (HJS) 2013
MPHC CJ 2002
Chhattisgarh (J) 2004

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47(3) के अनुसार, यदि डिक्री के निष्पादन के दौरान प्रश्न यह उठता है कि एक व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं वहाँ ऐसे प्रश्न का अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

14. Question which shall be determined by the Court executing decree:
डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा किस प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा?

(a) Decree obtained by fraud
डिक्री धोखे से प्राप्त की गई
(b) Whether any person is or is not the representative of a party/कोई व्यक्ति डिक्री का पक्षकार या इसका प्रतिनिधि है या नहीं
(c) Decree obtained by collusion
डिक्री दुरभिसन्धि से प्राप्त की गई
(d) None of the above /उपर्युक्त में से कोई नहीं

MPHC CJ 2007

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. To what extent a legal representative shall be liable if decree is executed against him?
यदि डिक्री, विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध निष्पादित की जाती है तो वह (विधिक प्रतिनिधि) किस हद तक दायी होगा?

(a) His personal property shall be liable for execution of decree/डिक्री के निष्पादन के लिए उसकी निजी संपत्ति दायी होगी।
(b) Only that proprty of deceased shall be liable which has come to his hand and has not been duly disposed of/मृतक की केवल वह सम्पत्ति दायी होगी, जो उसके हाथ में आई है और सम्यक् रूप से व्ययनित नहीं कर दी गई है।
(c) Only that property of deceased shall be liable which has come to his hand and has been duly disposed of./मृतक की केवल वह सम्पत्ति दायी होगी जो उसके हाथ में आई है और सम्यक् रूप से व्ययनित कर दी गई है।
(d) He shall not be liable even any property of deceased come to his hand./वह दायी नहीं होगा भले ही मृतक की सम्पत्ति उसके हाथ में आई है।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 50(2) के अनुसार, जहाँ डिक्री विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध निष्पादित की जाती है वहाँ वह मृतक की सम्पत्ति के उस परिणाम तक ही दायीं होगा जितने परिणाम तक वह सम्पत्ति उसके हाथ में आई है और सम्यक् रूप से व्ययनित नहीं कर दी गई है।

16. In an execution proceeding, what is the liability of the legal representatives of the deceased judgment debtor?
किसी निष्पादन कार्यवाही में ''मृतक निर्णीत ऋणी'' के विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व क्या है?

(a) is under no liability at all
बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता है
(b) is liable only to the extent of the property received by him from deceased judgment debtor/उस परिमाण तक दायी होता है, जितने परिमाण तक वह मृतक की सम्पत्ति प्राप्त करता है
(c) has absolute liability co-extensive with that of judgment debtor, no matter that he receives no property from the deceased /निर्णीत ऋणी के दायित्व की सीमा तक पूर्णतः उत्तरदायी होता है चाहे उसे मृतक से कोई सम्पत्ति प्राप्त न हुई हो
(d) none of the above /उपरोक्त में से कोई भी नहीं

MPHC CJ 2017

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

17. 'A' dies leaving behind a son 'X' and a married daughter 'Y'. A suit was filed by 'A', after his death can be continued by
A अपने पीछे एक लड़का X और एक विवाहित पुत्री Y को छोड़कर मर जाता है। A के द्वारा संस्थित किये गये वाद को उसकी मृत्यु के पश्चात् जारी रखा जा सकता है

(a) X alone as legal representative
X द्वारा मात्र, बहैसियत विधिक प्रतिनिधि
(b) Y alone as legal representative
Y द्वारा मात्र,बहैसियत विधिक प्रतिनिधि
(c) X, Y and the husband of Y as legal representative/X, Y और Y के पति द्वारा, बहैसियत विधिक प्रतिनिधि
(d) X and Y both as legal representative
X और Y दोनों द्वारा, बहैसियत विधिक प्रतिनिधि

28th BPSC (J) 2014

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 50 के अनुसार जब कोई डिक्रीदार वाद दाखिल करने के बाद मर जाता है तो उसका विधिक प्रतिनिधि वाद को चालू रखने के लिए प्रतिनिधित्व कर सकता है, अतः प्रस्तुत समस्या में X एवं Y दोनों बहैसियत विधिक प्रतिनिधि है।

18. Which of the following person may not file an application for execution under Civil Procedure Code, 1908 namely
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्ति निष्पादन के लिए आवेदन नहीं कर सकता?
(a) A decree holder/डिक्री प्राप्त करने वाला (डिक्रीधारक)
(b) Legal representative, if the decree holder is dead/विधिक प्रतिनिधि यदि डिक्रीधारक की मृत्यु हो गई है
(c) A person claiming under decree holder/डिक्री धारक के अन्तर्गत दावा करने वाला व्यक्ति
(d) Judgement debtor/निर्णीत ऋणी

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 51 के अधीन डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन निर्णीत ऋणी नहीं दे सकता है, जबकि डिक्रीदार, उसका विधिक प्रतिनिधि (डिक्रीदार की मृत्यु की अवस्था में) तथा उसकी ओर से दावा करने वाले कोई व्यक्ति डिक्री के निष्पादन का आवेदन न्यायालय में कर सकेंगे।

19. Which of the following methods cannot be adopted by the Court for execution of decree under Section 51 of Civil Procedure Code?
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत निम्नलिखित रीतियों में से किसमें न्यायालय डिक्री के निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकेगा?
(a) By delivery of any property specifically decreed/विनिर्दिष्ट रूप से डिक्रीत किसी सम्पत्ति के परिदान द्वारा
(b) By attachment and sale of property/किसी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा
(c) By issue of summons to party/पक्षकार पर समन के निर्वाह द्वारा
(d) By appointing a receiver/रिसीवर की नियुक्ति द्वारा

MP (HJS) 2013
Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 51 के अन्तर्गत, न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर निम्नलिखित प्रकार से डिक्री का निष्पादन करा सकता है—
1. सम्पत्ति के परिदान द्वारा, या
2. सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, या
3. गिरफ्तारी तथा निरोध द्वारा, या
4. प्रापक की नियुक्ति द्वारा, या
5. किसी अन्य ढंग से।

20. The court cannot order execution of a decree as per Section 51 of Civil Procedure Code, in which of the following ways?
धारा 51 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय डिक्री का निष्पादन निम्न तरीके से करने का आदेश नहीं कर सकता है-
(a) By attachment and sale of property
सम्पत्ति की कुर्की एवं विक्रय के द्वारा
(b) A decree for restituting of conjugal rights, by sending the persons husband or wife as the case may be to civil prison/दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की आज्ञप्ति को पति या पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, को सिविल कारागार में भेजने द्वारा
(c) By appointing a receiver
प्रापक की नियुक्ति के द्वारा
(d) By delivery of any property specifically decreed
विनिर्दिष्टतः डिक्री की गई सम्पत्ति के परिदान द्वारा

Jharkhand (J) 2014
Chhattishgarh (J) 2015
MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. In which of the following cases the Supreme Court has upheld the validity of Section 51 of Code of Civil Procedure?
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 51 को मान्य घोषित किया है?
(a) Xavier v. Bank of Canara/जेवियर बनाम बैंक ऑफ कनारा
(b) The Visaka case/विशाखा का वाद
(c) Indian Gramophone Co. v. Birendra Bahadur Pandey/इण्डियन ग्रामोफोन कं बनाम वीरेन्द्र बहादुर पाण्डेय
(d) Jolly George Verghese v. Bank of Cochin/ जॉली जॉर्ज वर्गीज् बनाम बैंक ऑफ कोचीन

Jharkhand (J) 2008

Ans. (d) : जॉली जॉर्ज वर्गीज् बनाम बैंक ऑफ कोचीन (1980 SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 51 को मान्य घोषित किया।

22. Which provision of C.P.C. deals with enforcement of a decree against legal representative?
दीवानी प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के प्रवर्तन की बात करता है?
(a) Section 50/धारा 50
(b) Section 51/धारा 51
(c) Section 55/धारा 55
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के धारा 52 में विधिक प्रतिनिधि के विरूद्ध डिक्री के प्रवर्तन का प्रावधान किया गया है धारा 52(1) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि जहाँ किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के रुप में किसी पक्षकार के विरूद्ध कोई डिक्री पारित की गई है और डिक्री मृतक की सम्पत्ति में से धन सदत्त किए जाने के लिए है और वहाँ वह ऐसी किसी भी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा निष्पादित की जा सकेगी।

23. Where the decree is for the partition of an undivided estate assessed to the payment of revenue to the government the partition of the estate in accordance with the law for the time being in force, shall be made by:
जहाँ जयपत्र किसी ऐसी अविभक्त सम्पदा के विभाजन के लिए है, जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहाँ सम्पदा का विभाजन, सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जायेगा?
(a) The Naib Tahsildar /नायब तहसीलदार द्वारा
(b) The Nazir /नाजिर द्वारा
(c) The Collector /कलेक्टर द्वारा
(d) The Commissioner appointed by the Court न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा

MPHC CJ 1996
Chhattishgarh (J) 2004
MPHC CJ 2020

Ans. (c) सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 54 के अनुसार, जहाँ डिक्री किसी ऐसी अविभक्त सम्पदा के विभाजन के लिए है जो सरकार को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहाँ सम्पदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण कलेक्टर या कलेक्टर के ऐसे किसी राजपत्रित अधीनस्थ द्वारा जिसे उसने इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया हो,के द्वारा किया जायेगा।

24. Arrest of a person in execution of a decree has been provided
डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का उपबंध है
(a) under Section 53 of the Code of Civil Procedure/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में
(b) under Section 54 of the Code of Civil Procedure/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 54 में
(c) under Section 56 of the Code of Civil Procedure/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 में
(d) under Section 55 of the Code of Civil Procedure/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 55 में

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 55 तथा आदेश 21 नियम 37-40** तक में किसी डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति (निर्णीत-ऋणी) की गिरफ्तारी का उपबंध है।
धारा 55 में प्रावधान किया गया है कि निर्णीत ऋणी डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा और यथासाध्य शीघ्रता से न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और वह जिले के सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकेगा।

25. A judgment-debtor is arrested in execution of a decree for the payment of money and the Judgment-debtor pays the amount of the decree and the costs of the arrest to the officer arresting him, such officer—
एक निर्णीत-ऋणी को धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया और वह निर्णीत ऋणी डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया है, तो वह अधिकारी-
(a) Shall send the judgment-debtor to civil prison निर्णीत-ऋणी को सिविल कारागार में भेज देगा
(b) Shall take judgment-debtor to the court उसे न्यायालय ले जाएगा
(c) Shall at once release him/उसे तुरन्त छोड़ देगा
(d) Shall release him after taking security from him/उसे जमानत लेकर छोड़ देगा

MPHC CJ 2002

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 55 के चतुर्थ परन्तुक के अनुसार, जहाँ एक निर्णीत-ऋणी को धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया है और वह निर्णीत ऋणी डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह अधिकारी उसे तुरन्त छोड़ देगा।

26. Which Section of the Civil Procedure Code prohibits arrests and detention of women in execution of decree for money?
सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन-सी धारा धन सम्बन्धी आज्ञप्ति के निष्पादन में महिलाओं की गिरफ्तारी और निरुद्ध करने को निषिद्ध करता है?
(a) Section 55/धारा 55
(b) Section 56/धारा 56
(c) Section 57/धारा 57
(d) Section 58/धारा 58

Uttarakhand (J) 2011, 2014, 2016
MP ADPO 2010 Paper-I
BPSC APO 2013

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 56 में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने और सिविल कारागार में विरूद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा।

27. In which of the following section of the Civil Procedure Code the arrest or detention of women in execution of decree for money is prohibited/निम्न में से व्यवहार प्रक्रिया संहिता कि किस धारा के अंतर्गत धन की डिक्री के निष्पादन में किसी स्त्री की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध किया गया है–

(a) Section 55/धारा 55 (b) Section 56/धारा 56
(c) Section 57/धारा 57 (d) Section 58/धारा 58

MPHC (CJ) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. Under the Code of Civil Procedure, 1908. No woman shall be arrested and detained in civil prison in the matter regarding to the decree which relates to
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत किसी भी स्त्री को सिविल कारागार में निरुद्ध व गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा जब ऐसी आज्ञप्ति सम्बन्धित है

(a) Family disputes/पारिवारिक विवाद से
(b) Matrimonial disputes/वैवाहिक विवाद से
(c) Legitimacy of children disputes
बच्चों की धर्मजता के विवाद से
(d) Payment of money dispute/धन के संदाय से सम्बन्धित विवाद से।

UPPCS (J)- 2003, 2013, 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. Section 56 of the Civil Procedure Code specially prohibit to arrest or to detain in civil prison in the execution of decree-
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 एक डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार करने या सिविल कारावास में निरुद्ध करने हेतु विशेष रूप से निषिद्ध करती है-

(a) To a disease person/एक बीमार व्यक्ति को
(b) To a minor/एक अवयस्क व्यक्ति को
(c) To a woman/एक स्त्री को
(d) All the above/उपरोक्त सभी को

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
MP ADPO 2009 Paper-I

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

30. Which of the following is a correct statement?
निम्न में से कौन-सा सही कथन है?

(a) the woman may be arrested in execution of a money decree and shall be released only when such decree is satisfied /धनीय डिक्री के निष्पादन में महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है एवं तभी रिहा किया जायेगा जब ऐसी आज्ञप्ति की तुष्टि हो जाये
(b) the woman shall not be arrested in the execution of money decree, but she has the right to be released on bail./धनीय डिक्री के निष्पादन में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, परंतु उसे जमानत पर रिहा होने का अधिकार है
(c) the woman shall not be arrested in the execution of money decree, but can only be detained in a civil prison/धनीय डिक्री के निष्पादन में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तथापि सिविल कारागार मे केवल निरुद्ध किया जा सकता है
(d) the woman shall not be arrested or detained in the civil prison in execution of money decree./धनीय डिक्री के निष्पादन में महिला को गिरफ्तार या सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जा सकता है

MP (HJS) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

31. Which of the following is a correct statement?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) A woman can be arrested for execution of money decree./मनी डिक्री के निष्पादन के लिए एक महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है
(b) A woman can be arrested and released on bail in execution of money decree/ मनी डिक्री के निष्पादन में एक महिला को गिरफ्तार कर के जमानत पर रिहा किया जा सकता है
(c) A woman cannot be arrested for execution of money decree/ मनी डिक्री के निष्पादन के लिए एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है
(d) Money decree cannot be executed against woman/महिला के विरुद्ध मनी डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती

Chhattishgarh (J) 2017

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. Decree for payment of money passed against a woman cannot be executed;
महिला के विरूद्ध पारित धन के संदाय की डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है;

(a) by proceeding against her legal representatives, if she dies./यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध कार्यवाही द्वारा।
(b) by attachment and sale of her property./उसकी सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा।
(c) by appointing a receiver./एक प्रापक की नियुक्ति द्वारा।
(d) by her arrest and detention in prison./उसकी गिरफ्तारी और कारागार में निरोध द्वारा।

Rajasthan (J) 2018, 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

33. Which of the following statements is false/ निम्न में से कौन सा कथन असत्य है:

(a) no woman can be arrested or detained in the civil prison in execution of a decree except for the execution of a decree for the payment of money/धन के संदाय की आज्ञप्ति के निष्पादन के सिवाय किसी स्त्री को आज्ञप्ति के निष्पादन में गिरफ्तार या सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा

(b) books of account, any right of personal service and a right to future maintenance shall not be liable to attachment or sale in execution of a decree/आज्ञप्ति के निष्पादन में लेखा बहियां, व्यक्तिक सेवाओं का कोई अधिकार और भावी भरण पोषण का अधिकार, कुर्क या विक्रय नहीं की जा सकेगी

(c) where a decree is to be sent for execution to another Court, the Court which passed such decree shall send the decree directly to such other Court whether or not such Court is situated in the same state/जहां आज्ञप्ति निष्पादन के लिए दूसरे न्यायालय को भेजी जानी है, वहां वह न्यायालय जिसने ऐसी आज्ञप्ति पारित की है, आज्ञप्ति को सीधे एक दूसरे न्यायालय को भेजेगा, चाहे ऐसा दूसरा न्यायालय उसी राज्य में स्थित हो या नहीं

(d) Where the holder of a decree for the possession of immovable property or the purchaser of any such property sold in execution of a decree is resisted or obstructed by any person obtaining possession of the property, he may make an application to the Court complaining of such resistance or obstruction/जहां स्थावर संपत्ति के कब्जे की आज्ञप्ति के धारक का या आज्ञप्ति के निष्पादन में विक्रय की गई ऐसी किसी संपत्ति के क्रेता का ऐसी संपत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा डाली जाती है, वहां वह ऐसे प्रतिरोध या बाधा का परिवाद करते हुए आवेदन न्यायालय से कर सकेगा

MP (ADPO) 2009 Paper-I
MPHC CJ 2020

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

34. Subsistence allowance to the judgment debtor are given under C.P.C in which of the following sections:
निर्णीत ऋणियों के लिये जीवन निर्वाह भत्ता सी.पी.सी. की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है:

(a) Section 56/धारा 56
(b) Section 57/धारा 57
(c) Section 58/धारा 58
(d) Section 60/धारा 60

MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 57 के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ता का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार, राज्य सरकार निर्णीत-ऋणियों के जीवन-निर्वाह के लिए संदेय मासिक भत्तों के मापमान, उनकी पंक्ति, मूलवंश और राष्ट्रिकता के अनुसार श्रेणीबद्ध करके नियत कर सकेगी।

35. Where the decree is for the payment of sum of money exceeding five thousand rupees the period of civil prison?
जहॉं डिक्री पॉच हजार रूपये से अधिक धनराशि के संदाय के लिये है, वहाँ सिविल कारागार में निरोध की अवधि:

(a) Shall not exceed three months
तीन माह से अनधिक अवधि के लिये
(b) Shall not exceed six months
छ: माह से अनधिक अवधि के लिये
(c) Shall not exceed nine months
नौ माह से अनधिक अवधि के लिये
(d) Shall not exceed one year
एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये

MPHC CJ 1997

Ans. (a) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 58(1) के अनुसार, डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरूद्ध हर व्यक्ति जहां डिक्री पॉच हजार रूपये से अधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है, वहाँ तीन मास से अनधिक अवधि के लिए निरूद्ध किया जाएगा।

36. No arrest and detention in civil imprisonment can be made if the decree is for payment of-
गिरफ्तारी एवं सिविल जेल में निरोध नहीं कराया जा सकता है यदि डिक्री भुगतान के लिए है-

(a) not exceeding Rs. 2000
दो हजार रूपये से अनधिक
(b) not exceeding Rs. 3000
तीन हजार रूपये से अनधिक
(c) not exceeding Rs. 4000
चार हजार रूपये से अनधिक
(d) not exceeding Rs. 5000
पांच हजार रूपये से अनधिक

MPHC CJ 2011
MPHC CJ 2015
MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 58 (1-A) के अनुसार- जहाँ डिक्री की कुल रकम दो हजार रूपये से अधिक नहीं है वहाँ धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में निर्णीत-ऋणी को सिविल कारागार में निरूद्ध करने के लिए कोई आदेश नहीं किया जाएगा। अतः 2000 रू0 से कम रकम की डिक्री ने निष्पादन में निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में निरूद्ध नहीं किया जायेगा।

37. On which one of the following grounds under civil procedure code, 1908 a warrant of arrest against a "judgment debtor" may be cancelled by the court?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्न किस आधार निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है?

(a) serious illness/गंभीर बीमारी पर
(b) appearance in marriage of his son.
पुत्र के विवाह में उपस्थिति के कारण
(c) to cast vote in general elections
आम चुनाव में मतदान के कारण
(d) None of the above./उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPCS (J)-2015, 2018

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 59 (1)** प्रावधान करता है कि न्यायालय निर्णीत-ऋणी की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट निकाले जाने के पश्चात् किसी भी समय उसकी गम्भीर रूग्णता (बीमारी) के आधार पर उस वारण्ट को रद्द कर सकेगा

38. Which of the following properties are liable to attachment and sale in execution of a decree under Section 60 of the Civil Procedure Code?
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अन्तर्गत डिक्री के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किन सम्पत्तियों की कुर्की एवं विक्रय की जा सकती हैं?

(a) Bank Notes, Cheques and Bill of Exchange
बैंक नोट, चेक एवं विनिमय पत्र
(b) Cooking vessels, Beds & Wearing apparels
भोजन पकाने के बर्तन, पलंग एवं पहनने के वस्त्र
(c) Books of Accounts/लेख बहियाँ
(d) Stipends and Gratuity
वृत्तिकाएँ एवं आनुतोषिक (उपदान)

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60(1) के अनुसार,निम्नलिखित सम्पत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी अर्थात् भूमि, गृह या अन्य निर्माण, माल, धन, बैंक नोट, चैक, विनिमय पत्र, हुण्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ऋण, निगम अंश और उसके सिवाय जैसा इसमें इसके पश्चात वर्णित है, विक्रय की जा सकने वाली अन्य ऐसी सभी जंगम या स्थावर सम्पत्ति, जो निर्णित-ऋणी की है या जिस पर या जिसके लाभों पर वह ऐसी व्ययन शक्ति रखता है जिसे वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता हो, चाहे वह निर्णित-ऋणी के नाम में धारित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से धारित हो।

39. Which of the following property is liable to attachment and sale in execution of a decree?
निम्न में से कौन सी सम्पत्ति डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्क के लिए दायी होगी?

(a) Book of Accounts/लेखा बहियाँ
(b) A merre right to sue for damages/नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र
(c) Government Securitiese/सरकारी प्रतिभूतियाँ
(d) A right to future maintenance/भावी भरणपोषण का अधिकार

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

40. Which one of the following properties is liable to attachment and sale in the execution of a decree?
निम्नांकित में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है?

(a) Right to future maintenance
भावी भरण-पोषण का अधिकार
(b) A promissory note/बचत पत्र
(c) Books of account/लेखा पुस्तक बही
(d) A right of personal service
वैयक्तिक सेवा अधिकार

Uttarakhand (J) 2002, 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

41. Books of account/बही खाता-

(a) are liable to attachment and sale in execution of a decree/डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय हेतु दायी है
(b) are not liable to attachment and sale in execution of a decree/डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय हेतु दायी नहीं है
(c) are no evidence in the eye of law
विधि की दृष्टि से साक्ष्य नहीं है
(d) can be the sole evidence to decide a suit
वाद को निपटाने के लिए सर्वेसर्वा साक्ष्य हो सकेगा

25th BPSC (J) 2000

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60(1) के परन्तुक (d) के अनुसार, लेखा बहियों का डिक्री के निष्पादन में कुर्क व विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

42. Which one of the following properties is not liable to be attached and sold in execution of decree?/निम्न में से कौन सी सम्पत्ति कुर्की एवं बिक्री के योग्य नहीं है?

(a) Government Securities/सरकारी प्रतिभूतियाँ
(b) Promissory notes/वचन पत्र
(c) Books and Accountsलेखा बहियाँ
(d) Bonds/बन्ध पत्र

Uttarakhand (J) 2008
UPPCS (J) 2016
Chhattisgarh (J) 2016
MPHC (CJ) 2007

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60(1) के परंतुक (d) के अनुसार, लेख बहियां, कुर्की एवं बिक्री के योग्य नहीं है।

43. Which of the following property shall not be liable to attachment and sale in execution of decree?
निम्न में से कौन सी सम्पत्ति डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्क और विक्रय के लिए दायी नहीं होगी?

(a) Any right of personal service/वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार
(b) Goods/माल
(c) Money/धन
(d) Debts/ऋण

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II
MP (ADPO) 2009 Paper-I

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 (1) के परन्तुक (f) के अनुसार, वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्क और विक्रय नहीं किया जा सकता है।

44. Salary to the extent on first one thousand rupees and two-third of the remainder shall not be liable to attachment or sale in
वेतन का प्रथम एक हजार रूपये तथा बाकी का दो-तिहाई भाग कुर्क अथवा बिक्री नहीं किया जा सकता है-

(a) Execution of decree for maintenance
भरण-पोषण की आज्ञप्ति के निष्पादन में

(b) Execution of decree other than maintenance/भरण-पोषण से अन्य की आज्ञप्ति के निष्पादन में
(c) Both (a) and (b) above/उपर्युक्त (a) तथा (b) दोनों
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60(1) के परन्तुक (*i*) के अनुसार - भरण-पोषण से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में वेतन का प्रथम 1000/- रू. तथा शेष का 2/3 कुर्क नहीं की जा सकेगी।

45. In execution of a decree other than a decree for maintenance passed against A what shall be the attachable portion, if his salary is Rs. 7000 per month :
'अ' के विरूद्ध पारित, भरण-पोषण के जयपत्र से भिन्न जयपत्र के निष्पादन में कुर्की योग्य अंश कितना होगा, यदि उसका वेतन 7000 रूपये प्रतिमाह है?

(a) Rs. 3000/3000 रूपये (b) Rs. 2000/2000 रूपये
(c) Rs. 6000/6000 रूपये (d) Rs. 3500/3500 रूपये

MPHC CJ 1996

Ans. (b) सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 60(1) के परन्तुक (*i*) के अनुसार, भरण पोषण से भिन्न डिक्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम एक हजार तथा शेष के दो तिहाई छोड़कर शेष बची राशि कुर्क की जा सकेगी।
व्यक्ति का वेतन ₹7000 है अतः 7000−1000 = ₹ 6000 तथा शेष अर्थात् ₹ 6000 का 2/3 कुर्क नहीं किया जा सकता है। जो राशि कुर्क की जा सकती है 7000 − (4000 + 1000) = ₹ 2000

46. In execution of a decree, other than a decree for maintenance, passed against A, what shall be the attachable portion, if his salary is 10,000 per month?/एक डिक्री, भरण-पोषण के डिक्री के अलावा, A के विरुद्ध पारित की गई। यदि उसका वेतन रुपये 10,000 प्रतिमाह है, तो उसका कितना भाग कुर्क किया जा सकेगा?

(a) 3,333 (b) 5,000
(c) 3,000 (d) 6,666

MP (HJS) 2013
Jharkhand (J) 2014

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 (1) के परन्तुक (*i*) के अनुसार, भरण-पोषण की डिक्री से भिन्न डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति के आय का प्रथम 1000 रुपये तथा शेष 2/3 भाग कुर्क नहीं किया जा सकता है।
प्रश्न में व्यक्ति की आय 10000 है, अतः धारा के अनुसार, 10000 - 1000 = 9000 तथा शेष अर्थात् 9000 का 2/3 अर्थात् 6000 रुपये कुर्क नहीं किया जा सकता। प्रश्न में पूछा गया है कि कितना कुर्क किया जा सकेगा, तो राशि जो कुर्क की जा सकेगी वह 10000 - (6000 + 1000) = 3000 रुपये।

47. According to the provision of civil procedure code 1908, the attachment of portion of salary shall continue for a maximum period of-
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अंतर्गत वेतन के प्रभाग की कुर्की अधिकतम अवधि के लिए जारी रहेगी-

(a) 6 months/6 माह तक
(b) 12 months/12 माह तक
(c) 24 months/24 माह तक
(d) 36 months/36 माह तक

Chhattisgarh (J) 2020

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 60(1) के परन्तुक (*i*) के परन्तुक के अनुसार, वेतन के प्रभाग की कुर्की अधिकतम 24 माह तक की अवधि के लिए जारी रहेगी।

48. Attachment of portion of salary can be continued for a maximum period of ....
वेतन के प्रभाग की कुर्की अधिकतम .... तक लगातार की जा सकती है-

(a) 6 months/6 माह (b) 12 months/12 माह
(c) 24 months/24 माह (d) 36 months/36 माह

MPHC CJ 2017

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

49. In the execution of a decree for the maintenance, salary of a person can be attached to the extent of/रखरखाव के लिए डिक्री के निष्पादन में, किसी व्यक्ति के वेतन से कितना 'अटैच' किया जा सकता है?

(a) 1/4th (b) 1/3rd
(c) 2/3rd (d) 1/2th

Jharkhand (J) 2008, 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60(1)के परन्तुक (*i*-a) के अनुसार, भरण-पोषण (maintenance) की डिक्री के निष्पादन में वेतन का दो-तिहाई (2/3) अटैच (कुर्की) किया जा सकता है।

50. How much salary of a person can be attached in execution of a decree for maintenance?
भरण-पोषण की डिक्री के निष्पादन हेतु किसी व्यक्ति का वेतन निम्न किस सीमा तक कुर्क किया जा सकता है?

(a) First one thousand rupees and 1/3 of the remainder
प्रथम एक हजार रुपये और बचे हुए वेतन का 1/3
(b) First one thousand rupees and 2/3 of the remainder.
प्रथम एक हजार रुपये और बचे हुए वेतन का 2/3
(c) 2/3 of the salary/वेतन का 2/3
(d) 1/3 of the salary/वेतन 1/3

UPPCS (J)-2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

51. Which of the following is NOT liable to attachment and sale in execution of decree?
डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित में से किसकी कुर्की और बिक्री नहीं की जा सकती?

(a) Land and Building/भूमि और भवन
(b) Money and Cheques/धन और चेक
(c) Money payable under policy of insurance/बीमा पॉलिसी के तहत देय भुगतान
(d) Shares/शेयर

Chhattishgarh (J) 2017

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के धारा 60(1) के परन्तुक (kb) के अनुसार, बीमा पॉलिसी के तहत देय धनराशि को कुर्क नहीं किया जा सकेगा।

52. Which of the following is liable to be attached for execution of a money decree:
निम्नलिखित में से कौन धन की डिक्री के निष्पादन में कुर्क किये जाने हेतु दायी है:

(a) sum of money remaining in balance in the public provident account of the judgment debtor opened under the scheme floated under the Public Prvident Fund Act, 1968/लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के तहत चालू की गई योजना के तहत खोले गये निर्णीतऋणी के लोक भविष्य खाते में अवशेष रह गई धनराशि
(b) an amount against payments made towards annuity based deposits as premium to insure the life of the judgment debtor payable upon completion of certain term or upon death of the judgment debtor /निश्चित शर्तों पर या निर्णीतऋणी के मृत्यु पर देय निर्णीतऋणी के जीवन को बीमित करने के लिए वार्षिक आधारित जमा के रूप में अग्रिम को किये गये भुगतान विरुद्ध एक रकम
(c) an infrastruecture development bond having been held by the judgment debtor after being procured under a tax saving scheme floated by the Government of India/भारत सरकार द्वारा चालू की गई एक कर बचत योजना के तहत लेने के बाद निर्णीतऋण के द्वारा एक आधारभूत संरचना बंधपत्र
(d) a sum of money bequeathed upon the judgment debtor by his surviving grand father/अपने दादा जी के द्वारा निर्णीतऋणी में वसीयत की धनराशि

Bihar (HJS) 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 में उन सम्पत्तियों का वर्णन किया गया है जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकती है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चालू की गई एक कर बचत योजना (Tax saving scheme) के तहत लेने के बाद निर्णीतऋणी के द्वारा धारित एक आधारभूत संरचना बंधपत्र भी आता है जिसकी कुर्की की जा सकती है।
जबकि धारा 60 के परन्तुक के अनुसार उपर्युक्त अन्य तीन प्रकार की सम्पत्तियों की कुर्की डिक्री के निष्पादन में नहीं हो सकती है।

53. Private alienation of property by the judgment-debtor after attachment under section 64(1) of CPC is:
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 64(1) के अन्तर्गत निर्णीत ऋणी के कुर्क सम्पत्ति का प्राइवेट अन्तरण–

(a) valid/वैध है
(b) voidable/शून्यकरणीय है
(c) void/शून्य है
(d) irregular/अनियमित है

UP (HJS) 2016
UP (HJS) 2018 Part-III

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 64 (1) के अनुसार, जहां कुर्की की जा चुकी है, वहां कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल प्राइवेट अंतरण या परिदान और किसी ऋण, लाभांश या अन्य धन का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल निर्णीत ऋणी को संदाय कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के मुकाबले में शून्य होगा।

54. Private alienation of property after attachment is
किसी सम्पत्ति की कुर्की के बाद उसका प्राइवेट अन्य-संक्रमण होता है-

(a) Legal/विधिमान्य
(b) Irregular/अनियमित
(c) Void/शून्य
(d) Voidable/शून्यकरणीय

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (c) : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

55. Private alienation of property after attachment under the Code of Civil Procedure, 1908 shall be void according to
कुर्की के पश्चात् सम्पत्ति का प्राइवेट अन्य-संक्रामण शून्य होगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की–

(a) Section 34/धारा 34 के अनुसार
(b) Section 44/धारा 44 के अनुसार
(c) Section 54/धारा 54 के अनुसार
(d) Section 64/धारा 64 के अनुसार

BPSC (APO) 2012

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

56. Where immovable proprty is sold in execution of a decree and such sale has become absolute. When the property shall be deemed to have vested in the purchaser?
जहाँ किसी डिक्री के निष्पादन में स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यान्तिक हो गया है वहाँ कब से यह समझ जायेगा कि सम्पत्ति क्रेता में निहित हो गई है?

(a) From the time when the sale becomes absolute/उस समय से जब विक्रय आत्यान्तिक हुआ।
(b) From the time when the property is sold/उस समय से जब सम्पत्ति का विक्रय हुआ।
(c) From the time when the suit was instituted /उस समय से जब वाद संस्थित किया गया।
(d) From the time when the decree was passed/उस समय से जब डिक्री पारित की गई।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : सिविल-प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 65 के अनुसार,जहाँ किसी डिक्री के निष्पादन में स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यांतिक हो गया है वहाँ यह समझा जाएगा कि सम्पत्ति उस समय से जब उसका विक्रय किया गया है, न कि उस समय से जब विक्रय आत्यांतिक हुआ है, क्रेता में निहित हो गई है।

57. **Reteable distribution of proceeds of sale in execution of a decree is provided under**
निष्पादन-विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक वितरण करने का प्रावधान है

(a) Section 60/धारा 60
(b) Section 73/धारा 73
(c) Section 75/धारा 75
(d) Section 80/धारा 80

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के धारा 73 में निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

58. **Section 74 of the Code of Civil Procedure, 1908 deals with/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 74 संबंधित है**

(a) resistance to execution/निष्पादन के प्रतिरोध से
(b) seizur of property in dwelling house/निवास-गृह में सम्पति के अभिग्रहण से
(c) partial exemption of agriculture produce /कृषि उपज को भागतः छूट से
(d) letter of request/अनुरोध पत्र से

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 74 में निष्पादन का प्रतिरोध से सम्बन्धित उपबन्ध किया गया है।

59. **Point out incorrect answer**
A decree passed by a Civil Court can be executed by:
गलत उत्तर बताइये:
एक सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन:

(a) the court which passed that decree.
डिक्री पास करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
(b) the court to which the decree is transferred for execution by the court passing the decree.
किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे डिक्री पास करने वाला न्यायालय डिक्री निष्पादन के लिए अन्तरित करता है।
(c) any court having jurisdiction concurrent to the court that passed the decree.
किसी भी न्यायालय द्वारा जो डिक्री पास करने वाले न्यायालय के समकक्ष अधिकारिता रखता है।
(d) either by court (a) or (b) as above
या तो उपरोक्त (a) अथवा (b) में वर्णित न्यायालय द्वारा

UPPCS (J)-2003
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : डिक्री (आज्ञप्ति) का निष्पादन पदावली संहिता में परिभाषित नहीं है। सामान्यत: विधि के अनुसार डिक्री का प्रवर्तन अथवा उसे प्रभावी बनाने की न्यायिक प्रक्रिया डिक्री का निष्पादन कहलाती है। संहिता की **धारा 36-74** तथा **आदेश-21** डिक्री के निष्पादन से सम्बन्धित है। आदेश-21 में कुल 106 नियम है तथा यह संहिता का दीर्घतम आदेश है।
संहिता की **धारा 38** के अनुसार- डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है, निष्पादित की जा सकेगी।

60. **The application for execution of decree may be transferred form one court to another court/डिक्री के निष्पादन के आवेदन को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अन्तरित किया जा सकता है –**

(a) If the party fells that there is a possibility of delay in justice on the part of court/यदि उस न्यायालय से पक्षकार को न्याय मिलने में विलम्ब होने की सम्भावना हो
(b) If the defendant lives or does business in the jurisdiction of that court where the application for execution of decree have to transfer/यदि प्रतिवादी उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में निवास या कारोबार करता है जहाँ डिक्री के निष्पादन के आवेदन को अन्तरित किया जाने वाला हो
(c) If the plaintiff has gone from jurisdiction of the court which has passed the decree/यदि वादी उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता को छोड़कर चला जाता है जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है
(d) Not included in these/उपर्युक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं

MP (ADPO) 2008 Paper-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 39 (1) के अनुसार, डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन को एक न्यायालय से सक्षम अधिकारिता वाले दूसरे न्यायालय को अंतरित तब किया जा सकता है जबकि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है (प्रतिवादी), ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है।

अध्याय – 7

आनुषंगिक कार्यवाहियाँ (धारा 75-78)

1. Section 75 of C.P.C. deals with
दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 75 में किस संबंध में उपबंध किया गया है-
(a) Power to issue summons/सम्मन जारी करने का अधिकार
(b) Power to issue commission/कमीशन जारी करने का अधिकार
(c) Right to appeal/अपील का अधिकार
(d) Res judicata/रेस ज्यूडिकेटा

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 75 में न्यायालय द्वारा कमीशन जारी करने के अधिकार का उपबंध किया गया है।

2. Under CPC the Court may not issue commissions in the following matter:.
सी.पी.सी. के अन्तर्गत निम्न मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता :
(a) to examine any person
किसी व्यक्ति के परीक्षा के लिए
(b) to examine accounts
लेखाओं का परीक्षण करने के लिए
(c) to make a partition/विभाजन करने के लिए
(d) for execution of a decree
एक डिक्री के निष्पादन हेतु

UPPCS (J)-2003,2018
Uttarakhand (J) 2014
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans : (d) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 75 के तहत न्यायालय निम्न मामलों में कमीशन जारी कर सकता है-
1. किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए,
2. स्थानीय अन्वेषण के लिए,
3. लेखाओं के परीक्षण के लिए,
4. विभाजन करने के लिए,
5. वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए,
6. शीघ्र क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय हेतु,
7. कोई अनुसचिवीय कार्य करने हेतु।
अतः इस धारा के तहत न्यायालय डिक्री के निष्पादन हेतु कमीशन जारी नहीं कर सकता है।

3. Under Section 75 of CPC Commission may be issued for-
धारा 75 सी.पी.सी. के अन्तर्गत कमीशन जारी किया जाता है–
(a) To make a local investigation/स्थानीय अन्वेषण करने के लिये
(b) To examine accounts/लेखाओं की परीक्षा के लिये
(c) To make a partition/विभाजन करने के लिये
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2021
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. Court may not issue a commission:
न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकताः
(a) to examine any person/किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए
(b) to examine accounts /लेखाओं की परीक्षा के लिए
(c) to perform any ministerial act
अनुसचिवीय कार्य करने के लिए
(d) to arrest a person /व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए

MPHC CJ 2007

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. Complete the statement - A Court cannot issue commission;
कथन को पूर्ण करें – एक न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता है;
(a) to examine any person/किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए
(b) to make a partition/बंटवारे के लिए
(c) to collect evidence/साक्ष्य एकत्रित करने के लिए
(d) to examine or adjust accounts/लेखाओं की परीक्षा या समायोजन के लिए

Rajasthan (J) 2018
Rajasthan (J) 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कमीशन जारी नहीं कर सकता है।

6. Under section 75 of Civil Procedure Code, the court cannot issue commission/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 75 के अधीन न्यायालय कमीशन नहीं निकाल सकता है :
(a) To Examine any person/किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए
(b) To make a partition/विभाजन करने के लिए
(c) To conduct sale of property which is not in the custody of the court/ऐसी सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए जो न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है
(d) To hold a scientific, technical or expert investigation/कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए

MP (ADPO) 2009 Paper-I

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 75(f) के अनुसार, न्यायालय ऐसी सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है और जो वाद का अवधारण लम्बित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है, कमीशन निकाल सकता है।
अतः जो सम्पत्ति न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है उसके विक्रय हेतु न्यायालय कमीशन नहीं निकाल सकता है।

7. Letter of requests is
अनुरोध पत्र होता है
(a) A incidental proceedings/यह आनुषंगिक कार्यवाही है
(b) In lieu of commission/कमीशन के बदले
(c) To examine a witness residing outside India/साक्षी हेतु जो भारत के बाहर रह रहा है
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का भाग 3 आनुषंगिक कार्यवाहियाँ (धारा 75 से 78 तक) के सम्बन्ध में प्रावधान करता है। धारा 77 में अनुरोध पत्र के सम्बन्ध में उपबंध किया गया है। इस धारा के अनुसार, न्यायालय कमीशन निकालने के बदले ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकेगा, जो ऐसे स्थान में निवास करता है, जो भारत के भीतर नहीं है।

अध्याय – 8
विशिष्ट मामलों में वाद (धारा 79-88)

1. Part-IV of the Code of Civil Procedure, 1908 deals with
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का भाग IV संबंधित है
(a) execution/निष्पादन से
(b) incidental proceedings/आनुषंगिक कार्यवाहियों से
(c) suits in particular cases/विशिष्ट मामलों में वाद से
(d) special proceedings/विशेष कार्यवाहियों से
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 का भाग IV विशिष्ट मामलों में वाद से सम्बन्धित है।

2. As provided in Section 79 of the Code of Civil Procedure a suit by the Central Government must be filed in the name of
जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 में उपबंधित है, केन्द्र सरकार द्वारा कोई मुकदमा फाईल किया जाना चाहिये।
(a) The President of India/भारत के राष्ट्रपति के नाम से
(b) Attorney General of India/भारत के महान्यायवादी के नाम से
(c) Prime Minister of India/प्रधानमंत्री के नाम से
(d) Union of India/भारत संघ के नाम से
Uttarakhand (J) 2011
MPHC (CJ) 2017

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 79 के अनुसार, सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी-
(a) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में, भारत संघ होगा, तथा
(b) किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में, वह राज्य होगा।

3. In a suit against the Central Government the authority to be named as defendant is-
केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाला प्राधिकारी होता है-
(a) The President/राष्ट्रपति
(b) The Prime Minister/प्रधानमंत्री
(c) The Minister of concerned department /संबंधित विभाग का मंत्री
(d) The Union of India/भारत संघ
Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. Under CPC the provision of notice before instituting a suit against the Government is given in
सि.प्र.सं. के अन्तर्गत सरकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के पूर्व सूचना देने के प्रावधान का उल्लेख किस धारा में किया है?
(a) Section 180/धारा 180 में
(b) Section 6/धारा 6 में
(c) Section 80/धारा 80 में
(d) Section 21/धारा 21 में
Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 80 के अन्तर्गत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद संस्थित करने के पूर्व 2 माह की सूचना देने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। आदेश 27 में सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करने की प्रक्रिया विहित है।

5. A prior notice has to be given before suit is instituted against the government:-
शासन के विरुद्ध वाद संस्थित करने के पूर्वः
(a) Sixty days/साठ दिन
(b) Three months/तीन माह
(c) Two months/दो माह
(d) Ninety days/नब्बे दिन
का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है।

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. What does Section 80 CPC deal with?
सी.पी.सी. की धारा 80 किससे संबंधित है?
(a) Foreign Judgment/विदेशी निर्णय से
(b) Injunction/व्यादेश (इंजंक्शन) से
(c) Requirement of notice for institution of suit against Government/सरकार के खिलाफ मुकदमें की कार्यवाही के लिए नोटिस की आवश्यकता से
(d) Award of cost/लागत के अधिनिर्णय से
Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Under which section of C.P.C. a notice is required to be given at least two months before filing a suit against a Central or State Government?
दीवानी प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विरूद्ध वाद दायर करने के पहले दो माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है?
(a) Section 50 C.P.C./धारा 50 दी.प्र.स.
(b) Section 51 C.P.C./धारा 51 दी.प्र.स.
(c) Section 80 C.P.C./धारा 80 दी.प्र.स.
(d) Section 81 C.P.C./धारा 81 दी.प्र.स.
27th BPSC (J) 2011
Chhattisgarh (J) 2017

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. How much time is required for serving a notice under Section 80 of the Civil Procedure Code?
सि.प्र.सं. की धारा 80 के अन्तर्गत सूचना देने के लिए कितनी अवधि अपेक्षित है?

(a) three months/तीन माह
(b) two months/दो माह
(c) one month/एक माह
(d) four months/चार माह

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के अन्तर्गत सूचना, वाद संस्थित किये जाने से कम से कम दो माह पूर्व दी जानी चाहिए अर्थात नोटिस देने के पश्चात दो माह व्यतीत हो जाने पर ही वाद संस्थित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। जहाँ पर वाद नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व संस्थित किया जाता है वहाँ पर वाद खारिज किया जा सकता है।

9. No suit shall be instituted against a public officer in respect of any act done in his official capacity, untill the expiration of _______ next after notice in writing has been delivered.
ऐसे कार्य की वाबत जो कि लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि लिखित सूचना परिदत्त किये जाने के पश्चात ______ को अवसान न हो गया हो।

(a) two weeks /दो सप्ताह
(b) two months/दो माह
(c) six weeks/छः सप्ताह
(d) six months/छः माह

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. Suit against Government shall not be instituted until the expiration of—
सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है, जब तक अवसान न हो गया हो-

(a) One month next after notice in writing has been delivered
लिखित सूचना प्रदत्त करने के एक माह के पश्चात्
(b) Three month after notice in writing has been delivered
लिखित सूचना प्रदत्त करने के तीन माह के पश्चात्
(c) Two month after notice in writing has been delivered
लिखित सूचना प्रदत्त करने के दो माह के पश्चात्
(d) Six month after notice in writing has been delivered
लिखित सूचना प्रदत्त करने के छः माह के पश्चात्

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. Before filing a suit against government under Section 80 of Civil Procedure Code it requires a notice to be given to the government of-
सरकार के विरुद्ध वाद लाये जाने के पूर्व धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार सरकार को नोटिस दिया जाना अपेक्षित है-

(a) 30 days/30 दिन (b) 90 days/90 दिन
(c) 14 days/14 दिन (d) 60 days/60 दिन

MPHC CJ 2002,2018
Chhattisgarh (J) 2008, 2012

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. Provisions of Section 80 of the Civil Procedure Code are
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधान

(a) mandatory/बाध्यकारी है।
(b) directory/निर्देशात्मक है।
(c) discretionary/विवेकाधीन है।
(d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं।

Uttarakhand (J) 2008,2018

Ans. (a) : सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2005 SC) और स्टेट बैंक ऑफ मद्रास बनाम वेन्कट दुर्गा प्रसाद राव (2001 Raj.) के निर्णयों के अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के प्रावधान बाध्यकारी (आज्ञापक) है।

13. In any suit relating to Railway the authority which represent it as plaintiff or defendant will be
रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होगा-

(a) General Manager of the Railway/उस रेलवे का प्रधान प्रबन्धक
(b) Secretary to Central Government/केन्द्रीय सरकार का सचिव
(c) Collector of the district/जिले का कलेक्टर
(d) Station Master of the Railway/रेलवे का स्टेशन मास्टर

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 (1)(b) के अनुसार, रेलवे से सम्बन्धित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक है।

14. 'Notice under Section 80 of the code of civil procedure, when it relates to 'Railways', has to be served on which of the following?
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत सूचना जब वह रेलवे से सम्बन्धित हो, निम्न में से किस पर तामील की जायेगी?

(a) Minister of Railways/रेल मंत्री को
(b) Secretary of Railway Ministry
रेल मंत्रालय के सचिव को
(c) General Manager of concerned railway
सम्बन्धित रेल के महाप्रबन्धक को
(d) Prime Minister of India/भारत के प्रधान मंत्री को

Uttarakhand (J) 2012,2018
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II
MPHC CJ 1996
MP (ADPO) 2009 Paper-I
Chhattisgarh (J) 2004

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. In a suit against the State Government, who may sign the plaint on behalf of the Government?
राज्य सरकार के विरुद्ध लाये गये वाद में सरकार की तरफ से कौन वाद पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा?

(a) Governor of the State /राज्य का राज्यपाल
(b) Chief Minister of the State/राज्य का मुख्यमंत्री
(c) Chief Secretary of the State
राज्य का मुख्य सचिव
(d) A person who by a general or special order appointed in this behalf by the Government
ऐसे व्यक्ति जो सरकार द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश के द्वारा नियुक्त किया गया हो

MPHC CJ 2011

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 (1)(c) के अनुसार, राज्य सरकार के विरूद्ध लाये गये वाद में सरकार की तरफ से वाद पत्र पर राज्य सरकार का सचिव या जिले का कलेक्टर हस्ताक्षर कर सकेगा।

16. Which one of the following is a true statement in relation to Section 80 of Civil Procedure Code?
निम्नलिखित में से कौन-सा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के संबंध में सही कथन है?

(a) A suit without service of notice can be instituted generally, with the leave of the court/न्यायालय की अनुमति से नोटिस तामील कराये बिना वाद को सामान्यतः संस्थित किया जा सकता है
(b) A suit without service of notice can be instituted in cases of urgent or immediate relief with the leave of the court/अर्जेण्ट अथवा तत्काल अनुतोष के मामले में न्यायालय की अनुमति से वाद को नोटिस तामील कराए बिना संस्थित किया जा सकता है
(c) In cases of urgent or immediate relief where leave to institute the suit without service of notice has been granted, interim or otherwise ex parte relief can be granted/अर्जेण्ट अथवा तत्काल अनुतोष के मामले में जहाँ वाद को नोटिस तामील कराये बिना संस्थित करने की अनुमति दी गई है, वहाँ अंतरिम अथवा अन्यथा एकपक्षीय अनुतोष को अनुज्ञात किया जा सकता है
(d) No suit under Section 80 can be instituted without the compliance of the requirement of notice/धारा 80 के अंतर्गत नोटिस की आवश्यकता का अनुपालन किए बिना कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकता

Jharkhand (J) 2008

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80(2) के अर्न्तगत अर्जेण्ट अथवा तत्काल अनुतोष के मामलें में न्यायालय की अनुमति से वाद को नोटिस तामील कराए बिना संस्थित किया जा सकता है, किन्तु न्यायालय वाद में अनुतोष चाहे अन्तरिम या अन्यथा की बाबत हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही प्रदान करेगा अन्यथा नहीं।

17. In cases of urgent or immediate relief, where leave to investigate the suit without service of notice under Section 86 of CPC has been granted/अति आवश्यक अथवा तात्कालिक राहत के उन मामलों में जहाँ सी. पी. सी. की धारा 86 के अधीन मुकदमे की जाँच-पड़ताल से नोटिस दिए जाने की अनिर्वायता से छूट दी गई हो

(a) no interim or otherwise, exparte relief can be granted/किसी भी प्रकार की अंतरिम अथवा कोई अन्य इकतरफा राहत नहीं दी जा सकती
(b) interim or otherwise, ex parte relief can be granted generally/साधारण तौर पर अंतरिम या कोई अन्य इकतरफा राहत दी जा सकती है
(c) interim or otherwise, ex parte relief may be granted under certain circumstances/कुछ निश्चित परिस्थितियों में अंतरिम अथवा कोई अन्य इकतरफा राहत दिए जाने की संभावना हो सकती है
(d) Either (A) or (C)/या तो (A) या (C)

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. In a suit to obtain an urgent or immediate relief against Government or public officer for act done in his official capacity, if the court is satisfied after hearing the parties that no urgent or immediate relief need to be granted in suit, the court shall
अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए सरकार के विरूद्ध या लोक अधिकारी के विरूद्ध ऐसे कार्य के बाबत जो कि उसकी पदीय हैसियत में किया गया है, के वाद में यदि न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई के बाद संतुष्ट हो जाए कि अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष देने की आवश्यकता नहीं है, तो न्यायालय

(a) reject the plaint/वाद-पत्र नामंजूर कर देगा।
(b) pass a decree in favour of that government or public officer/उस सरकार या लोक अधिकारी के पक्ष में डिक्री पारित कर देगा।
(c) return the plaint for presentation after complying with requirements/वाद-पत्र वापस कर देगा कि अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाए।
(d) impose penalty upon plaintiff/वादी पर शास्ति अधिरोपित कर देगा।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 (2) के परन्तुक में प्रावधान किया गया है कि यदि न्यायालय का पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि वाद में कोई अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है तो वह वाद पत्र को वापस कर देगा कि उसे उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए।

19. Which of the following privilege is not given to the public officer in a suit instituted against a public officer in respect of any act done by him in his official capacity?
लोक अधिकारी के विरूद्ध ऐसे कार्य के बाबत जो कि उसकी पदीय हैसियत में किया गया है, के वाद में लोक अधिकारी को कौन सा विशेषाधिकार नहीं दिया गया है?

(a) He shall not be liable to arrest./उस पर गिरफ्तार होने का दायित्व नहीं होगा।

(b) He may be exempted from appearing in person./उसे स्वीय उपसंजाति से छूट दी जा सकती है।
(c) The Government shall be joined as a party to the suit./सरकार को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जायेगा।
(d) His property shall not be liable to attachment in execution of a decree./डिक्री के निष्पादन में उसकी संपत्ति पर कुर्क किये जाने का दायित्व नहीं होगा।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 81 लोक अधिकारी की गिरफ्तारी और स्वीय उपसंजाति से छूट प्रदान करता है। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि लोक प्राधिकारी के विरूद्ध संस्थित वाद में न तो उसे गिरफ्तार किया जायेगा न ही उसकी सम्पत्ति कुर्क की जायेगी। न्यायालय ऐसे लोक प्राधिकारी को स्वीय उपसंजाति से छूट प्रदान कर सकता है।

20. A decree against Government of India or State Government shall not be executed unless it remains unsatisfied for the period of
भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध पारित की गई डिक्री कितने समय तक निष्पादित नहीं की जायेगी?

(a) one month/एक माह (b) two months/दो माह
(c) three months/तीन माह (d) six months/छ: माह

UPPCS (J)-2015
MPHC (CJ) 2019 Shift-I
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II
MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 82 (2)** के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार या राज्य सरकार के विरूद्ध पारित की गई डिक्री **तीन माह** की अवधि तक निष्पादित नहीं की जायेगी।

21. Where a decree is passed against the Union of India or a State for the act done in the official capacity of the officer concerned, under Section 82 C.P.C., execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of
जहाँ भारत संघ अथवा किसी राज्य के विरुद्ध या सम्बन्धित अधिकारी के आधिकारिक हैसियत के अंतर्गत किसी कार्य हेतु धारा 82 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई आज्ञप्ति पारित की जाती है, तो ऐसी किसी आज्ञप्ति पर निष्पादन जारी तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आज्ञप्ति निम्न में से वर्णित अवधि के लिए असंतुष्ट न हो-

(a) 3 months from the date of the decree/आज्ञप्ति की तारीख से 3 महीना
(b) 6 months from the date of the decree/आज्ञप्ति की तारीख से 6 महीना
(c) 1 year from the date of the decree/आज्ञप्ति की तारीख से 1 वर्ष
(d) 2 years from the date of the decree/आज्ञप्ति की तारीख से 2 वर्ष

Jharkhand (J) 2008

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. Which of the following cannot institute a suit in Indian Courts?
निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायालय में वाद संस्थित नहीं कर सकता?

(a) Citizen of India/भारतीय नागरिक
(b) Alien friend/अन्य देशीय मित्र
(c) Alien enemy residing in India without permission of Central Government./अन्य देशीय शत्रु जो केन्द्रीय सरकार की बिना अनुज्ञा भारत में निवास कर रहा हो।
(d) A Foreign State/विदेशी राज्य

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 कि धारा 83 के अनुसार, अन्य देशीय शत्रु जो केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना भारत में निवास कर रहे हैं, किसी भी न्यायालय में वाद नहीं ला सकतें।

23. Under which provision of CPC an Ambassador can be sued?
सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अन्तर्गत एक राजदूत पर वाद लाया जा सकता है?

(a) Section 86/धारा 86
(b) Section 88/धारा 88
(c) Section 88A/धारा 88 A
(d) He cannot be sued/वाद नहीं लाया जा सकता है

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) एक राजदूत के विरूद्ध वाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86 के अन्तर्गत लाया जा सकता है। धारा 86 (1) यह प्रावधान करता है कि किसी विदेशी राज्य के राजदूतों और दूतों पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो ऐसे का वाद विचारण करने के लिए सक्षम है, केन्द्रीय सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा जो उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की गई हो।

24. No ambassadors may be sued in any court otherwise competent to try the suit except with the consent of
राजदूतों के विरुद्ध कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने में सक्षम है, सहमति से लाया जा सकता है

(a) President of India/भारत के राष्ट्रपति से
(b) Central Government/केन्द्र सरकार से
(c) Supreme Court of India/उच्चतम न्यायालय से
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

25. A person may sue a foreign State
कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है

(a) with the consent of the State Government
राज्य सरकार की सहमति से
(b) only with the consent of the Central Government/केवल केन्द्र सरकार की सहमति से
(c) with the consent of Central or State Government/केन्द्र या राज्य सरकार की सहमति से
(d) with the consent of the President of India
भारत के राष्ट्रपति की सहमति से

UPPCS (J)-2006
MP (ADPO) 2010 Paper-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 86** के अनुसार, विदेशी राज्य पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में, जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केन्द्रीय सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा जो उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप से प्रमाणित की गई हो।

26. A foreign government/एक विदेशी सरकार पर

(a) cannot be sued/मुकदमा नहीं चलाया जा सकता

(b) can be sued without any restriction on the powers of civil courts/दीवानी न्यायालयों की शक्तियें पर बिना किसी बंधन के मुकदमा चलाया जा सकता है

(c) can be sued with the restriction that the oral consent of the Central Government is communicated to the court/इस प्रतिबंध के साथ मुकदमा दायर हो सकता है कि केन्द्र सरकार ने मौखिक सहमति न्यायालय को प्रदान किया हो

(d) can be sued with the condition that the certificate of consent is issued by the secretary to the Central Government in writing/इस प्रतिबंध के साथ मुकदमा दायर हो सकता है कि अगर केन्द्र सरकार के सचिव ने लिखित सहमति का सर्टिफिकेट जारी किया हो

Jharkhand (J) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

27. Provision for interpleader suit is contained in which of the following sections of C.P.C.?
सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित में से किस धारा में अन्तराभिवाची वाद के लिए उपबंध है?

(a) Section 87/धारा 87 (b) Section 88/धारा 88

(c) Section 89/धारा 89 (d) Section 90/धारा 90

Uttarakhand (J) 2002,2012
BPSC (APO) 2013
MPADPO 2016 Paper-I
MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 88 के अन्तर्गत अन्तराभिवाची वाद का उपबन्ध किया गया है। जबकि आदेश 35 में अन्तराभिवाची वाद के लिए प्रक्रिया दी गयी है। अन्तराभिवाची वाद एक ऐसा वाद है जिसमें विवाद वादी और प्रतिवादी के बीच न होकर प्रतिवादियों के बीच होता है और प्रतिवादी ही एक दूसरे के विरुद्ध अभिवचन करते है।

28. Provisions relating to interpleader suit are contained in/अन्तराभिवाची वाद से सम्बन्धित प्रावधान निहित हैं :

(a) Order XXXIV of CPC/
सी. पी. सी. के आदेश XXXIV में

(b) Section 88 of CPC/सी. पी.सी. की धारा 88 में

(c) Order XXXV of CPC
सी.पी. सी. के आदेश XXXV में

(d) Both (b) and (c)/(b) एवं (c) दोनों

MP (ADPO) 2009 Paper-I
Jharkhand (J) 2016

Ans.(d): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. Interpleader suit is a suit:
यह कि अन्तराभिवाची वाद एक वाद है:

(a) Between two advocates /दो अधिवक्ताओं के मध्य

(b) Between Union Government Pleader and State Government Pleader/संघ सरकार के अधिवक्ता एवं राज्य सरकार के अधिवक्ता के मध्य

(c) Instituted by a person who has no interest in the subject matter /ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो वाद की विषय-'वस्तु में स्वयं कोई हित न रखता हो

(d) Instituted by a person who has interest in the subject matter /ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो विषय-वस्तु में स्वयं हित रखता हो

MPHC CJ 2011

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 88 में अन्तराभिवाची वाद से सम्बन्धित उपबंध किया गया है। अन्तराभिवाची वाद एक ऐसा वाद है जिसमें विवाद वादी और प्रतिवादी के बीच न होकर प्रतिवादियों के बीच होता है परन्तु ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जाता है जो वाद की विषय वस्तु में स्वम् कोई हित नहीं रखता है।

30. In an interpleader suit, plaintiff may claim:-
अंतराभिवचनीय वाद में वादीः

(a) Share in property/संपत्ति में हिस्सा

(b) Right of pre-emption/पूर्व क्रय का अधिकार

(c) Costs of charges/प्रभार (चार्जेस) अथवा परिव्यय

(d) ownership/स्वत्व

की माँग कर सकता है।

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (c) : अंतराभिवचनीय वाद में वादी केवल प्रभार अथवा परिव्यय की माँग कर सकता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 88 एवं आदेश 35 में अन्तराभिवचनीय वाद के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही ऋण, धनराशि या अन्य जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विषय में परस्पर विरोधी दावा ऐसे व्यक्ति से करते है जो कि प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता है और जो अधिकारवान् दावेदार को उसे देने या परिदान करने के लिए तैयार है, तो वह ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरूद्ध अन्तराभिवचनीय वाद (Inter pleader suit) प्रस्तुत कर सकता है।
अतः स्पष्ट है कि ऐसे वाद में वादी का विषय वस्तु में कोई हित नहीं होता। वह केवल प्रभारों एवं खर्चों की माँग कर सकता है। ऐसे वादों में विवाद वादी एवं प्रतिवादी के बीच न होकर प्रतिवादियों के बीच रहता है।

31. In an 'interpleader suit', there
एक 'अन्तराभिवाची वाद' में-

(a) are several claimants claiming the property adverse to each other/दावेदारों द्वारा सम्पत्ति के बारे एक-दूसरे के प्रतिकूल दावा होता है

(b) is only one claimant claiming the property against the other/मात्र एक दावेदार द्वारा सम्पत्ति के बारे में एक-दूसरे के प्रतिकूल दावा होता है

(c) are several claimants claiming the property under common interest of all/दावेदारों द्वारा सम्पत्ति में सभी के सामान्य हित का दावा होता है

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Jharkhand (J) 2014

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

अध्याय – 9
विशिष्ट कार्यवाहियाँ (धारा 89-93)

1. The provision relating to settlement of dispute out of court provided.
विवादों के न्यायालय के बाहर समाधान से संबंधित प्रावधान धारा ..... सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रावधानित है।
(a) Section 91/धारा 91
(b) Section 89/ धारा 89
(c) Section 51/ धारा 51
(d) Section 151/ धारा 151

MP (DLAO) 2021

Ans. (b) : मलिमथ कमेटी के सुझाव पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 को संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा जोड़ा गया है। यह धारा न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे की व्यवस्था करती है। जिसके अनुसार माध्यस्थम, सुलह, लोक अदालत या मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा किया जा सकता है।

2. Which one of the following section has been newly added by Civil Procedure Code (Amendment) Act, 1999?
निम्न धाराओं में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1999 के द्वारा नई जोड़ी गई है?
(a) Section 87/धारा 87
(b) Section 88/धारा 88
(c) Section 89/धारा 89
(d) Section 90/धारा 90

Uttarakhand (J) 2006,2014
Chhattisgarh (J) 2014, 2016
Rajsthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1999 के द्वारा अतःस्थापित किया गया। धारा 89 न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा करने से सम्बन्धित उपबंध करता है।
नये प्रावधान वैकल्पिक विवाद समाधान तन्त्र स्थापित करके न्यायालयों के भार को कम करता है। इस धारा के उपबन्ध भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट (129 की रिपोर्ट) और मलिमथ समिति के सिफारिशों पर आधारित है।
सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2003 SC) के मामले में धारा 89 को संवैधानिक घोषित किया गया।

3. Which of the following mode of settlement of dispute out of court not provided under section 89 of civil procedure code.
निम्न में से कौन सा तरीका विवादों के न्यायालय के बाहर समाधान के बारे में सी.पी.सी. की धारा 89 में प्रावधानित नहीं है।
(a) Arbitration /माध्यस्थम्
(b) Conciliation /सुलह
(c) Settlement /बातचीत
(d) Mediation /बीच बचाव के लिये निर्दिष्ट करना

MP (DLAO) 2021

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 में न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारें में बातचीत का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। धारा 89 के अनुसार, न्यायालय से बाहर विवादों का निपटारा निम्नलिखित माध्यमों द्वारा लिया जा सकता है-
(1) माध्यस्थम् या सुलह के द्वारा
(2) लोक अदालत द्वारा
(3) न्यायिक समझौते द्वारा
(4) बीच-बचाव द्वारा

4. Which one of the following modes of settlement of disputes outside the Court has not been provided in Section 89 of CPC?
न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के निम्नलिखित माध्यमों में से कौन दी.प्रं.सं. की धारा 89 में प्रावधानित नहीं है?
(a) Arbitration/माध्यमस्थम
(b) Conciliation/सुलह
(c) Negotiation/वार्ता
(d) Mediation/मध्यस्थता

Uttarakhand (J) 2012,2018,2019

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. Which of the following is not an Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanism?
नीचे लिखे में से कौन वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं हैः
(a) Arbitration/मध्यस्थम्
(b) Lok Adalat/लोक अदालत
(c) Lokayukta/लोकायुक्त
(d) Conciliation /सुलह

Bihar (HJS) 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. The court under Section 89(1) of Civil Procedure Code refer the dispute for
न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89(1) के अन्तर्गत कोई विवाद निर्दिष्ट कर सकेगा-

(a) Arbitration or Conciliation/मध्यस्थम या सुलह
(b) Conciliation or Mediation/सुलह या मध्यस्थम
(c) Mediation or Lok Adalat/मध्यस्थम या लोक अदालत
(d) Arbitration or Conciliation or Lok Adalat or Mediation/मध्यस्थम या सुलह या लोक अदालत या मध्यस्थम

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. Section 89 of the Code of Civil Procedure deals with which one of the followings?
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है?

(a) Appointment of receiver/प्रापक की नियुक्ति से
(b) Interpleader suit/अन्तराभिवाची वाद से
(c) Settlement of disputes outside the court/न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे से
(d) Execution of decree/आज्ञाप्ति के निष्पादन से

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. Court may submit dispute under section 89.
न्यायालय धारा 89 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत विवाद प्रेषित कर सकता है-

(a) Arbitration or lok Adalat /मध्यस्थता या लोक अदालत
(b) Arbitration or conciliation /माध्यस्थम या सुलह
(c) Conciliation or arbitration /सुलह या मध्यस्थता
(d) all the above /उपरोक्त सभी

MP (DLAO) 2021

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 के अनुसार विवाद को निम्नलिखित माध्यमों द्वारा सुलझाया जा सकता है-
(1) माध्यस्थम्
(2) सुलह,
(3) न्यायिक समझौते (लोक अदालत द्वारा समझौता भी सम्मिलित है)
(4) बीच बचाव द्वारा

9. Where it appears to the court that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and refers the matter for-
जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समझौते के तत्व उपलब्ध है जो पक्षकारों हेतु स्वीकार योग्य हो सकते हैं, तब न्यायालय के द्वारा निबंधनों का पुनःनिर्धारण करते हुए मामलों को निर्देशित किया जा सकता हैः

(a) Arbitration and conciliation /मध्यस्थम अथवा सुलह के लिए
(b) Judicial settlement including settlement through Lok adalat /न्यायिक समझौते हेतु जिसमें लोक अदालत के माध्यम से समझौता शामिल है
(c) Mediation /मध्यस्थता के लिए
(d) to the supreme court for the disposal on the basis of merit. /उच्चतर न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर निराकरण के लिए

Chhattisgarh (J) 2011

Ans. (*) : सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89(1) के अनुसार, जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान है, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं वहाँ न्यायालय समझौते के निबन्धन बनाएगा और उन्हें पक्षकारों को उनकी टीका टिप्पणी के लिए देगा और पक्षकारों की टीका-टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात् न्यायालय संभव समझौते के निबन्धन पुनः बना सकेगा और उन्हे :-
(a) माध्यस्थम, (b) सुलह; (c) न्यायिक समझौते जिसके अन्तर्गत लोक अदालत के माध्यम से समझौता भी है, या (d) बीच-बचाव के लिए निर्दिष्ट करेगा।

10. Section 89 provides that the court shall endeavor to settle dispute.
धारा 89 यह प्रावधानित करती है कि न्यायालय विवादों के समझौते हेतु प्रयास करेगा-

(a) In each cases /प्रत्येक मामले में
(b) In cases in which both the parties plead for settlement/उन मामलों में जिनमें की दोनों पक्षकार विशिष्टतः समझौते के लिये याचना करते हैं।
(c) In cases in which at least one of the parties pleads for settlement /उन मामलों में जिनमें की कम से कम एक पक्ष समझौते के लिये याचना करता है।
(d) In cases where it appears to the court that there is a possibility of settlement that may be acceptable to the parties/उन मामलों में जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी समझौते के समाधान की संभावना है जो कि पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं।

MP (DLAO) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

11. Where any dispute is referred to a persons under section 89(2) (c) of the civil procedures code, he shall be deemed to-/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89(2)(सी) के अन्तर्गत जहाँ कोई भी विवाद किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाता है वह व्यक्ति समझा जाएगाः

(a) an arbitrator /एक मध्यस्थ
(b) Lok Adalat/लोक अदालत
(c) A Judge /एक न्यायाधीश
(d) A consultant /एक परामर्शदाता

MP (HJS) 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 (2) (C) के अनुसार, जहां कोई विवाद न्यायिक समझौता के लिए निर्दिष्ट किया गया है वहा न्यायालय उसे किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति को निर्दिष्ट करेगा और ऐसी संस्था या व्यक्ति को लोक अदालत समझा जायेगा तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के सभी प्रावधान लागू होंगे।

12. Which of the following cannot be decided by an Alternate Dispute Resolution (ADR)?
वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसका समाधान नहीं हो सकता है?

(a) The suit of civil nature, subject matter of which is an immovable property
ऐसे सिविल वाद जिसकी विषय-वस्तु अचल सम्पत्ति हो
(b) The suit of civil nature for recovery of money
राशि के वसूली के लिए लाया गया सिविल वाद
(c) The suit of civil nautre filed under Hindu Marriage Act/हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया सिविल वाद
(d) A criminal case which is of non-compoundable nature
अशमनीय प्रकृति का दाण्डिक प्रकरण

MPHC CJ 2011

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के अन्तर्गत अशमनीय प्रकृत्ति के दाण्डिक प्रकरण का वैकल्पिक विवाद समाधान नहीं हो सकता है।

13. A suit may be send for arbitration under section 89
धारा 89 के तहत माध्यस्थम् (आरबीट्रेशन) के लिए एक मुकदमा भेजा जा सकता है-

(a) with the consent of all the parties /सभी पक्षों की सहमति से
(b) with the consent of the plaintiff /वादी की सहमति से
(c) with the consent of any one of the defendants /किसी भी एक प्रतिवादी की सहमति से
(d) with the consent of the plaintiff or any one of the defendants /वादी या किसी भी एक प्रतिवादी की सहमति से

MP (DLAO) 2021

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 के अनुसार माध्यस्थम् या सुलह के लिए कोई मुकदमा तभी भेजा जा सकता है जब मुकदमें के सभी पक्षों की सहमति हो।

14. Provision of section 89 related to
धारा 89 के प्रावधान संबंधित हैं-

(a) non judicial process /गैर-न्यायिक प्रक्रिया
(b) regular civil proceeding /नियमित सिविल कार्यवाही
(c) both judicial & non judicial process /दोनों न्यायनिर्णायक और गैर-न्यायिक प्रक्रिया
(d) Adjudicating process /न्यायनिर्णायक प्रक्रिया

MP (DLAO) 2021

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 का प्रावधान न्यायिक एवं गैर न्यायिक दोनों प्रक्रिया पर लागू होता है।

15. If the case referred under section 89 is successful by alternate dispute resolution, than the plaintiff.
धारा 89 के अंतर्गत प्रेषित प्रकरण यदि वैकल्पिक विवाद समाधान के द्वारा सफल हो जाता है, तो वादी-

(a) Eligible for refund of court fee /न्यायालय शुल्क की वापसी का पात्र है
(b) Eligible for court fee and interest thereon /न्यायालय शुल्क और उस पर ब्याज की वापसी के लिए पात्र
(c) not eligible for refund of court fee /न्यायालय शुल्क की वापसी की पात्रता नहीं
(d) entitle to partial refund of court fee /न्यायालय शुल्क की आंशिक वापसी की पात्रता

MP (DLAO) 2021

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 द्वारा भेजे गये विवाद का वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र द्वारा यदि समाधान कर दिया जाता है या मध्यस्थता सफल हो जाती है तो वादी न्यायालय से फीस (शुल्क) के वापसी का पात्र है।

16. In which Judicial instance the word 'Judicial settlement' has been substituted with the word 'Mediation' under section 89(2)(c) of the code of civil procedure? /व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 89(2)(ग) में अधीन ''न्यायिक निपटारे'' शब्द को ''मीडियेशन'' शब्द से किस न्यायदृष्टान्त में प्रतिस्थापित किया गया है?

(a) Rakesh Kumar V. State and others /राकेश कुमार विरुद्ध राज्य व अन्य
(b) Salem Advocate Bar Association v. union of Indian /सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ
(c) M/s Afcons Infrastructure ltd. and others V. M/s cherian verkey construction company ltd./मेमर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व अन्य विरुद्ध मेसर्स चेरियन वार्की कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
(d) K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa /के. श्रीनिवास राव विरुद्ध डी.ए. दीपा

MP (HJS) 2017

Ans. (c) : मेसर्स एफकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व अन्य बनाम मेसर्स चेरियन वार्की कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (2010SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 (2) (c) के अन्तर्गत 'न्यायिक निपटारे' शब्द को मीडियेशन शब्द से प्रतिस्थापित किया है।

17. The Supreme Court of India has laid down the law relating to Alternative Dispute Resolution process and Section 89 of the Code of Civil Procedure in the case of:
उच्चतम न्यायालय द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रियाओं तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 से सम्बन्धित विधि घोषित की गई है-

(a) Dinesh Kuamr versus Yusuf Ali/दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली के मामले में
(b) Afcon Infarsturcture Ltd. Ltd. Versus Cherian Varkey Construction Co./एफकॉन इन्फ्रास्टक्चर लि. बनाम चेरियन वरकी कन्स्ट्रक्सन कं. के मामले में
(c) Bimlesh Versus New India Assurance Co./बिमलेश बनाम न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं. के मामले में
(d) Standard Chartered Bank Versus V. Nobel Kumar/स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम वी. नोबल कुमार के मामले में

Rajsthan (J) 2013
MPHC (CJ) 2019 Shift-I
UP (HJS) 2018 Part-II,III

Ans. (b) : एफकॉन इन्फ्रास्टक्चर लि. बनाम चेरियन वरकी कन्स्ट्रक्सन कं. 2010 (S.C.) के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रियाओं तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 से सम्बन्धित विधि घोषित की गई है।

18. Who amongst the following may sue for public nuisance and other wrongful acts affecting the public?
लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन वाद ला सकता है?
(a) The Advocate General only/केवल महाधिवक्ता
(b) With the leave of the court by two or more persons only/केवल दो या दो से अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से
(c) Anybody who is affected by it/कोई भी व्यक्ति जो इससे प्रभावित हो
(d) Both (a) and (b)/दोनों (a) एवं (b)

Uttarakhand (J) 2019
MP (HJS) 2014

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 91 में लोक न्यूसेन्स और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य के लिए घोषणा और व्यादेश के लिए वाद लाने सम्बन्धी उपबन्ध किये गये हैं।
धारा 91 (1) के अनुसार-लोक न्यूसेन्स या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना सम्भव है, घोषणा और व्यादेश के लिये या ऐसे अन्य अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो, वाद-
(a) महाधिवक्ता द्वारा या
(b) दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसे लोक न्यूसेन्स या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की इजाजत से संस्थित किया जा सकेगा।

19. Who can file a suit under Section 91 of Civil Procedure Code for public nuisance?
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अधीन लोक उपताप के लिए वाद कौन ला सकता है?
(a) Advocate General/महाधिवक्ता
(b) Any citizen/कोई भी नागरिक
(c) District Magistrate/जिला मजिस्ट्रेट
(d) Any 10 or more citizens
कोई भी 10 या अधिक नागरिक

UPPCS (J)-2012

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. Suit under Section 91 can be instituted by-
धारा 91 सी.पी.सी. के अन्तर्गत वाद दायर किया जाता है-
(a) Advocate General/महाधिवक्ता द्वारा
(b) Public Prosecutor/लोक अभियोजक द्वारा
(c) Special Public Prosecutor/विशेष लोक अभियोजक द्वारा
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. A suit alleging 'public nuisance' can be instituted by;
''लोक उत्पात'' का वाद संस्थित किया जा सकता है;
(A) Advocate General of the State./राज्य के महाधिवक्ता द्वारा।
(B) By two or more persons, who have suffered the damage./दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें नुकसान कारित हुआ है।
(C) By two or more persons, with the leave of the Court, even though no special damage has been caused to them./दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, यद्यपि उन्हें कोई विशेष नुकसान कारित ना हुआ हो, न्यायालय की अनुमति से।
(D) A member of the local body./स्थानीय निकाय के सदस्य द्वारा।

Which of the following combination is correct?
निम्न में से कौनसा संयोजन सही है?
(a) (A) & (B)/(अ) तथा (ब)
(b) (A) & (C)/(अ) तथा (स)
(c) (B) & (D)/(ब) तथा (द)
(d) (C) & (D)/(स) तथा (द)

Rajasthan (J) 2018, 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. Suits for declaration & injunction in respect of public nuisances under section 91 of Civil Procedure Code can be instituted by-
धारा 91 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक उपताप से संबंधित घोषणा एवं व्यादेश से संबंधित वाद संस्थित किया जा सकता है-
(a) An individual without the leave of the court
एक व्यक्ति के द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति से
(b) An individual with the leave of the court
एक व्यक्ति के द्वारा न्यायालय की अनुमति से

(c) Two or more persons without the leave of the court/दो अथवा अधिक व्यक्तियों के द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति से

(d) Two or more persons with the leave of the court/दो अथवा अधिक व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय की अनुमति से

Chhattisgarh (J) 2003
MPHC CJ 1996, 2015, 2019 Shift-II
Jharkhand (J) 2019
MP (HJS) 2014

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. Where a person commits a public nuisance-
जब कोई व्यक्ति लोक न्यूसेन्स करता है-

(a) He is liable to criminal prosecution under I.P.C./वह भा.द.स. के अन्तर्गत आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी है

(b) Suit may be filled against him under Sec 91 of Civil Procedure Code./सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकता है

(c) Suit for damages may be filled against him/उसके विरूद्ध क्षतिपूर्ति का वाद लाया जा सकता है

(d) All the above/उपरोक्त सभी

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (d) : जब कोई व्यक्ति लोक न्यूसेन्स कारित करता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 268 सपठित धारा 270 के अन्तर्गत अपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी है और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अन्तर्गत लोक न्यूसेन्स के लिए वाद उसके विरूद्ध संस्थित किया जा सकता है। अपकृत्य विधि के अन्तर्गत लोक न्यूसेन्स के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाया जा सकता है तथा व्यादेश द्वारा लोक उपताप को रोका जा सकता है। अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों वाद संस्थित किया जा सकता है।

24. In which of the following Sections of the CPC provisions for suits relating to public charities is found?
दी.प्र.सं. की निम्नलिखित धाराओं में से किन धाराओ के अन्तर्गत ''लोक खैरात'' से सम्बन्धित वादों के लिए प्रावधान है?

(a) Sections 90-91/धाराएँ 90-91

(b) Sections 92-93/धाराएँ 92-93

(c) Sections 94-95/धाराएँ 94-95

(d) Sections 96-100/धाराएँ 96-100

Uttarakhand (J) 2012, 2018

Ans : (b) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 92-93 लोकपूर्त (लोक खैरात) कार्यों से सम्बन्धी वाद के बारे में प्रावधान करता है।

25. A suit in respect of public Charities is provided under
लोक पूर्त के वाद के लिए उपबंध किया गया है-

(a) Section 41 of CPC/धारा 41 सिविल प्रक्रिया संहिता

(b) Section 92 of CPC/धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता

(c) Section 100 of CPC/धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता

(d) Section 91 of CPC/धारा 91 सिविल प्रक्रिया संहिता

Chhattishgarh (J) 2020
Jharakhand (J) 2014

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 लोक पूर्त कार्य (public charities) के वाद के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। धारा 92 का उद्देश्य लोक न्यासों में जनता या सर्वजन के अधिकारों की रक्षा करना है तथा जनता को, राज्यों के महाधिवक्ता को एवं न्यायालयों को समर्थ बनाना है ताकि वे ऐसे खैराती या धार्मिक संस्थाओं की आय के दुरूपयोग को रोक सकें।

26. In a suit instituted under Section 92 C.P.C. which of the following is correct.
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-92 के अंतर्गत संस्थित वाद में निम्नलिखित में से कौन सा सही हैः

(a) The suit can be instituted by the two or more persons./दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा वाद को संस्थित किया जा सकता है

(b) The suit can be instituted by the Advocate General /महाधिवक्ता द्वारा वाद को संस्थित किया जा सकता है।

(c) The suit must relate to public charity /वाद लोक पूर्त कार्य से सम्बन्धित हो

(d) All of the above/उपरोक्त सभी

UPHJS 2020

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 92 में प्रावधान किया गया है कि लोकपूर्त या धार्मिक प्रकृति के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास के किसी अभिकथित भंग के मामले में निम्न द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है-
1. राज्य के महाधिवक्ता द्वारा या
2. दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा जिनका न्यास में हित है तथा जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली है।

अध्याय – 10

अनुपूरक कार्यवाहियाँ (धारा 94-95)

1. Which one of the following does not find a place under the provision on Section 94, C.P.C. relating to supplement proceedings?
निम्नांकित में से किसकी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 में, जिसका संबंध अनुपूरक कार्यवाहियों से है, स्थान नहीं मिला है?
(a) Arrest before judgment/निर्णयपूर्व गिरफ्तारी
(b) Attachment before judgment/निर्णयपूर्व जब्ती
(c) Temporary injunction/अस्थायी व्यादेश
(d) Appointment of executors/निष्पादकों की नियुक्ति

Uttarakhand (J) 2002,2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 94 में जिन अनुपूरक कार्यवाहियों का वर्णन किया गया है वे निम्न है-
1. निर्णय पूर्व गिरफ्तारी   2. निर्णय पूर्व कुर्की
3. अस्थाई व्यादेश   4. रिसीवर की नियुक्त
5. अन्तर्वर्ती आदेश

2. Under the Code of Civil Procedure, 1908 which of the following is not a supplemental proceeding?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी अनुपूरक कार्यवाही नहीं है?
(a) Appointment of a Receiver /रिसीवर की नियुक्ति
(b) Granting of a Temporary Injunction /अस्थाई व्यादेश अनुदत्त करना।
(c) Arrest and attachment before judgement /निर्णय पूर्ण की गिरफ्तारी तथा कुर्की।
(d) Granting of a Permanent Injunction. /स्थाई व्यादेश अनुदत्त करना।

Rajasthan (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. Supplemental proceedings are covered by
अनुपूरक कार्यवाहियाँ अन्तर्गत है–
(a) Section 151 CPC/धारा 151 सी.पी.सी.
(b) Section 93 CPC/धारा 93 सी.पी.सी.
(c) Section 94 CPC/धारा 94 सी.पी.सी.
(d) Section 95 CPC/धारा 95 सी.पी.सी.

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 94 में अनुपूरक कार्यवाहियां के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

4. Appointment of receiver
रिसीवर की नियुक्ति–
(a) can be claimed as a matter of right /अधिकार के रूप में क्लेम की जा सकती है
(b) is mandatory /आज्ञापक है
(c) is discretionary /विवेकीय है
(d) None of the above. /इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 94(d) सपठित आदेश 40 नियम 1 के अंतर्गत, रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान है। रिसीवर की नियुक्त करने का अधिकार न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। कोई भी पक्षकार अधिकार स्वरूप दावा नहीं कर सकता।

5. Temporary injunction may be granted:
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है:
(a) To restrain any election
किसी निर्वाचन को अवरूद्ध करने के लिए
(b) To restrain dispossession from property
सम्पत्ति से बेदखली रोकने के लिए
(c) To restrain any intended disciplinary action against public servant/लोक सेवक के विरूद्ध आशयित अनुशासनिक कार्यवाही रोकने के लिए
(d) To restrain the result of any adverse entry against the public servant/लोक सेवक के विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि के परिणाम रोकने के लिए

MPHC CJ 2007

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 94 सपठित आदेश 39 नियम 1 से 5 तक अस्थायी व्यादेश का उपबन्ध किया गया है। प्रश्नगत विकल्प में सम्पत्ति से बेदखली रोकने के लिए अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है।

6. The court can award compensation for arrest on insufficient ground under Section 95 of CPC not exceeding-
न्यायालय सी.पी.सी. की धारा 95 के अन्तर्गत अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के कारण वादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर सकती है जो अनधिक होगा-
(a) Rs. 10,000/रु. 10,000 के
(b) Rs. 25,000/रु. 25,000 के
(c) Rs. 50,000/रु. 50,000 के
(d) Rs. 60,000/रु. 60,000 के

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 95 के अनुसार अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर के लिए प्रतिवादी न्यायालय से आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर अपने आदेश द्वारा रु. 50,000/- से अनधिक इतनी रकम वादी के विरुद्ध अधिनिर्णित कर सकेगा जितना वह प्रतिवादी के लिए उसके द्वारा किये गये व्यय के लिए या उसे हुई क्षति के लिए जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठा की हुई क्षति भी है युक्तियुक्त प्रतिकर समझे।
परन्तु न्यायालय अपनी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमाओं से अधिक रकम इस धारा के अधीन अधिनिर्णित नहीं करेगा।

अध्याय – 11

अपील (धारा 96-112)

1. Right to appeal is-
अपील करने का अधिकार है-

(a) Fundamental Right/मौलिक अधिकार
(b) Constitutional Right/संवैधानिक अधिकार
(c) Vested Right/निहित अधिकार
(d) All of these/इनमें से सभी

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (c) : अपील करने का अधिकार एक निहित अधिकार है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में धारा 96 से लेकर धारा 112 तक तथा आदेश 41, 42, 43, 44 तथा 45 तक में वर्णित है।
अपील का अधिकार संविधि द्वारा पक्षकार को प्रदत्त सारभूत अधिकार है।
अपील के अधिकार का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है यदि उसे किसी संविधि द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। अपील के अधिकार को प्रथम न्यायालय में वाद दाखिल करते समय उपलब्ध अधिकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। अपील का अधिकार किसी पक्षकार में उस दिन ही निहित हो जाता है जिस दिन वह वाद संस्थित करता है।

2. Section 96 of Civil Procedure Code applies to appeal from-
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अपील में लागू होती है-

(a) Against injunction order/निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध
(b) Original decree/मूल डिक्री
(c) Restoration order under-Order 9 rule 13/आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत पुर्नस्थापना आदेश
(d) None of above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 मूल डिक्री की अपील से सम्बन्धित है। धारा 96 निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रावधान करता है-
(1) आरम्भिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गयी हर डिक्री की अपील होगी। ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चियों की अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत है।
(2) एक पक्षीय (एक्स पार्टी) पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी।
(3) पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है, उसकी कोई अपील नहीं होगीं
(4) लघुवाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि ऐसी डिक्री की रकम या उसका मूल्य दस हजार रूपये से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न के सम्बन्ध में ही होगी।

3. Under Section 96 of the C.P.C. an appeal can lie against the
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अन्तर्गत निम्न में से किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है?

(a) preliminary decree/प्राथमिक डिक्री के
(b) original decree/मूल डिक्री के
(c) secondary decree/द्वितीयक डिक्री के
(d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. Under which Section of the Code of Civil Procedure, 1908 contains the provisions regarding appeal from original decree?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की किस धारा में मूल डिक्री के विरूद्ध अपील के प्रावधान निहित हैं?

(a) Section 96/धारा 96
(b) Section 100/धारा 100
(c) Section 104/धारा 104
(d) Section 113/धारा 113

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. Preliminary decree passed under the Code of Civil Procedure-
सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पारित प्रारंभिक आज्ञप्ति कोः

(a) Can be challenged in appeal without waiting for the final decree/बिना अंतिम आज्ञप्ति हेतु प्रतीक्षा किये अपील में चुनौती दी जा सकती है
(b) Can only be challenged while challenging the final decree in appeal/केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जबकि अपील में अन्तिम आज्ञप्ति को चुनौती दी जा रही है
(c) Cannot be challenged in appeal/अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती
(d) Can be challenged in a revision under section 115 CPC/धारा 115 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत एक पुनरीक्षण में चुनौती दी जा सकती है।

UPHJS 2020

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 (1) में प्रावधान किया गया है कि ऐसी प्रत्येक डिक्री (प्रारंभिक या अंतिम डिक्री) जो आरम्भिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चयों की अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत है।
अतः संहिता के अन्तर्गत पारित प्रत्येक प्रारम्भिक डिक्री अंतिम डिक्री की प्रतिक्षा किये बिना भी धारा 96(1) के अन्तर्गत अपील योग्य है।

6. **Point out the wrong statement:**
गलत कथन को निर्दिष्ट कीजिए :
(a) Where the defendant appears and the plaintiff does not appear, when the suit is called for hearing, the court shall dismiss the suit and the plaintiff shall be barred from filing a fresh suit on the same cause of action.
जहाँ वाद की सुनवायी के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपस्थित होता है परन्तु वादी उपस्थित नहीं होता तब न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया जायेगा कि वाद को खारिज किया जाय तथा वादी उसी विषय पर नया वाद लाने से प्रतिबन्धित हो जायेगा।
(b) No appeal may lie from an original decree passed ex- parte./एकपक्षीय पारित मूल आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी।
(c) The plaintiff may apply to the court which passed an ex- parte decree against him, for an order to set it aside.
वादी एकपक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त कराने हेतु उस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है जिसके द्वारा उसके विरुद्ध आज्ञप्ति पारित की गयी है।
(d) No court shall set aside a decree passed exparte merely on the ground that there has been an irregularity in the service of summon upon the defendant./कोई न्यायालय एकपक्षीय पारित आज्ञप्ति को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

UPPCS (J)-2013

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 (2) के अनुसार, एकपक्षीय (Exparte) पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। अतः यह कथन की एक पक्षीय पारित मूल डिक्री के विरूद्ध अपील नहीं हो सकेगी, गलत कथन है।

7. **Which of the following statement is correct?**
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
1. **An appeal may lie from an original decree passed ex-parte/एक तरफा पारित मूल डिक्री से एक अपील की जा सकती है।**
2. **No appeal shall lie from decree passed by the court with the consent of parties/पक्षों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित किसी भी डिक्री से कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी।**
3. **No appeal shall lie on the challenge of law/कानून की चुनौती पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी।**

(a) Only 1/केवल 1
(b) Only 2/केवल 2
(c) Only 3/केवल 3
(d) Both 1 and 2/1 और 2 दोनों

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के धारा 96 (2) के अनुसार एकतरफा पारित मूल डिक्री से अपील हो सकेगी। उपधारा (3) के अनुसार, पक्षकारों की सहमति से पारित न्यायालय की डिक्री से कोई अपील नहीं हो सकेगी। विधि के बिन्दु पर अपील का प्रावधान सि0प्र0सं0 में नहीं है।

8. **Which one of the following provisions of the Civil Procedure Code provides that no appeal shall lie from a decree passed by the court with the consent of parties?**
सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित उपबन्धों में से कौन सा एक यह प्रावधानित करता है कि 'पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है?
(a) Section 96(1)/धारा 96(1)
(b) Section 96(2)/धारा 96(2)
(c) Section 96(3)/धारा 96(3)
(d) Section 96(4)/धारा 96(4)

UPPCS (J) 2003
Rajsthan JLO 2013
Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96(3) के अनुसार, पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी।

9. **Against which of the following decree, an appeal shall not lie?**
निम्नलिखित में से किस डिक्री के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है?
(a) Ex-parte decree/एक पक्षीय डिक्री
(b) A decree passed by the District Court/जिला न्यायालय द्वारा पारित डिक्री
(c) A decree passed by the court with consent of parties/पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री
(d) A decree passed by the High Court/उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री

MP (ADPO) 2010 Paper-I
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II,III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

10. **Remedies available against an ex-parte decree include–**
एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध उपचार उपलब्ध है–
(a) appeal/अपील
(b) review/पुनर्विलोकन
(c) application for setting aside the decree/डिक्री को अपाप्त करने के लिए आवेदन
(d) all the above/उपर्युक्त सभी

UP (HJS) 2012

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध निम्नलिखित उपचार उपलब्ध है–
1. अपील (धारा 96(2))
2. पुनर्विलोकन (धारा 114 सपठित आदेश 47)
3. डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन (आदेश 9 नियम 13)

11. **Which of the following remedies available to set aside exparte decree:**
एक पक्षीय पारित डिक्री को निरस्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन-सा उपचार उपलब्ध है-

(a) Appeal under section 96(2)/धारा 96 (2) के अन्तर्गत अपील
(b) Review under section 114 and order 47/धारा 114 एवं आदेशों 47 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन
(c) Application under Order 9, Rule 13/आदेश 9, नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. Where a compromise was arrived between parties to a suit by playing fraud, misrepresentation or mistake and a decree was passed with the consent of the parties, then the suffering party may select which one of the following alternatives for setting aside such decree?
यदि किसी वाद में कपट, मिथ्याव्यपदेशन अथवा भूल द्वारा किसी पक्षकार की सहमति प्राप्त करके पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ तथा पक्षकारों की सहमति से आज्ञप्ति पारित की गयी हो तब पीड़ित पक्षकार ऐसी आज्ञप्ति को निरस्त कराने हेतु नीचे दिये विकल्पों में से किस विकल्प को चुन सकता है?
(a) Through appeal/अपील द्वारा
(b) Through review/पुनरीक्षण द्वारा
(c) Through revision/पुनर्विलोकन द्वारा
(d) Through a second suit/दूसरा वाद लाकर

UPPCS (J)-2013

Ans. (a) : यदि किसी वाद में कपट, मिथ्या व्यपदेशन, अथवा भूल द्वारा किसी पक्षकार की सहमति प्राप्त करके पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ है तथा पक्षकारों की सहमति से डिक्री पारित की गयी है तब पीड़ित पक्षकारों की ऐसी डिक्री को निरस्त कराने हेतु अपील करने का विकल्प प्राप्त है। पीड़ित पक्षकार ऐसी अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(1) के अन्तर्गत दाखिल कर सकता है और ऐसे अपील में समझौते की विधिमान्यता के प्रश्न को आदेश 43 नियम 1-A के अनुसार उठा सकता है।
बनवारी लाल बनाम चाँदो देवी (1993 SC) के मामलें में यह अभिनिर्धारित किया गया जहाँ एक वाद के अन्तर्गत समझौता किया जाता है और एक पक्षकार ऐसे समझौते को चुनौती देता है, वहाँ पीड़ित पक्षकार या तो आदेश 23 नियम 3 के अन्तर्गत याचिका दाखिल कर सकता है या धारा 96 (1) के अन्तर्गत अपील दाखिल कर सकता है।

13. Which of the following Sections of the CPC provide grounds for second appeal?
दी.प्र.सं. के निम्नलिखित कौन सी धारा द्वितीय अपील के आधारों को प्रावधानित करती है?
(a) Section 96/धारा 96
(b) Section 100/धारा 100
(c) Section 100A/धारा 100क
(d) Section 101/धारा 101

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (b) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 101 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी द्वितीय अपील धारा 100 में वर्णित आधारों पर होगी अन्यथा नहीं। धारा 100 के अन्तर्गत द्वितीय अपील केवल वहा हो सकती है जहां मामले में विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है।

14. Under Section 100 of Civil Procedure Code 1908, "Second appeal" lies to the High Court only on the ground of
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 के अन्तर्गत ''दूसरी अपील'' उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस आधार पर की जा सकती है?
(a) Question of fact/तथ्य के प्रश्न पर
(b) Substantial question of law/विधि के सारवान प्रश्न पर
(c) Both on question of fact and law/तथ्य और विधि दोनों के प्रश्न पर
(d) Mixed question of law and fact/विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न पर

Chhattisgarh (J) 2008
Uttarakhand (J) 2015
MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में द्वितीय अपील का प्रावधान किया गया है। द्वितीय अपील सदैव उच्च न्यायालय में की जाती है और केवल विधि के सारवान प्रश्न होने पर की जाती है।
धारा 100 (1) के अनुसार, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है।

15. Under Section 100 of Civil Procedure Code 1908, second appeal lies to the High Court from every decree passed in appeal by any subordinate Court to the High Court if it involves
उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 अधीन द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी, यदि अंतर्निहित है।
(a) Question of Law/विधि से संबंधित प्रश्न
(b) Question of Fact/तथ्य से संबंधित प्रश्न
(c) Mixed Question of Law and Fact/विधि एवं तथ्य से संबंधित मिश्रित प्रश्न
(d) Substantial Question of Law/विधि का सारवान प्रश्न

Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. Essential condition provided under Section 100(1) of CPC. for preferring second appeal is
धारा 100(1) दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार दूसरी अपील करने के लिए आवश्यक शर्त है-
(a) Substantial question of fact/तथ्य का सारवान प्रश्न होन्ना

(b) Substantial question of law/विधि का सारवान प्रश्न होना
(c) Error regarding jurisdiction/क्षेत्राधिकार संबंधी दोषी होना
(d) Subject matter of public importance/लोक महत्व का विषय होना

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

17. Under Section 100 of Civil Procedure Code, where the second Appeal will lie-
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अन्तर्गत द्वितीय अपील कहाँ दायर की जा सकती है?
(a) In District Court/जिला न्यायालय में
(b) In High Court/उच्च न्यायालय में
(c) In Supreme Court/उच्चतम न्यायालय में
(d) In both High Court and Supreme Court/उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में

Chhattisgarh (J) 2016
MP (ADPO) 2008 Paper-I
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. On which of the following ground the Second Appeal shall lie for hearing before the High Court/उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील सुनवाई हेतु किस आधार पर प्रस्तुत की जायेगी?
(a) From an appellate decree passed ex-parte/एक-पक्षीय पारित अपीलीय डिक्री से
(b) From substantial of question of law and fact/विधि एवं तथ्य के सारभूत प्रश्न से
(c) On the satisfaction of High Court/उच्च न्यायालय के समाधान होने पर
(d) From every appellate decree of District Judge/जिला न्यायाधीश की प्रत्येक अपीलीय डिक्री से

MP (ADPO) 2010 Paper-I

Ans. (a): सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 द्वितीय अपील से सम्बन्धित है। धारा 100 (2) के अनुसार, एक-पक्षीय पारित अपीलीय डिक्री की अपील उच्च न्यायालय को हो सकती है। द्वितीय अपील हमेशा विधि के सारवान प्रश्न पर होती है।

19. No second appeal shall lie under Section 102 C.P.C. from any decree, when the subject matter of original suit is for recovery of money not exceeding:
व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अन्तर्गत किसी डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकेगी जब धन की वसूली के लिए मूल वाद की विषय वस्तु
(a) Rs. three thousand/तीन हजार रुपये से अधिक नहीं है
(b) Rs. five thousand/पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं है
(c) Rs. twenty thousand/बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है
(d) Rs. twenty five thousand/पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं है।

Uttarakhand (J) 2006
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
MP (HJS) 2018,2019

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 102 कतिपय मामलों में आगे द्वितीय अपील का न होने का प्रावधान किया गया है। धारा 102 यह उपबन्धित करती है कि किसी डिक्री से कोई द्वितीय अपील नहीं होगी जब मूल वाद की विषय वस्तु पच्चीस हजार रूपये से अधिक धन की वसूली के लिए नहीं है।
धारा 102 को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह 1 जुलाई 2002 से प्रवर्तित है।

20. Under section 104 of civil procedure code, an appeal may lie-/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के अन्तर्गत अपील की जा सकती है
(a) Against order under section 91 refusing to inslitute a suit /धारा 91 के अन्तर्गत दावा दायर करने की इजाजत न देने के आदेश के विरुद्ध
(b) Against order of compensation under Section 91 /धारा 91 के अन्तर्गत प्रतिकर के आदेश के विरुद्ध
(c) Under section 92 /धारा 92 के अन्तर्गत
(d) Against all the order above/उपरोक्त सभी आदेशों के विरुद्ध

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 104 (1) के अनुसार निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी-
1. धारा 35 A के अधीन आदेश,
2. धारा 91 या धारा 92 के अधीन, यथास्थिति, धारा 91 या धारा 92 में निर्दिष्ट प्रकृति के वाद को संस्थित करने के लिए इजाजत देने से इंकार करने वाला आदेश,
3. धारा 95 के अधीन आदेश,
4. जुर्माना, गिरफ्तारी या सिविल कारागार में निरोध का आदेश (सिवाय ऐसी गिरफ्तारी या निरोध का आदेश डिक्री के निष्पादन में दिया गया है।)
5. नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात है।
धारा 104 (2) के अनुसार-इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई भी अपील नहीं होगी।

21. Which of the following is not appealable–
निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलीय नहीं है–
(a) An Order under Section 35A
धारा 35क के अधीन आदेश
(b) An Order under Section 95
धारा 95 के अधीन आदेश
(c) An Order under Section 91 or 92
धारा 91 या 92 के अधीन आदेश
(d) An Order under Rule 9 of Order 26
आदेश 26 नियम 9 के अधीन आदेश

MPHC (CJ) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

22. An appeal shall not lie from which of the following order under the Code of Civil Procedure?
सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निम्न में से किस आदेश की अपील नहीं होगी?

(a) Section 35A/धारा 35 क
(b) Section 35B/धारा 35 ख
(c) Section 95/धारा 95
(d) Section 91/धारा 91

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. An appeal shall lie:
अपील की जायेगी-

(a) from all order passed by the court/न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों से
(b) only from such order as provided in the Code of Civil Procedure/सिविल प्रक्रिया संहिता में यथाविहित ऐसे आदेशों मात्र से ही
(c) from none of the orders passed by the District Courts/जिला न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी आदेश से नहीं
(d) from none of the decrees passed by the District Courts/जिला न्यायालय द्वारा पारित किसी भी डिक्री से नहीं

25th BPSC (J) 2000

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के धारा 104 तथा आदेश 43 में यथा विहित से भिन्न आदेशों से अपील नहीं हो सकेगा।

24. Which one of the following order is appealable?
निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील योग्य है?

(a) Order under Section 35
धारा 35 के अधीन आदेश
(b) Order under Section 35A
धारा 35-ए के अधीन आदेश
(c) Order under Section 35B
धारा 35-बी के अधीन आदेश
(d) Order under Section 90
धारा 90 के अधीन आदेश

Uttarakhand (J) 2016
Rajsthan (DJC) 2012

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 तथा आदेश 43 में उन आदेशों का उल्लेख किया गया है, जो अपील योग्य है। धारा 104 के अनुसार, धारा 35A के अधीन आदेश अपील योग्य है, किन्तु धारा 35, 35B तथा 90 अपील योग्य नहीं है।

25. Which one of the following is not included in the powers of the appellate Court?
निम्नांकित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है?

(a) To determine the case finally
मामले की अंतिम रूप से अवधारणा
(b) To try the case de novo
वाद का नए सिरे से विचारण
(c) To remand the case/मामले का प्रतिप्रेषण
(d) To take additional evidence
अतिरिक्त साक्ष्य को लेना

Uttarakhand (J) 2002,2019

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 107 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रावधान किया गया है जो निम्न है-
(a) मामले का अंतिम रूप से अवधारण करे,
(b) मामले का प्रतिप्रेषण करे,
(c) विवाद्यक विरचित करे और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करे।
(d) अतिरिक्त साक्ष्य ले या ऐसे साक्ष्य का लिया जाना अपेक्षित करें।

26. Which of the following under Civil Procedure Code is the duty of Appellate Court?
सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित में से क्या अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है?

(a) Duty to appreciate evidence /साक्ष्यों का मूल्यांकन
(b) Duty to decide appeal finally/वाद को पूर्णतः निर्णीत करने का कर्तव्य
(c) Duty to re-appreciate evidence/साक्ष्यों की पुनः समीक्षा करना
(d) All of these /ये सभी

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

27. An Appellate Court shall have power
अपील न्यायालय को यह शक्ति होगीः

(a) To remand a case/मामले का प्रतिप्रेषण करे
(b) To frame issues and refer them for trial/विवाद्यक विरचित करे और उन्हें विचारण के लिये निर्देशित करे
(c) To determine a case finally/मामले का अन्तिम रूप से अवधारण करे
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013,2019 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. Which of the following is correct?/निम्न में से कौन-सा सही है?

(a) the court of appeal has the power to determine the case fainally /अपील न्यायालय को मामले का अंतिम रूप से अवधारण करने की शक्ति है
(b) the appellate court has no power to refer the case/अपील न्यायालय को मामले का प्रतिप्रेक्षण करने की शक्ति नहीं है
(c) The appeallate court has no power to frame issues and refer them for trial. /अपील न्यायालय को विवाद्यक विरचित करने और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करने की शक्ति नहीं है
(d) the appellate court has no power to take additional evidence/अपील न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति नहीं है

MP (HJS) 2013, 2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. Which of the following is not correct regarding powers of appellate Court?
अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है?
(a) Have power to determine a case finally
प्रकरण के अन्तिम अवधारणा की शक्ति रखते हैं
(b) Have power to remand the case
प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने की शक्ति रखते हैं
(c) Not have power to take additional evidence
अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति नहीं रखते हैं
(d) Have power to frame issue and refer them for trial /विवाद्यक विरचित करने तथा उन पर विचारण के लिए निर्देशित करने की शक्ति रखते हैं

Chhattisgarh (J) 2008
MPHC CJ 2007
Jharkhand (J) 2014

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

30. In second appeal the re-appreciation of evidence is:
द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना हैः
(a) permissible /अनुज्ञेय
(b) subject of revision /पुनरीक्षण के अध्यधीन
(c) not pemissible /अननुज्ञेय
(d) none of these /इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2012

Ans. (c) : द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना अनुज्ञेय नही है। **जय सिंह बनाम शकुन्तला** (2002 SC) के मामले में अवधारित किया गया कि द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित नहीं है, फिर भी वरिष्ठ न्यायालयों को यह अधिकार नहीं देता कि वे किसी मामले में और हर मामले में हस्तक्षेप करें। केवल अपवाद स्वरूप मामलों और नितान्त तर्क विरूद्धता पर ही साक्ष्य का पुनः परीक्षण अनुज्ञेय है।

31. What does the recent judgment of the Supreme Court in Union of India v. Diler Singh deal with?
भारत संघ बनाम दिलेर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय किससे संबंधित है?
(a) Second appeal/दूसरी अपील
(b) Restitution/बहाली (रेस्टिट्यूशन)
(c) Res Judicata /पूर्व-न्याय (रेस ज्यूडिकाटा)
(d) Suit against Government/सरकार के विरुद्ध मुकदमा

Chhattishgarh (J) 2017

Ans. (a) : यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम दिलेर सिंह 2016 का वाद द्वितीय अपील से सम्बन्धित है।

32. Which one of the following combination is mis-matched under Civil Procedure Code?
सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है-
(a) Temporary Injunction - Order 39
अस्थायी व्यादेश-आदेश 39
(b) Right to Lodge a Caveat - Section 148 A
केवियट दाखिल करने का अधिकार-धारा 148ए
(c) Suit by Pauper - Order 33
निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित आदेश 33
(d) Powers of Appellate Court - Section 102
अपीलीय न्यायालय की शक्ति-धारा 102

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 107 में अपील न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या की गयी है, जबकि धारा 102 में वे मामले बताये गये है, जिसमें द्वितीय अपील नहीं होगी अर्थात् ऐसा वाद जिसमें 25,000/- से अधिक धन की वसूली नहीं है, में पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी।

33. Which one of the following cases is on second appeal?
निम्नलिखित में से कौन-सा द्वितीय अपील पर एक वाद है?
(a) Mdan Lal v. Bal Krishna
मदन लाल बनाम बाल कृष्ण
(b) Sudhir G. Angur v. M. Sanjeev
सुधीर जी0 आंगुर बनाम एम0 संजीव
(c) Sheodan Singh v. Duryao Kunwar
शिवदान सिंह बनाम दरयाव कुँवर
(d) Harshad Chiman Lal Modi v. D.L.F. Universal Ltd.
हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डी0एल0एफ0 यूनिवर्सल लि0

UPPCS (J)-2006

Ans. (a) :'मदनलाल बनाम बालकृष्ण' का वाद द्वितीय अपील (धारा 100) से सम्बन्धित है। इस मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि विधि के प्रश्न की विरचना किये बिना अपील का निस्तारण अपील को खारिजी योग्य बना देता है क्योंकि धारा 100 (4) विधि के प्रश्न की विरचना को अनिवार्य बनाती है।

अध्याय – 12

निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण (धारा 113-115)

1. **Who may apply for reference under Section 113 of the Code of Civil Procedure 1908**
धारा 113 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
(a) A party to suit/मामले का पक्षकार
(b) Court/न्यायालय
(c) Both (a) and (b)/दोनों (a) तथा (b)
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
Uttarakhand (J) 2015

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 113 एवं आदेश 46 में निर्देश के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। यह दो न्यायालयों (उच्च न्यायालय तथा अवर न्यायालय) के मध्य अपनायी जाने वाली प्रक्रिया है।
निर्देश का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रश्न पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना है।
निर्देश का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय का है तथा यह विवेकीय है।

2. **If court is satisfied that a case pending before it involves a question as to validity of any Act, the Court should**
यदि न्यायालय संतुष्ट है, कि उसके सामने लंबित वाद में किसी अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसे क्या करना चाहिए?
(a) Decide the validity of Act/अधिनियम की वैधानिकता का निपटारा करना चाहिए
(b) Refer the matter to the High Court/उच्च न्यायालय को निर्देशित कर देना चाहिए
(c) High Court should exercise power to revision/उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण किया जाए
(d) Refer to supreme court for advice/उच्चतम न्यायालय की राय के लिए भेज दे
Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 113 के परन्तुक के अनुसार, जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम अथवा अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अन्तवर्लित है, जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबन्ध अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील है, किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को वर्णित करते हुए मामले का कथन करेगा और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित करेगा।
इस प्रकर यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके समक्ष लंबित वाद में किसी अधिनियम की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है तो उसे उच्च न्यायालय के निर्देशित करना चाहिए।

3. **Which of the following Section of the Code of Civil Procedure, 1908 deals with the provisions relating to "Review"?**
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की निम्न में से कौन सी धारा में ''पुनर्विलोकन'' संबंधी प्रावधान है?
(a) Section 112/धारा 112 में
(b) Section 113/धारा 113 में
(c) Section 114/धारा 114 में
(d) Section 115/धारा 115 में
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 में पुनर्विलोकन से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।

4. **Section 114 of C.P.C. should be read with:**
व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए:
(a) Order, 46, Rule 1/आदेश 46, नियम 1
(b) Order, 47, Rule 1/आदेश 47 नियम 1
(c) Order , 47 Rule 3/आदेश 47, नियम 3
(d) Order 41/आदेश 41
UPPCS (J)-2003,2018
MP ADPO 2010 Paper-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 114 एवं आदेश 47 में पुनर्विलोकन से सम्बन्धित उपबंध किया गया है। पुनर्विलोकन के अन्तर्गत वही न्यायालय जिसने निर्णय दिया है अपने निर्णय पर पुनर्विचार करता है। इस तरह यह धारा आदेश 20 नियम 3 में वर्णित सामान्य नियम का अपवाद है जो यह प्रावधान करती है कि निर्णय हस्ताक्षरित और सुनाये जाने के पश्चात् न्यायालय धारा 152 में उपबंधित प्रावधानों के सिवाय उस निर्णय में न तो कोई परिवर्तन करेगी और न कोई परिवर्धन करेगी।

5. **A judgment passed by a court can be reviewed by:**
किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पुनर्विलोकन किया जा सकता है:

(a) the court passing the judgment
उस न्यायालय द्वारा जिसने निर्णय पारित किया था
(b) the court of District Judge
जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा
(c) the High Court /उच्च न्यायालय द्वारा
(d) the Supreme Court /उच्चतम न्यायालय द्वारा

25th BPSC (J) 2000
MPHC CJ 2006

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. Review is maintained-/ पुनर्विलोकन संधारिणी है–

(a) Only when there is a provision for appeal and no appeal has been presented/केवल जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो, तब
(b) Only when the appeal is not allowed/केवल जब अपील अनुज्ञात नहीं है, तब
(c) When there is a provision for appeal and no appeal is presented and the appeal is not allowed both are correct/जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो एवं अपील अनुज्ञात नहीं है, दोनों सही है
(d) Neither when there is a provision for appeal and no appeal has been presented or the appeal is allowed/न तो जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो या ना तो अपील अनुज्ञात है।

MP (HJS) 2017

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 के अनुसार, कोई व्यक्ति जो-
1. किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है,
2. किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं हैं,
3. ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है, अपने को व्यथित मानता है वह डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझें।

7. Aggrieved person may not apply for a review of an order or judgments of a Civil Court, on one of the following grounds:
व्यथित व्यक्ति व्यवहार न्यायालय के आदेश या निर्णय के लिए पुनर्विलोकन आवेदन निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर नहीं कर सकता है:

(a) A decree or order from which an appeal is allowed but from which no appeal has been preferred/किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात किन्तु अपील नहीं की गई है
(b) A decree or order is passed in the absence of aggrieved person/आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति की अनुपस्थिति में पारित किया गया है
(c) A decree or order from which no appeal is allowed /किसी ऐसी डिक्री या आदेश जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है
(d) A decision on a reference from a court of small cause /ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है

MPHC CJ 2007

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. Under Civil Procedure Code, when application for review is dismissed-
सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन जब पुनर्विलोकन का आवेदन निरस्त होता है-

(a) Appeal can be filed against the order
आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है
(b) no appeal lies/कोई अपील नहीं होगी
(c) With the permission of Court, appeal can be filed against the order/न्यायालय की अनुमति से ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2013, 2018 Shift-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन जब पुर्नविलोकन (धारा 114) का आदेश निरस्त होता है तो उस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अपील केवल उन्ही आदेश के विरुद्ध होगी जिनका वर्णन धारा 104 सपठित आदेश 43 में किया गया है।

9. Under which of the following circumstances, reivew of judgment may not lie?
किसी निर्णय के विरूद्ध पुनर्विलोकन के लिए आवेदन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं कर सकता?

(a) By a decree or order from which an appeal is allowed by this code, but from which no appeal has been preferred /किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसका इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है
(b) By a decree or order from which no appeal is allowed by this code /किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है
(c) By a decision on a reference from a court a small causes /ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है
(d) Appeal dismissed /अपील निरस्त कर दी गई है

MPHC CJ 2012

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 के अनुसार पुनर्विलोकन केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकेगा-
(i) किसी ऐसी डिक्री के विरूद्ध जिसके विरूद्ध अपील अनुज्ञात है किन्तु अपील न की गयी हो

(ii) किसी ऐसी डिक्री के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन हो सकेगा जिसके विरूद्ध अपील का उपबंध नही है।
(iii) लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर विनिश्चित हो।
नोटः अपील का निरस्त किया जाना एक आदेश है जिसके विरूद्ध पुनर्विलोकन नहीं हो सकेगा।

10. The grounds for review have been provided under/समीक्षा के लिए आधार किसके अधीन प्रदान किए गए हैं?
(a) Order XLVII, Rule 1, CPC
ऑर्डर XLVII, नियम 1, सी.पी.सी.
(b) Order XLII, Rule 1, CPC
ऑर्डर XLII, नियम 1, सी.पी.सी.
(c) Order XLIII, Rule 1, CPC
ऑर्डर XLIII, नियम 1, सी.पी.सी.
(d) Order XLIV, Rule 1, CPC
ऑर्डर XLIV, नियम 1, सी.पी.सी.

Bihar (J) 2020

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 114 सपठित आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत पुनर्विलोकन का आवेदन निम्न आधारों पर दिया जा सकता है–
1. किसी नये और महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य का प्रकटीकरण,
2. ऐसी भूल या त्रुटि जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो,
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण।

11. Which one of the following Sections of the Code of Civil Procedure deals with 'Revision'?
'सिविल प्रक्रिया संहिता' की निम्न में से किस धारा में 'पुनरीक्षण' दिया गया है?
(a) Section 110/धारा 110
(b) Order VI, Rule 13/आदेश VI, नियम 13
(c) Section 115/धारा 115
(d) Section 120/धारा 120

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 115** में पुनरीक्षण से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। धारा 115 के अन्तर्गत पुनरीक्षण, अधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि को दूर करने के लिए केवल उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है।

12. An application for revision under CPC is filed under/सी.पी.सी. में पुनरीक्षण के लिये आवेदन किस धारा के तहत की जा सकती है?
(a) Section 114/धारा 114
(b) Section 115/धारा 115
(c) Section 116/धारा 116
(d) Section 113/धारा 113

Jharkhand (J) 2014

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

13. Under Section 115 of the Civil Procedure Code, revision may lie to/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत पुनरीक्षण हो सकता है-
(a) The Supreme Court/उच्चतम न्यायालय में
(b) The High Court/उच्च न्यायालय में
(c) District Court/जिला न्यायालय में
(d) All of the above/उपरोक्त सभी में

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है। धारा 115(1) में प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जो किसी अधीनस्थ न्यायालय ने विनिश्चय किया है और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती है और यदि यह प्रतीत होता है कि-
1. ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है, या
2. ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो उसमें निहित है, या
3. ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है।

14. Which of the following court has the power of revision with regard to Civil matters?
सिविल मामलों के संबंध में निम्न में से किस न्यायालय के पास पुनरीक्षण की शक्ति है?
(a) District Court/जिला न्यायालय
(b) Court of small causes/लघुवाद न्यायालय
(c) High Court/उच्च न्यायालय
(d) City Civil Court/नगर सिविल न्यायालय

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. Section 115 of the code of Civil Procedure provides
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 प्रावधान करती है
(a) Revision/पुनरीक्षण
(b) Reference/निर्देश
(c) Review/पुनर्विलोकन
(d) Appeal to the Supreme Court
उच्चतम न्यायालय को अपील

MP (ADPO) 2010 Paper I
Rajsthan (JLO) 2013 Paper-II
Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

16. The nature of Revision under Code of Civil Procedure is that
सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनरीक्षण की प्रकृति है कि
(a) it operates as a stay of the proceedings.
यह कार्यवाही की रोक के रूप में प्रवर्तित होता है।
(b) it operates as a stay of the suit
यह वाद की रोक के रूप में प्रवर्तित होता है।
(c) it operates as a stay of proceedings and suit both./यह वाद तथा कार्यवाही दोनों की रोक के रूप में प्रवर्तित होता है।
(d) it shall not operate as a stay of the suit or proceedings except where such suit or proceedings is stayed by the High Court.
यह किसी वाद या कार्यवाहियों की रोक के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय वहाँ के जहाँ वाद या कार्यवाहियों को उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया है।

UPPCS (J)-2013

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 (3) के अनुसार, न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही में कोई पुनरीक्षण रोक के रुप में प्रभावी नहीं होगी सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया है।

17. Consider the following statements:

1. Where the High Court calls for the record of any case in its revisional jurisdiction, it operates as a stay of such case before the subordinate court.

2. No second appeal shall lie in money suits where the value of the subject matter does not exceed Rs. 25,000.

3. A plaintiff cannot be allowed by the court to sue afterwards for any relief omitted by him in the suit

4. A plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court.

Of the above statements :

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यदि उच्च न्यायालय किसी मामले के अभिलेख को अपनी पुनरीक्षण शक्ति के अन्तर्गत मांगा लेता है वहाँ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही स्वमेव स्थगित रहेगी।

2. धन सम्बन्धी वादों में जहाँ विषय वस्तु का मूल्य पच्चीस हजार रुपयों से अधिक नहीं होता वहाँ द्वितीय अपील नहीं हो सकेगी।

3. वादी द्वारा वाद में छोड़ दिये गये किसी अनुतोष के विषय में बाद में वाद लाने की अनुमति न्यायालय वादी को नहीं दे सकता।

4. वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा।

उपर्युक्त कथनों में से :

(a) 1, 2, and 3 are incorrect/1, 2, 3 गलत है।
(b) 2 and 3 are incorrect/2 तथा 3 गलत है।
(c) 1 and 3 are incorrect/1 तथा 3 गलत है।
(d) 1 and 4 are incorrect/1 तथा 4 गलत है।

UPPCS (J)-2013

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 115** (3) के अनुसार, पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा सिवाय जहाँ ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही वरिष्ठ न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी जाती है।
धारा 102 में उपबंध किया गया है कि किसी डिक्री से द्वितीय अपील नहीं होगी, जबकि धनराशि की वसूली के मूल वाद की विषय-वस्तु 25,000 रुपये से अधिक नहीं।
आदेश-2, नियम- 2 यदि वादी कई अनुतोषों में से किसी का त्याग न्यायालय की इजाजत के बिना करता है तो बाद में वादी त्यक्त अनुतोष हेतु वाद नहीं लाएगा।
वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा।

18. Civil Procedure Code (U.P.) Amendment Ordinance. 2003 relates to:
सिविल प्रक्रिया संहिता (उ0प्र0 संशोधन) अध्यादेश, 2003 सम्बन्धित है:

(a) Section 105. C.P.C.
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 105 से
(b) Section 103. C.P.C.
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 103 से
(c) Section 115. C.P.C.
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 से
(d) Section 100. C.P.C.
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 से

UPPCS (J)-2003

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की **धारा-115** में उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई अधिकारिता संबंधी त्रुटियों का निवारण करने के लिए 'पुनरीक्षण' किए जाने का प्रावधान है। पुनरीक्षण की शक्ति न्यायिक है। पुनरीक्षण उच्च न्यायालय (उ0प्र0 में उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय) द्वारा किया जाता है। न्यायालय पुनरीक्षण पक्षकारों के आवेदन पर या स्वप्रेरणा (suo motu) के आधार पर कर सकता है। पुनरीक्षण आवेदन डिक्री या आदेश पारित करने की तिथि से 90 दिन के भीतर दाखिल कर देना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता **(उ0प्र0 संशोधन) अधिनियम, 2003 (22 मार्च 2003 से प्रभावी)** के माध्यम से धारा-115 में संशोधन किया गया है। 5 लाख तक वाद मूल्य के मामले में पारित आदेश का पुनरीक्षण जिला न्यायालय कर सकता है। 5 लाख से अधिक वाद मूल्य के मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण उच्च न्यायालय कर सकता है। इस प्रकार उ0प्र0 में पुनरीक्षणीय शक्ति उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय को प्राप्त है।

19. Which section of the Code of Civil Procedure, 1908 is clearly in the nature of a power to issue a writ of certiorari?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की कौन सी धारा स्पष्टतया उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति के प्रकृति की है?

(a) Section 11/धारा 11
(b) Section 105/धारा 105
(c) Section 115/धारा 115
(d) Section 122/धारा 122

UPPCS (J)-2018

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 (पुनरीक्षण) स्पष्टतया उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति के प्रकृति का है। धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय यह देखता है कि क्या कोई आदेश क्षेत्राधिकार की विफलता या अनियमितता के कारण पारित किया गया है।

अध्याय – 13

उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष उपबंध और नियम (धारा 116-131)

1. The Sections in the Code of Civil Procedure:
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारायें-

(a) can be amended by the Parliament
संसद द्वारा संशोधित की जा सकेगी

(b) can be amended by a High Court or the State Legislature/
उच्च न्यायालय अथवा राज्य विधायिका द्वारा संशोधित की जा सकेगी

(c) can be amended by the Court hearing the suit/
वाद की सुनवायी करने वाले न्यायालय द्वारा संशोधित की जा सकेगी

(d) can be amended by the parties to the suit
वाद के पक्षकारों द्वारा संशोधित की जा सकेगी

25th BPSC (J) 2000
Uttarakhand (J) 2014

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की विषय वस्तु संविधान की समवर्ती सूची में है तथा संघ और राज्य दोनों को ही विधायन का क्षेत्राधिकार है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराओं में संशोधन संसद एवं राज्यों की विधायिका दोनों द्वारा किया जा सकता है।

नोट-संहिता के दो भाग है। प्रथम भाग धाराओं से तथा द्वितीय भाग आदेश से सम्बन्धित है। संहिता के प्रथम भाग के प्रावधानों में संसद एवं राज्य के विधानमण्डल संशोधन कर सकते हैं, परन्तु दूसरे भाग में संशोधन राज्य के उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं।

अध्याय – 14

प्रकीर्ण (धारा 132-158)

1. Which one of the following Sections of the CPC provides exemption of certain women from personal appearance in the Court?
दी.प्र.सं. की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कतिपय स्त्रियों को न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट प्रावधानित करती है?

(a) Section 133/धारा 133
(b) Section 135/धारा 135
(c) Section 135A/धारा 135क
(d) Section 132/धारा 132

Uttarakhand (J) 2012
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans : (d) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 में कुछ स्त्रियों को स्वीय उपसंजाति से छूट से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है। धारा 132 के अनुसार, जो स्त्रियां देश की रुढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए,उन्हें न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट होगी।

2. Which of the following person can be arrested or detained under civil process?
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया के अन्तर्गत गिरफ्तार या निरूद्ध किया जा सकता है?

(a) A member of either House of Parliament during continuance of any meeting of such House./संसद के किसी सदन के अधिवेशन के चालू रहने के दौरान उस सदन का कोई सदस्य

(b) A member of Legislative Council of State during continuance of any meeting of such council./विधान परिषद् के किसी अधिवेशन के चालू रहने के दौरान उस परिषद् का कोई सदस्य

(c) A woman who according to customs and manner of country, ought not to be compelled to appear in public./वह स्त्री जिसे देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।

(d) A magistrate while going to or presiding in his court./मजिस्ट्रेट जब वह अपने न्यायालय को जा रहा हो या पीठासीन हो।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

3. Exemption from personal appearance in the court is provided under/कोर्ट में व्यक्तिगत उपसंजाति से छूट प्राप्त करने का प्रावधान किस धारा में है?

(a) Section 133 of CPC/धारा 133, सी.पी.सी.
(b) Section 132 of CPC/धारा 132, सी.पी.सी.
(c) Section 143 of CPC/धारा 143, सी.पी.सी.
(d) Section 142 of CPC/धारा 142, सी.पी.सी.

Jharkhand (J) 2014

Ans. (a & b) :सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 132 एवं धारा 133 में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिया गया है।
धारा 132 के अन्तर्गत कुछ स्त्रियों तथा धारा 133 के अन्तर्गत विशेष गणमान्य व्यक्तियों को छूट प्रदान किया गया है।

4. Under Code of Civil Procedure, 1908, which one of the following is not exempted from personal appearance in this code?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसे न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का हक नहीं है?
(a) Ministers of Union/संघ के मन्त्रियों को
(b) Ministers of State/राज्य के मन्त्रियों को
(c) Vice-President of India/भारत के उपराष्ट्रपति को
(d) Chairman of Public Service Commission लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को।

UPPCS (J)-2013
MPHC CJ 2016

Ans. (d) : सिविल प्रकिया संहिता, 1908 की **धारा-133** निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करती है- (i) भारत का राष्ट्रपति (ii) भारत का उपराष्ट्रपति (iii) लोकसभा का अध्यक्ष (iv) संघ के मंत्री (v) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (vi) राज्यों के राज्यपाल और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासक (vii) राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष (viii) राज्य विधान परिषदों के सभापति (ix) राज्यों के मंत्री (x) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा (xi) वे व्यक्ति जिन्हें धारा 87-ख लागू होती है।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को धारा 133 के अन्तर्गत न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त नहीं हैं।

5. Who among the following is not entitled to exemption from personal appearance in the Court?/निम्न में से कौन व्यक्ति न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट पाने का हकदार नहीं है?
(a) Former Indian Ruler
भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक
(b) Chairman of the State Legislative Councils
राज्य विधान परिषदों के सभापति
(c) The Ministers of States राज्यों के मंत्री
(d) Collector /कलेक्टर

MPHC CJ 1997

Ans. (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. Which of the following is exempted from personal appearance before court?दीवानी प्रक्रिया संहिता में अधोलिखित में से कौन न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने से छूट पाने का हकदार है-
(a) Ministers of Union/संघ के मंत्री
(b) Minister of State/राज्यों के मंत्री
(c) Judges of High Court/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(d) All of these/इनमें से सभी

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. The Code of Civil Procedure:
सिविल प्रक्रिया संहिता-
(a) exempts Ministers of States from personal appearance in Court/राज्य मंत्रियों को न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट प्रदान करता है
(b) does not exempt any person from personal appearance in Court/न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से किसी व्यक्ति को छूट नहीं प्रदान करता
(c) exempts advocates from personal appearance in Court/न्यायालयों में स्वीय उपसंजाति से अधिवक्ताओं को छूट प्रदान करता है
(d) exempts Municipal Commissioners from personal appearance in Court/न्यायालयों में स्वीय उपसंजाति से नगरपालिका आयुक्तों को छूट प्रदान करता है

25th BPSC (J) 2000

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. Point out the incorrect statement :
गलत कथन को निर्दिष्ट कीजिए :
(a) A member of Parliament is not entitled to exemption from personal appearance in a court./एक संसद सदस्य को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है।
(b) A judicial officer may be arrested under a civil process at any time except when he is going to, presiding in or returning from his court./एक न्यायिक अधिकारी को व्यवहार प्रक्रिया के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है, सिवाय उस समय के मध्य जब वह न्यायालय को जा रहा है, वापिस आ रहा है। न्यायालय की अध्यक्षता कर रहा है।
(c) An original suit may be filed in the High Court on the ground of pecuniary jurisdiction.
आर्थिक क्षेत्राधिकार के आधार पर उच्च न्यायालय में मूल वाद सीधे भी दायर किया जा सकता है।
(d) The High Court cannot vary or reverse in its revisional jurisdiction any decree or order against which an appeal lies either to the High Court or to any court subordinate thereto.
उच्च न्यायालय किसी ऐसी आज्ञप्ति या आदेश में, जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील होती है, फेरबदल नहीं करेगा अथवा उसे नहीं उलटेगा।

UPPCS (J)-2013

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 133 के अन्तर्गत एक संसद सदस्य को न्यायालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने की छूट प्राप्त है।

9. Judicial officers are exempted from arrest under civil process while-
न्यायिक अधिकारी को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट है जब

(a) Going to his court/न्यायालय को जा रहा हो
(b) Returning from his court/न्यायालय से लौट रहा हो
(c) Presiding in his court/न्यायालय में पीठासीन हो
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 135 के अनुसार, कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक अधिकारी उस समय सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, जब वह अपने न्यायालय को जा रहा हो, उसमें पीठासीन हो या वहां से लौट रहा हो।

10. Which Section of the Code of Civil Procedure grant exemption to Members of Legislatures from arrest and detention under civil process?
सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा विधानमण्डल के सदस्यों के सिविल प्रक्रिया के अधीन गिरफ्तारी या निरोध से मुक्त करती है?
(a) Section 80/धारा 80
(b) Section 134/धारा 134
(c) Section 135-A/धारा 135-A
(d) Section 132/धारा 132

Uttarakhand (J) 2011, 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 135 A में विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किये जाने और निरुद्ध किये जाने से छूट का उपबंध किया गया है।

11. Which of the following deals with the exemption of members of legislative bodies from arrest and detention under the Code of Civil Procedure:
सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा विधायी निकायों के सदस्यों की सिविल मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से छूट से सम्बन्धित है?
(a) Section 139B/धारा 139B
(b) Section 132A/धारा 132A
(c) Section 135A/धारा 135A
(d) Section 140A/धारा 140A

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. Under the Code of Civil Procedure 1908 language of subordinate courts is declared by:
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा की जाती है-
(a) Central Government/केन्द्र सरकार द्वारा
(b) State Government/राज्य सरकार द्वारा
(c) High Court of the state/उच्च न्यायालय द्वारा
(d) Supreme Court/उच्चतम न्यायालय द्वारा

MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 137(2) के अनुसार, राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि किसी भी न्यायालय की भाषा क्या होगी और किस लिपि में न्यायालयों को आवेदन और उनमें की कार्यवाहियाँ लिखी जाएगी।

13. Affidavits to be filed in a Court can be:
न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले शपथपत्र-
(a) authenticated by a Minister of State/राज्य के किसी मंत्री द्वारा अभिप्रमाणित किया जा सकेगा
(b) cannot be authenticated except by the Judge presiding/पीठासीन न्यायाधीश के अलावा किसी के द्वारा अभिप्रमाणित नहीं किया जा सकेगा
(c) authenticated by a Judge, a Magistrate or a Notary/किसी न्यायाधीश, किसी मजिस्ट्रेट या किसी नोटरी द्वारा अधिप्रमाणित किया जा सकेगा
(d) authenticated by an advocate/किसी अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया जा सकेगा

25th BPSC (J) 2000

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 139 के अन्तर्गत शपथ-पत्र किसके द्वारा दिलाई जाएगी का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार, शपथ पत्र किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अधिनियम 1952 के तहत नियुक्त नोटरी या उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी शपथ पत्र अभिप्रमाणित कर सकेगा।

14. All orders and notice served on or given to any person under the provisions of C.P.C. shall be in writing is provided under:
''वे सभी आदेश एवं सूचनाएँ जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए या जो उसे दी जाएँ लिखित रूप में होंगी।'' ऐसा प्रावधान दीवानी प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है?
(a) Section 141/धारा 141
(b) Section 142/धारा 142
(c) Section 143/धारा 143
(d) Section 144/धारा 144

Uttarakhand (J) 2006,2008,2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 142 के अनुसार वे सभी आदेश और सूचनाएँ जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाये या जो उसे दी जाये लिखित रूप में होगी।

15. Which sections of the Code of Civil Procedure Code, 1908 embraces the principel of restitutions?/प्रत्यास्थापन का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में बताया गया है?
(a) Section 134/धारा 134
(b) Section 144/धारा 144
(c) Section 148-A/धारा 148-ए
(d) Section 151/धारा 151

UPPCS (J) 2015
MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रत्यास्थापन के सिद्धान्त का समावेश किया गया है।
प्रत्यास्थापन का सिद्धान्त वस्तुतः कॉमन लॉ का सिद्धान्त है। यह अन्यायोचित संवर्धन या अन्यायोचित लाभ के विरूद्ध एक उपाय है। धारा 144 के अन्तर्गत प्रत्यास्थापन से तात्पर्य किसी पक्षकार को किसी डिक्री या आदेश के उलटने पर उस चीज को वापस दिलाना है, जो उसने उस डिक्री या आदेश के निष्पादन में खो दिया है या उस डिक्री या आदेश के फलस्वरूप खो दिया है।

प्रत्यास्थापन का उद्देश्य डिक्री से पूर्व की यथास्थिति को पुनः स्थापित करना है। प्रत्यास्थापन का सिद्धान्त इस सूत्र पर आधारित है कि न्यायालय के कार्य से किसी को हानि न पहुँचे।

16. Legal provision for restoring to a party on the modification, variation or reversal of a decree what has been, lost to him in execution of decree./एक पक्षकार को डिक्री के उपांतरण, परिवर्तन या उलटाव पर वह प्रत्यावर्तित करने जो उसने डिक्री के निष्पादन में खोया है, हेतु विधिक प्रावधान है-

(a) Application under Section 114 CPC आवेदन अंतर्गत धारा 114 सि.प्र.सं.
(b) Application under Section 115 CPC आवेदन अंतर्गत धारा 115 सि.प्र.सं.
(c) Application under Section 144 CPC आवेदन अंतर्गत धारा 144 सि.प्र.सं.
(d) Application under Section 96 CPC अपील अंतर्गत धारा 96 सि.प्र.सं.

Jharkhand(J) 2019
MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (c) : एक पक्षकार को डिक्री के उपान्तरण, परिवर्तन या उलटाव पर वह प्रत्यावर्तित करने जो उसने डिक्री के निष्पादन में खोया है, से सम्बन्धित विधिक प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 में किया गया है।
धारा 144 के प्रावधानों को लागू होने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है-

1. प्रत्यास्थापन का आवेदन एक ऐसी डिक्री या आदेश से सम्बन्धित होना चाहिये जिसे उलट दिया गया है या जिसमें फेरफार किया गया है।
2. आवेदक उस डिक्री या आदेश के कारण जिसे उलटा गया या फेरफार किया गया है, किसी चीज को खो दिया या वंचित कर दिया गया है।
3. आवेदक उलटी गयी या फेरफार की गयी डिक्री या आदेश के अन्तर्गत किसी लाभ का हकदार है, और
4. जिस अनुतोष का दावा किया गया है, वह उस डिक्री या आदेश जिसको उलट दिया गया है, का आवश्यक परिणाम है।

17. How much time period can be enlarged by a court in total under Section 148 of the Code of Civil Procedure, 1908?/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148 के अन्तर्गत न्यायालय कुल मिलाकर समय अवधि को कितना बढ़ा सकता है?

(a) Not exceeding ten days/दस दिन से अधिक नहीं
(b) Not exceeding sixty days/साठ दिन से अधिक नहीं
(c) Not exceeding ninety days/नब्बे दिन से अधिक नहीं
(d) Not exceeding thirty days/तीस दिन से अधिक नहीं

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148 में समय का बढ़ाया जाना से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार, जहाँ न्यायालय ने इस संहिता द्वारा विहित या अनुज्ञात कोई कार्य करने के लिए कोई अवधि नियत या अनुदत्त की है वहाँ न्यायालय ऐसी अवधि को "जो कुल मिलाकर तीस दिन से अनधिक हो" स्वविवेकानुसार समय-समय पर बढ़ा सकेगा, यद्यपि पहले नियत या अनुदत्त अवधि का अवसान हो चुका है।

18. Enlargement of time fixed by the court is provided u/s:
न्यायालय द्वारा नियत समय को विस्तारित करना किस धारा में प्रावधानित है:

(a) 144 CPC/धारा 144 सि.प्र.सं.
(b) 151 CPC/धारा 151 सि.प्र.सं.
(c) 152 CPC /धारा 152 सि. प्र.सं.
(d) 148 CPC/धारा 148 सि.प्र.सं.

Bihar (HJS) 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

19. As per Section 148 of CPC, the Court may enlarge the prescribed period for-
व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 148 के अनुसार न्यायालय नियत अवधि में .... की वृद्धि कर सकता है।

(a) 15 days/15 दिवस (b) 30 days/30 दिवस
(c) 60 days/60 दिवस (d) 90 days/90 दिवस

MPHC CJ 2013, 2018 Shift-I, 2019 Shift-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. Right to lodge a 'caveat' has been provided under/'केवियट' दायर करने का अधिकार प्रदान किया गया है:

(a) Section 148 of the Code of Civil Procedure, 1908/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148 के अन्तर्गत
(b) Section 148-A of the Code of Civil Procedure, 1908/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148A के अन्तर्गत
(c) Section 148-B of the Code of Civil Procedure, 1908/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148B के अन्तर्गत
(d) Section 147 of the Code of Civil Procedure, 1908/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 147 के अन्तर्गत

BPSC (APO) 2012
MPHC (CJ) 2017
Bihar (HJS) 2018
Uttarakhand (J) 2009,2011, 2018

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148A के अन्तर्गत 'केवियट दायर करने के अधिकार', का प्रावधान किया गया है। केवियट किसी रजिस्ट्री कार्यालय या न्यायालय की किताबों में ऐसी प्रविष्टि है जिसके माध्यम से केवियट दर्ज कराने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में बिना उसे सूचना के कोई कदम उठाने से रोकना है।
केवियट का उद्देश्य न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित करने से रोकना है।

21. A caveat shall not remain in force after the expiry of/कितने दिनों की समाप्ति के बाद चेतावनी लागू नहीं होगी?

(a) 30 days/30 दिन (b) 60 days/60 दिन
(c) 90 days/90 दिन (d) 180 days/180 दिन

Bihar (J) 2020

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148A (5) के अनुसार, कैवियट उस तारीख से जब वह दायर की जाती है, 90 दिनों के अवसान के पश्चात् प्रवृत्त नहीं होगी।

22. Caveat shall not remain in force after expiry of— कैवियट दायर करने के दिनांक के कितने दिन पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेगा?

(a) Ninety days /नब्बे दिन
(b) Sixty days /साठ दिन
(c) Thirty days /तीस दिन
(d) Fifteen days /पन्द्रह दिन

Uttarakhand (J) 2015, 2008, 2012
UPPCS (J) 2012
Rajsthan (JLO) 2013
MPHC (CJ) 1997, 2006, 2010, 2013,2018
MP (ADPO) 2016
Chhattisgarh (J) 2014, 2008

Ans. (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. By which of the following Act Section 148A (Right to lodge caveat) was inserted in the Code of Civil Procedure 1908? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 148-क (केवियट दायर करने का अधिकार) को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अन्तर्निर्दिष्ट किया गया?

(a) By Act 46 of 1999/1999 के अधिनियम 46 द्वारा
(b) By Act 104 of 1976/1976 के अधिनियम 104 द्वारा
(c) By Act 66 of 1956/1956 के अधिनियम 66 द्वारा
(d) By Act 22 of 2002/2002 के अधिनियम 22 द्वारा

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148A में केवियट सम्बन्धी प्रावधान किया गया हैं जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1976 के अधिनियम संख्या 104 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया है।

24. Which of the following pairs is/are correctly matched?/निम्नलिखित में से कौन-सा/से जोड़ा/जोड़े सुमेलित है/हैं?

1. Right to file caveat आपत्ति-सूचना (कैविएट) दाखिल करने का अधिकार	**Section 148-A, C.P.C. धारा 148-A सि.प्र.सं.**
2. Pauper suit अकिंचन वाद	**Section 33, C.P.C. धारा 33 सि.प्र.सं.**
3. Privileged document विशेषाधिकार-प्राप्त दस्तावेज	**Section 29, C.P.C. धारा 29 सि.प्र.सं.**
4. Powers of appellate court अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ	**Section 102, C.P.C. धारा 102 सि.प्र.सं.**

Code:

(A) 1 only/केवल 1 **(B)** 4 only/केवल 4
(C) 1 and 2/1 और 2 **(D)** 2,3 and 4/2,3 और 4

Jharkhand (J) 2008

Ans. (a) : आपत्ति सूचना (केवियट) दाखिल करने का अधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A के अन्तर्गत उपबन्धित किया गया है।

25. Power to make up deficiency of court-fee is given in/न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति दी गई है

(a) Section 148/धारा 148 में
(b) Section 149/धारा 149 में
(c) Section 150/धारा 150 में
(d) Section 158/धारा 158 में

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 149 में न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति सम्बन्धी प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार, जहाँ न्यायालय फीस से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दस्तावेज के लिए विहित पूरी फीस या उसका कोई भाग संदत्त (जमा) नहीं किया गया है वहाँ जिस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस संदेय है उसे न्यायालय किसी भी प्रक्रम में स्वविवेकानुसार अनुज्ञात कर सकेगा कि वह ऐसी पूरी न्यायालय फीस या उसका वह भाग संदत्त करें और ऐसा संदाय किये जाने पर उस दस्तावेज का, जिसकी बाबत वह फीस संदेय है, वहीं बल और प्रभाव होगा मानो ऐसी फीस पहली बार ही संदत्त कर दी गयी हों।

26. Under which Section of the Code of Civil Procedure "Inherent powers of the Court" has been provided?/सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान किया गया है?

(a) Section 151/धारा 151
(b) Section 141/धारा 141
(c) Section 152/धारा 152
(d) Section 153/धारा 153

MP (ADPO) 2010
Uttarakhand (J) 2011
BPSC (APO) 2013
Chhattisgarh (J) 2017
Rajsthan (JLO) 2019

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 में न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार, इस संहिता में किसी बात के बारे में यह नहीं समझ जायेगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो-
1. न्याय के उद्देश्यों के लिए, या
2. न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है।

27. Power granted to a Court under Section 151 of the Code of Civil Procedure is known as: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत न्यायालय को प्रदत्त शक्ति जानी जाती है–

(a) Inherent power /अन्तर्निहित शक्ति
(b) Appellate power /अपीलीय शक्ति

(c) Revisional power /पुनरीक्षण शक्ति
(d) Reviewing power /पुनर्विलोकन शक्ति

MPHC CJ 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. Inherent powers of the court can be exercised under CPC/न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग सि.प्र.सं. के अधीन किया जा सकता है।

(a) for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court/न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग के निवारण करने के लिए
(b) to help the plaintiff/वादी की मदद के लिए
(c) to help the defendant/प्रतिवादी की मदद के लिए
(d) to grant interim relief/अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए

Uttarakhand (J) 2014
Jharkhand (J) 2019
25th BPSC (J) 2000, 2016

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

29. Under which provision Civil Courts have inherent powers and for what purpose/व्यवहार न्यायालयों को किस प्रावधान के अन्तर्गत एवं किस उद्देश्य के लिए अन्तर्निहित शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं?

(a) Under section 151 (CPC 1908) for necessary of the ends of justice/धारा 151 व्य. प्र. सं. 1908 के अधीन न्याय के उद्देश्य की पूर्ति की आवश्यकता के लिए
(b) Under section 152 (CPC 1908) for necessary of the ends of justice/धारा 152 व्य. प्र. सं. 1908 के अधीन न्याय के उद्देश्य की पूर्ति की आवश्यकता के लिए
(c) Under section 152 (CPC 1908) to prevent abuse the process of the court/धारा 152 व्य. प्र. सं. 1908 के अधीन न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए
(d) None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 2010 Paper-I

Ans.(a): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

30. Inherent powers conferred under Section 151 of the Code of Civil Prfocedure, 1908, may be exercised by the
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 में प्रदत्त अन्तिर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

(a) Supreme Court only/केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा
(b) High Court Only/केवल उच्च न्यायालय द्वारा
(c) District Court Only/केवल जिला न्यायालय द्वारा
(d) Supreme Court, High Court, District Court as well as by any Civil Court
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा किसी भी दीवानी न्यायालय द्वारा

MPHC (CJ) 2013
UPPCS (J)-2013

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की **धारा 151** में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है क्योंकि धारा में 'न्यायालय' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा अन्य दीवानी न्यायालय आते हैं।

31. Under which section of CPC the principles of equity justice and good conscience are prescribed?/सीपीसी की किस धारा के तहत साम्य, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित है?

(a) Section 121/धारा 121
(b) Section 131/धारा 131
(c) Section 141/धारा 141
(d) Section 151/धारा 151

Jharkhand (J) 2016

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 में साम्या न्याय और अच्छे विवेक का सिद्धान्त विहित है।

32. In which of the following cases, it was held that 'inherent power has not been conferred on a court, it is a power inherent in a court?
निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'अन्तर्निहित शक्ति न्यायालय को प्रदत्त नहीं की गयी है, यह शक्ति न्यायालय में अन्तर्निहित है।'

(a) Rajani Bai v. Kamla Devi
रजनी बाई बनाम कमला देवी
(b) Manohar Lal v. Seth Hiralal
मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल
(c) Cotton Corporation of India v. United Industrial Bank/कॉटन कॉपोरेशन ऑफ इण्डिया बनाम युनाइटेड इण्डस्ट्रियल बैंक
(d) Satyabrata Biswas v. Kalyan Kumar Kisku
सत्यव्रत विश्वास बनाम कल्याण कुमार किस्कु

MPHC (CJ) 2021
Uttarakhand (J) 2002
BPSC (APO) 2013
UPPCS (J) 2003,2018

Ans. (b) : मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल (1962 SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि 'अन्तर्निहित शक्ति न्यायालय को प्रदत्त नहीं की गयी है, यह शक्ति न्यायालय में अन्तर्निहित है।'

33. An order passed under Section 151 C.P.C. is:
धारा 151 के अंतर्गत पारित आदेश–

(a) Appealable/अपील योग्य है
(b) Revisable/पुनरीक्षण योग्य है
(c) Not liable to be interfered with/
हस्तक्षेप योग्य नहीं है
(d) Not reviewable/पुनर्विलोकन योग्य नहीं है

MPHC CJ 1996

Ans. (b) : शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० बनाम मछाद्रो ब्रदर्स (2004 SC) के वाद में कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के अन्तर्गत पारित आदेश का पुनरीक्षण तो हो सकता है किन्तु अपील नहीं।

34. Clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or order from any accidental slip may be corrected by the Court under which Section of CPC

किसी आकस्मिक चूक के कारण निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में लिपकीय एवं गणितीय त्रुटियों को सी.पी.सी.की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकता है-

(a) Section 151/धारा 151 (b) Section 152/धारा 152
(c) Section 153/धारा 153 (d) Section 154/धारा 154

MPHC CJ 2017

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 152 के अनुसार, निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में लेखन या गणित सम्बन्धित भूलों या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी।

35. Under which section of CPC- Clerical or Arithmetical mistakes in judgments, decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Court either of its own motion or on the application of any of the parties.
व्य.प्र.सं. की किस धारा के अंतर्गत - निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित सम्बन्धी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियों न्यायालय द्वारा स्व्रप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी।

(a) Section 151/धारा 151
(b) Section 152/धारा 152
(c) Section 153/धारा 153
(d) Section 144/धारा 144

MPHC (CJ) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

36. Section 152 of the CPC empowers the Court to amend judgement, decrees, or orders in respect of
सि.प्र.सं. की धारा 152 न्यायालयों को निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों के संशोधन की शक्ति प्रदान करती है जो, कि सम्बन्धित हो

(a) Clerical or arithmetical mistakes only/केवल लेखन या गणित सम्बन्धी भूलों से
(b) Accidental slips or omissions only/केवल आकस्मिक भूल या लोप से
(c) (a) and (b) both/(a) एवं (b) दोनों के
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2012, 2018

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

37. On what ground judgments or orders can be amended?/किन आधारों पर निर्णय या आदेशों में संशोधन किया जा सकता है?

(a) Clerical mistake/लेखन सम्बन्धी भूल
(b) Arithmetical mistake/गणित सम्बन्धी भूल
(c) Accidental slip or omission/आकस्मिक भूल या लोप
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

38. Who has right to make an application for amendment of judgments and orders under Section 152 of C.P.C.
धारा 152 सि.प्र.सं. के तहत निर्णयों एवं आदेशों में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है?

(a) Person aggrieved/व्यथित व्यक्ति
(b) Person aggrieved with permission of court व्यथित व्यक्ति जिसे न्यायालय ने अनुज्ञा दी हो
(c) Any of the parties/पक्षकारों में से कोई
(d) Government Pleader/सरकारी प्लीडर

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 152 के अन्तर्गत निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किया जा सकता है।

39. Under the civil procedure code an application for correction of airthmetical mistakes may be made within-
सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, एक निर्णय में गणित संबंधी भूल को शुद्ध करवाने हेतु आवेदन किया जा सकता है:

(a) 30 days from the date of judgment /निर्णय के 30 दिवस के भीतर
(b) 90 days from the date of judgment /निर्णय के 90 दिवस के भीतर
(c) 120 days from the date of judgment /निर्णय के 120 दिवस के भीतर
(d) Any time/किसी भी समय

Chhattishgarh (J) 2012

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 152 में प्रावधान किया गया है कि निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित सम्बंधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी।

40. Which one of the following Sections of the Code of Civil Procedure provides for the trial in open Courts where public may have access?
सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में खुले न्यायालय में विचारण का प्रावधान किया गया है जहाँ जनता की पहुँच हो?

(a) Section 153A/धारा 153 A
(b) Section 153B/धारा 153 B
(c) Section 153C/धारा 153 C
(d) Section 153D/धारा 153 D

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 153 B के अनुसार, वह स्थान जहां किसी वाद के विचारण के प्रयोजन के लिए कोई सिविल न्यायालय लगता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें साधारणतः जनता की वहां तक पहुँच होगी जहां तक जनता इसमें सुविधापूर्वक समा सके।

अध्याय – 15

प्रथम अनुसूची (आदेश 1-51)

आदेश-1 वादों के पक्षकार

1. Mis-joinder of parties and causes of action in a suit is called:
वाद में पक्षकारों तथा वाद-हेतुकों का कुसंयोजन कहलाता है-
(a) Multifariousness in a suit/वाद में विविधता
(b) Doubled mis-joinder/दोहरा असंयोजन
(c) Both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों
(d) only (b)/केवल (b)

UP (HJS) 2016

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 नियम 1 व 3 पक्षकारों के संयोजन से संबंधित है। किसी वाद में पक्षकारों तथा वाद हेतुकों के कुसंयोजन से अनेक जटिलताएँ उत्पन्न होती है, उनमें से एक है वादों की बहुलता (Multiplicity of suit)। इसके परिणाम स्वरूप वादों में विविधता पूर्ण (एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न) निर्णय आ जाते हैं।

2. As per CPC Order 1 Rule 3B local Amendment of MP State which of the following is the important parties to suit
आदेश 1 नियम 3बी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के मध्य प्रदेश के स्थानीय संशोधन के अधीन कौन आवश्यक पक्षकार है?
(a) State Government /राज्य शासन
(b) State of M.P. through concerned commissioner/मध्य प्रदेश राज्य द्वारा संबंधित संभाग के आयुक्त
(c) District Magistrate of the concern District /संबंधित जिले का जिलाधीश
(d) Local Authority/स्थानीय निकाय

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : म.प्र. स्थानीय संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 में संशोधन कर नियम 3A के बाद नियम 3B जोड़ा गया तथा वादों को ग्रहण करने के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया। साथ में यह भी प्रावधान किया गया कि कोई न्यायालय किसी लम्बित वाद या कार्यवाही में आगे कार्यवाही नहीं करेगा यदि राज्य सरकार को यथाशीघ्र पक्षकार नहीं बनाया जाता है।

3. Which provision of the C.P.C. provides that one person may sue or defend on behalf of all in same interest?
दीवानी प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक ही हित के लिए एक व्यक्ति सबकी तरफ से वाद संस्थित कर सकता है या बचाव कर सकता है?
(a) Order 1 Rule 1/आदेश 1 नियम 1
(b) Order 2 Rule 2/आदेश 2 नियम 2
(c) Order 1 Rule 8/आदेश 1 नियम 8
(d) Order 1 Rule 9/आदेश 1 नियम 9

Uttarakhand (J) 2006, 2009, 2018

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 1 नियम 8 प्रतिनिधि वाद के बारे में उपबंध करता है। इस नियम के अनुसार एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा।

4. Which order of the Civil Procedure Code provides for a "Representative Suit"?
सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में 'प्रतिनिधिवाद' का प्रावधान है?
(a) Order I, Rule 8/आदेश 1 रूल 8
(b) Order II, Rule 1/आदेश 2 रूल 1
(c) Order III, Rule 1/आदेश 3 रूल 1
(d) Order IV, Rule 1/आदेश 4 रूल 1

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

5. Representative suit is dealt in CPC under:
सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिनिधि वाद वर्णित है, अन्तर्गतः
(a) Order 1 Rule 6/आदेश 1 नियम 6
(b) Order 1 Rule 6 /आदेश 1 नियम 6
(c) Order 1 Rule 8/आदेश 1 नियम 8
(d) Order 1 Rule 9/आदेश 1 नियम 9

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

6. "One person may sue or defend on behalf of all in the same interest", provisions are given under
''एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा'', प्रावधान अन्तर्गत है-
(a) Order 1 Rule 1/आदेश 1 नियम 1
(b) Order 1 Rule 8/आदेश 1 नियम 8
(c) Order 2 Rule 2/आदेश 2 नियम 2
(d) Order 22 Rule 4/आदेश 22 नियम 4

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

7. A suit in representative capacity can be filed by virtue of/प्रतिनिधि के हैसियत से एक वाद दायर किया जा सकता है
(a) Under Order I Rule 8A of CPC
आदेश 1, नियम 8A सी.पी.सी. के अंतर्गत

(b) Under Order I Rule 10A of CPC
आदेश 1, नियम 10A सी.पी.सी. के अंतर्गत
(c) Under Order I Rule 8 of CPC
आदेश 1, नियम 8 सी.पी.सी. के अंतर्गत
(d) Under Order I Rule 9 of CPC
आदेश 1, नियम 9 सी.पी.सी. के अंतर्गत

MPADPO 2009
Jharkhand (J) 2016
MPHC CJ 2020

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

8. Which one of the following is not required in filing a representative suit under Order 1 Rule 8 of the C.P.C.?
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के अन्तर्गत, एक प्रतिनिधि वाद संस्थित करने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता नहीं है?
(a) Numerous parties/पक्षकारों की बहुलता
(b) Same interest/एक ही हित
(c) Leave of the court/न्यायालय की अनुमति
(d) Written permission of those who are being represented/जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनकी लिखित अनुज्ञा

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 8 के अन्तर्गत एक प्रतिनिधिक वाद संस्थित करने हेतु निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है-
1. पक्षकारों की बहुलता,
2. वाद में एक ही हित का होना,
3. वाद संस्थित करने के लिए न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो, और
4. उन सभी पक्षकारों को जिनका प्रतिनिधित्व किया जान है सूचना दे दी गयी हो।
अर्थात् जिन पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनकी लिखित अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

9. In a suit filed in representative capacity, the suit can be withdrawn, compromised and abandoned etc. by the plaintiff?/प्रतिनिधि क्षमता में दायर वाद में वादी द्वारा मुकदमा वापस लिया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है और परित्याग किया जा सकता है
(a) without notice to all the persons interested
सभी हितबद्ध व्यक्तियों को बिना सूचना दिए
(b) after notice to all the persons interested
सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देने के बाद
(c) Neither 1 nor 2/न 1 ना ही 2
(d) Either 1 or 2 or 3/या तो 1 या 2 या 3

MPHC CJ 2020

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 8 (4) में प्रावधान किया गया है कि प्रतिनिधिक क्षमता में दायर वाद में दावे के किसी भाग का परित्याग, प्रत्याहरण या किसी प्रकार का समझौता तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक की न्यायालय हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचित न कर दे।

10. Under C.P.C. where a person who is a necesary party to a suit has not been joined as a party, it is a case of
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है, यह मामला है
(a) misjoinder/कुसंयोजन का
(b) non-joinderअसंयोजन का
(c) both (a) and (b)/दोनों (a) तथा (b) का
(d) none of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016, 2018, 2008

Ans. (b) : असंयोजन की स्थिति वहां पैदा होती है जहां किसी व्यक्ति को जो आवश्यक पक्षकार है या उपयुक्त पक्षकार है लेकिन वाद का पक्षकार नहीं बनाया गया है।
पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जायेगा,क्योंकि आदेश 1 नियम 9 के अनुसार कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा। परन्तु यह नियम आवश्यक पक्षकार के असंयोजन पर लागू नहीं होता, अतः यदि आवश्यक पक्षकार का संयोजन नहीं किया गया है तो किसी वाद को खारिज किया जा सकता है।

11. A situation where a person who is either a necessary party or proper party has not been joined in the suit, is called
वह परिस्थिति, जहाँ एक ऐसे व्यक्ति को वाद में सम्मिलित नहीं किया गया है जो कि या तो आवश्यक पक्षकार था या उचित पक्षकार था, को कहेंगे
(a) Non-joinder/अ-संयोजन
(b) Mis-joinder/कु-संयोजन
(c) Adjoinder/एडज्वाइन्डर (अभिसंयोजी)
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. On which of the following ground a suit may be defeated?
निम्नलिखित में से किस आधार पर वाद विफल हो सकता है?
(a) Mis-joinder of Necessary parties/आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन पर
(b) Mis-joinder of proper parties /उचित पक्षकारों के कुसंयोजन पर
(c) Non-joinder of Proper parties /उचित पक्षकारों के असंयोजन पर
(d) Non-joinder of Necessary parties /आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन पर

Jharkhand (J) 2016
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 9 के अनुसार, कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहाँ तक कर सकेगा जहाँ तक उन पक्षकारों के जो उसके वस्तुतः समक्ष है, अधिकारों और हितों का सम्बन्ध है।

परन्तु इस नियम कि कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी।
अतः आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर वाद विफल हो सकता है।

13. A suit may be defeated due to-
वाद इसलिए विफल हो सकता है कि-
(a) Non-joinder of proper party
उचित पक्षकारों के असंयोजन
(b) Misjoinder of necessary party
आवश्यक पक्षकरों के कुसंयोजन
(c) Non-joinder of necessary party
आवश्यक पक्षकरों के असंयोजन
(d) Misjoinder of proper party
उचित पक्षकारों के कुसंयोजन

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

14. Non-Joinder of necessary party in a suit will lead to:
किसी मुकदमें में किसी आवश्यक पक्ष को शामिल न किये जाने (नॉन जॉइन्डर) का परिणाम क्या होगा?
(a) Dismissal of suit/मुकदमें की बर्खास्तगी
(b) Stay of suit/मुकदमें का स्थगन
(c) Continuation of suit/मुकदमें जारी रहना
(d) Imposition of cost/लागत का अधिरोपण (इम्पोजिशन)

Chhattishgarh (J) 2017

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

15. When unnecessary persons are joined as parties to the suit, it is called
जब अनावश्यक व्यक्तियों को वाद में पक्षकार बना दिया जाता है तो कहा जाता है:
(a) Non-joinder/असंयोजन
(b) Mis-joinder/कुसंयोजन
(c) Co-joinder/सहसंयोजन
(d) Suit-joinder/वाद संयोजन

MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (b) : कुसंयोजन की स्थिति वहां होती है जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों को या तो वादी की हैसियत से या प्रतिवादी की हैसियत से संयोजन नियमों के विपरित किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 नियम 9 कुसंयोजन और असंयोजन से संबंधित है।

16. The doctrine of dominus litis is acceptable in Civil procedure Code, 1908 but with exception under:
डोमिनस लिटिस का सिद्धान्त अपवाद के साथ व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में स्वीकार्य है–
(a) Order VIII Rule 9/अन्तर्गत आदेश VIII नियम 9
(b) Order I Rule 10(2)/अन्तर्गत आदेश I नियम 10(2)
(c) Order II Rule 2/अन्तर्गत आदेश II नियम 2
(d) Order I Rule 6/अन्तर्गत आदेश I नियम 6

Rajasthan (DJC) 2015

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 नियम 10 डोमिनस लिटस के सिद्धान्त को समाहित करता है। लैटिन शब्द डोमिनस लिटस का अंग्रेजी में अर्थ है 'The Person to whom a suit belongs' इसका हिन्दी अर्थ है वह व्यक्ति जो वाद का वास्तव में हकदार है। नियम 10 के अनुसार, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि सद्भाविक भूल के कारण सही वादी के नाम से वाद नहीं संस्थित किया गया है तब न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम पर किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने या जोड़े जाने का आदेश दे सकेगा।

17. An objections as to non-joinder and misjoinder when raised
असंयोजन और कुसंयोजन के बारे में आक्षेप कब उठाया जा सकता है?
(a) At the settlement of issues/विवाद्य स्थिरीकरण के समय
(b) Before the settlement of issues/विवाद्य स्थिरीकरण के पहले
(c) At the earliest possible opportunity/यथासम्भव शीघ्रतम अवसर पर
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 13 के अनुसार, पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथासम्भव शीघ्रतम अवसर पर किए जाएगें और सभी मामलों में जिनमें विवाद्य स्थिर किए जाते है, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किए जाएगें।

आदेश-2 वाद की विरचना

18. All matters in dispute between the parties relating to the same transaction should be disposed of in the same suit. This is laid down in:
पक्षकारों के बीच एक संव्यवहार में घटित सभी विवाद-विषयों का विस्तारण एक ही वाद में किया जाना चाहिए। यह प्रतिपादित है-
(a) O.2, R.1/आदेश 2 नियम 1 में
(b) O.2, R.2/आदेश 2 नियम 2 में
(c) O.2, R.3/आदेश 2 नियम 3 में
(d) O.2, R.4/आदेश 2 नियम 4 में

UP (HJS) 2016

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 2 नियम 1 में यह प्रावधान किया गया है कि हर वाद को इस प्रकार विरचित किया जायेगा कि सभी विवादग्रस्त विषयों पर अंतिम रूप से निर्णय करने के लिए आधार प्राप्त हो जाये और उसी विषय को लेकर पुनः मुकदमेबाजी रोकी जा सकें।

19. Ram was dispossessed from his house by Shyam for a year. Ram files a suit for possession against but did not included claim for damages in it. For claiming damages Ram:
श्याम ने एक साल के लिए राम को उसके घर से बेदखल कर दिया। राम ने कब्जा हेतु श्याम के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया परन्तु उसमें क्षतिपूर्ति का दावा शामिल नहीं किया। क्षतिपूर्ति के दावे हेतु राम-

(a) Could file a new suit/एक नया वाद प्रस्तुत कर सकता है
(b) Could not file a new suit/नया वाद नहीं प्रस्तुत कर सकता है
(c) Could file a new suit with the permission of the court/न्यायालय की आज्ञा से वाद प्रस्तुत कर सकता है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 2 नियम 2 के अनुसार, ''जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है, वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किये गये या त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लायेगा''।

20. "Where a plaintiff omits to sue in respect of, or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished". The genesis of this principle lies in;
''जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है, वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किये गये या त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लायेगा''। इस सिद्धान्त की उत्पत्ति निहित है;
(a) Section 115 of the Indian Evidence Act, 1872/भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 115 में।
(b) Section 11 of the Code of Civil Procedure, 1908/व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में।
(c) Order II Rule 2 of the Code of Civil Procedure, 1908/व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश II नियम 2 में।
(d) Order I Rule 2 of the Code of Civil Procedure, 1908/व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश I नियम 2 में।

Rajasthan (J) 2018

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

21. 'A' lets a premises to 'B' at a yearly rent of Rs. 50,000/-. The rent for whole of the years 2014, 2015, 2016 and 2017 is due and unpaid. 'A' sues 'B' in 2018 only for the rent due for 2014 and 2015.
'A' रु. 50,000/- के वार्षिक भाटक पर एक परिसर 'B' को किराये पर देता है। पूर्ण वर्ष 2014, 2015, 2016 एवं 2017 का भाटक बकाया है और उसका भुगतान नहीं हुआ है। 'A' केवल 2014 और 2015 के बकाया भाटक हेतु वर्ष 2018 में 'B' के विरुद्ध लाता है।
(a) 'A' by separate suit afterwords may sue 'B' for the rent due for 2016 and 2017/'A' बाद में पृथक वाद द्वारा 2016 और 2017 के बकाया भाटक हेतु 'B' के विरुद्ध वाद ला सकेगा
(b) 'A' by separate suit cannot afterwards sue 'B' for the rent due for 2016 and 2017/'A' बाद में पृथक वाद द्वारा 2016 और 2017 को बकाया भाटक हेतु 'B' के विरुद्ध वाद नहीं ला सकता है
(c) 'A' by having leave from the court sue 'B' afterwards for the rent due for 2016 and 2017/'A' बाद में न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके 2016 और 2017 के बकाया भाटक हेतु 'B' के विरुद्ध वाद ला सकेगा
(d) 'A' by consent of 'B' may sue 'B' afterwards for the rent due for 2016 and 2017/'A' बाद में 'B' की सहमति से 2016 और 2017 के बकाया भाटक हेतु 'B' के विरुद्ध वाद ला सकेगा।

UP (HJS) 2018 Part-III

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 2 के नियम 2 के दृष्टान्त पर आधारित है जिसके अनुसार 'A' वाद में पृथक् वाद द्वारा 2016 और 2017 के बकाया भाटक हेतु 'B' के विरूद्ध वाद नहीं ला सकता है।
आदेश 2 के नियम 2 के अनुसार, जहाँ वादी अपने दावें के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है वहाँ उसके पश्चात् वह इस प्रकार लोप किये गये या त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लायेगा।

22. 'A' lets a house to 'B' at a yearly rent of rupees five hundred. The rent for the whole of the years 1905, 1906 and 1907 is due and unpaid. 'A' sues 'B' in 1908 only for the rent due for 1906—
'क' एक घर 'ख' को पाँच सौ रुपये वार्षिक भाटक के पट्टे पर देता है। सन् 1905, 1906 और 1907 इन सभी पूरे वर्षों का भाटक शोध्य है और दिया नहीं गया है। 'क' सन् 1908 में 'ख' पर केवल सन् 1906 के शोध्य भाटक के लिए वाद लाता है। 'ख' के ऊपर 'क' उसके पश्चात् -
(a) 'A' can afterwards sue 'B' only for the rent due for 1905/केवल सन् 1905 के शोध्य भाटक के लिए वाद ला सकेगा
(b) 'A' can afterwards sue 'B' only for the rent due for 1907/केवल सन् 1907 के शोध्य भाटक के लिए वाद ला सकेगा
(c) 'A' can afterwards sue 'B' only for the rent due for 1905 and 1907 both/सन् 1905 और 1907 दोनों के शोध्य भाटक के लिए वाद ला सकेगा
(d) 'A' cannot afterwards sue 'B' only for the rent due for 1905 or 1907
सन् 1905 या सन् 1907 दोनों में से किसी के भी शोध्य भाटक के लिए वाद नहीं ला सकेगा

MPHC CJ 2002

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

23. A lets a house to B at yearly rent of Rs. 12000/ The rent for the whole of the years 2015, 2016 and 2017 is due and unpaid. A sues B in 2018 only for the rent due for the year 2016. Whether A can afterwards sue for the rent due for the year of 2015 and 2017?
एक घर 'ख' को 12000/- वार्षिक भाटक के पट्टे पर देता है। वर्ष 2015, 2016 और 2017 इन सभी पूरे वर्षों का भाटक शोध्य है और दिया नहीं गया है। 'क' सन 2018 में 'ख' पर केवल वर्ष 2016 के शोध्य भाटक के लिए वाद प्रस्तुत करता है। क्या 'क' पश्चावर्ती प्रक्रम पर वर्ष 2015 एवं 2017 के शोध्य भाटक के लिए वाद ला सकता है।

(a) Yes/हाँ
(b) No/नहीं
(c) If he shows good cause/यदि वह उचित कारण दर्शित करता है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

24. Which provision of the Code deals with joinder of causes of action
''वाद कारणों का संयोजन'' संहिता के किस प्रावधान में वर्णित है ?

(a) Order 2 Rule 3/आदेश 2 नियम 3
(b) Order 2 Rule 2/आदेश 2 नियम 2
(c) Order 2 Rule 1/आदेश 2 नियम 1
(d) Order 1 Rule 2/आदेश 1 नियम 2

MPHC CJ 2010
MPHJS 2019

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 2 नियम 3 'वाद कारणो का संयोजन' से सम्बन्धित है।

25. A plaintiff:
कोई वादी-

(a) cannot unite several causes of action in the same suit/एक ही वाद में तमाम वाद कारणों को संयोजित नहीं कर सकता है
(b) can unite several causes of action in the same suit against the same defendant/उसी प्रतिवादी के विरुद्ध उसी वाद में एक से अधिक वाद कारणों को संयोजित कर सकता है
(c) unite only some causes of action in a suit/एक वाद में केवल कुछ वाद कारणों को संयोजित कर सकता है
(d) unite only the questions of law in a suit/वाद में केवल विधि के प्रश्नों को ही संयोजित कर सकता है

25th BPSC (J) 2000

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 2 नियम 3 के अनुसार, वादी उसी प्रतिवादी या संयुक्ततः उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध उसी वाद में एक से अधिक वाद हेतुकों को संयोजित कर सकेगा।

आदेश-3 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर

26. Which of the following deals with service of process on pleader in the Code of Civil Procedure?
निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन-सा प्रावधान अधिवक्ता पर प्रक्रिया की तामील से सम्बन्धित है:

(a) Order 3, Rule 5/आदेश 3, नियम 5
(b) Order 2, Rule 2/आदेश 2, नियम 2
(c) Order 7, Rule 3/आदेश 7, नियम 3
(d) Order 4, Rule 8/आदेश 4, नियम 8

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 3 नियम 5 अधिवक्ता (प्लीडर) पर आदेशिका की तामील से सम्बन्धित प्रावधान करती है।
नियम 5 में एक उपधारणा का उपबंध है कि प्लीडर पर सूचना की तामील, मुवक्किल को सूचना मानी जायेगी।

आदेश-4 वादों का संस्थित किया जाना

27. "It is a statement of claim, a document by presentation of which the suit is instituted". It is called as
यह एक दावे का कथन है, एक दस्तावेज जिसके प्रस्तुत किए जाने पर वाद संस्थित किया जाता है इसे कहते हैं-

(a) Affidavit/शपथपत्र
(b) Written-statement/जवाब
(c) Counter-claim/प्रति-दावा
(d) Plaint/वाद-पत्र

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 4 के अनुसार वाद तब संस्थित हुआ माना जायेगा जब वाद पत्र (दो प्रतियों में) न्यायालय में या उसके द्वारा नियत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा आदेश 6 तथा 7 के नियमों का वहां तक अनुपालन किया गया है जहां तक वे लागू हो।
धारा 26 में प्रावधान किया गया है कि हर वाद, वादपत्र को उपस्थित करके संस्थित किया जायेगा।

28. Under Civil Procedure Code, 1908 "every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf." This is provided under
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत ''हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को दो प्रतियों में वादपत्र देकर संस्थित किया जायेगा।'' यह उपबंधित है

(a) Sec. 26/धारा 26 में
(b) Sec. 20/धारा 20 में
(c) Order 3 Rule 1/आदेश 3 नियम 1 में
(d) Order 4 Rule 1/आदेश 4 नियम 1 में

UPPCS (J)-2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के **आदेश 4, नियम 1** में यह उपबंधित है कि हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को **दो प्रतियों में** वादपत्र उपस्थित करके संस्थित किया जायेगा।

29. Under Order IV, Rule I, sub-rule (1) of CPC, a suit is instituted when/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IV नियम 1, उप-नियम (1) के अनुसार एक वाद तब संस्थित होता है, जब-

(a) a plaint in duplicate is presented to the court/एक वादपत्र दो प्रतियों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है
(b) a plaint is presented to the court/एक वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है

(c) a plaint in Triplicate to the court/एक वादपत्र तीन प्रतियों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है
(d) either (a) or (b) or (c)/या तो (a) या (b) अथवा (c)

Jharkhand (J) 2016

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

30. A plaint has to be presented in:
वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए:
(a) Single copy/एक मात्र प्रतिलिपि में
(b) Duplicate/दो प्रतिलिपियों में
(c) Triplicate/तीन प्रतिलिपियों में
(d) Depends on the number of defendants प्रतिवादियों की संख्या के आधार पर

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

आदेश-5 समनों का निकाला जाना और उनकी तामील

31. Order 5 of the Civil Procedure Code 1908 provides for
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 में उपबंधित है-
(a) Admission/स्वीकारोक्ति
(b) Summoning and attendance of witness/साक्षियों का बुलाया जाना और उनकी उपस्थिति
(c) Issue and service of summons/सम्मनों का निकाला जाना और उनकी तामीली
(d) Pleadings/अभिवचन

Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 5 समनों का निकाला जाना और उनकी तामील के सम्बन्ध में प्रावधान करता है।

32. What duration formally under Civil Procedure Code, 1908 has been assigned to submit his written statement after the date of service of summons?
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत औपचारिक रूप से सम्मन की तामील के पश्चात् कितने समय में लिखित कथन पेश करना बताया गया है?
(a) 30 days/30 दिन
(b) 45 days/45 दिन
(c) 60 days/60 दिन
(d) None of the aobve/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPCS (J)-2016

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का **आदेश 5** समनों का निकाला जाना और उनकी तामील के बारे में उपबंध करता है। आदेश 5 के नियम 1 के अनुसार, जब वाद सम्यक् रूप से संस्थित किया जा चुका हो तब, उस प्रतिवादी पर, समन के तामील की तारीख से **30 दिन के भीतर** उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने तथा अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो फाइल करने के लिए समन निकाला जा सकेगा। परन्तु जब प्रतिवादी, वाद-पत्र के उपस्थित किए जाने पर ही उपसंजात हो जाए और वादी का दावा स्वीकार कर ले तब कोई समन नहीं निकाला जायेगा। परन्तु जहां प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि में लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को फाइल करने का अनुज्ञात किया जायेगा जो न्यायालय द्वारा उसके कारणों को लेखबद्ध करके, विनिर्दिष्ट किया जाए, किन्तु जो समन के तामील की तारीख से 90 दिन के बाद का नहीं होगा।

33. A defendant is required to file the written statement under Order V Rule 1
आदेश 5 नियम 1 के अन्तर्गत प्रतिवादी को अपना लिखित कथन देना होता है-
(a) Within 60 days from the service of summons/समन तामील होने के 60 दिन के भीतर
(b) Within 30 days from the service of summons/ समन तामील होने के 30 दिन के भीतर
(c) Within 90 days from the service of summons/ समन तामील होने के 90 दिन के भीतर
(d) Within 15 days from the service of summons/ समन तामील होने के 15 दिन के भीतर

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

34. Where a suit has been duly instituted a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim and may be served on such day not beyond ______ from the date of institution of suit.
जहाँ कोई वाद सम्यक् रूप से संस्थित किया जा चुका है, वहाँ उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए समन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा और उसकी तामील, ऐसे दिन को जो वाद के संस्थापन की तारीख से _________ के बाद का ना हो, की जा सकेगी।
(a) thirty days/तीस दिन
(b) sixty days/साठ दिन
(c) ten days/दस दिन
(d) twenty days/बीस दिन

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

35. A defendant under Order V, Rule 1(1) of CPC is required to appear, Answer and file written statement within/एक प्रतिवादी से दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश V, नियम 1(1) के अन्तर्गत अपेक्षा की जाती है कि वह उपस्थित होकर उत्तर दे, और जवाब दावा पेश करे–
(a) 90 days from the date of service of summons समन प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के अन्दर
(b) 60 days from the date of service of summons/ समन प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर
(c) 30 days from the date of service of summons/ समन प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अन्दर
(d) 15 days from the date of service of summons/ समन प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अन्दर

BPSC (APO) 2011

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

36. Under Civil Procedure Code, 1908 copy of plaint.
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत वादपत्र की प्रतिलिपि को
(a) shall be attached with every summons.
प्रत्येक समन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है।
(b) is not necessary to attach with every summons.
प्रत्येक समन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है।
(c) may be attached with the summons when court permits.
न्यायालय की अनुमति से समन के साथ जोड़ा जा सकता है।
(d) is attached with summons on the request of the plaintiff.
वादी के अनुरोध पर समन के साथ जोड़ा जाता है।

UPPCS (J)-2015

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 नियम 2 के अनुसार, वादपत्र की प्रतिलिपि को प्रत्येक समन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है।

37. Any court will order a party who resides without the local limits of the court's ordinary original jurisdiction, to appear in person, if he resides/कोई भी न्यायालय उसकी मामूली आरम्भिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने वाले पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश कर सकता है। अगर वह-
(a) Within India/भारत में निवास करता है
(b) Within the local limits of that state in which the court is situated/उस राज्य की सीमाओं के भीतर निवास करता है जिसमें कि न्यायालय अवस्थित है
(c) Within the local limits of that district in which the court is situated
उस जिले की सीमाओं के भीतर निवास करता है जिसमें कि न्यायालय अवस्थित है
(d) Within certain limits from the place where the court is situated/न्याय सदन से एक निश्चित सीमा के भीतर निवास करता है

MPHC CJ 2002

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 4 के अनुसार, न्यायालय किसी भी व्यक्ति को स्वयं उपसंजात होने के लिए तभी आदेशित करेगा जब वह-
(a) न्यायालय के मामूली आरम्भिक अधिकारिता के स्थानीय सीमा के भीतर निवास करता हो,अथवा
(b) ऐसी सीमाओं के बाहर रहता हो जो न्याय सदन से 50 मिल से कम दूर है, या
न्याय सदन से 200 मिल से कम दूरी पर निवास करता हो और उस स्थान से न्यायालय के बीच पंचषठांश (5/6) दूरी तक रेल या स्टीमर या लोक परिवहन का अन्य माध्यम उपलब्ध है।

38. No one shall be ordered to attend the Court in person to give evidence:
किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं हाजिर होकर साक्ष्य देने के लिए तब तक आदेशित नहीं किया जायेगा-
(a) unless he resides within 50 kilometers from the Court/जब तक कि वह न्यायालय से 50 किलोमीटर के भीतर निवास न करता हो
(b) unless he resides within 100 kilometers from the Court house/जब तक कि वह न्याय-सदन से 100 किलोमीटर के भीतर निवास न करता हो
(c) unless he resides within 1000 kilometers from the Court/जब तक कि वह न्यायालय से 1000 किलोमीटर के भीतर निवास न करता हो
(d) unless he resides within 500 kilometers from the Court house/जब तक कि वह न्याय सदन से 500 किलोमीटर के भीतर निवास न करता हो

25th BPSC (J) 2000

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. Under Order V Rule 9(3) of the Civil Procedure Code, 1908 the expenses for the service of summons to the defendant have to be born by
व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 9(3) के अनुसार प्रतिवादी पर सम्मन तामीली का खर्च निम्न में से किसको वहन करना होता है?
(a) the plaintiff/वादी को
(b) the defendant/प्रतिवादी को
(c) the court/न्यायालय को
(d) partly by plaintiff and partly by defendant
आंशिक रूप से वादी को और आंशिक रूप से प्रतिवादी को

UPPCS (J)-2016

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के **आदेश 5** नियम 9 में न्यायालय द्वारा समन का परिदान (तामील) का उपबंध किया गया है। नियम 9 के उपनियम (3) के परन्तुक के अनुसार, समन की तामील वादी के खर्च पर की जाएगी।

40. The expenses for the service of summons to the defendant have to be borne, under Order V Rule 9(3) CPC by
सी.पी.सी. के आदेश नियम 9 (3) के तहत प्रतिवादी को समन की सेवा के लिये खर्च वहन किया जाता है-
(a) The plaintiff/वादी के द्वारा
(b) The court/न्यायालय के द्वारा
(c) The defendant/प्रतिवादी के द्वारा
(d) Partly by the plaintiff and partly by the defendant/आंशिक रुप से वादी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिवादी द्वारा

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

41. Dasti summons for service on the defendant can be given to the plaintiff under
किसके अन्तर्गत दस्ती समन प्रतिवादी पर तामीली के लिए वादी को दिए जा सकते हैं-

(a) Order V rule 9A, C.P.C./आदेश 5 नियम 9-ए सिविल प्रक्रिया संहिता
(b) Order IV rule 9, C.P.C./आदेश 5 नियम 9, सिविल प्रक्रिया संहिता
(c) Order IV rule 7, C.P.C./आदेश 4 नियम 7, सिविल प्रक्रिया संहिता
(d) Order VI rule 6, C.P.C./आदेश 6 नियम 6, सिविल प्रक्रिया संहिता

MPADPO 2010
UP (HJS) 2014,2018
UPPCS (J) 2006, 2018

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 नियम 9A के अन्तर्गत समन की तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना उपबंधित है। इसे संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया, इसे दस्ती समन तामील भी कहते हैं।

42. Which of the following statement is incorrect?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(a) Where there are more defendants than one, service of the summons shall be made on each defendant/जहां एक से अधिक अभियुक्त है, समन की तामील प्रत्येक अभियुक्त पर की जानी चाहिए
(b) Service of the summons shall be made by tendering a copy thereof signed by the lawyer/समन की तामील वकील द्वारा हस्ताक्षर की गई समन की एक प्रति पेश कर की जानी चाहिए
(c) Summons for the defendant cannot be served on his servant/अभियुक्त के समन की तामील उसके नौकर पर नहीं की जा सकती
(d) Defendant may empower agent to receive summons/अभियुक्त समन प्राप्त करने के लिए एजेंट को अधिकार दे सकते है

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 नियम 10 के अनुसार, समन की तामील उसकी ऐसी प्रति के परिदान या निविदान द्वारा की जायेगी जो न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करें हस्ताक्षरित हो और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हो।

43. Under C.P.C. when the service of summons to the defendant is not made to him due to his absence within reasonable time, summons can be served to the
सी.पी.सी. के अन्तर्गत जब समन की तामील प्रतिवादी की घर पर अनुपस्थिति के कारण उचित समय से नहीं हो पाती है, तो समन की तामील की जा सकती है, प्रतिवादी के

(a) servant of the defendant/नौकर को
(b) adult son of the defendant/वयस्क बेटे को
(c) minor daughter of the defendant/अवयस्क पुत्री को
(d) munim of the defendant/मुनीम को

Rajsthan JLO 2013
Uttarakhand (J) 2008, 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 नियम 15 के अनुसार, जब प्रतिवादी अपने निवास स्थान पर अनुपस्थित रहता है, तो समन की तामील उसके कुटुम्ब के किसी ऐसे वयस्क स्त्री या पुरुष पर की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है। आदेश 5 नियम 15 के स्पष्टीकरण के अनुसार, नौकर परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है अतः प्रतिवादी के वयस्क बेटे पर समन की तामील की जा सकेगी।

44. During service of summons defendant was found absent from his residence and within reasonable time no chance to get back at his residence, service of the summons may be made on-
समन तामीली किये जाने पर प्रतिवादी निवास स्थान से अनुपस्थित मिलता है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके लौटने की संभावना नहीं है ऐसी स्थिति में समन की तामीली उसके साथ निवास करने वालेः

(a) On servant/सेवक पर
(b) Minor daughter/अवयस्क पुत्री पर
(c) Adult son/वयस्क पुत्र पर
(d) Munim/मुनीम पर

Chhattishgarh (J) 2004

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

45. Where in a suit the defendant is absent from his residence and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time, service of the summons may be made on:
जहाँ किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान से अनुपस्थित है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नहीं है, वहाँ समन की तामील की जा सकती है। साथ निवास करने वाले–

(a) Servant /सेवक पर
(b) Minor son /अवयस्क पुत्र पर
(c) Adult daughter /वयस्क पुत्री पर
(d) Munim /मुनीम पर

MPHC CJ 1996

Ans. (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

46. Substituted services is provided under
प्रतिस्थापित तामील अन्तर्गत की जाती है

(a) Order 2 Rule 2/आदेश 2 नियम 2
(b) Order 22 Rule 4/आदेश 22 नियम 4
(c) Order 5 Rule 19/आदेश 5 नियम 19
(d) Order 5 Rule 20/आदेश 5 नियम 20

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 20(1) में प्रतिस्थापित तामील के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। आदेश 5 नियम 20 (2) के अनुसार, न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगी मानों वह स्वयं प्रतिवादी पर की गई है।

47. The Civil Procedure Code the appointment of 'Receiver' has been dealt with
प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित समन तामील का उपबंध है, अन्तर्गतः

(a) Order V Rule 20 of CPC/आदेश V नियम 20 सीपीसी
(b) Order V Rule 19A of CPC /आदेश V नियम 19A सीपीसी
(c) Order V Rule 19 of CPC /आदेश V नियम 19 सीपीसी
(d) Order V Rule 21 of CPC /आदेश V नियम 21 सीपीसी

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

48. The provision for substituted service of summons on the defendant(s) has been made under/प्रतिवादियों को वैकल्पिक सम्मन भेजने के बारे में प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है?

(a) Order V, Rule 19 of CPC
आदेश V, सी. पी. सी. का नियम 19
(b) Order V, Rule 19A of CPC
आदेश V, सी. पी. सी. का नियम 19A
(c) Order V, Rule 20 of CPC
आदेश V, सी. पी. सी. का नियम 20
(d) Order V, Rule 21 of CPC
आदेश V, सी. पी. सी. का नियम 21

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

49. Where the defendant is confined in a prison, the summons shall be served:
जहाँ प्रतिवादी कारागार में परिरुद्ध है वहाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार से समन की तामीली की जाएगी?

(a) By affixing outside the prison/कारागार के बाहर चस्पा कर
(b) By sending process servant in the prison/ कारागार के भीतर मजदूर भेजकर
(c) By delivery of the summons to the officer incharge of the prison for service on the defendant/कारागार के भारसाधक अधिकारी को समन, प्रतिवादी पर तामीली हेतु परिदत्त कर
(d) By production warrant through the court/ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को प्रोडक्शन वारंट भेजकर

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 नियम 24 के अन्तर्गत, जहाँ प्रतिवादी कारागार में परिरूद्ध है वहाँ समन कारागार के भारसाधक अधिकारी को प्रतिवादी पर तामील के लिए परिदत्त किया जाएगा।

50. Where defendent resides in Pakistan, the summon may be send by post to execute and may alternatively be send to the defendant for discharge.
जहाँ प्रतिवादी पाकिस्तान में निवास करता है, वहाँ समन तामीली के लिए डाक द्वारा प्रेषित किए जाने के साथ-साथ वैकल्पिक रूप से प्रतिवादी पर निर्वहन हेतु भेजा जा सकेगा–

(a) Through Indian high commission situated in Pakistan/पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से
(b) Through Pakistani high commission situated in India/भारत में स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग के माध्यम से
(c) From the concerned court other than H.C. situated in Pakistan in whose local jurisdiction the defendant resides/पाकिस्तान में स्थित सम्बन्धित उच्च न्यायालय से भिन्न ऐसे न्यायालय के माध्यम से जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता है
(d) Other than the H.C. in Pakistan through such court in which the defendant resides in the local jurisdiction/पाकिस्तान में स्थित उच्च न्यायालय से भिन्न ऐसे न्यायालय के माध्यम से जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता है

MP (HJS) 2017

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की आदेश 5 नियम 26 के प्रथम परन्तुक के अनुसार, जहाँ प्रतिवादी बांग्लादेश या पाकिस्तान में निवास करता है वहां समन तामीली के लिए डाक द्वारा प्रेषित किए जाने के साथ-साथ वैकल्पिक रूप से उसकी एक प्रति प्रतिवादी पर तामील के लिए उस देश के किसी ऐसे न्यायालय जो उच्च न्यायालय से भिन्न हो, को भेजा जा सकेगा जिसकी उस स्थान में अधिकारिता है जहाँ प्रतिवादी निवास करता है।

51. Under Civil Procedure Code what may be substituted for summon where the defendant is, in the opinion of the court, of a rank entitling him to such mark of consideration?/सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यदि न्यायालय की राय में प्रतिवादी सम्मान के योग्य है, तब समन के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित हो सकता है?

(a) Notice/सूचना (b) Letter/पत्र
(c) Direction/निर्देश (d) Request/निवेदन

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के **आदेश 5 नियम 30** के अनुसार, न्यायालय को यह विवेकीय शक्ति प्राप्त है कि यदि प्रतिवादी सम्मानित व्यक्ति है, तब समन के स्थान पर पत्र भेजकर प्रतिवादी से हाजिर होने की अपेक्षा कर सकता है।

आदेश-6 अभिवचन साधारणतः

52. Pleading has been defined in
अभिवचन को परिभाषित किया गया है:

(a) Order VI, Rule 1 of the Code of Civil Procedure/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI, नियम 1 में।
(b) Order VI, Rule 2 of the Code of Civil Procedure/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI, नियम 2 में।
(c) Order VIII, Rule 1 of the Code of Civil Procedure/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII, नियम 1 में।
(d) Order VIII, Rule 2 of the Code of Civil Procedure/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII, नियम 2 में।

Rajsthan (JLO) 2013
Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 1 के अन्तर्गत अभिवचन को परिभाषित किया गया है। अभिवचन से तात्पर्य वाद-पत्र या लिखित कथन से है। वाद पत्र आदेश 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत वादी द्वारा तथा लिखित कथन आदेश 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिवादी द्वारा तैयार किया जाता है।

53. Under The Provisions of Civil Procedure Code Pleading means
सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 'अभिवचन' का अर्थ है–

(a) Only Plaint/केवल वाद पत्र
(b) Only written statement/केवल लिखित कथन
(c) Affidavit/शपथ पत्र
(d) Plaint & written statement/वाद पत्र एवं लिखित कथन

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

54. Pleading defined-
अभिवचन परिभाषित है-

(a) Order 6 Rule 1/आदेश 6 नियम 1
(b) Order 7 Rule 1/आदेश 7 नियम 1
(c) Order 22 Rule 4/आदेश 22 नियम 4
(d) Order 2 Rule 2/आदेश 2 नियम 2

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 1 के अनुसार अभिवचन से अभिप्रेत होगा—
1. वादपत्र या
2. लिखित कथन

55. Pleading means
अभिवचन में निहित है :

(a) Plaint or rejoinder /वाद पत्र या प्रतिवाद
(b) Plaint or written statement
वाद पत्र या लिखित कथन
(c) Plaint or written statement or rejoinder
वाद पत्र या लिखित कथन या प्रत्युत्तर
(d) Plaint alone /केवल वाद पत्र

MPHC CJ 2015, 2018 Shift IInd

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

56. Pleading means
अभिवचन से तात्पर्य है :

(i) Plaint/वाद पत्र
(ii) Written statement/लिखित कथन
(iii) Documentary evidence/दस्तावेजी साक्ष्य
(iv) Statement of witness/साक्षी का कथन

Choose of correct option/सही विकल्प का चयन कीजिए :

(a) (i) and (ii)/(i) और (ii)
(b) (i), (ii) and (iii)/ (i), (ii) और (iii)
(c) (i), (iii) and (iv)/ (i), (iii) और (iv)
(d) None of the above/ इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

57. Pleading Under Civil Procedure Code means/दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिवचन से अभिप्रेत है–

(a) Plaint only/वादपत्र मात्र
(b) Written statement only/लिखित कथन मात्र
(c) Plaint and written statement both/
वादपत्र एवं लिखत कथन दोनों
(d) Plaint, written statement and replication/
वादपत्र, लिखित कथन एवं प्रत्युत्तर

MP (ADPO) 2009 Paper-I
MPCJ 2006, 2017

Ans.(c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

58. Pleading does not include
अभिवचन में शामिल नहीं है:

(a) Plaint/वादपत्र
(b) Written Statement/प्रतिवादपत्र
(c) Evidence/साक्ष्य
(d) Material Facts/तात्विक तथ्य

MPHC CJ 2014

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 6 'अभिवचन' से सम्बन्धित है। आदेश 6 नियम 1 के अनुसार, ''अभिवचन'' से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत होगा।
नियम 2 के अनुसार, अभिवचन में तात्विक तथ्यों का कथन होगा, साक्ष्य का नहीं होगा।
अतः अभिवचन में साक्ष्य शामिल नहीं होता है।

59. What does 'Pleading' consist of?
'पैरवी' में क्या शामिल है?

(a) Plaint and written statement/वादपत्र और लिखित बयान
(b) Affidavit/शपथ पत्र
(c) Order of Court/न्यायालय का आदेश
(d) Decree of Court/न्यायालय की डिक्री

Chhattishgarh (J) 2017

Ans. (a) : पैरवी का अर्थ होता है कि पक्ष लेना या किसी कार्य या व्यक्ति के लिए अनुकूल प्रत्यत्न करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अधिवक्ता वाद पत्र प्रस्तुत करता है वह अपने मुवक्किल को अनुतोष दिलाने हेतु अनुकूल प्रयत्न करता है और जो वकील लिखित कथन प्रस्तुत करता है वह अपने मुवक्किल के पक्ष में वाद पत्र का खण्डन कर वाद हेतुक को समाप्त कराना चाहता है, इसलिए पैरवी में वाद पत्र तथा लिखित कथन दोनों सम्मिलित हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 1 के अनुसार अभिवचन से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत है।

60. Which of the following is/are the fundamental rules of pleading as set forth under order 6, Rule 2 of the Code of Civil Procedure?
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6, नियम 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन अभिवचन के मूल नियम है?

(a) Every pleading must state facts and not law only/प्रत्येक अभिवचन में केवल तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए न कि विधि का
(b) It must state material facts only/इसमें केवल सारभूत तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए

(c) It must state such facts in a concise form only/केवल इसमें तथ्यों को संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए

(d) All of these/उपरोक्त सभी

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 6 नियम 2 में प्रावधान किया गया है कि अभिवचन मे तात्विक तथ्यों का न कि साक्ष्य का, कथन होगा अर्थात् हर अभिवचन में उन तात्विक तथ्यों का, जिन पर अभिवचन करने वाला पक्षकार यथास्थिति, अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है और केवल उन तथ्यों का न कि उस साक्ष्य का जिसके द्वारा वे साबित किए जाने है, संक्षिप्त कथन अंतर्विष्ट होगा। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक अभिवचन में केवल तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए न कि विधि का, इसमें केवल सारभूत तथ्यों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

61. What is the essence of pleadings?
अभिवचन का सार क्या है?

(a) Plead facts not law/तथ्यों का अभिवचन करें, विधि का नहीं

(b) Plead law not facts/विधि का अभिवचन करें, तथ्यों का नहीं

(c) Plead facts and law/तथ्य और विधि का अभिवचन करें

(d) All the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

62. Which one of the following is not a rule of pleading?
निम्नलिखित में से कौन अभिवचन का नियम नहीं है?

(a) Plead the fact and not the law.
तथ्यों का अभिवचन करें, विधि का नहीं।

(b) State the law and plead the facts
विधि का कथन करें और तथ्यों का अभिवचन करें।

(c) Plead material facts only
केवल सारभूत तथ्यों का अभिवचन करें।

(d) Plead facts, not evidence
तथ्यों का अभिवचन करें, साक्ष्य का नहीं

UPPCS (J)-2003

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

63. Which one of the following is not a fundamental rule of pleadings?
निम्नलिखित में से कौन-सा अभिवचन का मूलभूत नियम नहीं है?

(a) That every pleading must state facts and not law/कि प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का कथन होना चाहिये विधि का नहीं

(b) That it must state all materials facts and materials facts only/कि अभिवचन में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों व केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का ही कथन होना चाहिये

(c) That it must state facts and not evidence/कि अभिवचन में तथ्यों का कथन होना चाहिये साक्ष्य का नहीं

(d) That it must state facts in detail/कि इसमें तथ्यों का कथन विस्तार से किया जाना चाहिये

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III
MPADPO 2010

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 2 में प्रावधान किया गया है कि अभिवचन में तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त कथन अंतर्विष्ट होगा।

64. It is a fundamental principle of pleading that pleadings should contain a statement of material facts and material facts only. Which of the following case has defined material facts?
अभिवचन का एक आधारभूत सिद्धान्त है कि अभिवचन में तात्विक तथ्यों और मात्र तात्विक तथ्यों, का ही समावेश होना चाहिए। निम्न में से कौन सा वाद 'तात्विक तथ्य' को परिभाषित करता है?

(a) Udhav Singh V. Madhav Rao Scindia/उधव सिंह बनाम माधव राव सिन्धिया

(b) A.R. Antulay V.R.S. Nayak/ए.आर. अन्तुले बनाम आर.एस. नायक

(c) State of Haryana V. State of Punjab/स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब

(d) State of Uttar Pradesh V. Nawab Hussain/स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नवाब हुसैन

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : उधव सिंह बनाम माधव राव सिन्धिया (1976 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'तात्विक तथ्य' को परिभाषित किया तथा यह धारित किया कि पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखकर तथा उनके हित को नजरअंदाज न करके सभी मौलिक एवं प्रक्रियात्मक विधियों का अनुशीलन करते हुए अभिवचनों को तैयार किया जाना चाहिए जिससे वास्तविक तथ्यों की जानकारी मिल सके और न्यायालय को न्याय करने में असुविधा न हो।

65. Pending proceedings in a representative suit, the dispute is settled between plaintiff and defendants. They jointly filed an application to record settlement which was allowed, Suit was decreed in terms of the settlement. Is there any procedural irregularity?
प्रतिनिधि वाद की कार्यवाही के लम्बित रहते, वादी व प्रतिवादी के मध्य विवाद का राजीनामा हो जाता है। राजीनामे को अभिलेख पर रखने हेतु वे संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं जो स्वीकार किया गया। राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया गया। क्या यहाँ कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता है?

(a) No/नहीं

(b) Yes, Court ought to have conducted an enquiry about the genuineness of settlement/हां। न्यायालय को राजीनामे की सत्यता के बारे में जांच करनी चाहिए थी।

(c) No. Court could have granted leave to settle, being a representative suit./नहीं। एक प्रतिनिधि वाद होने के कारण न्यायालय राजीनामा करने की अनुमति दे सकता है।

(d) Yes. Court cannot grant permission without following due procedure, being a representative suit./हाँ। एक प्रतिनिधि वाद होने के कारण न्यायालय, बिना प्रक्रिया का अनुसरण किए, अनुमति नहीं दे सकता।

Rajasthan (J) 2021

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 8(4) के अनुसार, प्रतिनिधिक वाद में कोई करार, समझौता या तुष्टि अभिलिखित नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय द्वारा ऐसे वाद में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को वादी के खर्चे पर सूचना न दे दी गयी है।

66. The forms in ________, when applicable and where they are not applicable, form of like character, as nearly as may be, shall be used for all pleadings.
जब लागू होने योग्य हो तब ______ के प्ररूप और जहाँ वे लागू होने योग्य न हो, वहाँ जहाँ तक हो सके, लगभग वैसे ही प्ररूप सभी अभिवचनों के लिए प्रयुक्त किये जाएँगे।

(a) Appendix 'A'/परिशिष्ट 'क'
(b) Appendix 'B'/परिशिष्ट 'ख'
(c) Appendix 'C'/परिशिष्ट 'ग'
(d) Appendix 'D'/परिशिष्ट 'घ'

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 3 के अनुसार, जब वे लागू होने योग्य हो तब परिशिष्ट 'A' में के प्ररूप और जहाँ वे लागू होने वाले न हो, वहाँ जहाँ तक हो सके, लगभग वैसे ही प्ररूप सभी अभिवचनों के लिए प्रयुक्त किए जाएगे।

67. Any matter of fact which the court presume in favour of any party and the burden of proof that lies on other side:
तथ्य के किसी भी विषय का जिसकी न्यायालय किसी पक्षकार के पक्ष में उपधारणा करता है तथा जिसके साबित किये जाने का भार दूसरे पक्ष पर होता है:

(a) Should be alleged in the pleading/अभिवचन में कथन दिया जाना अनिवार्य है

(b) Should not be alleged in the pleading/अभिवचन में कथन दिया जाना अनिवार्य नहीं है

(c) Should not be alleged but if it is specifically denied by the other party than it should be alleged in the pleading/कथन किया जाना अनिवार्य नहीं है परन्तु यदि उससे विशेष रूप से इनकार किया गया है तो अभिवचन में उसका कथन किया जाना चाहिये

(d) There is no specific rule regarding this/इससे सम्बन्धित कोई विशिष्ट नियम नहीं है

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 13 के अनुसार, जहाँ किसी तथ्य की बात को विधि किसी पक्षकार के पक्ष में उपधारणा करती है या जिसके सबूत का भार प्रतिपक्ष पर है, पक्षकारों में से किसी के द्वारा किसी भी अभिवचन में उसे अभिकथित करना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि उसका प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट रूप से न कर दिया गया हो।

68. Which of the following need not to be stated in pleading?/निम्नलिखित में से किसकी अभिवचन में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है?

(a) Effect of a document/दस्तावेज का प्रभाव
(b) Burden of proof/सबूत का भार
(c) Particulars in case of fraud/कपट के मामले में विशिष्टियाँ
(d) Statement of material facts/तात्विक तत्वों का कथन

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 13 के अनुसार, किसी तथ्य की बात के बारे में यदि विधि किसी पक्षकार के पक्ष में उपधारणा करती है या जिसके सबूत का भार प्रतिपक्ष पर है, पक्षकारों में से किसी के द्वारा किसी अभिवचन में अभिकथित करना आवश्यक न होगा, जब तक कि पहले ही उसका प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट रूप से न कर दिया गया है। अतः अभिवचनों में सबूत के भार का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

69. Pleadings must be signed
अभिवचन अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए

(a) by the party only/केवल पक्षकार द्वारा
(b) by the pleader only/केवल प्लीडर (वकील) द्वारा
(c) by the pleader and the party both
प्लीडर और पक्षकार दोनों द्वारा
(d) by the pleader and successor of the pleader
प्लीडर और उसके उत्तराधिकारी द्वारा

Uttarakhand (J) 2012, Rajsthan JLO 2013

Ans : (c) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 14 के अनुसार, हर अभिवचन पक्षकार द्वारा और यदि उसका कोई प्लीडर हो तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। परन्तु जहां अभिवचन करने वाला पक्षकार अनुपस्थित होने के कारण या अन्य अच्छे हेतुक से अभिवचन पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो वहां वह वाद पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा जो उसकी ओर से उसे हस्ताक्षरित करने के लिए या वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है।

70. Which rule under Order VI of CPC provides for verification of pleadings?
सी.पी.सी. के आर्डर VI के किस रूल के तहत अभिवचन के सत्यापन का प्रावधान है?

(a) Rule 4/रूल 4
(b) Rule 17/रूल 17
(c) Rule 2/रूल 2
(d) Rule 15/रूल 15

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 15(1) के अनुसार, हर अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक के द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है, उसके पद भाग में सत्यापित किया जाएगा।

71. In which order and rule of CPC the provisions for verification of pleadings is provided?
सि0प्र0सं. के किस आदेश व नियम में अभिवचनों के सत्यापन का प्रावधान है?

(a) Order VI, Rule 2/आदेश 6 नियम 2
(b) Order VI, Rule 4/ आदेश 6 नियम 4

(c) Order VI, Rule 15/ आदेश 6 नियम 15
(d) Order VI, Rule 17/ आदेश 6 नियम 17

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

72. Who shall furnish the affidavit which is filled in support of the plaint?
वादपत्र के समर्थन में पेश किये जाने वाला शपथ-पत्र किसके द्वारा संपादित किया जायेगा?

(a) By Plaintiff/वादी द्वारा
(b) Where there is more than one plaintiff by one of them
जहाँ एक से अधिक वादी हों, वहाँ उनमें से एक द्वारा
(c) By the person who verifies the pleading of plaint/उस व्यक्ति द्वारा जिसने वाद के अभिवचनों को सत्यापित किया हो
(d) By the pleader of plaintiff/वादी के अधिवक्ता द्वारा

MPHC CJ 2014

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 15(4) में प्रावधान किया गया है कि अभिवचनों का सत्यापन करने वाला व्यक्ति अपने अभिवचनों के समर्थन में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

73. Which of the following pleadings will be struck out
निम्न में से किस प्रकार के अभिवचन को हटा दिया (struck out) जायेगा?

(a) Unnecessary/अनावश्यक
(b) Scandalous/कलंकात्मक
(c) Frivolous or vexations/तुच्छ व कलंकात्मक
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 16 के अनुसार, न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा कि किसी भी अभिवचन में कोई भी ऐसी बात काट दी जाए या संशोधित कर दिया जाए—
(a) जो अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ या तंग करने वाली है अथवा
(b) जो वाद के ॠजु विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसमें उलझन डालने वाली या विलंब करने वाली है,अथवा
(c) जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

74. The Court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings under which of the following of the CPC?
न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को अपने अभिवचनो को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए सि.प्र.सं. के निम्नलिखित में से किसके अधीन अनुज्ञात कर सकेगा?

(a) Order VI Rule 14/आदेश VI नियम 14
(b) Order VI Rule 15/आदेश VI नियम 15
(c) Order VI Rule 16/आदेश VI नियम 16
(d) Order VI Rule 17/आदेश VI नियम 17

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (d) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 17 के अनुसार, न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को, अपने अभिवचनों में परिवर्तन/संशोधन करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। परन्तु विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी पक्षकार विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।

75. Pleading can be amended under CPC
अभिवचन में सी.पी.सी. के तहत संशोधन किया जा सकता है

(a) Order 6 Rule 18A/आदेश 6 नियम 18 A के अन्तर्गत
(b) Order 6 Rule 18/आदेश 6 नियम 18 के अन्तर्गत
(c) Order 6 Rule 16/आदेश 6 नियम 16 के अन्तर्गत
(d) Order 6 Rule 17/आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

76. A party can amend his pleading as provided under:
पक्षकार अपने अभिवचन का संशोधन कर सकते है:

(a) Order 6, Rule 16/आदेश 6, नियम 16
(b) Order 6, Rule 18/आदेश 6, नियम 18
(c) Order 6, Rule 17/आदेश 6, नियम 17
(d) Order 6, Rule 6/आदेश 6, नियम 6

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

77. Amendment in pleadings relates to-
अभिवचनों में संशोधन संबंधित है-

(a) Order 6, Rule 15 CPC
आदेश 6 नियम 15 व्य.प्र.सं.
(b) Order 6, Rule 17 CPC
आदेश 6 नियम 17 व्य.प्र.सं.
(c) Order 6, Rule 16 CPC
आदेश 6 नियम 16 व्य.प्र.सं.
(d) Order 6, Rule 18 CPC
आदेश 6 नियम 18 व्य.प्र.सं.

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

78. 'Pleading' can be altered or amended
अभिवचन को संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है-

(a) under Order VI, Rule 9 of CPC/आदेश VI, नियम 9 सीपीसी के अंतर्गत
(b) under Order VI, Rule 10 of CPC/आदेश VI, नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत
(c) under Order VI, Rule 16 of CPC/आदेश VI, नियम 16 सीपीसी के अंतर्गत
(d) under Order VI, Rule 17 of CPC/आदेश VI, नियम 17 सीपीसी के अंतर्गत

Jharkhand (J) 2008, 2016, 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

79. An application for amendment of pleadings is filed under:
अभिवचनों के संशोधन के लिए आवेदन......................के अंतर्गत पेश किया जाता है।
(a) Order 6 Rule 17/आदेश 6 नियम 17
(b) Order 6 Rule 5/आदेश 6 नियम 5
(c) Order 38 Rule 5/आदेश 38 नियम 5
(d) Order 21 Rule 1/आदेश 21 नियम 1

MPHC CJ 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

80. Under Order VI Rule 17 of the Code of Civil Procedure, the Court can allow to alter or amend the proceedings to
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के अन्तर्गत न्यायालय किसी कार्यवाही के परिवर्तित या संशोधित करने की अनुज्ञा दे सकता हैः
(a) either party/किसी भी पक्षकार को।
(b) to plaintiff only/केवल वादी को।
(c) to defendant only/केवल प्रतिवादी को।
(d) to only one defendant, if there are more than one defendant/केवल एक प्रतिवादी को यदि एक से अधिक प्रतिवादी हो।

Uttarakhand (J) 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

81. Under Civil Procedure Code, 1908 pleading can be amended.
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत अभिवचन को संशोधित किया जा सकता है
(a) before the 1st appellate court
प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष
(b) before the trail court
विचारण न्यायालय के समक्ष
(c) before the 2nd appellate court
द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष
(d) before (a) and (c) only
केवल (a) तथा (c) के समक्ष

UPPCS (J)-2015

Ans. (*) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 17 में अभिवचनों का संशोधन का प्रावधान किया गया है।
आदेश 6 नियम 17 के अनुसार, न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।
परन्तु विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् न्यायालय संशोधन तभी अनुज्ञात करेगा जब न्यायालय का यह निष्कर्ष हो कि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार विचारण प्रारम्भ होने के पूर्व वह विषय नही उठा सकता था।
गंगा बाई बनाम विजय कुमार AIR 1974 के वाद में कहा गया कि विचारण के किसी भी प्रक्रम पर संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है यह परिसीमा विधि से भी प्रवाहित नहीं होता है।
पीरगोंदा पाटिल बनाम कलगोंदा पाटिल AIR 1957 के वाद में कहा गया कि प्रथम अपील में भी पक्षकार अभिवचनों में संशोधन हेतु आवेदन कर सकेंगे।
लक्ष्मीदास बनाम नन्दभाई AIR 1964 के वाद में कहा गया कि द्वितीय अपील में भी पक्षकार संशोधन हेतु आवेदन कर सकेंगे।
ए.के. गुप्ता एण्ड सन्स बनाम दामोदर वैली कार्पोरेशन AIR 1967 के वाद में निर्णीत हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील में भी पक्षकार संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
चरन दास बनाम कृपाल सिंह AIR 1977 के वाद में निर्णीत हुआ कि पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष भी संशोधन के लिए आवेदन हो सकेगा।
पूर्व सैनिक इण्टरप्राइजेज (प्रा.) लिमिटेड बनाम सुमे सिंह AIR 1976 के वाद में निर्णीत हुआ कि विधितः प्रवर्तनीय डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के समक्ष भी संशोधन के लिए आवेदन हो सकेगा।

82. Pleadings can be amended:
अभिवचनों को संशोधित किया जा सकता हैः
(a) before the trial court only
केवल विचारण न्यायालय
(b) before the first appellate court only
केवल प्रथम अपीलीय न्यायालय
(c) before either the trial court or first appellate court or second appellate court
विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय या द्वितीय अपीलीय न्यायालय
(d) before second appellate court only
केवल द्वितीय अपीलीय न्यायालय

MPHC CJ 2006
Chhattishgarh (J) 2020

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

83. Pleading can be amended:
अभिवचन में संशोधन किया जा सकता हैः
(a) Before the trial court/विचारण न्यायालय के समक्ष
(b) Before the first appellate court/प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष
(c) Before the second appellate court/द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

84. The Court:
न्यायालय-
(a) can allow amendment of pleading at any stage of the proceeding/कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अभिवचन में संशोधन को अनुज्ञात कर सकता है
(b) a party can amend its pleadings at any stage/कोई पक्षकार किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचन संशोधित कर सकता है
(c) cannot allow amendment of pleadings
अभिवचन के संशोधन को अनुज्ञात नहीं कर सकता
(d) can allow amendment of written statement only/केवल लिखित कथन में संशोधन को अनुज्ञात कर सकता है

25th BPSC (J) 2000

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 17 के अनुसार, न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अभिवचन में संशोधन को अनुज्ञात कर सकता है।

85. A is interested to amend his plaint. The defendant is against it. The court must allow to amend or not. If no, then when/'क' अपने वाद में कुछ संशोधन करना चाहता है। प्रतिवादी ऐसे संशोधनों का विरोध करता है। न्यायालय को संशोधन की अनुमति देना चाहिए या नहीं। यदि नहीं, तो कब –

(a) When it is necessary to know the real position of the case/जब सही निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो
(b) When it is necessary to avoid the plundering of case/जब ऐसा किया जाना वाद की बाहुल्यता को रोकने के लिए आवश्यक हो
(c) When there is fundamental change in the nature of case/जब वाद की प्रकृति में सारभूत परिवर्तन हो जाता है
(d) When there is possibility of delay in proceedings of the case/जब वाद के विचारण में विलम्ब होने की संभावना हो

MP (ADPO) 2008 Paper-I

Ans. (c): सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 17 में अभिवचन के संशोधन सम्बन्धी उपबंध हैं। अभिवचन में वादपत्र एवं लिखित कथन दोनों शामिल होते हैं। न्यायालय किसी वाद में संशोधन की अनुमति देने से तब इन्कार कर सकता है जबकि प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति में सारभूत परिवर्तन हो जायेगा या वाद पूर्णरूपेण विस्थापित हो जायेगा।

86. Whether the following proposition is legally correct or not?
"The principle so far as it relates to the amendment of plaint is equally applicable to the amendment of written statement. By way of amendment in plaint a time barred plea cannot be allowed to be raised so also in the case of written statement."
Find out the correct answer from the following options–
क्या निम्नलिखित प्रतिपादन विधितः सही है या नहीं?
''सिद्धान्त जहाँ तक वाद–पत्र के संशोधन से सम्बन्धित है, समान रूप से लिखित कथन के संशोधन को लागू होता है। वाद–पत्र के संशोधन द्वारा कालबाधित अभिवाक् लिखित कथन के मामले में भी उठाया जाना अनुज्ञात नहीं कर सकता है।''
निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर बताइये–

(a) Correct/सही
(b) Incorrect/गलत
(c) Partially correct/आंशिक रूप से सही
(d) None of the above is applicable/उपर्युक्त में से कोई लागू नहीं है

UP (HJS) 2009

Ans. (a) : उपर्युक्त कथन सत्य है क्योंकि आदेश 6 नियम 1 के अनुसार अभिवचनों में वाद पत्र एवं लिखित कथन दोनों सम्मिलित हैं। अतः जो नियम वाद पत्र के सम्बन्ध में लागू होता है वह लिखित कथन के सम्बन्ध में लागू होगा। इस प्रकार संशोधन द्वारा कोई कालबाधित अभिवाक् लिखित कथन में भी उसी प्रकार नहीं उठाया जा सकता जिस प्रकार वाद पत्र में नहीं उठाया जा सकता है।

87. If the order to amend the pleadings does not contain time limit to amend, party can made the amendment within
यदि अभिवचन के संशोधन के आदेश में संशोधन करने हेतु सीमा नहीं दी गई है तो पक्षकार संशोधन कर सकते हैंः

(a) 30 days/30 दिनों में
(b) 15 days/15 दिनों में
(c) 14 days/14 दिनों में
(d) 7 days/7 दिनों में

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 18 में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी पक्षकार को संशोधन करने का आदेश प्राप्त हुआ है तथा कोई समय परिसीमित नहीं किया गया है, तो आदेश की तारीख से 14 दिन के अंदर संशोधन कर लेना चाहिए।

88. What is the maximum period given in civil procedure code for amendment in plaint-
वाद पत्र में संशोधन समाविष्ट करने की अधिकतम अवधि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में कितनी है?

(a) Seven Days/सात दिन
(b) Fourteen Days /चौदह दिन
(c) Fifteen Days /पन्द्रह दिन
(d) Thrity Days /तीस दिन

MP (HJS) 2018

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

89. Where in order allowing amendment, no time is prescribed then amendment can be made from the date of order in-
जहाँ संशोधन समाहित करने हेतु आदेश में कोई समय परिसीमित नहीं किया गया है तो संशोधन किया जा सकेगा आदेश की तारीख से-

(a) in resonable time/युक्तियुक्त समय
(b) Fourteen days/14 दिन
(c) Sixty days/60 दिन
(d) Three days/3 दिन

MPHC CJ 2019 Shift-II
Jharkhand (J) 2014

Ans. (b : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

90. If a party who has obtained an order for leave to amend pleading does not amend the same within how many days, he shall not be permitted to do without leave of Court?
यदि कोई पक्षकार संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिनों तक अभिवचन में संशोधन नहीं करता तो न्यायालय की अनुमति के बिना वह संशोधन नहीं कर सकेगा?

(a) Fifteen days /पन्द्रह दिन
(b) Fourteen days/ चौदह दिन
(c) Twenty days /बीस दिन
(d) Thirty days /तीस दिन

MPHC CJ 1997
Chhattisgarh (J) 2020

Ans. (b) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 18 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पक्षकार जिसे संशोधन का आदेश प्राप्त कर लिया है तथा आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर संशोधन नहीं करता है तो न्यायालय के अनुमति के बिना पुनः संशोधन नहीं कर सकता है।

91. "A bundle of facts which taken with the law applicable to them gives the plaintiff the right to relief against the defendant." It is called as
''तथ्यों का एक समूह उनसे सम्बन्धित विधि के साथ वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध उपचार का अधिकार प्रदान करता है।'' इसे कहा जाता है
(a) Plaint/वादपत्र
(b) Written statement/लिखित कथन
(c) Cause of action/वाद-हेतुक
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : तथ्यों का एक समूह जो उनसे सम्बन्धित विधि के साथ वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध उपचार का अधिकार प्रदान करता है उसे वाद हेतुक कहा जाता है।

आदेश-7 वाद पत्र

92. Order VII of Civil Procedure Code deals with
सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश-VII प्रावधान करता है–
(a) Plaint/ वाद पत्र
(b) Written statement/ लिखित कथन
(c) Counter claim/ प्रतिदावा
(d) Set-off/ मुजरा

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश VII वादपत्र से संबंधित है, जबकि आदेश VIII लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा से।

93. Order 7 Rule 1 of Civil Procedure Code, 1908 is related to
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7, नियम 1 सम्बन्धित है
(a) Pleading's meaning/अभिवचनों के अर्थ से
(b) Written statement/लिखित कथन से
(c) Particulars to be contained to plaint
वादपत्र में अन्तर्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियों से
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UPPCS (J)-2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 1 वाद पत्र में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियों से सम्बन्धित है। वाद-पत्र वह दस्तावेज जिसे न्यायालय में प्रस्तुत करके वादी वाद संस्थित करता है।

94. Under which order and rule of CPC plaintiff has to show in plaint that the defendant is interested in subject matter and that he is liable to be called upon to answer the plaintiff's demand?
सी.पी.सी. के किस आदेश और नियम के तहत वादी को अपने वाद-पत्र में यह बताना पड़ता है कि प्रतिवादी का वाद की विषय वस्तु में हित है और वह वादी की मांग का जवाब देने के लिए दायित्वाधीन है?
(a) Order VII, Rule 5/आर्डर VII, रूल 5
(b) Order VII, Rule 2/आर्डर VII, रूल 2
(c) Order VII, Rule 7/आर्डर VII, रूल 7
(d) Order VIII, Rule 2/आर्डर VIII, रूल 2

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 5 के अनुसार, वाद पत्र में यह दर्शित किया जाएगा कि प्रतिवादी विषय वस्तु में हित रखता है या रखने का दावा करता है और वह वादी की मांग पर उत्तर देने के लिए अपेक्षित किए जाने का दायी है।

95. Order VII, Rule 10 of Civil Procedure Code provide for
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 में प्रावधानित है
(a) Return of Plaint/वादपत्र का लौटाया जाना
(b) Rejection of Plaint/वादपत्र की अस्वीकृति
(c) Admission of Plaint/वादपत्र का ग्रहण करना
(d) Both (a) and (b) above/उपर्युक्त (a) और (d) दोनों

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 10 के अनुसार, न्यायालय वाद पत्र को किसी भी प्रक्रम पर उस न्यायालय में उपस्थित किये जाने के लिए लौटा सकेगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था।

96. A court can return the plaint for presentation to the court in which the suit should have been instituted?
न्यायालय वादपत्र को उस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के लिए लौटा सकता है जहाँ वाद संस्थित किया जाना चाहिए था
(a) At the time of institution of suit.
वाद संस्थित किये जाते समय
(b) Before framing of issues.
विवाद्यकों की विरचना से पूर्व
(c) Before the trial begins
विचारण प्रारंभ होने से पूर्व
(d) At any stage of the suit.
वाद के किसी भी प्रक्रम पर

UPPCS (J)-2015

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

97. A paint is liable to be returned, when
वादपत्र लौटाये जाने के अधीन है-
(a) plant is on an insufficiently stamped paper/वाद अपर्याप्त स्टैम्प पेपर पर है
(b) plaint is not filed in duplicate/वादपत्र डुप्लिकेट में दाखिल नहीं किया गया है

(c) relief is undervalued in the plaint/वादपत्र में अनुतोष वास्तविक मूल्य से कम है
(d) plaint is filed in a court having no jurisdiction /वादपत्र क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया गया है

Jharkhand (J) 2008

Ans. (d) : वादपत्र का लौटाया जाना से सम्बन्धित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 10 में किया गया है। नियम 10 के तहत न्यायालय वाद पत्र को लौटा देगा यदि वाद पत्र क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में दाखिल किया गया है।

98. Plaint can be returned to the plaintiff in the following condition/वादी को उसका वाद-पत्र किन परिस्थितियों में वापस लौटाया जा सकता है?

(a) When necessary documents have not submitted with plaint /जब वाद-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किये गये हों
(b) When the plaint has been field in other court/जब वाद-पत्र गलत न्यायालय में पेश कर दिया गया हो
(c) When the necessary parties have not been included in plaint/जब वाद-पत्र में किसी आवश्यक पक्षकार को नहीं जोड़ा गया हो
(d) When the plaint has not amended within the required time/जब वाद-पत्र में निर्धारित समयावधि में संशोधन नहीं किया गया हो

MP (ADPO) 2008 Paper-I

उत्तर – (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

99. On which of the following ground the court shall return a plaint?
निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायालय वाद-पत्र को लौटा देगा?

(a) The plaint is not disclose a cause of action./वाद-पत्र वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।
(b) The palint is not filed in duplicate./वाद-पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
(c) The suit, appears from the statement in the plaint to be barred by law./वाद-पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
(d) The palint to be presented to the court in which the suit should have been instituted./वाद-पत्र उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

100. In which of the following case, the plaint will be ordered to be returned for presentation to the proper court–
निम्नलिखित मामले में से किसमें वाद पत्र उचित न्यायालय में प्रस्तुतीकरण के लिए वापस किये जाने हेतु आदेशित किया जायेगा–

(a) The plaintiff frames his suit in a manner not warranted by the facts and goes for his relief to a court which cannot grant him./वादी अपना वाद पत्र इस ढंग से विरचित करता है, जो तथ्यों द्वारा प्राधिकृत नहीं है एवं अपने अनुतोष के लिए उस न्यायालय में जाता है, जो उसे मंजूर नहीं कर सकता है।
(b) The plaintiff chooses a wrong court in respect of territorial limits./वादी प्रादेशिक सीमाओं के सम्बन्ध में गलत न्यायालय का चयन करता है
(c) The plaintiff chooses a wrong court in respect of pecuniary limits./वादी आर्थिक सीमाओं के सम्बन्ध में गलत न्यायालय का चयन करता है
(d) Both (B) and (C)/दोनों (B) एवं (C)

UP (HJS) 2009

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 10 में वाद पत्र के लौटाये जाने का प्रावधान दिया गया है।
आदेश 7 नियम 10 के अनुसार, यदि वादपत्र उचित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो वाद के किसी भी प्रक्रम पर उचित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने हेतु लौटाया जा सकेगा।
उचित न्यायालय से तात्पर्य है वह न्यायालय जिसके स्थानीय अधिकारित क्षेत्र में वाद की विषयवस्तु स्थित हो तथा जिसकी आर्थिक अधिकारिता वाद के विचारण हेतु उसे सशक्त करती है।

101. Under CPC 1908, if the court finds at any stage that it has no pecuniary jurisdiction with respect to the subject matter of the suit, it will
सी. पी. सी. 1908 के तहत, वाद-पत्र के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय यह पाता है कि उसे सम्बन्धित मामले के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नहीं है-

(a) dismiss the suit /वाद को निरस्त करेगा
(b) proceed with the suit /वाद में आगे कार्यवाही करेगा
(c) amend the suit /वाद में संशोधन करेगा
(d) return the suit /वाद वापस करेगा

MPHC CJ 2013 Shift-I

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 10 के अन्तर्गत जहाँ न्यायालय वाद के किसी प्रक्रम पर यह पाता है कि उसे उस मामले के संबंध में आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तो वह समुचित न्यायालय में वाद दाखिल करने के लिए वाद-पत्र को वापस लौटा देगा।

102. Plaint can be returned by the Court when
न्यायालय द्वारा वाद पत्र कब लौटाया जा सकता है?

(a) it has been filed on insufficiently stamped paper/जब वह अपर्याप्त स्टाम्प पेपर पर दायर किया गया है
(b) it has not been accompanied by affidavit/जब वह डुप्लीकेट प्रति के बिना प्रस्तुत किया गया है
(c) when it has not been accompanied by affidavit/जब वह बिना शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है
(d) when it has been filed in a court having no jurisdiction/जब वह उस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसे क्षेत्राधिकार नहीं है

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

103. Whether the appeal or revisional court can return the plaint under Order 7 Rule 10 CPC after set side the decree:
क्या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात् आदेश 7 नियम 10 व्य.प्र.सं. के अधीन वादपत्र लौटाने का निर्देश दे सकेगा?
(a) No/नहीं
(b) On technical ground/तकनीकी कारणों से निर्देश दे सकेगा
(c) With the consent of parties/पक्षकारों की सहमति से निर्देश दे सकेगा
(d) Yes/हाँ, निर्देश दे सकेगा

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 10 (1) के स्पष्टीकरण के अनुसार, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात् वादपत्र के लौटाए जाने का निदेश दे सकेगा।

104. Procedure for return of plaint is provided in
वाद पत्र लौटाने पर प्रक्रिया का प्रावधान है–
(a) Order VII, Rule 10(1)/ आदेश VII, नियम 10(1)
(b) Order VII, Rule 10(2)/ आदेश VII, नियम 10(2)
(c) Order VII, Rule 11/ आदेश VII, नियम 11
(d) Order VII, Rule 10A/ आदेश VII, नियम 10A

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 10(2) के अनुसार, न्यायाधीश वादपत्र के लौटाए जाने पर उस पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा।

105. A court can return the plaint, when the court has got
कोई भी न्यायालय किसी वाद-पत्र को लौटा सकता है, यदि
(a) no territorial jurisdiction
यह उसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में न हो
(b) no pecuniary jurisdiction
यह आर्थिक अधिकार से बाहर हो
(c) no subject-matter jurisdiction
इसका विषय न्यायालय के अधिकार में न हो
(d) Any of the above/उपर्युक्त में से कोई भी

29th BPSC (J) 2017

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 10 सपठित 10-A के उपनियम (3) के अनुसार, कोई भी न्यायालय किसी वाद पत्र को लौटा सकता है, यदि उसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं थी।
अधिकारिता (jurisdiction)के अंतर्गत सम्मिलित है—
1. क्षेत्रीय-क्षेत्राधिकारिता (Territorial jurisdiction)
2. धन सम्बन्धी अधिकारिता (Pecuniary jurisdiction)
3. विषय-वस्तु सम्बन्धी अधिकारिता (Subject-matter jurisdiction)

106. In which order and rule of C.P.C. the power of appellate Court to transfer suit to the proper court has been given?
किस आदेश और नियम के तहत अपील न्यायालय को उचित न्यायालय में मामले को अन्तरित करने की शक्ति दी गयी है?
(a) Order VII Rule 10A / आदेश VII नियम 10A
(b) Order VII Rule 10B / आदेश VII नियम 10B
(c) Order VII Rule 12/ आदेश VII नियम 12
(d) Order VII Rule 13/ आदेश VII नियम 13

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 10-B के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय को समुचित न्यायालय में वाद स्थानांतरित करने की शक्ति दी गयी है।

107. "Rejection of Plaint" is mentioned under
''वाद पत्र का नामंजूर किया जाना'' वर्णित है-
(a) Order VII Rule 11/आदेश VII नियम 11 में
(b) Oder VI Rule 13/ आदेश VI नियम 13 में
(c) Order VII Rule 12/ आदेश VII नियम 12 में
(d) Order VIII Rule 4/ आदेश VIII नियम 4 में

UPPCS (J) 2006
MP (ADPO) 2010

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 में उन दशाओं का वर्णन किया गया है जिनमें वाद-पत्र नामंजूर कर दिया जायेगा। लेकिन वहाँ सभी दशाओं का वर्णन नहीं है जिनके अन्तर्गत वाद-पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा, वे मात्र उदाहरण स्वरूप है। संहिता के अन्तर्गत तमाम अन्य कारण है जिसके अन्तर्गत वाद-पत्र नामंजूर कर दिया जाता है।

108. Under which one of the following "rejection of plaint' has been mentioned in C.P.C.
सी.पी.सी. के निम्न में से किस प्रावधान के अन्तर्गत 'वादपत्र का निरस्तीकरण' बताया गया है?
(a) Order VII Rule 11/आदेश VII नियम 11 में
(b) Order VI Rule 13/आदेश VI नियम 13 में
(c) Order VII Rule 12/आदेश VII नियम 12 में
(d) Order VIII Rule 4/आदेश VIII नियम 4 में

UPPCS (J) 2015
Uttarakhand (J) 2008, 2010, 2015,2018

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 में वाद पत्र के निरस्तीकरण सम्बन्धी प्रावधान है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित दशाओं में वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा-
(1) जहाँ वाद हेतुक प्रकट न हो,
(2) जहाँ अनुतोष का मूल्यांकन कम हो,
(3) जहाँ वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
(4) जहाँ वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा है,
(5) जहां वाद पत्र दो प्रतियों में न दाखिल किया गया है,
(6) नियम-9 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया है।

109. A plaint can be rejected under
एक वाद-पत्र नामंजूर किया जा सकता है
(a) Order VII Rule 10 CPC
आदेश VII नियम 10 दी.प्र.सं. के अन्तर्गत
(b) Order VII Rule 10A CPC
आदेश VII नियम 10 क दी.प्र.सं. के अन्तर्गत

(c) Order VII Rule 11 CPC
आदेश VII नियम 11 दी.प्र.सं. के अन्तर्गत
(d) All of the above/उपरोक्त सभी में

Uttarakhand (J) 2012
Rajasthan (JLO) 2013
BPSC (APO) 2011

Ans : (c) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

110. When a Court can reject a plaint?
एक न्यायालय वादपत्र को कब नामंजूर कर सकता है?
(a) Where plaintiff fails to comply with Rule 9/जहाँ वादी नियम-9 का अनुपालन नहीं करता है
(b) Where suit is barred by law/जहाँ वाद विधि द्वारा बाधित है।
(c) Where plaint is not in duplicate/जहाँ वाद पत्र दो प्रतियों में नहीं है।
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

111. Under order 7 Rule 11 a suit can not be rejected
आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत वाद खारिज नहीं किया जाएगा यदि–
(a) does not disclose cause of action /वाद कारण प्रकट नहीं होता हो
(b) Suit is prohibited by law /वाद विधि द्वारा वर्जित हो
(c) Suit was not filled in duplicate /वाद दो प्रति में न हो
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

112. A plaint can be rejected:
एक वाद पत्र खारिज हो सकता है:
(a) When the plaint is insufficiently stamped /जब वाद पत्र अपर्याप्त मुद्रांक पत्र पर हो
(b) Where the suit is barred by law/जहाँ वाद विधि द्वारा वर्जित हो
(c) Where the plaint does not disclose cause of action/जहाँ वाद पत्र वाद कारण को स्पष्ट नहीं करता
(d) All of the above /उपरोक्त सभी

Bihar (HJS) 2018

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

113. When a plaint can be rejected?
वाद पत्र कब नामंजूर किया जा सकता है?
(a) Where it does not disclose a cause of action/जहाँ वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है
(b) Where it is not filed in duplicate/जहाँ यह दो प्रतियों में नहीं करता है
(c) Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law/जहाँ वाद-पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

114. Under Civil Procedure Code, in which of the following cases the Court cannot reject the plaint?
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत, निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में न्यायालय वाद-पत्र अस्वीकार नहीं कर सकता है?
(a) Where the relief claimed is under valued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so
जहाँ चाहा गया अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर भी वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में मूल्यांकन सही नहीं किया है।
(b) Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law
जहाँ वाद-पत्र में दिये गये कथनों से वाद किसी विधि से बाधित प्रतीत होता है
(c) When the plaint is insufficiently stamped and the plaintiff on being stamped by the court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the court, fails to do so
जहाँ वाद-पत्र के साथ अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क दिया गया है तथा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में आवश्यक न्यायशुल्क का भुगतान करने में असफल रहा है
(d) Where the plaint discloses a Cause of Action
जहाँ वाद-पत्र में वाद कारण दर्शाया गया है

MPHC CJ 2013 Shift-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

115. The plaint shall not be rejected in one of the following conditions:
निम्नलिखित में से कौन सी दशा में वादपत्र नामंजूर नहीं किया जाएगा:
(a) Where it does not disclose a cause of action
जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता
(b) Where it is not submitted by an advocate
जहाँ वह अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है
(c) Where the relief claimed in undervalued and it is not corrected after the order of Court
जहाँ वाद अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और न्यायालय के आदेश के बाद भी ठीक नहीं किया गया है
(d) Where the suit appears from the statement in the plaint, to be barred by law
जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है

MPHC CJ 2007

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

116. Under which one of the following provision of the Civil Procedure Code, 1908 a plaint is rejected by the court in absence of cause of action?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्न प्रावधानों में से किसमें वादपत्र को वाद हेतुक न होने के कारण नामंजूर किया जा सकता हे?

(a) Order 7 Rule 11 (a)/आदेश 7 नियम 11 (क) में
(b) Order 7 Rule 11 (b)/आदेश 7 नियम 11 (ख) में
(c) Order 7 Rule 11 (c)/आदेश 7 नियम 11 (ग) में
(d) Order 7 Rule 11 (d)/आदेश 7 नियम 11 (घ) में

UPPCS (J)-2015
Rajsthan (JLO) 2019

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 (a) में प्रावधान किया गया है कि जहां वाद पत्र वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है, वहां वाद पत्र न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया जायेगा।

117. Where a plaint does not disclose cause of action
जहाँ एक वाद पत्र से वाद कारण न दर्शित हो-
(a) It can be amended/ उसमें संशोधन हो सकेगा
(b) It can be rejected/ उसे नामंजूर किया जा सकेगा
(c) It can be returned/ उसे लौटाया जा सकेगा।
(d) It can sent to the defendant/उसे प्रतिवादी को दिया जा सकता है।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

118. Under Order 7 Rule 11 plaint can not be rejected primarily-
आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अंतर्गत वाद पत्र प्रारंभिक स्तर पर निरस्त नहीं किया जा सकता है:
(a) It looks that suit is prohibited by Law/यह प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा प्रतिबंधित है
(b) Suit does not disclose any cause of action/कोई वाद कारण दर्शित नहीं होता है
(c) Where it is not filled in duplicate/वाद पत्र दो प्रतियों में पेश नहीं की गई है
(d) Where it is the openion of court that relief cliamed is undervalued./जहाँ न्यायालय की यह राय है कि दावाकृत अनुतोष का कम मूल्यांकन किया गया है

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 7 नियम 11 वादपत्र का नामंजूर किये जाने से सम्बन्धित प्रावधान करता है। आदेश 7 नियम 11 (b) के तहत यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है, वहां वाद पत्र न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया जायेगा।

119. A defendant can pray to the court for rejection of a plaint/एक प्रतिवादी एक वाद की अस्वीकृति के लिए अदालत में प्रार्थना कर सकता है
(a) if the stamp writing is not clear/अगर स्टाम्प लिखाई साफ नहीं है
(b) if it is barred by another enactment of the Parliament/अगर वह संसद के एक और अधिनियम द्वारा वर्जित है
(c) if the plaint is made in a foreign language/ अगर वह विदेशी भाषा में बनी है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Jharkhand (J) 2019

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 (d) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है, वहाँ न्यायालय द्वारा वाद पत्र नामंजूर कर दिया जायेगा।

120. Which one of the following is a newly added ground for rejection of a plaint under Order 7 Rule 11 of C.P.C.?
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत वाद खारिज किए जाने के निम्नलिखित आधारों में से कौन-सा नया जोड़ा गया है?
(a) Non-disclosure of cause of action/वाद हेतुक को प्रकट न करना
(b) Under valuation of relief claimed/दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाना
(c) Barred by any law/किसी विधि द्वारा वर्जित होना
(d) Plaint not filed in duplicate/वाद पत्र को दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाना

Uttarakhand (J) 2002

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11(e) में प्रावधान किया गया है कि जहां वाद पत्र दो प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है, वहां न्यायालय वाद पत्र को खारिज कर देगा।
उपरोक्त प्रावधान को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के द्वारा जोड़ा गया।

121. Where the plaint is not filed in duplicate, the plaint may be:
जहाँ वाद पत्र दो प्रतियों में फाईल नहीं किया गया हो तब न्यायालय ऐसे वाद पत्र को:
(a) returned by the Court /लौटा सकेगा
(b) rejected by the Court /नामन्जूर कर सकेगा
(c) dismissed by the Court /खारिज कर सकेगा
(d) admitted by the Court /मन्जूर कर सकेगा

MPHC CJ 2011

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

122. The plaint shall be rejected by the court, under order 7 rule 11(e) of Civil Procedure Code, if it is not filed in:
आदेश 7 नियम 11(e) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय वादपत्र नामंजूर कर देगा, यदि वह प्रस्तुत नहीं किया जाता :
(a) duplicate /दो प्रतियों में
(b) triplicate /तीन प्रतियों में
(c) quadruplicate /चार प्रतियों में
(d) five copies /पाँच प्रतियों में

MPHC CJ 2006
MPADPO 2009

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

123. The plaint shall be rejected in the following ground also:
वाद पत्र निम्नलिखित दशा में भी नामंजूर कर दिया जाएगाः
(a) Where it is not filed in 2 copies/जहाँ यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता
(b) Where it is not supported with affidavit/जहाँ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता
(c) Where plaintiff has not affixed his photo/ जहाँ वादी के फोटोग्राफ्स चस्पा नहीं किये गये
(d) Where plaintiff does not put his signature/ जहाँ वादी के हस्ताक्षर नहीं लिये गये

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

124. On which ground plaint can not be rejected?
किस आधार पर वाद पत्र को नामंजूर नहीं किया जा सकता है।
(a) Where it does not disclose cause of action/जहाॅं वह वाद हेतु प्रकट नहीं करता है
(b) Plaint is filed in such court which does not have juisdiction to try the suit./जहाॅं वाद पत्र ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसे विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है
(c) Where suit appears to be barred by law/जहाॅं वाद विधि द्वारा वर्जित होना प्रकट होता है
(d) Where plaint is not filed in duplicate/जहाॅं वाद 2 प्रति में प्रस्तुत नहीं किया गया है

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

125. Which amongst the following is not a ground for rejection of plaint
निम्न में से कौन सा वादपत्र के नामंजूर किये जाने का आधार नहीं है
(a) Where it does not disclose cause of action/जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया है
(b) Where plaint filed in a Court which is incompetent to try/जहां वाद पत्र ऐसे न्यायालय में दायर किया गया है जो उसके विचारण करने में अक्षम हो
(c) Where the suit appears to be barred by law/जहां वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है
(d) Where it is not filed in duplicate/जहां वाद पत्र दो प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है

Chhattisgarh (J) 2008
MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

126. Under which of the following conditions a plaint cannot be rejected:
वाद पत्र निम्न में से किस दशा में नामंजूर नहीं किया जा सकता हैः
(a) it fails to disclose a cause of action
वाद पत्र, वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है
(b) it is not filed in duplicate
वाद पत्र दो प्रतियों में पेश नहीं किया गया हो
(c) the plaintiff fails to comply with the provision of Order 7 Rule 9 CPC
वादी आदेश 7 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है
(d) it is filed in a court of incompetent jurisdiction/वाद पत्र अक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में पेश किया गया हो

MPHC CJ 2014, 2017

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

127. Order rejecting plaint under Order 7 Rule 11 of CPC
आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अंतर्गत वाद पत्र के नामंजूर किए जाने का आदेश :
(a) is a decree/एक डिक्री है
(b) is an order/एक आदेश है
(c) is a deemed decree/एक डिक्री समझी जाएगी
(d) is an interim order/एक अंतर्वर्ती आदेश

MPHC CJ 2015

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना एक डिक्री समझी जायोगी, क्योंकि धारा 2(2) में दी गयी डिक्री की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अंतर्गत प्रश्नों का विनिश्चय आता है।

128. Remedy available to the plaintiff whose plaint was rejected under Order 7 Rule 11
वादी जिसका वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अंतर्गत निरस्त हुआ है उसको उपचार हैः
(a) Civil revision under section 115/धारा 115 सी.पी.सी. के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण
(b) appeal under section 104/धारा 104 सहपठित आदेश 43 नियम 1 सी.पी.सी. के अंतर्गत अपील
(c) appeal under section 96 read with Order 41 /धारा 96 सहपठित आदेश 41 सी.पी.सी. के अंतर्गत अपील
(d) writ petition/रिट याचिका

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत वादी का वाद पत्र निरस्त हुए है तो वह धारा 96 सपठित आदेश 41 के अन्तर्गत अपील कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह पुनर्विलोकन के लिए उस न्यायालय से आवेदन कर सकता है।

129. Suit was filed on 20.11.2012 and it has been specifically pleaded that cause of action arose on 06.10.2012. Defendant appeared and without filling written statement he filed an application under Order 7 Rule 11 C.P.C. on the ground that suit is barred by Limitation, State what is the correct legal position?
वाद दिनांक 20-11-2012 को प्रस्तुत किया गया था और विनिर्दिष्ट ढंग से अभिवाक् किया गया है कि वादकारण दिनांक 06-10-2012 को उत्पन्न हुआ था। प्रतिवादी उपस्थित हुआ था उसने वादोत्तर प्रस्तुत किये

बिना एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वाद परिसीमा बाधित है। बताइये निम्न में से कौन-सी विधिक स्थिति सही है?

(a) Application under O-7 R-11 C.P.C. is not maintainable because written statement should be filed firstly/आवेदन आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि वादोत्तर सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाना चाहिये

(b) Plaint shall be rejected because suit is barred by Law of Limitation/वादपत्र नामंजूर किया जाना चाहिये चूंकि वाद परिसीमा विधि से बाधित है।

(c) Dismissed of application will be proper. Objection could not be decided without recording evidence of parties
आवेदन पत्र का निरस्त किया जाना उचित होगा चूँकि आपत्ति का निराकरण पक्षकारों के साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना नहीं किया जा सकता।

(d) Application should be allowed because plaint does not disclose correct cause of action
आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिये चूंकि वादपत्र सही वादकरण प्रगट नहीं करता।

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (c) : वाद पत्र के जवाब हेतु प्रतिवादी को यथाशीघ्र लिखित कथन प्रस्तुत करना होता है। प्रस्तुत विषय में लिखित कथन न देकर प्रतिवादी द्वारा वाद निरस्त कराने हेतु आदेश 7 नियम 11 के आधार पर आवेदन दिया जा रहा है जो कि उचित नहीं है क्योंकि वाद पत्र पर किसी भी प्रकार के असहमति का निस्तारण साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना नहीं किया जा सकेगा।

130. On rejection of plaint under provisions of Order VII Rule 11 Code of Civil Procedure, 1908, presenting of a fresh plaint in respect of the same cause of action, is;
आदेश VII नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अन्तर्गत वादपत्र के नामंजूर किए जाने पर, उसी वाद हेतुक के बारे में नया वादपत्र प्रस्तुत करना;

(a) Barred by principles of Res judicata./प्राङ्न्याय के सिद्धान्तों द्वारा वर्जित है।

(b) On its own force, does not preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint./केवल नामंजूरी के कारण ही, वादी नया वादपत्र प्रस्तुत करने से प्रवारित नहीं हो जाएगा।

(c) Barred under Order XXIII./आदेश XXIII के अन्तर्गत वर्जित है।

(d) None of the above./उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattisgarh (J) 2008
Rajasthan (J) 2018

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 13 के अनुसार, जहां आदेश 7 नियम 11 में वर्णित आधारों में से किसी पर भी वादपत्र नामंजूर किया जाता है वहां केवल नामंजूरी के ही कारण वादी उसी वाद-हेतुक के बारे में नया वादपत्र उपस्थित करने से प्रवारित नहीं हो जाएगा।

131. Where the plaint has been rejected the plaintiff on the same cause of action?
जहाँ वादपत्र नामंजूर कर दिया गया है वहाँ वादी उसी वाद-हेतु पर नया वाद:

(a) May present a fresh suit/प्रस्तुत कर सकता है

(b) Cannot present a fresh suit
प्रस्तुत नहीं कर सकता है

(c) May present a fresh suit with the leave of High Court
उच्च न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत कर सकता है।

(d) None of the above उपर्युक्त में से कोई नहीं

Chhattisgarh (J) 2004
MPHC CJ 1997

Ans. (a) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

132. Where a plaintiff sues upon a document in his power or possession, he must produce it or a copy thereof/जहाँ वादी अपनी शक्ति या कब्जे के अधीन किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है, वहाँ उसे उसको या इसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना चाहिए-

(a) along with the plaint/वादपत्र के साथ

(b) at the time of giving of evidence
साक्ष्य देने के समय

(c) at the time of framing of issues
विवाद्यकों की रचना के समय

(d) when ordered by the court
जब न्यायालय आदेश करे

Jharkhand (J) 2008

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 14 के अनुसार, जहाँ वादी अपना वाद किसी दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत करता है जो उसके कब्जे में या शक्ति के अधीन है, तो वहां वह उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा उनको वादपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

133. The documents on which the plaintiff relies upon in support of his claim shall be filed by him in the court
ऐसे दस्तावेज जिन पर वादी अपने दावे के समर्थन में विश्वास करता है, उसके द्वारा न्यायालय में दाखिल किये जायेंगे

(a) Along with the planit/वादपत्र के साथ

(b) within seven days from the date of order by the court for issue of summons.
न्यायालय द्वारा समन जारी किये जाने हेतु पारित आदेश की तिथि के सात दिन के भीतर

(c) on the date fixed for framing of issues by the court/न्यायालय द्वारा विवाद बिन्दुओं के निर्धारण हेतु निर्धारित तिथि पर

(d) at the time or before the hearing of the suit.
वाद की सुनवाई के समय या उससे पूर्व किसी समय

UPPCS (J)-2013

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

134. Can a document which is not produced with the plaint and which ought to have been produced by the plaintiff, be received in the evidence on his behalf?

वे दस्तावेज जो वादी द्वारा वादपत्र के साथ अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए किन्तु उन्हें नहीं किया जाता, क्या उन्हें बाद में वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है?

(a) No/नहीं
(b) Yes/हाँ
(c) Only with leave of court/केवल अदालत की अनुमति से
(d) Only before framing of issues/केवल वाद बिन्दु तैयार करने से पूर्व

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 14 (3) के अनुसार,ऐसा दस्तावेज जिसे वादी द्वारा न्यायालय में तब प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वाद-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, या वादपत्र में जोड़ी जाने वाली या उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट किया जाना है, किन्तु प्रस्तुत या प्रविष्ट नहीं किया जाता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना वाद की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा।

135. Production of Shop-book is prescribed in Civil Procedure Code under:
सिविल प्रक्रिया संहिता में 'दुकान का बहीखाता पेश करना' उपबंधित है, अन्तर्गतः

(a) Order VII Rule 17/आदेश VII नियम 17
(b) Order VII Rule 11/आदेश VII नियम 11
(c) Order VII Rule 10/आदेश VII नियम 10
(d) Order VII Rule 12/आदेश VII नियम 12

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 17 में दुकान का बहीखाता पेश करने से संबंधित नियम का उपबंध किया गया है।

आदेश-8 लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा

136. Provisions relating to written statement are provided in
लिखित कथन से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है-

(a) Order VI/आदेश-6
(b) Order VII/ आदेश-7
(c) Order VIII/ आदेश-8
(d) Order X/ आदेश-10

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 में लिखित कथन से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।

137. Order VIII Rule 1 of the Civil Procedure Code is related to
सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश VIII नियम 1 का सम्बन्ध है :

(a) Denial to be specific/प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होगा
(b) Written statement /लिखित कथन
(c) Evasive Denial/वाग्छलपूर्ण प्रत्याख्यान
(d) New ground of defence /प्रतिरक्षा का नया आधार

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

138. The meaning of written statement is:
लिखित कथन का अर्थ है

(a) suit of plaintiff/वादी का दावा
(b) suit of defendant/प्रतिवादी का दावा
(c) answer by defendant of plaintiff's suit/वादी के दावे का प्रतिवादी द्वारा उत्तर
(d) answer by plaintiff of defendant's suit/प्रतिवादी के दावे का वादी द्वारा उत्तर

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : लिखित कथन वह दस्तावेज होते हैं जिसके माध्यम से प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे का उत्तर दिया जाता है। आदेश 8 एवं 6 के उपबंध लिखित कथन पर लागू होते हैं। आदेश 8 नियम 1 यह उपबंध करता है कि प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन उस पर समन तामील होने के दिन से 30 दिन के भीतर उपस्थित करेगा।

139. The meaning of 'Written Statement' is
'लिखित कथन' का अर्थ हैः

(a) answer by defendant of Plaintiff's suit
वादी के वाद का प्रतिवादी द्वारा उत्तर
(b) answer by plaintiff of defendant's suit
प्रतिवादी के वाद का वादी द्वारा उत्तर
(c) suit of Plaintiff/वादी का वाद
(d) suit of defendant/प्रतिवादी का वाद

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

140. The period of limitation within which defendant shall submit his written statement is ordinarily within.
एक प्रतिवादी की अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने की समय सीमा सामान्यतया है:

(a) 60 days from service of summons
सम्मन की तामील के 60 दिन के अन्दर
(b) always 90 days from service of summons
सदैव सम्मन की तामील के 90 दिन के अन्दर
(c) 30 days from service of summons or 90 days if allowed by the court.
सम्मन की तामील के 30 दिन के अन्दर अथवा न्यायालय की अनुमति से 90 दिन
(d) 15 days from service of summons
सम्मन की तामील के 15 दिन के अन्दर

Uttarakhand (J) 2002
UPPCS (J)-2006
MPADPO 2010, 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के **आदेश 8 नियम 1** के अनुसार, प्रतिवादी उस पर समन तामील किए जाने की तारीख से **30 दिन** के भीतर, अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। न्यायालय अपने विवेक से इसे 90 दिन से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकेगा।

141. In how many days the defendant has to file a written statement of his defence, from the date of service of summons?
समन के तामील की तारीख से प्रतिवादी को अपने बचाव में लिखित कथन कितने दिन में प्रस्तुत करना होता है?

(a) 60 days/60 दिन (b) 90 days/90 दिन
(c) 30 days/30 दिन (d) 45 days/45 दिन

Rajasthan (JLO) 2013, 2019 Paper-III

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

142. According to Order VIII Rule 1 the defendant shall file the written statement of his defence within:
आदेश 8 नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी अपने प्रतिवाद का लिखित कथन इतनी अवधि में दाखिल करेगाः
(a) 30 days /30 दिन (b) 45 days /45 दिन
(c) 60 days /60 दिन (d) 90 days /90 दिन

MPHC CJ 2012

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

143. In case of failure of filing the written statement within thirty days, the defendant can be allowed to file the same on such other day specified by the court for reasons recorded in writing, which shall not be later than:
जहाँ प्रतिवादी 30 दिन की अवधि के अन्दर लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है। वहाँ उसे न्यायालय द्वारा लेखबद्ध कारणों से, विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे किसी अन्य दिवस को लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। वह अवधि समन के निर्वाह से नहीं होगी :
(a) 45 days /45 दिन के पश्चात्
(b) 60 days /60 दिन के पश्चात्
(c) 90 days /90 दिन के पश्चात्
(d) 120 days /120 दिन के पश्चात्

MPHC CJ 2006

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 1 के परन्तुक में प्रावधान किया गया है कि जहां प्रतिवादी 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय कारण लेखबद्ध करते हुए किसी अन्य दिन फाइल करने के लिए अनुज्ञात करेगा, किन्तु जो समन की तामील की तारीख से 90 दिन के पश्चात् का नहीं होगा।

144. Time limit for filling written statement is 30 days which may be extended up to 90 days shall be counted from.
लिखित कथन प्रस्तुत किये जाने की परिसीमा 30 दिन है, जो कि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है, की गणना की जायेगी–
(a) Date of filing of the suit/वाद प्रस्तुती दिनांक से
(b) Date of first hearing fixed by the court/न्यायालय द्वारा नियत प्रथम सुनवाई दिनांक से
(c) Date of service of summon on the defendant./प्रतिवादी पर समन की तामीली दिनांक से
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 1 के अन्तर्गत प्रतिवादी उस पर समन तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर जो कि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है, लिखित कथन प्रस्तुत करेगा।

145. The provision of Specific denial is provided
जवाब दावा में विनिर्दिष्टतः प्रत्याख्यान किया जाना .... प्रावधानित है -
(a) In Rule 2 & 4 of Order 8 of C.P.C.
सी.पी.सी. के आदेश 8 नियम 2 एवं 4 में
(b) In Rule 1 & 6 of Order 8 of C.P.C.
सी.पी.सी. के आदेश 8 नियम 1 एवं 6 में
(c) In Rule 3 & 5 of Order 8 of C.P.C.
सी.पी.सी. के आदेश 8 नियम 3 एवं 5 में
(d) In Rule 7 & 9 of Order 8 of C.P.C.
सी.पी.सी. के आदेश 8 नियम 7 एवं 9 में

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 8 नियम 3 व 5 विनिर्दिष्टतः प्रत्याख्यान से संबंधित है। नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि प्रतिवादी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणतः प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित है, किन्तु प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय ऐसे तथ्य संबंधी हर एक अभिकथन का विनिर्दिष्टतः विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकार नहीं करता है।
आदेश 8 नियम 5 के अनुसार यदि वादपत्र के तथ्य सम्बन्धी हर अभिकथन का विनिर्दिष्टत आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है तो निर्योग्याताधीन व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया मान लिया जायेगा।

146. Which of the following order of CPC is related to "Written statement", "Set-off" and "counter-claims".
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा आदेश ''लिखित कथन'', ''मुजरा'' तथा ''प्रतिदावा'' से सम्बन्धित है–
(a) Order VI/आदेश VI
(b) Order VIII/आदेश VIII
(c) Order VII/आदेश VII
(d) Order IX/आदेश IX

MPHC (CJ) 2021

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 8 नियम 1 लिखित कथन, नियम 6 मुजरा (विधिक मुजरा) तथा नियम 6A-6G प्रतिदावा से संबंधित है।

147. Provisions relating to set off and counter claims under Civil Procedure Code, 1973 are contained in?
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत निम्न में से कौन सा आदेश मुजरा और प्रतिदावा से सम्बन्धित उपबंध है?
(a) Order IV/आदेश IV में
(b) Order VII/आदेश VII में
(c) Order VIII/आदेश VIII में
(d) Order IX/आदेश IX में

Uttarakhand (J) 2006, 2008, 2015, 2018
Rajsthan (JLO) 2013

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8, नियम 6 विधिक मुजरा और नियम 6A - 6G में प्रतिदावा का उपबंध किया गया है। साम्यिक मुजरा आदेश 20, नियम 19 (3) में दिया गया है।

148. Which of the following relates to set off?
निम्नलिखित में कौन मुजरा से सम्बन्धित हैः
(a) Order VIII/आदेश -VIII

(b) Order VII/आदेश-VIII
(c) Order VI/आदेश-VI
(d) All of the above /उपरोक्त सभी

Bihar (HJS) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

149. In a written statement, a defendant can claim:
प्रतिवादी लिखित कथन में दावा कर सकता है-
(a) Set-off/मुजरा का
(b) counter-claim/प्रतिदावा का
(c) Both set-off and counter-claim/मुजरा या प्रतिदावा दोनों का
(d) Either (a) or (b)/या तो (a) या (b)

UP (HJS) 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 6 तथा 6A के अन्तर्गत प्रतिवादी लिखित कथन में मुजरा तथा प्रतिदावा दोनों का दावा कर सकता है।

150. Which of the following provision is related with set off under Code of Civil Procedure?
निम्न में से कौन-सा प्रावधान दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार मुजरे से सम्बन्धित है?
(a) Order VIII, Rule 5/आदेश VIII नियम 5
(b) Order VIII, Rule 6/ आदेश VIII नियम 6
(c) Order VII, Rule 5/ आदेश VII नियम 5
(d) Order VII, Rule 6/ आदेश VII नियम 6

UPPCS (J)-2012

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का **आदेश VIII, नियम 6** मुजरा (Set-off) से सम्बन्धित प्रावधान करता है। इस नियम में उन शर्तों की विवेचना की गई है जिनके अन्तर्गत प्रतिवादी धन की वसूली के वाद में मुजरा की मांग कर सकता है।

151. Rule of Set-off under CPC is dealt with under
सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मुजरा करने का नियम वर्णित है
(a) Order 7 Rule 6/आदेश 7 नियम 6
(b) Order 8 Rule 6/आदेश 8 नियम 6
(c) Order 7 Rule 7/आदेश 7 नियम 7
(d) Order 8 Rule 7/आदेश 8 नियम 7

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

152. Under Order 8, Rule 6, C.P.C. set-off may be permitted if:
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुमन्य है?
(a) the suit is for recovery of property
जब वाद सम्पत्ति की वसूली का है।
(b) set-off claimed by the defendant is ascertained sum of money
जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अभिनिश्चित है।
(c) value of property recoverable is less than rupees two lacs.
जब वसूल की जाने वाली सम्पत्ति का मूल्य दो लाख रु0 से कम है।
(d) defendant presents a written statement of accounts at any stage of hearing of the suit.
जब प्रतिवादी वाद की सुनवाई की किसी भी स्थिति में लेखा का लिखित अभिकथन करता है।

UPPCS (J)-2003

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का **आदेश 8** लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा के बारे में प्रावधान करती है। आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा का शाब्दिक अर्थ होता है, ''दूसरे के विरुद्ध किया गया दावा।'' **इसे ऋणों की पारस्परिक विमुक्ति** भी कहते है। यह एक प्रकार से धन के लिए प्रतिदावा है। मुजरा दो प्रकार का होता है- विधिक मुजरा और साम्यिक मुजरा। आदेश 8 नियम 6 में विधिक मुजरा का उल्लेख किया गया है। विधिक मुजरा के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक हैं-
(1) वाद धन की वसूली के लिए हो,
(2) धन की राशि अभिनिश्चित हो,
(3) धनराशि वैध रुप से वसूली के योग्य हो,
(4) धनराशि प्रतिवादी के द्वारा या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हो तो सभी प्रतिवादियों के द्वारा वसूली योग्य हो
(5) धनराशि उस न्यायालय की धन सम्बन्धी अधिकारिता से अधिक न हो।

153. Which of the following statement is not true with regard to set-off, claimed by defendant?
प्रतिवादी द्वारा किये जाने वाले मुजरा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
(a) The suit must be for recovery of money./वाद धन की वसूली के लिए होना चाहिए।
(b) The sum of money must be ascertained./धन की राशि अभिनिश्चित होनी चाहिए।
(c) The sum of money must not exceed the limits of pecuniary jurisdiction of the court./धनराशि न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अनधिक नहीं होनी चाहिए।
(d) The sum of money must be recoverable by any defendant, if more than one./अगर एक से ज्यादा प्रतिवादी हों, तो धनराशि किसी भी प्रतिवादी द्वारा वसूल करने योग्य होनी चाहिए।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

154. Under Order 8 Rule 6 of Civil Procedure Code, set off may be permitted, if/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुमन्य है?
(a) the suit for the recovery of money/जब वाद धन वसूली का है
(b) value of property recoverable is less than rupees two lacs/जब वसूल की जाने वाली सम्पत्ति का मूल्य दो लाख रुपये से कम है
(c) defendant presents a written statement of accounts at any stage hearing of the suit/जब प्रतिवादी वाद की सुनवाई की किसी भी स्थिति में लेखा का लिखित अभिकथन करता है

(d) set-of claimed by the defendant, is ascertained sum of money/जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है, वह अभिनिश्चित है

MP (ADPO) 2010 Paper-I

Ans. (*) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
नोट- इस प्रश्न में एक से अधिक विकल्प (a & d) सही है।

155. As per Order VIII, Rule 6, particulars of set-off be given in
आदेश 8 नियम 6 के अनुसार मुजरा की विशिष्टियां दी जा सकेंगी-

(a) Written statement/लिखित कथन में
(b) Plaint/वाद पत्र में
(c) Both Written statement and Plaint/दोनों में
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 6 के अनुसार मुजरा की विशिष्टिया लिखित कथन में दी जाएगी।

156. 'Set-off' can be claimed
मुजराई का दावा किया जा सकता है

(a) in any suit/किसी भी वाद में
(b) in a recovery of money suit
धन वसूली के वाद में
(c) in a suit for possession/कब्जे के लिए वाद में
(d) in both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों के

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (b) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6 के अनुसार धन की वसूली के वाद में प्रतिवादी मुजराई का दावा कर सकता है।

157. In which of the following cases can C set off the claim:
निम्नलिखित में से किस प्रकरण में 'स' दावा मुजरा कर सकता है?

(a) A sues C on a bill of exchange C alleges that A has wrongfully neglect to insure C's goods and is liable to pay in compensation
'अ' विनिमय पत्र के आधार पर 'स' पर वाद लाता है और 'स' कहता है कि उसके माल के बीमे के सम्बध में 'स' ने असावधानी बरती थी और वह क्षति धन देने का उत्तरदायी था।
(b) A sues B and C for Rs. 1000 The debt is due to C by A alone
'ब' और 'स' के विरूद्ध 1000 रूपये के लिए 'अ' वाद लाता है। 'स' का ऋण उसे ही 'अ' से शोध्य है।
(c) A and B sues C for Rs. 1000 The debt is due to C by A alone
'अ' और 'ब' 1000 रूपये के लिए 'स' के विरूद्ध वाद लाते हैं। 'स' का ऋण केवल 'अ' द्वारा उसे शोध्य है।
(d) A sues C on bill of exchange for Rs. 500 C holds a judgment against A for recovery of debt of Rs. 1000
'अ' 5000 रूपये के विनिमय-पत्र के आधार पर 'स' पर वाद लाता है। 'अ' के विरूद्ध 1000 रूपये के ऋण की वसूली के लिए निर्णय 'स' के पास है।

MPHC CJ 1996
Chhattisgarh (J) 2013

Ans. (d) प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 6 के दृष्टांत (d) पर आधारित है जिसके अनुसार दोनों दावें निश्चित धन-सम्बन्धी माँग होने के कारण C दावा मुजरा कर सकता है।

158. 'A' and 'B' sue 'C' for recovery of Rs. 1,000. 'C' has a debt due to him by 'A' alone. Here 'C' can
'A', एवं 'B' रु0 1,000 के लिए 'C' के विरुद्ध वाद लाते है। 'C' का ऋण है जो 'A' द्वारा उसे शोध्य है। यहाँ 'C' उस ऋण का :

(a) set off the debt against 'B'
मुजरा 'B' के विरुद्ध कर सकता है।
(b) set off the debt against 'A'
मुजरा A' के विरुद्ध कर सकता है।
(c) set off the debt against 'A' and 'B'
मुजरा 'A' एवं 'B' दोनों के विरुद्ध कर सकता है।
(d) cannot set off a debt due to him by 'A' alone
मुजरा नहीं कर सकता जो केवल 'A' के विरुद्ध शोध्य है।

UPPCS (J)-2013

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 6 के दृष्टान्त (f) पर आधारित है जिसके अनुसार 'C' उस ऋण का मुजरा नहीं कर सकता जो केवल 'A' के विरुद्ध शोध्य है।

159. Counter claim filed by defendant is to be treated as:
प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिदावा को .... की तरह माना जाता है।

(a) a plaint/एक वाद पत्र
(b) separate suit/अलग से दावा
(c) written statement/लिखित कथन
(d) both (b) and (c)/(b) व (c) दोनों

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6 A (4) के अनुसार, प्रतिदावे (Counter claim) को वाद पत्र के रूप में माना जाएगा और उसे वही नियम लागू होंगे जो वादपत्रों को लागू होते है।

160. If in any case in which the defendant sets up counter-claim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued or dismissed the counter claim—
यदि किसी मामले में जिसमें प्रतिवादी प्रतिदावा उठाता है, वादी का वाद रोक दिया जाता है, बन्द या खारिज कर दिया जाता है, तो प्रति दावा:

(a) Shall be stayed /रोक दिया, जाएगा
(b) Nevertheless be proceeded with /जारी रहेगा
(c) May be continued with the leave of High Court /उच्च न्यायालय की अनुमति से जारी रहेगा
(d) No specific provision कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

MPHC CJ 1997

Ans. (b) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6 D के अनुसार, यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है, वादी का वाद रोक दिया जाता है, बन्द या खारिज कर दिया जाता है तो ऐसा होने पर भी प्रतिदावे पर कार्यवाही की जा सकती है।

161. Additional written statement to be presented within
अतिरिक्त लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है .... दिनों के भीतर।
(a) 14 days/14 दिन
(b) 30 days/30 दिन
(c) One month/1 महीने में
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 9 के अनुसार, प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात कोई भी अभिवचन, जो मुजरा के या प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो, न्यायालय की इजाजत से ही और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायालय ठीक समझे, उपस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, किन्तु न्यायालय पक्षकारों में से किसी से भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और उसे उपस्थित करने के लिए तीस दिन से अनधिक का समय नियत कर सकेगा।

162. In which of the following case, the Supreme Court held that written statement can be submitted even after expiry of 90 days from the date of Service of Summons?
निम्नलिखित में से किस वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया कि समन के तामील होने की तिथि के 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है?
(a) Kailash V. Nanhku/कैलाश बनाम नन्हकू
(b) Harish Chandra Bajpai V. Triloki Singh/हरिश्चन्द्र बाजपेई बनाम त्रिलोकी सिंह
(c) Salim Bhai V. State of Maharashtra/सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य
(d) Daryao V. State of U.P./दरयाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : कैलाश बनाम नन्हकू (2005 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया की समन के तामील होने की तिथि के 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है।

163. When any party from whom a written statement is required fails to produce the same within a fixed time before the court,
जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे लिखित कथन अपेक्षित है, न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है-
(a) The court may pronounce judgment/न्यायालय निर्णय सुना सकता है
(b) The court may make any order regarding the suit/न्यायालय वाद के सम्बन्ध में कोई आदेश करेगा
(c) Both the court may pronounce judgment and the court may make any order regarding the suit/न्यायालय निर्णय सुना सकता है और वाद के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित कर सकता है,
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 10 के अनुसार, जहाँ ऐसा कोई पक्षकार, जिससे नियम 1 (लिखित कथन) या नियम 9 (पश्चातवर्ती अभिवचन) के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे, न्यायालय द्वारा, अनुज्ञात या नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता है, वहाँ न्यायालय, उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा या वाद के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात डिक्री तैयार की जाएगी।

आदेश-9 पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी उपसंजाति का परिणाम

164. According to order 9 rule 2 where summon not served to the defendant in consequence of plaintiff failure to pay cost, than court- /आदेश 9 नियम 2 व्य.प्र.सं. के अनुसार, जब वादी के द्वारा आव्हान शुल्क अदा नहीं करने के परिणामस्वरूप प्रतिवादी पर समंस की तामीली नहीं की जा सकी, तब न्यायालय–
(a) can only reject the claim/केवल दावे को निरस्त करेगा
(b) can order the issue of summon at the cost of court. /न्यायालय के परिव्यय पर समंस जारी करना आदेशित कर सकता है
(c) only give time to the plaintiff to deposit the required fee./केवल वादी को आव्हान शुल्क जमा करने हेतु समय देगा
(d) can either reject the claim or give time to the plaintiff to deposit the required fee/या तो दावे को निरस्त कर सकता है या वादी को आव्हान शुल्क जमा करने हेतु समय दे सकता है

MP (HJS) 2017

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की आदेश 9 नियम 2 के अनुसार जहाँ वादी के द्वारा आव्हान शुल्क अदा नहीं करने के परिणामस्वरूप प्रतिवादी पर समन की तामीली नहीं की जा सकी, तब न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि वाद खारिज कर दिया जाए। नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि यदि वादी नियम 2 में निर्दिष्ट असफलता का पर्याप्त हेतुक दर्शित करता है तो न्यायालय आव्हान शुल्क जमा करने हेतु समय दे सकता है तथा आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।

165. Where neither party appears when the suit is called on for hearing, the court may make an order that?
जहाँ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता है, तो वहाँ न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि
(a) The decree be passed in favour of plaintiff./वादी के पक्ष में डिक्री पारित की जाए।
(b) The suit be dismissed./वाद खारिज कर दिया जाए।
(c) The plaint be rejected./वाद-पत्र नामंजूर कर दिया जाए।
(d) The plaint be returned./वाद-पत्र लौटा दिया जाए।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 3 के अनुसार, जहाँ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर दोनों में से कोई भी पक्षकार उपस्थित नही होता है वहां न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वाद खारिज कर दिया जाए।

166. What the court can do when neither party appears when it is called for hearing?
यदि निर्धारित तिथि पर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय क्या कर सकती है?

(a) Ex-parte order/एक पक्षीय आदेश
(b) Refer for arbitration/मध्यस्थता के लिए भेज देगा
(c) Refer for conciliation/सुलह के लिए प्रेषित करेगा
(d) Dismissal of suit/वाद को खारिज

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

167. A suit can be dismissed in default
व्यतिक्रम में एक वाद खारिज किया जा सकता है-

(a) under Order IX, Rule 2 of CPC
आदेश IX, नियम 2 सीपीसी के अंतर्गत
(b) under Order IX, Rule 3 of CPC
आदेश IX, नियम 3 सीपीसी के अंतर्गत
(c) under Order IX, Rule 8 of CPC/आदेश IX, नियम 8 सीपीसी के अंतर्गत
(d) both (b) and (c)/(b) और (c) दोनों

Jharkhand (J) 2016

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 3 के अधीन वादी तथा प्रतिवादी दोनों के अनुपस्थित रहने पर तथा आदेश 9 नियम 8 के अधीन प्रतिवादी के उपस्थित रहने पर किन्तु वादी के अनुपस्थित रहने पर न्यायालय व्यतिक्रम में वाद खारिज कर सकता है।

168. In which of the following rule, if a suit is dismissed, the plaintiff shall not be precluded from bringing a fresh suit in respect of same cause of action?
निम्नलिखित में से किस नियम में यदि वाद खारिज हो जाता है तो वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवारित नहीं हो जाएगा?

(a) Rule 9 of Order IX/आदेश IX, नियम 9
(b) Rule 21 of Order XI/आदेश XI, नियम 12
(c) Rule 9 of Order XXII/आदेश XXII, नियम 9
(d) Rule 4 of Order IX/आदेश IX, नियम 3

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 4 के अनुसार, जहाँ वाद नियम 2 या 3 के अधीन खारिज कर दिया गया है वहाँ वादी परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए नया वाद ला सकेगा या उस खारिजी को अपास्त करने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा।

169. Where a suit is dismissed under Rule 2 or Rule 3 of Order IX of Civil Procedure Code:-
जहाँ वाद आदेश 9 नियम 2 या नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन खारिज कर दिया जाता है :-

(a) plaintiff is debarred from filing fresh suit
वादी नया वाद प्रस्तुत करने से वर्जित होगा
(b) only remedy with the plaintiff is to seek setting aside of such order/वादी के पास एकमात्र उपचार उक्त आदेश को अपास्त कराना है
(c) the only remedy is to bring fresh suit
एकमात्र उपचार नया वाद लाना है
(d) plaintiff may (subject to the law of limitation) bring a fresh suit, or he may apply for an order to set the dismissal aside
वादी नया वाद (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) ला सकेगा या वह उस खारिजी को अपास्त कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा

MPHJS 2016
MPHC CJ 2019, 1997

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

170. A suit may be dismissed where, after a summons has been issued to the defendant and returned unserve, plaintiff fails to apply for fresh summons for the period of-
कोई वाद खारिज किया जा सकता है, अगर प्रतिवादी के नाम निकाले गये समन को तामील के बिना लौटाये जाने के पश्चात् उस तारीख सेः

(a) Seven days/सात दिवस
(b) Sixty days/साठ दिवस
(c) One month/एक मास
(d) Two months/दो मास

when the plaintiff fails to apply for fresh summons from the court.
की अवधि तक वादी न्यायालय से नये समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है।

Chhattishgarh (J) 2004

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 5(1) के अनुसार, जहाँ वादी, समन तामील के बिना लौटने के पश्चात् सात दिन तक नए समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध खारिज कर दिया जाए।

171. A suit may be dismissed where, after a summon has been issued to the defendant and returned unserved, plaintiff fails to apply for fresh summon for the period of—
कोई वाद खारिज किया जा सकता है अगर प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन के तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात् उस तारीख से अवधि तक वादी न्यायालय से नये समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है -

(a) Thirty days/तीस दिन
(b) Sixty days/साठ दिन
(c) Seven days/सात दिन
(d) Two months/दो माह

MPHC CJ 2002

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

172. Where the plaintiff appears and the defendant does not appears when the suit is called for hearing and it is not proved that the summons was duly served, the court shall
जहाँ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात हो जाता है और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होता है और यह साबित नहीं होता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से की गई थी, तब न्यायालय

(a) hear the suit ex-parte./वाद की एक पक्षीय सुनवाई करेगा।
(b) dismiss the suit/वाद खारिज कर देगा।
(c) direct a second summons to be issued and served on defendant/आदेश देगा कि दूसरा समन निकाला जाए और उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए।
(d) Issue a warrant for arrest of defendant/प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट निकालेगा।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 6 (b) में प्रावधान किया गया है कि जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात होता है और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होता है और यह साबित नहीं होता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से की गई थी, तो न्यायालय आदेश देगा कि दूसरा समन निकाला जाए और उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए।

173. Application under Order 9, Rule 7 of CPC to set aside the order of ex-parte proceeding may be filed
आदेश 9 नियम 7 सी. पी. सी. के अंतर्गत एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है:
(a) within 30 days/30 दिवस के अंदर
(b) within 60 days/60 दिवस के अंदर
(c) within 90 days/90 दिवस के अंदर
(d) At or before the date fixed for hearing
आदेश की सुनवाई हेतु नियत दिनांक पर अथवा उसके पूर्व

MPHC CJ 2014

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 7 के अन्तर्गत एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने के लिए आवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक पर अथवा उसके पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है।

174. An application under Order IX, Rule 7 of CPC can be made/आदेश IX, नियम 7 सीपीसी के तहत एक आवेदन किया जा सकता है-
(a) within 60 days of the Order
आदेश के 60 दिन के भीतर
(b) within 30 days of the Order
आदेश के 30 दिन के भीतर
(c) at any time on or before the next date of hearing/सुनवाई की अगली तारीख से पहले किसी भी समय
(d) any time during the pendency of the suit/वाद के लम्बित रहने के दौरान किसी भी समय

Jharkhand (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

175. What is the limitation to file application under Order 9 Rule 7 of CPC?
आदेश 9 नियम 7 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन पेश करने की परिसीमा कितनी है?
(a) 30 Days/30 दिवस
(b) 60 Days/60 दिवस
(c) 90 Days/90 दिवस
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2020

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 7 में प्रावधान किया गया है कि जहाँ न्यायालय ने एकपक्षीय रूप में वाद की सुनवाई स्थगित कर दी है और प्रतिवादी ऐसी सुनवाई के दिन या पहले उपसंजात होता है और अपनी पूर्व अनुपसंजाति के लिए अच्छा हेतुक दिखाता है वह ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय खर्चों और अन्य बातों के बारे में निर्दिष्ट करे, उसे वाद के उत्तर में उसी भाँति सुना जा सकेगा मानो वह अपनी उपसंजाति के लिए नियत किए गए दिन को उपसंजात हुआ था।

176. A civil suit was repeatedly fixed by the trial court for examination of the defendant's witnesses but the said opportunity was not availed by the defendant therefore on 18.11.2016 when neither the defendant nor his counsel had appeared, the trial court had proceeded exparte and heard the final arguments and reserved the case for judgement on 28.11.2016 the defendant had filed an application under Order 9 Rule 7 read with section 151 of the C.P.C. which is-
एक व्यवहार वाद विचारण न्यायालय द्वारा बार-बार प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु नियत किया गया किंतु उक्त अवसरों का प्रतिवादी ने लाभ नहीं लिया तब दिनांक 18-11-2016 को जब प्रतिवादी एवं उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए तब विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही कर अंतिम तर्क सुने एवं प्रकरण निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया। दिनांक 28-11-2016 को प्रतिवादी ने एक आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सहपठित धारा 151 सि.प्र.सं. प्रस्तुत किया जो कि-
(a) Maintainable/प्रचलन योग्य है
(b) Non-maintainable/अप्रचलन योग्य है
(c) Matter of discretion of the court of accept or not/यह न्यायालय के विवेकाधिकार में है कि इसे स्वीकार करे या नहीं
(d) matter of inherent power of the court to accept or not/न्यायालय की अंतर्भूत शक्तियों के अधीन है कि इसे स्वीकार करें या नही

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (a) : प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 7 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य है। नियम 7 में प्रावधान किया गया है कि जहाँ प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है और पूर्व अनुपसंजाति के लिए अच्छा हेतुक दिखाता है वहाँ न्यायालय वाद के उत्तर में प्रतिवादी को उसी प्रकार सुनेगा मानो वह अपनी उपसंजाति के लिए नियत किए गए दिन को उपसंजात हुआ था।

177. Where the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called for hearing and where a part of the claim is admitted the court shall:
जहाँ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है, वादी नहीं और प्रतिवादी द्वारा दावे के केवल एक भाग को स्वीकार किया जाता है तो न्यायालय:

(a) Dismiss the whole suit/सम्पूर्ण वाद को खारिज कर देगा
(b) Dismiss the suit so far as it relates to the remainder/वाद को वहाँ तक खारिज करेगा, जहाँ तक उसका सम्बन्ध अवशिष्ट दावे से है
(c) Pass the decree of the whole claim/प्रतिवादी के विरुद्ध पूर्ण दावे की डिक्री पारित करेगा
(d) Proceed exparte (proceedings) against defendant/प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9, नियम 8 के अनुसार, जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज किया जाए । किन्तु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित करेगा और जहां दावे का केवल एक भाग ही स्वीकार किया गया हो वहां वह वाद को वहां तक खारिज करेगा जहां तक उसका सम्बन्ध अवशिष्ट दावे से है।

178. If the plaintiff does not appear before the court when the suit is called for hearing, the suit will be
यदि वाद की सुनवाई होने के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात नहीं होता है, तो वाद-

(a) Dismissed/खारिज हो जाएगा
(b) Heard ex-parte/एक पक्षीय सुनवाई की जाएगी
(c) Rejected/नामंजूर हो जाएगा
(d) Returned/लौटा दिया जाएगा

MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

179. Where a suit is wholly or partly dismissed under Orders IX Rule 8 of CPC, the plaintiff
जहाँ एक वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 8 के अन्तर्गत पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया है, वहाँ वादी

(a) may bring a fresh suit/नया वाद ला सकता है
(b) shall be precluded from bringing a fresh suit/नया वाद लाने से वर्जित रहेगा
(c) may bring fresh suit with the permission of court/न्यायालय की अनुमति से नया वाद ला सकता है
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 9 (1) के अनुसार, जहाँ वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहाँ वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवरित हो जाएगा, किन्तु वाद खारिजी को अपास्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा।

180. Where a suit is dismissed under Rule 8 of Order 9 of the Civil Procedure Code in respect of same cause of action, the plantiff-
जहाँ वाद आदेश 9 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज कर दिया जाता है, उसी वाद हेतुक के लिये वादी-

(a) Shall be precluded from bringing a fresh suit नया वाद लाने से प्रवारित हो जायेगा
(b) May bring a fresh suit subject to the law of limitation/परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए नया वाद ला सकेगा
(c) May not apply to set aside the dismissal order खारिजी को अपास्त कराने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा
(d) May bring a fresh suit/नया वाद ला सकेगा

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

181. A suit dismissed under order IX, rule 8 of C.P.C. for non-appearance of the plaintiff can be restored under/वादी के उपस्थित न होने के कारण सी.पी.सी. के आदेश IX, नियम 8 के अधीन खारिज वाद को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है :

(a) Order IX, Rule 9/आदेश IX, नियम 9 के अधीन
(b) Order IX, Rule 10/आदेश IX, नियम 10 के अधीन
(c) Order IX, Rule 11/आदेश IX, नियम 11 के अधीन
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

MP (ADPO) 2009 Paper-I

Ans. (a): सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 9 में प्रावधान किया गया है कि जहाँ वाद नियम 8 के अधीन खारिज कर दिया जाता है वहाँ वादी खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है।

182. At the stage of evidence counsel of plaintiff filed an application for adjournment which was rejected and suit was, dismissed for want of evidence. Plaintiff has a remedy to file
साक्ष्य के प्रक्रम पर वादी के अधिवक्ता ने स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया और साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज किया गया। वादी के पास प्रस्तुत करने का उपचार है -

(a) Fresh suit/नवीन वाद
(b) First Appeal/प्रथम अपील
(c) Application under Order 9 Rule 9 C.P.C. आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता
(d) Revision/पुनरीक्षण

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (c) : जहाँ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात नही होता है तथा वादी के अधिवक्ता द्वारा स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर वाद खारिज किया गया वहा वादी आदेश 9 नियम 9 के तहत खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

183. Which of the provision of the code of civil procedure prevent the plaintiff to institute a new suit/व्यवहार प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान वादी को नया वाद संस्थित करने से रोकते है?

(a) Order 9 rule 9/आदेश 9 नियम 9
(b) Order 11 rule 21(2)/आदेश 11 नियम 21(2)
(c) Order 22 rule 9/आदेश 22 नियम 9
(d) All the above/उपरोक्त सभी

MP (HJS) 2014

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 9 में प्रावधान किया गया है कि जहाँ वाद नियम 8 के अधीन खारिज कर दिया जाता है वहाँ वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा।
आदेश 11 नियम 21(2) के अनुसार यदि परिप्रश्नों का उत्तर देने या दस्तावेज का प्रकटीकरण या निरीक्षण के आदेश के अनुपालन में असमर्थता के कारण वाद खारिज कर दिया जाता है तब उसी वाद हेतुक पर नया वाद नहीं लाया जा सकेगा।
आदेश 22 नियम 9 के अनुसार जहां वाद इस आदेश (आदेश-22) के अधीन खारिज हो जाता है वहां उसी वाद हेतुक पर नया वाद नहीं लाया जा सकेगा।

184. Which of the following remedies may be sought against ex-parte decree?
एक पक्षीय आज्ञप्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा उपचार प्राप्त किया जा सकता है?
(a) only application under Order IX Rule 13 CPC/केवल आदेश IX नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रार्थना-पत्र
(b) only appeal under Section 96(2) CPC/केवल धारा 96(2) सिविल प्रक्रिया संहिता में अपील
(c) Both (a) and (b)/दोनों (a) एवं (b)
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : सिविल न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आज्ञप्ति के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत डिक्री को अपास्त करने तथा धारा 96(2) के तहत अपील करने का उपचार प्राप्त है।

185. Under which one of the following provision of the Civil Procedure Code, 1908 an ex- party decree can be set aside?
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के निम्न किन प्रावधानों के अन्तर्गत किसी एक पक्षीय डिक्री को निरस्त किया जा सकता है?
(a) Order 9 Rule 7/आदेश 9 नियम 7 के अन्तर्गत
(b) Order 9 Rule 11आदेश 9 नियम 11 के अन्तर्गत
(c) Order 9 Rule 13/आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत
(d) Order 9 Rule 12/ आदेश 9 नियम 12 के अन्तर्गत

UPPCS (J)-2016
UPHJS 2018 Part-I
Rajsthan JLO 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का **आदेश 9** नियम 13 प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने सम्बन्धी प्रावधान करता है। आदेश 9 नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के निम्न आधार है-
1. प्रतिवादी को समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी तथा
2. प्रतिवादी का न्यायालय में उपसंजात न होने का पर्याप्त कारण था।

186. Defendant may apply for setting aside ex-parte decree under the Civil Procedure Code:
सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक पक्षीय आज्ञप्ति को रद्द करने के लिए प्रतिवादी आवेदन कर सकता है:
(a) Order 7 Rule 13/आदेश 7 नियम 13
(b) Order 9 Rule 13/आदेश 9 नियम 13
(c) Order 8 Rule 13/आदेश 8 नियम 13
(d) Order 11 Rule 13/आदेश 11 नियम 13

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

187. In the Code of Civil Procedure, an ex parte decree can be set aside:
सिविल प्रक्रिया संहिता में एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जा सकता है:
(a) Under Order IX Rule 5/आदेश 9 नियम 5 अन्तर्गत
(b) Under Order IX Rule 10/आदेश 9 नियम 10 अन्तर्गत
(c) Under Order IX Rule 13/आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत
(d) Under Order IX Rule 11/आदेश 9 नियम 11 के अन्तर्गत

Rajasthan (J) 2013

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

188. Provision for setting aside ex-parte decree is -
एकपक्षीय डिक्री अपास्त कराने का प्रावधान है -
(a) Order 9 Rule 7/आदेश 9 नियम 7
(b) Order 9 Rule 9/आदेश 9 नियम 9
(c) Order 9 Rule 13/आदेश 9 नियम 13
(d) Order 9 Rule 8/आदेश 9 नियम 8

Bihar APO-2011
MPHC CJ 2012, 2017, 2019 Shift-I

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

189. When an appeal against a decree passed ex-parte has been disposed of on a ground other than withdrawal by the appellant, then application for setting aside ex-parte decree is-
जहां एकपक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई हो और अपील का निपटारा इस आधार पर से भिन्न किसी आधार पर कर दिया है, कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है, वहां उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन–
(a) Infructuous/उद्देश्यहीन है
(b) Maintainable/पोषणीय है
(c) Not maintainable/पोषणीय नहीं है
(d) Liable to be accepted/स्वीकार किये जाने योग्य है

MPHC CJ 1996
Chattisgarh (J) 2003
Jharkhand (J) 2014
MP (HJS) 2020

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 13 के स्पष्टीकरण के अनुसार, जहां एक पक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है, वहां उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन पोषणीय नहीं होगा।

190. If the appellant withdraws the appeal preferred against a decree passed ex parte, the application under Order 9, Rule 13 of Civil Procedure Code shall be-
यदि अपीलार्थी एक पक्षीय आज्ञप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को वापस लेता है तो आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन-
(a) returned/लौटा दिया जायेगा
(b) maintainable/संधार्य रहेगा (पोषणीय)
(c) referred for opinion of the Appellate Court
अपील न्यायालय की राय के लिए रेफर किया जायेगा
(d) rejected/नामंजूर कर दिया जायेगा

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 13 के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है कि यदि अपीलार्थी एक पक्षीय आज्ञप्ति के विरूद्ध प्रस्तुत अपील वापस लेने के पश्चात डिक्री को अपास्त करने हेतु आवेदन करता है तो ऐसा आवेदन आदेश 9 नियम 13 के तहत पोषणीय होगा।

191. Where the appellant has withdrawn the appeal preferred against a decree passed exparte the application under Order 9 Rule 13 of CPC, shall be
जहाँ एक पक्षीय जयपत्र के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलार्थी ने वापस ले ली है, वहाँ एकपक्षीय जयपत्र को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सि0 प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदनः
(a) Rejected /अस्वीकृत किया जाएगा
(b) Returned /वापस किया जाएगा
(c) Maintainable /पोषणीय होगा
(d) Referred for opinion to the Appellate Court
अपीलीय न्यायालय की राय के लिए निर्देशित किया जावेगा

MPHC CJ 2015,2010

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

192. Remedies available against an ex-parte decree include-
एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध उपचार में सम्मिलित है–
(a) Appeal/अपील
(b) Review/पुनर्विलोकन
(c) Application for setting aside the decree
डिक्री अपास्त करने के लिये आवेदन पत्र
(d) All of these/इनमें से सभी

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध निम्न उपचार उपलब्ध है-
(1) अपील- Sec. 96(2)
(2) पुनर्विलोकन- Sec. 114 सपठित आदेश 47
(3) आदेश 9 नियम 13 के अधीन एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु आवेदन।

193. An ex parte decree can be set aside on the ground that:
एक पक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है, यदि :
(a) summons were not duly served
समन्स का निर्वाह सम्यक् रूप से नहीं हुआ था
(b) non-appearance of defendant as copies of documents filed with plaint were not provided to defendant /प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि उसे वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई थीं
(c) defendant refused to receive the summons and thereafter no fresh summons were issued to him
प्रतिवादी ने समन प्राप्त करने से इंकार कर दिया था एवं उसके बाद उसे नया समन जारी नहीं किया गया
(d) an ex parte decree cannot be set aside under any circumstances
किसी भी स्थिति में अपास्त नहीं की जा सकती

MPHC CJ 2006

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में एकपक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है–
(1) समन्स का निर्वाह सम्यक रूप से नहीं हुआ था
(2) वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था।

आदेश-10 न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा

194. At the first hearing of the suit, the Court must
वाद की प्रथम सुनवाई पर न्यायालय ...... करेगा।
(a) Frame and record issues
वादप्रश्न बनाएगा और लेखबद्ध करेगा
(b) Record the evidence of plaintiff
वादी का साक्ष्य लेखबद्ध करेगा
(c) Ascertain whether the allegations in the pleadings are admitted or denied
यह अभिनिश्चत करेगा कि अभिवचनों में के अभिकथन स्वीकार करना है या इंकार करना है
(d) All of the above/उपरोक्त सभी

MPHC CJ 2014

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 10 नियम 1 के अनुसार, वाद की प्रथम सुनवाई में न्यायालय उपस्थित पक्षकार या उसके अधिवक्ता से यह सुनिश्चित करेगा कि क्या वह तथ्य के उन अभिकथनों को स्वीकार (admit) या इन्कार (deny) करता है जो वादपत्र में या यदि प्रतिवादी का कोई लिखित कथन है तो उसमें किये गये है, और उस पक्षकार द्वारा, जिसके विरूद्ध वे किये है, अभिव्यक्त रूप से स्वीकार या इन्कार नहीं किये गये हैं, स्वीकार करता है या प्रत्याख्यात करता है। न्यायालय ऐसी स्वीकृति और प्रत्याख्यानों को लेखबद्ध करेगा।

195. Court can direct the parties to opt for any one mode of alternative dispute resolution, in Civil Procedure Code, 1908
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी तरीके के लिए विकल्प देने के लिए निदेश दे सकता है
(a) Under Order X, R 1-A
आदेश X नियम 1-क के अन्तर्गत
(b) Under Order X, R 1-B
आदेश X नियम 1- ख के अन्तर्गत
(c) Under Order X, R 1-C
आदेश X नियम 1- ग के अन्तर्गत

(d) Under Order XI, R 1
आदेश XI नियम 1 के अन्तर्गत

UPPCS (J)-2016

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 10 नियम 1A-1C वैकल्पिक विवाद समाधान से सम्बन्धित प्रावधान करता है। नियम 1A के तहत न्यायालय स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों को अभिलिखित करने के पश्चात् वाद के पक्षकारों को धारा 89 (1) में विनिर्दिष्ट वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक तरीके को अपनाने का निदेश दे सकता है।

196. Direction of the Court to opt for any one mode of alternative dispute resolution, is provided in–
वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक तरीके के लिए विकल्प देने के लिए न्यायालय का निदेश, उपबंधित है–

(a) Order 10 Rule 1-A C.P.C.
आदेश 10 नियम 1क व्य.प्र.सं. में
(b) Order 10 Rule 1-B C.P.C
आदेश 10 नियम 1ख व्य.प्र.सं. में
(c) Order 10 Rule 1-C C.P.C.
आदेश 10 नियम 1ग व्य.प्र.सं. में
(d) Order 10 Rule 1-D C.P.C.
आदेश 10 नियम 1घ व्य.प्र.सं. में

MPHC (CJ) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

197. Under which provision can the court direct the parties to chose one of the alternate dispute resolution under CPC.
न्यायालय पक्षकारों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक उपाय को चुनने का निर्देश किस प्रावधान के अंतर्गत दे सकती है-

(a) Order X , Rule 1-A/आदेश X, नियम 1-A
(b) Order X , Rule 1-B / आदेश X, नियम 1-B
(c) Order X , Rule 1-C / आदेश X, नियम 1-C
(d) Order XI , Rule 1 / आदेश XI, नियम 1

MP (DLAO) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

198. The object of oral examination under Order 10 Rule 2 of C.P.C. is—
सी.पी.सी. के आदेश 10 नियम 2 के तहत, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है–

(a) To elucidate the matters in controversy in the suit/वाद में विवादग्रस्त बातों के विशदीकरण
(b) To record evidence /साक्ष्य अभिलिखित करना
(c) To secure admissions/स्वीकृति प्राप्त करना
(d) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

MPHC CJ 2013,2019
MP (HJS) 2019
MP (DLAO) 2021

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य वाद में विवादग्रस्त बातों का विशदीकरण करना है।
आदेश 10 नियम 2(1) (a) में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में पक्षकारों में से ऐसे पक्षकारों की जो न्यायालय में स्वयं उपसंजात है या उपस्थित है, वाद में विवादग्रस्त बातों के विशदीकरण की दृष्टि से मौखिक परीक्षा करेगा।

199. The object of oral examination under Order X Rule 2 of Civil Procedure Code, is
आदेश X नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है

(a) to record evidence/साक्ष्य अभिलिखत करना
(b) to secure admissions/स्वीकृति सुनिश्चित करना
(c) Both (a) and (b)/दोनों (a) एवं (b)
(d) to elucidate the matter in controversy in the suit/वाद में विवादित विषय का विशदीकरण करना

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

200. Under which provision of civil procedure code court may direct the plaintiff to appear in person before him./सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय अपने समक्ष वादी को स्वयं उपसंजात होने का आदेश दे सकता है?

(a) Order 7 rule 1/आदेश 7 नियम 1
(b) Order 8 rule 2/आदेश 8 नियम 2
(c) Order 9 rule 3/आदेश 9 नियम 3
(d) Order 10 rule 4/आदेश 10 नियम 4

Chhattisgarh (J) 2012

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 10 नियम 4 के अन्तर्गत न्यायालय अपने समक्ष वादी को स्वयं उपसंजात होने का आदेश दे सकता है।

आदेश-11 प्रकटीकरण और निरीक्षण

201. Objection to interrogatories may be taken only when they are
प्रश्नमालाओं में आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जब वे मामले में

(a) Irrelevant/सुसंगत नही है
(b) Scandalous/निन्दात्मक है
(c) Non bonafide/सद्भावनापूर्वक नहीं है
(d) Any one of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
MPHC CJ 2006

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 11 नियम 6 के अनुसार, किसी भी परिप्रश्न (प्रश्नमाला) का उत्तर देने की बावत कोई भी आक्षेप उत्तर में दिए गए शपथ पत्र में किया जा सकेगा यदि—
1. वह परिप्रश्न कलंकात्मक या विसंगत है या
2. वाद के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक प्रदर्शित नहीं किया गया है या
3. वे विषय जिसके बारे में पूछताछ की गई है, उस प्रक्रम में पर्याप्त रूप से तात्विक नहीं है या
4. विशेषाधिकार के आधार पर या किसी अन्य आधार पर।

202. According to Order 11 Rule 12 application regarding discovery of document
आदेश 11 नियम 12 सी.पी.सी. के अनुसार दस्तावेजों की खोज से संबंधित आवेदन–
(a) May be presented by any party without affidavit/किसी भी पक्षकार द्वारा शपथ-पत्र के बिना ही पेश किया जा सकेगा
(b) Any party, may present, with affidavit/किसी भी पक्षकार द्वारा शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा
(c) Only plaintiff, may present, with affidavit/सिर्फ वादी द्वारा आवेदन शपथ-पत्र के साथ पेश किया जा सकेगा
(d) Only defendent, may present, with affidavit/सिर्फ प्रतिवादी के द्वारा आवेदन शपथ-पत्र के साथ पेश किया जा सकेगा

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 11 नियम 12 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी पक्षकार कोई भी शपथपत्र फाइल किए बिना न्यायालय से ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा जो किसी वाद के किसी अन्य पक्षकार को निदेश करता हो कि वह उसमें प्रश्नगत किसी बात से संबंधित ऐसी दस्तावेजों का जो उसके कब्जे या शक्ति में हो या रही हो, शपथपत्र पर प्रकटीकरण करें।

आदेश-12 स्वीकृतियाँ

203. The Court/न्यायालय को-
(a) has no power to record admissions of parties at any stage of the proceeding/कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर पक्षकारों की स्वीकृति अभिलिखित करने की कोई शक्ति नहीं है
(b) has power to record admissions only on issues of law/केवल विधि के बिन्दु पर स्वीकृतियों को अभिलिखित करने की शक्ति प्राप्त है
(c) has power to record admissions of parties at any stage of the proceeding/कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर पक्षकारों की स्वीकृतियां अभिलिखित करने की शक्ति प्राप्त है
(d) cannot record admissions at all/किसी भी कीमत पर स्वीकृतियां अभिलिखित नहीं कर सकता है

25th BPSC (J) 2000

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 नियम 3A के अनुसार, दस्तावेजों को स्वीकार करने की सूचना नियम 2 के अधीन न दी गयी हो तब भी न्यायालय अपने समक्ष वाली कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर स्वयं अपनी प्रेरणा से किसी भी पक्षकार से कोई दस्तावेज स्वीकार करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में यह अभिलेखन करेगा कि क्या पक्षकार ऐसी दस्तावेज को स्वीकार करता है या स्वीकार करने से इंकार करता है या स्वीकार करने की उपेक्षा करता है।

204. When a party is called upon by notice to admit facts by the other party, under Order XII, Rule 4 of C.P.C., the party on whom the notice has been served has to admit the facts within
जब किसी पक्षकार द्वारा आदेश XII, नियम 4, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नोटिस के द्वारा तथ्यों को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, तो पक्षकार, जिस पर नोटिस की तामील हुई है, को तथ्यों को निम्न अवधि के अंतर्गत स्वीकार करना होगा-
(a) 15 days of the service of notice/नोटिस का तामीली के 15 दिन के अंदर
(b) 9 days of the service of notice/नोटिस का तामीली के 9 दिन के अंदर
(c) 7 days of the service of notice/नोटिस का तामीली के 7 दिन के अंदर
(d) 6 days of the service of notice/नोटिस का तामीली के 6 दिन के अंदर

Jharkhand (J) 2008

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि जब किसी पक्षकार को नोटिस के द्वारा तथ्यों को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, तो पक्षकार को नोटिस की तामीली के 6 दिन के अंदर तथ्यों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

205. For the purpose of Order 12 Rule 6 of CPC admission of facts-
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 12 नियम 6 के प्रयोजनों के लिये तथ्यों की स्वीकृति
(a) Must be in pleading/अभिवचन में होनी चाहिये
(b) Must be otherwise/"अन्यथा" होनी चाहिये
(c) May be either in pleading or otherwise/या तो अभिवचन में हो सकती है या अन्यथा
(d) Only in pleading and not otherwise/केवल अभिवचन में और अन्यथा नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 12 नियम 6 में स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय से सम्बन्धित उपबंध किया गया है। आदेश 12 नियम 6 के प्रयोजन के लिए तथ्यों की स्वीकृति अभिवचन में या अन्यथा, लिखित या मौखिक रुप में हो सकती है।

206. Judgment on admission can be given
स्वीकृति होने पर निर्णय दिया जा सकता है-
(a) under Order XII, Rule 2 of CPC
आदेश XII, नियम 2 सीपीसी के अंतर्गत
(b) under Order XII, Rule 4 of CPC
आदेश XII, नियम 4 सीपीसी के अंतर्गत
(c) under Order XII, Rule 6 of CPC
आदेश XII, नियम 6 सीपीसी के अंतर्गत
(d) under Order XII, Rule 8 of CPC
आदेश XII, नियम 8 सीपीसी के अंतर्गत

Jharkhand (J) 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 12 नियम 6 में प्रावधान किया गया है कि तथ्यों की स्वीकृति के आधार पर निर्णय दिया जा सकता है तथा निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया था।

207. Order XII, Rule 8 of CPC pertains to
सीपीसी का आदेश XII, नियम 8 संबंधित है-
(a) notice to admit fact(s)
तथ्य को स्वीकार करने का नोटिस
(b) notice to admit document(s)
दस्तावेज स्वीकार करने का नोटिस

(c) notice to produce document(s)
दस्तावेज को पेश करने का नोटिस

(d) both (a) and (b)(a) /और (b) दोनों

Jharkhand (J) 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 नियम 8 में दस्तावेजो को पेश करने के लिए सूचना से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।
नियम 8 के अनुसार दस्तावेजो को पेश करने के लिए सूचना परिशिष्ट c के प्रारुप संख्यांक 12 में ऐसे फेरफार के साथ होगी जो परिस्थितियों से अपेक्षित हो। पेश करने के लिए किसी सूचना की तामील के बारे में और उस समय के बारे में जब उसकी तामील की गई थी, प्लीडर या उसके लिपिक का शपथपत्र उसे पेश करने की सूचना की प्रति के सहित सभी दशाओं में सूचना की तामील के बारे में और उस समय के बारे में जब उसकी तामील की गई थी, पर्याप्त साक्ष्य होगा।

आदेश-13 दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना

208. Which provision (Order) of Civil Procedure Code deals with production, impounding and return of documents?
दस्तावेजों को पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाये जाने से सम्बन्धित सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन-सा प्रावधान (आदेश) है?

(a) Order 13 CPC/आदेश 13 सिविल प्रक्रिया संहिता
(b) Order 5 CPC/आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता
(c) Order 17 CPC/आदेश 17 सिविल प्रक्रिया संहिता
(d) Order 24 CPC/आदेश 24 सिविल प्रक्रिया संहिता

MPHC CJ 2016, 2018 Shift-I

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13 में दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।

209. The documents are submitted with plaint and written statement. The parties may get benefits of these document. These documents may be submitted upto which time/वाद-पत्र एवं लिखित कथन के साथ उन दस्तावेजों को पेश किया जाना अपेक्षित है जिनका सहारा पक्षकार लेना चाहते हैं। ऐसे दस्तावेज कब तक पेश कर दिये जाने चाहिए?

(a) Along with the plaint and written statement/
वाद-पत्र एवं लिखित कथन के साथ ही
(b) Before deciding the fact in issue/
विवाद्यक तय किये जाने से पूर्व
(c) At the time, of decision/निर्णय के समय
(d) At any time/किसी भी समय

MP (ADPO) 2008 Paper-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13 नियम 1 के अनुसार, पक्षकार या उसके प्लीडर सभी मूल दस्तावेजी साक्ष्य जहाँ उनकी प्रतियाँ वादपत्र या लिखित कथन के साथ फाइल की गई है, विवाद्यको के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश करेगा।

210. Documents which are meant for cross examination of a witness of the other party may be produced?
दूसरे पक्ष के साक्षी के प्रति परीक्षण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकते हैं

(a) till settlement of issues./विवाद्यकों के निबटारा तक
(b) after settlement of issues.
विवाद्यकों के निबटारे के बाद
(c) any time when required
कोई भी समय जब माँगे जायें
(d) along with the pleading./अभिवचनों के साथ

MPHC (J) 2010
UPPCS (J)-2015

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के **आदेश 13 नियम 1** के अनुसार, मूल दस्तावेजों को विवाद्यको के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश किया जाना चाहिए, इसके पश्चात नहीं। किन्तु नियम 1 के उपनियम (3) के अनुसार दूसरे पक्ष के साक्षी के प्रति परीक्षण के लिए दस्तावेज आवश्यकतानुसार किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है।

211. The original documents which are not produced at or before the settlement of issues, under Order XIII Rule 1 CPC:
आदेश 13 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जो मूल दस्तावेज विवाद्यकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश नहीं किये गये हैं

(a) Can be produced for the cross examination of the witnesses of the other party./दूसरे पक्षकार के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पेश किये जा सकते हैं।
(b) Can be produced for the cross examination of the party to the suit/दावे के पक्षकार के प्रतिपरीक्षण के लिए पेश किये जा सकते हैं।
(c) Can be received in evidence without the leave of the Court./न्यायालय की अनुमति के बिना साक्ष्य में स्वीकार किये जा सकते हैं।
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (DJC) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

212. Documents which are meant for cross-examination of a witness of the other party or meant for refreshing the memory of the witness may be produced:
अन्य पक्षकार के साक्षी की प्रतिपरीक्षा के लिए या किसी साक्षी की स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकेंगे :

(a) at or before the settlement of issues
विवाद्यकों के निर्धारण पर या उसके पूर्व
(b) after the settlement of issues
विवाद्यकों के निर्धारण के पश्चात्
(c) at any time when they are required
किसी भी समय जब उनकी आवश्यकता हो
(d) along with pleadings /अभिवचनों के साथ

MPHC CJ 2006

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 13 नियम 1 उपनियम 3 के अनुसार, अन्य पक्षकार के साक्षी की प्रतिपरीक्षा या किसी अन्य साक्षी की स्मृति ताजा करने के लिए दस्तावेजो को

किसी भी समय जब उनकी आवश्यकता हो प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

आदेश-14 विवाद्यकों का स्थिरीकरण और विधि विवाद्यकों के आधार पर या उन विवाद्यकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गयी हो, वाद का अवधारण

213. "Framing of issues" is provided by which Rule of C.P.C. ''विवाद्यकों का विरचन'' सी.पी.सी. के किस नियम में प्रावधारित है:

(a) Order XV Rule 1/आदेश XV नियम-1
(b) Order XIV Rule 1/आदेश XIV नियम-1
(c) Order XVI Rule 1/आदेश XVI नियम-1
(d) Order XIII Rule 1/आदेश XIII नियम.1

Bihar (HJS) 2015

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 14 नियम 1 विवाद्यको की विरचन से सम्बन्धित नियम का प्रतिपादन करता है।

214. Which of the following Orders and Rules of the CPC provide for "Framing of Issues" दी.प्र.सं. के निम्नलिखित में से कौन से आदेश और नियम 'विवाद्यकों की विरचना' का प्रावधान करते है?

(a) Order XIII Rule 1/आदेश XIII नियम 1
(b) Order XIV Rule 1/आदेश XIV नियम 1
(c) Order XIV Rule 2/आदेश XIV नियम 2
(d) Order XIV Rule 5/आदेश XIV नियम 5

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (b) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

215. Which of the following orders and rules of the Code of Civil Procedure provide for "Framing of issues"? सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न में से कौन से आदेश और नियम 'विवाद्यकों की विरचना' का प्रावधान करते हैं?

(a) Order XIV Rule 1/आदेश XIV नियम 1
(b) Order XVIII Rule 1/आदेश XVIII नियम 1
(c) Order XIV Rule 2/आदेश XIV नियम 2
(d) Order XIV Rule 5/आदेश XIV नियम 5

Uttarakhand (J) 2018

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

216. Issues are framed under: विवाद्यक बनाये जाते हैं, अन्तर्गत :

(a) Order 14/आदेश 14
(b) Order 41/आदेश 41
(c) Order 21/आदेश 21
(d) All of them /उपरोक्त सभी

Bihar (HJS) 2018

Ans. (a) : विवाद्यको की विरचना से सम्बन्धित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 में दिया गया है।
आदेश 14 नियम 1 के अनुसार, विवाद्यक तब पैदा होते है जब कि तथ्य या विधि का कोई तात्विक प्रतिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात की जाती है।

217. Framing of the issues is the वाद-पदों की रचना करना

(a) Duties of the parties/पक्षकारों का कर्त्तव्य है
(b) Duties of the Advocates of parties/पक्षकारों के अधिवक्ताओं का कर्त्तव्य है
(c) Duty of the Court/न्यायालय का कर्त्तव्य है
(d) Duty of the Government Advocate/सरकारी वकील का कर्त्तव्य है

MPADPO 2008 Paper I
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : वाद-पदों की रचना करना न्यायालय का कर्त्तव्य होता है। आदेश 14 नियम 1(5) में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में वादपत्र और लिखित कथन पढ़ने तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यह अभिनिश्चित करेगा कि तथ्य या विधि की किन तात्विक प्रतिपादनाओं के बारे में पक्षकारों में मतभेद है और तब वह उन विवाद्यकों की विरचना और अभिलेखन करने के लिए अग्रसर होगा जिनके बारे में यह प्रतीत होता है कि मामले का ठीक विनिश्चय उन पर निर्भर करता है।

218. Under Civil Procedure Code issue in a suit are framed in respect of/सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक वाद में विवाद्यकों की रचना होती है :

(a) Question of law/विधि के प्रश्नों के सम्बन्ध में
(b) Question of facts/तथ्यों के प्रश्नों के सम्बन्ध में
(c) Mixed Question of facts and law/ तथ्यों और विधि के मिश्रित प्रश्नों के सम्बन्ध में
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी के सम्बन्ध में

MP (ADPO) 2009 Paper-I
Rajsthan DJC 2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 14 विवाद्यकों के स्थिरीकरण (विरचना) से सम्बन्धित है। संहिता के अन्तर्गत किसी वाद में विधि के प्रश्नों पर, तथ्य के प्रश्नों पर तथा उन दोनों के मिश्रित प्रश्नों के सम्बन्ध में विवाद्यकों की रचना होती है।

219. A Court may not frame issues on the basis of allegations/contents made by the parties न्यायालय उन अभिकथनों/अन्तर्वस्तु के आधार पर विवाद्यकों की रचना नहीं कर सकेगा, जो पक्षकारों द्वारा किये गए हैं:

(a) in pleadings /अभिवचनों में
(b) on oath /शपथ पर
(c) in applications /आवेदन पत्रों में
(d) in documents /दस्तावेजों में

MPHC CJ 2010

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 3 के अनुसार, निम्नलिखित सामग्री के आधार पर विवाद्यको की विरचना की जा सकेगी-
(a) शपथ पर किए गये अभिकथन।
(b) अभिवचनो में किए गए अभिकथन।
(c) पेश की गई दस्तावेज की अन्तर्वस्तु।
अतः न्यायालय आवेदन पत्रों में किये गये कथनों के आधार पर विवाद्यकों की विरचना नहीं करेगा।

220. Power to amend the issue or frame additional issues prior to passing of a decree vests in a Court by virtue of which provision of the Code of Civil Procedure, 1908?

व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के किस प्रावधान के आधार पर डिक्री पारित करने से पूर्व विवाद्यक को संशोधित करने अथवा अतिरिक्त विवाद्यकों को विरचित करने की शक्ति न्यायालय में निहित है?

(a) Order XIV Rule 1/आदेश XIV नियम 1
(b) Order XIV Rule 5/आदेश XIV नियम 5
(c) Order XIV Rule 6/आदेश XIV नियम 6
(d) Section 151/धारा 151

Rajasthan (J) 2018

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 5 के अनुसार,न्यायालय को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति होगी-
(1) न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय विवाद्यकों में संशोधन कर सकेगा या अतिरिक्त विवाद्यकों की विरचना कर सकेगा।
(2) न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय किन्हीं विवाद्यकों को काट सकेगा जिनके बारे में उसे प्रतीत होता हैं कि वे गलत तौर पर विरचित या पुरःस्थापित किए गए हैं।

आदेश 15 प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा

221. Order XV of CPC talks about:
सी.पी.सी. का क्रम पंद्रह (आदेश XV) किस बारे में बात करता है?

(a) Disposal of the suit at the first hearing/पहली सुनवाई में मुकदमें का निपटान
(b) Settlement of issues/मुद्दों का समझौता
(c) Attendance of witness/गवाह की उपस्थिति
(d) Notices/नोटिस

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 15 में प्रथम सुनवाई पर वाद के निपटारा से सम्बन्धित प्रावधान दिया गया है। निम्नवत् दशाओं में प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा हो सकेगा–
(1) जब पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है।
(2) जब कई प्रतिवादियों में से किसी एक का वादी से कोई विवाद नहीं।
(3) जब पक्षकारों के बीच विवाद है किन्तु न्यायालय को यह विश्वास है कि तुरन्त निपटारा करने से अन्याय नहीं होगा।
(4) वाद के अन्तिम निपटारा हेतु समन निकाला गया हो और कोई भी पक्षकार साक्ष्य न पेश कर सका हो।

आदेश-16 साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी

222. Which Provision (Order) of Civil Procedure Code deals with summons and attendance of witness?
साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान (आदेश) में उल्लेख है?

(a) Order 5 CPC /आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता
(b) Order 10 CPC /आदेश 10 सिविल प्रक्रिया संहिता
(c) Order 16 CPC /आदेश 16 सिविल प्रक्रिया संहिता
(d) Order 21 CPC /आदेश 21 सिविल प्रक्रिया संहिता

MPHC CJ 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16 में साक्षियों को समन एवं उनकी हाजिरी के लिए प्रावधान है।

223. Under Order 16 of the Code of Civil Procedure 1908, which of the following has been provided:
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16 में निम्नलिखित में से किसका उपबंध किया गया है:

(a) Summoning and attendance of witness/साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी
(b) Adjournment/स्थगन
(c) Hearing of the suit and examination of witnesses/वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा
(d) Affidavit/शपथ पत्र

MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

224. List of witnesses must be filed by the parties-
पक्षकारों के द्वारा गवाहों की सूची पेश करनी चाहिये-

(a) Along with the plaint or written statement/वाद पत्र के साथ या लिखित कथन के साथ
(b) Before framing of issues/विवाद्यकों की रचना के पूर्व
(c) After framing of issues/विवाद्यकों की रचना के बाद
(d) No need to file the list of witnesses/गवाहों की सूचना पेश करने की आवश्यकता नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16 नियम 1 के अनुसार, पक्षकारों द्वारा गवाहों की सूची विवाद्यको की रचना के बाद 15 दिन के अंदर पेश करनी होगी।

225. The list of witnesses after settlement of issues must be filed within the period of
ईश्यूज निर्धारण के कितने दिन बाद गवाहों की सूची प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये?

(a) 30 days/30 दिन
(b) 60 days/60 दिन
(c) 45 days/45 दिन
(d) 15 days/15 दिन

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16 नियम 1 के अनुसार, विवाद्यकों का निपटारा कर दिए जाने से 15 दिन के अंदर पक्षकार न्यायालय में ऐसे साक्षियों की सूची पेश करेंगें, जिन्हें वे या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने की प्रस्थापना करते है और न्यायालय में ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी के लिए उनके नाम समन अभिप्राप्त करेंगे।

226. List of witness, after settlement of issues, must be filed within/गवाह की सूची मुद्दों के स्थिरीकरण के बाद दाखिल होनी चाहिए-

(a) 60 days/60 दिन के अंदर
(b) 45 days/45 दिन के अंदर
(c) 30 days/30 दिन के अंदर
(d) 15 days/15 दिन के अंदर

Jharkhand (J) 2016

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

227. Date appointed by any Court for presenting list of witnesses by the parties to obtain summons to them for their attendance in Court, shall not be later than—/साक्षियों की न्यायालय में उपस्थिति के लिए उनके नाम समन प्राप्त करने के लिए पक्षकारों

द्वारा साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने हेतु कोई न्यायालय जो तारीख नियत करेगा वह विवाद्यकों का निपटारा कर दिए जाने से पश्चात् नहीं होगी -

(a) Ten days/10 दिन (b) Fifteen days/15 दिन
(c) Eighteen days/18 दिन (d) Thirty days/30 दिन

MPHC CJ 2002

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

228. Order XVI Rule 14 CPC provides for:
आदेश XVI नियम 14 प्रावधानित करता है–

(a) procedure if witness fails to appear/प्रक्रिया यदि साक्षी उपस्थित होने में विफल रहे
(b) summoning a stranger to the suit as a witness by the court on its own accord/ न्यायालय द्वारा स्वतः वाद से अपरिचित व्यक्ति को साक्षी के रूप में आहूत करना
(c) procedure where witness falls to comply with summons/प्रक्रिया यदि साक्षी सम्मन की पालना करने में विफल रहे
(d) consequence of refusal of party to give evidence when called on by court/न्यायालय द्वारा आहूत करने पर पक्षकार द्वारा साक्ष्य देने से इन्कार करने पर परिणाम

Rajasthan (DJC) 2015

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16 नियम 14 के अनुसार, न्यायालय स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति को साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकेगा जो वाद में पर-व्यक्ति (अपरिचित) हैं।

आदेश 16-A - कारागार में परिरूद्ध या निरूद्ध साक्षियों की हाजिरी

229. 'Prison' as defined in order 16-A of the code of Civil Procedure, 1908 includes
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 16क में यथा परिभाषित 'कारागार' में सम्मिलित है

(a) Any place which has been declared by the Government, by General or special order, to the subsidiary jail.
ऐसा कोई स्थान जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया है।
(b) Any reformatory, borstal institution or other institution of a like nature/कोई सुधार गृह, बोर्स्टल संस्था या इसी प्रकार की कोई अन्य संस्था।
(c) both (a) and (b)/दोनों (a) और (b)
(d) only (a) is correct/केवल (a) सही है।

UPPCS (J)-2015

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के **आदेश 16-A नियम 1** में दी गई परिभाषा के अनुसार, ''कारागार'' में सम्मिलित है- (i) ऐसा कोई स्थान जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया है, और
(ii) कोई सुधारालय, बोर्स्टल संस्था या इसी प्रकार की कोई अन्य संस्था।
नोट-आदेश 16A को सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 (01/02/1977 से प्रवृत) के द्वारा अन्तः स्थापित किया गया।

230. In which of the following condition the officer in charge of the prison may refuse to produce the prisoner for evidence despite Court's order?
निम्न में से कौन-सी दशा में कारागार का भारसाधक अधिकारी न्यायालय के आदेश के बावजूद भी किसी बन्दी को साक्ष्य देने के लिऐ हाजिर करने से इन्कार कर सकता है।

(a) Where the prisoner is related to Ruling Party
जब बन्दी सत्तारूढ़ पार्टी से हो
(b) Where the prisoner is Ex-minister
जब बन्दी पूर्व मंत्री हो
(c) Where the prisoner is Government Servant
जब बन्दी शासकीय सेवक हो
(d) Where the Medical Officer has certified that prisoner is unfit to be removed by the reason of sickness/जब चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाण-पत्र दिया है कि बन्दी बीमारी के कारण कारागार से हटाये जाने योग्य नहीं है।

Chhattisgarh (J) 2004
MPHC CJ 1997

Ans. (d) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16A नियम 5 में 4 प्रमुख दशाएं दी गयी हैं, जिनमे कारागार का भारसाधक अधिकारी न्यायालय के आदेश के बावजूद भी किसी बन्दी को साक्ष्य देने के लिए हाजिर करने से इंकार कर सकता है, वे दशाएं निम्नवत् हैं–
(1) ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में चिकित्सा अधिकारी ने यह प्रमाणित किया है कि वह बीमारी के कारण कारागार से हटाये जाने के योग्य नहीं है,
(2) विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है,
(3) ऐसी अवधि के लिए अभिरक्षा में है जो आदेश का अनुपालन करने के लिए और कारागार से वापस लिए जाने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व समाप्त हो जाएगा,
(4) ऐसा व्यक्ति जिसको राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अधीन दिया गया आदेश लागू होता है।

आदेश-17 स्थगन

231. Maximum adjournment may be granted under Order 17 Rule 1 to a party during hearing of the suit-
वाद की सुनवाई के दौरान एक पक्ष को अधिकतम स्थगन आदेश 17 नियम 1 के अन्तर्गत किये जा सकते है-

(a) Two/दो (b) Three/तीन
(c) Five/पाँच (d) Six/छः

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 17 के अनुसार यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है, तो न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगें पक्षकारों या उनमें से किसी को भी समय दे सकेगा और वाद की सुनवाई को समय-समय पर स्थगित कर सकेगा।
परन्तु ऐसा कोई स्थगन वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जायेगा।

232. How many adjournments may be granted to a party during hearing of the suit if sufficient cause is shown?

किसी भी पक्षकार को वाद की सुनवाई के दौरान पर्याप्त हेतुक दर्शित करने पर कितनी बार स्थगन अनुदत किया जा सकता है?

(a) Two times/दो बार (b) Three times/तीन बार
(c) Four times/चार बार (d) Five times/पाँच बार

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

233. In normal course how many adjournment can be granted by Trial Court on sufficient cause? सामान्य क्रम में कितने स्थगन पर्याप्त कारण होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं?

(a) 5 (b) 2
(c) 3
(d) No limitation/कोई सीमा नहीं

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

234. If sufficient cause is shown by the parties for adjourn the hearing of the case the court shall not adjorn the case more than: पर्याप्त हेतुक दर्शित करने पर न्यायालय वाद की सुनवाई को पक्षकारों के निवेदन पर कितने बार से अधिक स्थगित नहीं करेगा?

(a) Once/एक बार (b) Twice/दो बार
(c) Thrice/तीन बार (d) Four time/चार बार

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

235. Under Civil Procedure Code (as amended in 1999), the number of adjourmments are limited to: /सिविल प्रक्रिया संहिता (1999 में संशोधित) के तहत, स्थगन की संख्या को .... तक सीमित किया गया है।

(a) 2 (b) 4 (c) 5 (d) 3

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 17 नियम 1 में सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 (1 जुलाई, 2002 से प्रवृत्त) द्वारा संशोधन करके यह प्रावधानित किया गया कि वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक स्थगन अनुदत्त नहीं किया जायेगा।

236. An adjournment shall not be granted on the ground:/किस आधार पर स्थगन नहीं दिया जाएगा?

(a) Where the circumstances are beyond the control of that party/जहाँ परिस्थितियाँ पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हैं
(b) Pleader is ill and the party could not engage another pleader in time/अधिवक्ता बीमार है और पक्षकार अन्य अधिवक्ता को समय पर नियुक्त नहीं कर पाया
(c) The pleader of a party is engaged in another court/पक्षकार का अधिवक्ता अन्य अदालत में व्यस्त है
(d) Both where the circumstances are beyond the control of that party and pleader is ill and the party could not/दोनों जहाँ परिस्थितियाँ पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं और अधिवक्ता बीमार है और पक्ष अन्य अधिवक्ता के समय पर नियुक्त नहीं कर पाया

Chhattishgarh (J) 2015

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 17 नियम 1 (2) (c) में प्रावधान किया गया है कि प्लीडर का दूसरे न्यायालय में व्यस्त होना स्थगन का आधार नहीं होगा।

237. Which of the following is not a sufficient cause for granting adjournment?/निम्नलिखित में से कौन-सा, स्थगन ग्राण्ट करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है?

(a) Sickness of a party, his witness or his counsel /किसी पक्षकार, उसके गवाह अथवा उसके वकील की रुग्णता
(b) Non-examination of a witness present in the court/न्यायालय में उपस्थित गवाह का परीक्षण न होना
(c) Non-service of summons/सम्मन की तामील न होना
(d) Reasonable time for preparation of a case/ मुकदमे की तैयारी के लिए पर्याप्त समय

Jharkhand (J) 2008,2019

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 17 नियम 1(2) के अनुसार स्थगन ग्राण्ट करने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित है-
1. ऐसी परिस्थितियां जो पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हो,
2. किसी पक्षकार, गवाह या उसके वकील की रुग्णता,
3. न्यायालय में उपस्थित गवाह का परीक्षण न होना,
4. सम्मन की तामील न होना।
अतः मुकदमें की तैयारी हेतु पर्याप्त समय स्थगन का आधार नहीं है।

238. Dismissal of suit by court under order 17 Rule 2 Civil Procedure Code, only remedy available to plaintiff is to file-/न्यायालय द्वारा वाद को आदेश 17 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत खारिज कर दिया जाता है, तब वादी के पास सिर्फ यह उपचार उपलब्ध होता है कि वह दायर कर सके-

(a) An appeal/एक अपील
(b) Application u/s. 151 C.P.C. धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन
(c) Application under Order 9 Rule 9 C.P.C. आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सि.प्र.सं.
(d) All of the these/इनमें से सभी

MPHJS 2017
MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 17 नियम 2 के अन्तर्गत यदि न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया जाता है, तब वादी आदेश 9 नियम 9 के तहत खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

आदेश-18 वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा

239. Who shall produce the evidence first? साक्ष्य सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत करेगा?

(a) plaintiff/वादी
(b) defendant/प्रतिवादी
(c) either plaintiff or defendant/या तो वादी या प्रतिवादी
(d) as directed by the court/न्यायालय के आदेशानुसार

Rajasthan (JLO) 2013, 2019 Paper-III

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 2 के अनुसार, साक्ष्य सर्वप्रथम वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आदेश 18 नियम 2 उपनियम 1 के अनुसार, उस दिन जो वाद की सुनवाई के लिए नियत किया गया हो या किसी अन्य दिन जिस दिन के लिए सुनवाई स्थगित की गयी हो, वह पक्षकार जिसे आरम्भ करने का अधिकार है, अपने मामले का कथन करेगा और उन विवाद्यकों के समर्थन में अपना साक्ष्य पेश करेगा, जिन्हें साबित करने के लिए वह आबद्ध है।

240. In a suit, plaintiff himself wishes to appear as a witness. Without any permission of Court, he may so appear—/एक वाद में, वादी स्वयं साक्षी के रूप में उपसंजात होना चाहता है। वह न्यायालय से अनुमति लिए बिना इस प्रकार उपसंजात हो सकेगा -

(a) At any time before evidence from plaintiff's side is over
वादी पक्ष की साक्ष्य समाप्त होने से पूर्व कभी भी
(b) At any time before evidence from defendant's side is over
प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के पूर्व कभी भी
(c) At any time before arguments are heard
बहस सुने जाने से पूर्व कभी भी
(d) Only before any other witness on his behalf has been examined/वादी की ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने से पूर्व ही

MPHC CJ 2002

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 3A के अनुसार,यदि किसी वाद में वादी स्वयं साक्षी के रूप में उपसंजात होना चाहता है, वहां वह उसकी ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किये जाने के पहले उपसंजात होगा।

241. Which one of the following Orders and Rules under the CPC provide that in every case of the examination-in-chief of a witness shall be on affidavit?/दी.प्र.सं. के निम्नलिखित कौन से आदेश और नियम में यह प्रावधानित है कि हर मामले में साक्षी की मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र पर होनी चाहिए?

(a) Order 18 Rule 4(1)/आदेश 18 नियम 4(1)
(b) Order 18 Rule 3/आदेश 18 नियम 3
(c) Order 18 Rule 2/आदेश 18 नियम 2
(d) Order 18 Rule 1/आदेश 18 नियम 1

Uttarakhand (J) 2012

Ans : (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 18 नियम 4 (1) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक मामले में किसी साक्षी की मुख्य परीक्षा का साक्ष्य शपथ-पत्र पर लिया जायेगा और उसकी प्रतियां विरोधी पक्षकार को दी जाएंगी।

242. In every case the examination in Chief Shall be: प्रत्येक मामले में किसी पक्षकार की मुख्य परीक्षा का साक्ष्यः

(a) On affidavit/शपथपत्र पर लिया जाएगा
(b) Orally/मौखिक रूप से लिया जाएगा
(c) By typing in this court/न्यायालय में टंकित किया जाएगा
(d) As court thinks fit/जैसा न्यायालय उचित समझे

Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

243. Order XVIII, Rule 4(1) of C.P.C., the examination in chief of a witness shall be recorded/दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII, नियम 4(1) के अंतर्गत किसी गवाह की मुख्य परीक्षा को अभिलिखित किया जाएगा-

(a) by the Judge/न्यायाधीश के द्वारा
(b) by the Commissioner appointed by court/ न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर के द्वारा
(c) on affidavit/शपथ-पत्र पर
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Jharkhand (J) 2008

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

244. The Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2002 permits evidence in the form of/सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देती है?

(a) Petition/याचिका
(b) Affidavits/हलफनामा
(c) Statements/कथन
(d) Documents/दस्तावेज

Jharkhand (J) 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा आदेश 18 नियम 4 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि साक्षी की मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र (हलफनामा) के माध्यम से दर्ज किया जायेगा।

245. Which of the following is not correct about the recording of evidence under Order 18 Rule 4? आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत साक्ष्य के अभिलेखन के सम्बन्ध में क्या सही नहीं है?

(a) Examination in chief of a witness should be made on affidavit/साक्षी की मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र पर लिया जायेगा
(b) Commissoner to be appointed for cross examination/प्रतिपरीक्षण के लिए कमिश्नर नियुक्त किया जायेगा
(c) District magistrate will make a panel of commissoners for writing of evidence/जिला न्यायाधीश साक्ष्य लेखबद्ध करने के लिये कमिश्नरों का एक पैनल तैयार करेगा
(d) Admisability of doucement pressented with affidavit of examination in chief to be decided by commissoner/मुख्य परीक्षण के शपथ-पत्र के साथ फाईल किये गये दस्तावेजों की ग्राह्यता कमिश्नर निर्धारित करेगा

MP (HJS) 2015

Ans. (d) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 18 नियम 4(1) के अनुसार, साक्षी की मुख्य परीक्षा का साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जाएगा। नियम 4(2) के अनुसार, साक्षी की प्रति परीक्षा या पुनःपरीक्षा या तो न्यायालय द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
नियम 4(6) के अनुसार, उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश साक्ष्य लेखबद्ध करने के लिए कमिश्नरों का एक पैनल तैयार करेगा।

246. Who will decide the objections raised by parties during the writing of evidence by commissoner/कमिश्नर द्वारा साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के दौरान पक्षकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ किसके द्वारा निराकृत की जाएगी–

(a) By court at orgument stage /न्यायालय द्वारा तर्क के प्रक्रम पर
(b) By commissoner at same time/कमिश्नर के द्वारा उसी समय
(c) By court at same time /न्यायालय द्वारा उसी समय
(d) By commissoner at argument stage /कमिश्नर के द्वारा तर्क के प्रक्रम पर

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 18 नियम 4 (4) के परन्तुक में प्रावधान किया गया है कि कमिश्नर के समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए कोई आक्षेप उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे और न्यायालय द्वारा बहस के प्रक्रम पर विनिश्चित किए जाएगें।

247. The Commissioner appointed under the provisions of Order XVIII of the Code of Civil Procedure for the purposes of recording of evidence cannot:-/व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII के अन्तर्गत साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए नियुक्त कमिश्नर नहीं कर सकता है-

(a) Re-examine a witness/साक्षी की पुनः परीक्षा
(b) Decide objections raised during the recording of evidence/साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए कोई आक्षेप का निर्णय
(c) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं
(d) Both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों

UPHJS 2018 Part-IInd
Rajasthan (J) 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

248. Any witness who has been examined may be called for examination under Order 18 Rule 17-/ऐसा साक्षी जिसकी पूर्व में परीक्षा हो चुकी है उसे आदेश 18 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षा हेतु पुनः बुलाया जा सकता है–

(a) By such party of whom he is a witness/उस पक्षकार द्वारा जिसका वह साक्षी है
(b) By Opposite party/विरोधी पक्षकार द्वारा
(c) By Court/न्यायालय द्वारा
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2017

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 17 के अनुसार,न्यायालय बाद के किसी भी प्रक्रम में ऐसे किसी भी साक्षी को पुनः बुला सकेगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है और उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो न्यायालय ठीक समझे।

आदेश 19 शपथ पत्र

249. Which one of the following provisions of C.P.C. related to "Affidavits"?
सी.पी.सी. के निम्न प्रावधानों में से कौन-सा प्रावधान ''शपथ पत्र'' से सम्बंधित है?

(a) Order 17/आदेश 17 (b) Order 19/आदेश 19
(c) Order 26/आदेश 26 (d) Order 39/आदेश 39

Uttarakhand (J) 2008,2015,2018

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 19 में शपथ पत्र से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।

आदेश-20 निर्णय तथा डिक्री

250. Which Order under C.P.C. provides detailed rules regarding judgments and decree?
दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कौन सा आदेश निर्णयों एवं डिक्रियों के सम्बन्ध में विस्तृत नियम प्रावधानित करता है?

(a) Order XIX/आदेश XIX
(b) Order XX/आदेश XX
(c) Order XXI/आदेश XXI
(d) Order XXIII/आदेश XXIII

Uttarakhand (J) 2006, 2012

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XX में निर्णय एवं डिक्रियों के बारें में विस्तृत नियम प्रावधानित किया गया है।

251. The Chapter of "Judgment and Decree" have been dealt in CPC
''निर्णय और डिक्री'' का अध्याय सी.पी.सी. के .... है।

(a) Under Order XXI/आदेश XXI के अन्तर्गत
(b) Under Order XX-A/आदेश XX-A के अन्तर्गत
(c) Under Order XX/आदेश XX के अन्तर्गत
(d) Under Order XIX/आदेश XIX के अन्तर्गत

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
Jharakhand (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

252. If a judgment is not pronounce at once, it should ordinarily be delivered within-
जहाँ निर्णय तुरन्त नहीं सुनाया गया है वहाँ साधारण परिस्थितियों में सुनाया जाना चाहिये

(a) 15 days/15 दिन में (b) 30 days/30 दिन में
(c) 60 days/60 दिन में (d) 90 days/90 दिन में

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 1 के परन्तुक के अनुसार,जहां निर्णय तुरन्त नहीं सुनाया जाता वहां न्यायालय निर्णय उस तारीख से जिसमें मामलें की सुनवाई समाप्त हुई थी 30 दिन के भीतर सुनाने का पूरा प्रयास करेगा।

253. Under order 20 rule 1 of civil procedure code, after the completion of the hearing what is the maximum period fixed for the court of pronounce judgement?
आदेश 20 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात् न्यायालय को निर्णय सुनाने के लिए अधिकतम अवधि कितनी नियत है?

(a) Thirty days/तीस दिन
(b) Sixty days /साठ दिन
(c) Fifteen days /पंद्रह दिन
(d) No maximum period fixed/कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं

MP (HJS) 2018

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 1 के परन्तुक में प्रावधान किया गया है कि जहां निर्णय तुरंत नहीं सुनाया जाता है वहां न्यायालय निर्णय उस तारीख से 30 दिन के भीतर सुनाने का पूरा प्रयास करेगा, किन्तु जहां मामले की आपवादिक और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर ऐसा करना साध्य नहीं है,वहां न्यायालय निर्णय सुनाने के लिए कोई भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा और ऐसा दिन साधारणतः 60 दिन के बाद का नहीं होगा।

254. In civil proceedings, ordinarily a civil Judge is required to deliver judgments within ninety days of the conclusion of hearing, this was proposed by:
दीवानी कार्यवाही मे साधारणतया एक दीवानी न्यायाधीश को सुनवाई की समाप्ति के पश्चात् नब्बे दिन के भीतर निर्णय देना पड़ता है, इसको प्रस्तावित किया गयाः

(a) Amendment Act of 1976/1976 के संशोधन द्वारा
(b) Amendment Act of 1999/1999 के संशोधन द्वारा
(c) Amendment Act of 2002/2002 के संशोधन द्वारा
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई भी नहीं।

27th BPSC (J) 2011

Ans. (b) : 1999 के सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में (2002 के संशोधन द्वारा) आदेश 20 नियम 1 के परन्तुक के अनुसार, जहाँ न्यायालय सुनवाई कर लेने के पश्चात् तुरंत निर्णय नहीं सुनाता है, वहाँ सुनवाई समाप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सुनाने का पूरा प्रयास करेगा किन्तु आपवादिक और असाधारण परिस्थितियों में सुनवाई समाप्त होने से 60 दिन के बाद का नहीं होगा।

255. Which of the following is not a content of decree?/निम्नलिखित में से कौन सी डिक्री की अन्तर्वस्तु नहीं है?

(a) Detail statement of the case/मामले का विस्तृत कथन
(b) Particulars of claim/दावे की विशिष्टियाँ
(c) Relief granted to the parties/पक्षकारों को अनुदत अनुतोष
(d) Relief amount of costs incurred in the suit/वाद में उपगत खर्चों की रकम

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 20 नियम 6 डिक्री की अन्तर्वस्तु का उल्लेख करता है। इस नियम के अनुसार,
1- डिक्री निर्णय के अनुरूप होगी, उसमें वाद संख्या, वाद के पक्षकारों के नाम और वर्णन, उनके रजिस्ट्रीकृत पते और दावे की विशिष्टियां होगी और अनुदत्त अनुतोष या वाद का अन्य अवधारण उसमें स्पष्टया विनिर्दिष्ट होगा।
2- वाद में उत्पन्न खर्चों की रकम भी और यह भी कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा या किस सम्पत्ति से और किस अनुपात में संदाय किए जाते हैं, डिक्री में कथित होगा।
इस प्रकार से इस नियम के अनुसार डिक्री में मामले का विस्तृत कथन करना अनिवार्य नहीं है।

256. What is maximum time granted to court by CPC to draw up a decree after pronouncing judgement?
निर्णय लेने के पश्चात् आज्ञप्ति तैयार करने के लिए न्यायालय को अधिकतम कितना समय दीवानी प्रक्रिया संहिता में दिया गया है-

(a) 15 days/15 दिन (b) 30 days/30 दिन
(c) 45 five days/45 दिन (d) 60 days/60 दिन

Chhattishgarh (J) 2014

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 6A के अनुसार, डिक्री जहाँ तक संभव हो शीघ्रता से और किसी भी दशा में उस तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर जिसको निर्णय सुनाया जाता है, तैयार की जाए।
अतः निर्णय के पश्चात 15 दिन के भीतर डिक्री तैयार किया जाना चाहिए।

257. According to Order 20 Rule 7 of Civil Procedure Code the decree shall bear the date of
आदेश 20 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार डिक्री में तारीख होगी-

(a) The day on which the judgment was pronounced
उस दिन को जिस दिन निर्णय सुनाया गया
(b) The day on which the decree was made
उस दिन को जिस दिन डिक्री बनाई गई
(c) The day on which plaint was filed
उस दिन को जिस दिन दावा पेश किया गया
(d) The day on which final argument was heard
उस दिन को जिस दिन अन्तिम तर्क सुने गए

MPHC CJ 2013,2018

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 7 के अनुसार,डिक्री में उस दिन की तारीख होगी, जिस दिन निर्णय सुनाया गया था।

258. Which one of the following Order and Rule of the Civil Procedure Code, 1908 deals about the decree for recovery of immovable property
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के निम्न किस आदेश एवं नियम के तहत अचल सम्पत्ति की वापसी डिक्री सम्बंधी प्रावधान वर्णित हैं?

(a) Order XX Rule 12/आदेश XX नियम 12 में
(b) Oder XX Rule 11/आदेश XX नियम 11 में
(c) Order XX Rule 10/आदेश XX नियम 10में
(d) Order XXI Rule 9/आदेश XXI नियम 9 में

UPPCS (J)-2016

Ans. (*) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का **आदेश 20** निर्णय और डिक्री से सम्बन्धित है जिसमें कुल 20 नियम दिये है। अचल सम्पत्ति की वापसी के लिए डिक्री सम्बन्धी प्रावधान आदेश 20 के नियम 9 में दिया गया है। ऐसी डिक्री में सम्पत्ति का ऐसा वर्णन अन्तर्विष्ट होगा जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हो और जहां ऐसी सम्पत्ति सीमाओं द्वारा या भू-व्यवस्थापन या सर्वेक्षण के अभिलेख के संख्याओं द्वारा पहचानी जा सके वहाँ डिक्री में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे।
नोट-प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न को निकाल दिया।

259. Under which provision, Decreed amount may be directed for payment in instalments after passing the decree?
किस प्रावधान के अंतर्गत डिक्री पारित करने के पश्चात् डिक्रीधन किश्तों द्वारा संदाय के लिये निदेश किया जा सकता है?

(a) Rule 10 of Order 20 of C.P.C.
आदेश 20 नियम 10 सी.पी.सी.
(b) Rule 11 of Order 20 of C.P.C.
आदेश 20 नियम 11 सी.पी. सी.
(c) Rule 12 of Order 20 of C.P.C.
आदेश 20 नियम 12 सी.पी.सी.
(d) Rule 10 of Order 21 of C.P.C.
आदेश 21 नियम 10 सी.पी.सी.

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 11(1) में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय डिक्री पारित करने के पश्चात् डिक्री की रकम को किश्तों में भुगतान करने का आदेश कर सकता है।

260. After the passing of a decree for payment of money, on the application of the Judgment debtor, Court shall not order that payment of the amount of decree shall be made by installments—/धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात् न्यायालय निर्णीत ऋणी के आवेदन पर डिक्रीत रकम का संदाय किस्तों में किये जाने का आदेश नहीं दे सकेगा -

(a) Without recording evidence of both parties
उभय पक्षों की साक्ष्य अभिलिखित किए बिना
(b) Without obtaining affidavits from both parties
उभय पक्षों के शपथ-पत्र लिए बिना
(c) Without obtaining the documents regarding the financial condition of the Judgment-debtor/निर्णीत ऋणी की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त किए बिना
(d) Without the consent of decree-holder
डिक्रीदार की सहमति के बिना

MPHC CJ 2002
Chhattisgarh (J) 2004, 2011

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 11(2) के अनुसार, धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात् न्यायालय निर्णीत ऋणी के आवेदन पर डिक्रीत रकम का संदाय किस्तों में किये जाने का आदेश डिक्रीदार की सहमति के बिना नहीं दे सकता है।

261. A suit for partition contains which of the following decree?/एक विभाजन के वाद में निम्न में से कौन सी डिक्री सम्मिलित होती है?

(a) Only preliminary decree/केवल प्रारम्भिक डिक्री
(b) Only Intermediate decree/केवल मध्यवर्ती डिक्री
(c) Final decree/अन्तिम डिक्री
(d) Both (a) and (c)/(a) एवं (c) दोनों

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 18 के अनुसार विभाजन के वाद में प्रारम्भिक डिक्री और अन्तिम डिक्री भी पारित की जाती है।

आदेश-20A खर्चे

262. Which of the following will not be taken into consideration while determining the cost to be awarded to the decree holder? डिक्रीधारी को प्रदान किये जाने वाले खर्चों के निर्धारण में निम्न में से किसे विचार में नहीं लिया जायेगाः

(a) expenses incurred by the decree holder who resides out of India in attending the court proceedings to contest the suit /भारत से बाहर रहने वाले डिक्रीधारी द्वारा वाद लड़ने के लिए न्यायालय प्रक्रिया में भाग लेने में उठाये गये खर्चे
(b) expenses incurred in getting the pleading typed/अभिवचन को टाइप करवाने में किया गया खर्च
(c) expenses incurred in sending of a legal notice upon the judgment debtor prior to the institution of the suit /वाद दाखिला के पूर्व निर्णीतऋणी के ऊपर एक विधिक नोटिस भेजने में लगा खर्च
(d) expenses incurred in payment of fees for engaging a specizlized lawyer of the issue involved practicing in another court /दूसरे न्यायालय में अभ्यासरत अन्तर्वलित मुद्दे पर एक विशेषज्ञ वकील लगाने के लिए भुगतान किये गये फीस में लगा खर्च

Bihar (HJS) 2016

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 35 तथा आदेश 20A खर्चे (Costs) से सम्बन्धित है। आदेश 20A नियम 1 के अनुसार,न्यायालय निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्चे अधिनिर्णीत कर सकेगा-
1. वाद सांस्थित करने से पूर्व विधि द्वारा अपेक्षित सूचना दिये जाने के लिए उपगत व्यय,
2. किसी ऐसी सूचना पर उपगत व्यय जो विधि द्वारा अपेक्षित न होने पर भी वाद के पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को वाद संस्थित करने से पूर्व दी गयी हो,
3. अभिवचनो के टाइप कराने, लिखने या मुद्रित कराने ने उपगत व्यय,
4. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पक्षकार द्वारा संदत्त प्रभार,
5. किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों को पेश करने के लिए उपगत व्यय,
6. अपीलों की दशा में किसी पक्षकार द्वारा निर्णयों और डिक्रियो की प्रतिया प्राप्त करने में उपगत व्यय।

आदेश-21 डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन

263. Order 21 C.P.C. dealing with execution of decrees and orders contains :
दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 21 जो डिक्रियों और आदेशों के निष्पादन से सम्बन्धित है, में

(a) 100 Rules/100 नियम है।
(b) 102 Rules/102 नियम है।
(c) 103 Rules/103 नियम है।
(d) 106 Rules/106 नियम है।

Uttarakhand (J) 2006
Rajsthan JLO 2013

Ans. (d) : दीवानी प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 21 में डिक्रियों और आदेशों के निष्पादन के सम्बन्ध में कुल 106 नियम हैं।

264. How many rules are there in Order 21?
आदेश 21 में कुल कितने नियम है?

(a) 108 (b) 106
(c) 101 (d) 104

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

265. Under C.P.C. money deposited in execution of Money decree if less than decretal amount
सी. पी. सी. के अन्तर्गत, धन के संदाय की डिक्री के प्रवर्तन में डिक्री राशि से कम धनराशि जमा होने पर:
(a) To be appropriated first against interest and costs
सर्वप्रथम ब्याज एवं व्यय के विरूद्ध समायोजित होगी
(b) To be appropriated first against the principal amount
सर्वप्रथम मूल राशि के विरूद्ध समायोजित होगी
(c) To be appropriated 50% against the principal amount and 50% against interest and costs
50 प्रतिशत राशि मूल राशि के विरूद्ध एवं 50 प्रतिशत राशि ब्याज तथा व्यय में समायोजित होगी
(d) To be appropriated 75% against the principal amount and 25% against interest and costs
75 प्रतिशत राशि मूल राशि के विरूद्ध तथा 25 प्रतिशत राशि ब्याज एवं व्यय में समायोजित होगी

MPHC CJ 2014

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धन के संदाय की डिक्री के प्रवर्तन में डिक्री राशि से कम धनराशि जमा होने पर सर्वप्रथम ब्याज एवं व्यय के लिए समायोजित होगी। धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन की रीति आदेश 21 नियम 1 व 2 में दिया गया है।

266. An application for the execution of the decree may lie in which of the following court/डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन निम्नांकित न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है –
(a) Before Distict Court/जिला न्यायालय के समक्ष
(b) Before that court which has passed the decree/ उस न्यायालय के समक्ष जिसके द्वारा डिक्री पारित की गयी
(c) Before that court where the defendant is residing temporarily under local jurisdiction/उस न्यायालय के समक्ष जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रतिवादी अस्थायी तौर पर निवास करता है
(d) Before that court where the executable property is available under local jurisdiction/उस न्यायालय के समक्ष जिसकी स्थानीय अधिकारिता में निष्पादन योग्य सम्पत्ति अवस्थित है

MP (ADPO) 2008 Paper-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 10 के अनुसार, डिक्रीधारक डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से या इस निमित्त नियुक्त अधिकारी से या यदि डिक्री किसी अन्य न्यायालय को भेजी गई है तो उस न्यायालय से आवेदन करेगा।

267. 'A', 'B', 'C', 'D' and 'E' are jointly and severally liable for Rs. 1,000 under a decree obtained by 'F'. 'A' obtains a decree for Rs. 1000 against 'F' singly and applies for execution to the Court in which the joint decree is being executed. Which is true under Order 21 Rule 18./सिविल प्रक्रिया संहिता–'क', 'ख', 'ग', 'घ' और 'ड' संयुक्त और पृथकत 'च' द्वारा अभिप्रास डिक्री के अधीन 1000 रुपए के देनदार है। 'क' अकेला 'च' के विरुद्ध 1000 रुपए की डिक्री अभिप्रास करता है और उस न्यायालय से निष्पादन के लिए आवेदन करता है, जिसमें वह संयुक्त डिक्री निष्पादित की जा रही है। आ. 21 नि. 18 के अंतर्गत कौन सा सत्य है–
(a) F may treat his joint-decree as a cross-decree
'च' अपनी संयुक्त-डिक्री को प्रति डिक्री के रूप में बरत सकेगा
(b) F cannot treat his joint-decree as a cross-decree/'च' अपनी संयुक्त-डिक्री को प्रति डिक्री के रूप में नहीं बरत सकेगा
(c) 'F' may treat his joint-decree as a cross-decree with the permission of the Court/न्यायालय की अनुमति से 'च' अपनी संयुक्त-डिक्री को प्रति डिक्री के रूप में बरत सकेगा
(d) 'F' may treat his joint-decree as a cross-decree with the written consent of other judgment debtors/अन्य निर्णीत-ऋणियों की लिखित सहमति से 'च' अपनी संयुक्त-डिक्री को प्रति-डिक्री के रूप में बरत सकेगा

MPHC (CJ) 2021

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 18 के दृष्टांत (d) पर आधारित है। जिसके अनुसार 'F' अपनी संयुक्त डिक्री को प्रति डिक्री के रूप में बरत सकेगा।
आदेश 21 नियम 18 प्रति डिक्रियों की दशा में निष्पादन से संबंधित नियम का उपबंध करता है।

268. Which of the following statements is not correct?
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
(a) a court making a decree can stay its execution/एक डिक्री पारित करने वाला एक न्यायालय इसके निष्पादन को स्थगित कर सकता है
(b) a court to which a decree has been sent for execution can stay its execution /एक न्यायालय जिसे डिक्री निष्पादन हेतु भेजा गया है इसके निष्पादन को स्थगित कर सकता है
(c) an appellate court can stay execution of a decree/एक अपीलीय न्यायालय एक डिक्री के निष्पादन को स्थगित कर सकता है
(d) the High Court while exercising revision jurisdiction cannot stay the execution of a decree/उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षणीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में एक डिक्री के निष्पादन को स्थगित कर सकता है

Bihar (HJS) 2016

Ans. (*) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 26 उपनियम 1 के अनुसार-वह न्यायालय जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गयी है, ऐसी डिक्री का निष्पादन पर्याप्त हेतुक दर्शित किये जाने पर युक्तियुक्त समय के लिए रोक सकेगा। अतः कथन (a) और (b) दोनों सही है।
संहिता के आदेश 41 नियम 5 के अनुसार-अपीलीय न्यायालय डिक्री के निष्पादन को स्थगित कर सकेगा। अतः कथन (c) सही है।
संहिता की धारा 115 (3) के अनुसार-न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही में कोई पुनरीक्षण रोक के रूप में प्रभावी नहीं होगी सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया है। अतः कथन (d) सही है।
उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार सभी विकल्प सही है।

269. Execution of decree for specific performance for restitution of conjugal rights or for an injunction is provided under Civil Procedure Code 1908, under/सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के, विनिर्दिष्ट पालन के या व्यादेश के लिए डिक्री के निष्पादन का प्रावधान है-

(a) Order 21 Rule 30/आदेश 21 नियम 30 में
(b) Order 21 Rule 31/आदेश 21 नियम 31 में
(c) Order 21 Rule 32/आदेश 21 नियम 32 में
(d) Order 21 Rule 34/आदेश 21 नियम 34 में

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 32(1) के अनुसार, जहां उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या व्यादेश के लिए कोई डिक्री पारित की गयी है, उस डिक्री के आज्ञानुवर्तन के लिए अवसर मिल चुका है और उसका आज्ञानुवर्तन करने मे वह जान-बूझकर असफल रहा है, वहां वह डिक्री दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापना के लिए डिक्री की दशा में उसकी सम्पत्ति की कुर्की द्वारा या संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री की दशा में सिविल कारागार में उसके निरोध द्वारा या उसकी सम्पत्ति की कुर्की द्वारा या दोनों रीति से प्रवृत्त की जा सकेगी।

270. A decree for restitution of conjugal rights may be enforced:/दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री प्रवर्तित की जा सकेगी-

(a) by attachment of property/सम्पत्ति की कुर्की द्वारा
(b) by injunction/व्यादेश द्वारा
(c) by detention in civil prison/सिविल कारागार में निरोध द्वारा
(d) none of above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

BPSC APO 2011
Chhattisgarh (J) 2008, 2012
MPHJS 2019
MPC J 2018
UP (HJS) 2016, 2018 Part-I, III

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 32 के अनुसार, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री का प्रवर्तन सम्पत्ति की कुर्की के द्वारा की जा सकेगी।

271. Under Oder 21 Rule 37 before passing an order for the arrest or detention in the civil prison of Judgment debtor, Court/आदेश 21 नियम 37 के अधीन निर्णीत ऋणी को कारागार में निरुद्ध करने वाले आदेश जारी करने के पहले न्यायालय–

(a) shall issue show cause notice instead of warrant for the arrest/गिरफ्तारी वारंट जारी करने के स्थान पर हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस जारी करेगा
(b) May issue warrant of arrest if it is shown on affidavit that Judgment debtor is about to abscond/गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते है यदि शपथ पत्र पर यह दर्शाया जाए की निर्णीत ऋणी भाग जायेगा
(c) shall issue attachment warrant before arrest warrant
गिरफ्तारी वारंट जारी के पूर्व कुर्की वारण्ट जारी करेगा
(d) option (a) and (b) are correct
विकल्प (a) व (b) सही है

MPHC CJ 2020

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 37 में प्रावधान किया गया है कि जहाँ धन के संदाय के लिए डिक्री का निष्पादन ऐसे निर्णीतऋणी की जो आवेदन के अनुसरण में गिरफ्तार किये जाने के दायित्व के अधीन है, गिरफ्तार और सिविल कारागार में निरोध के द्वारा करने के लिए आवेदन है, वहाँ न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट निकालने के बदले उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना उसके नाम निकालेगा कि उस दिन को जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जायेगा, वह न्यायालय में उपसंजात हो और हेतुक दर्शिक करे की सिविल कारागार में उसे क्यों न सुपुर्द कर दिया जाये।
परन्तु यदि न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि यह सम्भाव्यता है कि निर्णीतऋणी डिक्री के निष्पादन में विलम्ब करने के उद्देश्य से फरार हो जाये या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ दे या उसके ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि डिक्री के निष्पादन में विलम्ब होगा तो ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी।

272. Who does pay the subsistence allowance in case of arrest of judgement debtor for execution of a decree?/डिक्री के निष्पादन के लिए निर्णीत ऋणी के गिरफ्तारी के मामले में जीवन-निर्वाह भत्ते का भुगतान कौन करता है?

(a) Decree holder/डिक्रीदार
(b) Judgement debtor/निर्णीत ऋणी
(c) Court/न्यायालय
(d) State Government/राज्य सरकार

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 39 के अनुसार, डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जब तक डिक्रीदार ने न्यायालय में ऐसी राशि जमा न कर दिया हो जो न्यायाधीश निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी और उसके समक्ष लाये जा सकने तक के लिए जीवन निवार्ह के लिए पर्याप्त समझता है।

273. A granishee order is an order–
गारनिशी आदेश एक आदेश है–

(a) prohibiting the Judgment debtor's debtor from making any payment to the Judgment debtor/निर्णीत ऋणी के ऋणी को निर्णीत ऋणी को ऋण अदा करने से प्रतिषिद्ध करना
(b) directing the decree holder to take the payment from the Judgment debtor's debtor /निर्णीत ऋणी के ऋणी को डिक्रीधारी को ऋण अदा करने के लिए निर्देश देना
(c) Both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

UP (HJS) 2012

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 46A-46I में गारनिशी के संबंध में प्रावधान किया गया है। गारनिशी से तात्पर्य निर्णित ऋणी के ऋणी से है। न्यायालय नियम 46A के तहत यह आदेश कर सकता है कि निर्णीत ऋणी का ऋणी उस ऋण या धन का उतना भाग जो डिक्री के निष्पादन और उसमें आने वाले खर्च को चुकाने के लिए पर्याप्त है, न्यायालय में जमा करें या उपसंजात हो और कारण दर्शाये कि उसे वैसा क्यों नहीं करना चाहिए। इसके अन्तर्गत निम्नवत आदेश भी किये जा सकेंगें-

(1) निर्णीत ऋणी के ऋणी को प्रतिषिद्ध कर सकता है कि वह ऋण या धन का भुगतान निर्णीत ऋणी को न करें।
(2) वह ऋण अथवा धन का भुगतान डिक्रीदार को करें।

274. A "Garneeshe order" under Civil Procedure Code, 1908 is issued to
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन एक 'गारनिशी आदेश'' दिया जाता है-
(a) Judgment debtor/निर्णित ऋणी को
(b) Judgment debtor's creditor/निर्णित ऋणी के लेनदारों को
(c) Decree holder/आज्ञप्ति धारी को
(d) Judgment debtor's debtor/निर्णित ऋणी के ऋणी को

Rajsthan JLO 2013
Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 46A के अधीन गारनिशी आदेश निर्णित ऋणी के ऋणी को दिया जाता है। गारनिशी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निर्णीत-ऋणी का ऋणी है।

275. Meaning of Garnishee under Civil Procedure Code:/सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 'गारनिशी' का अर्थ है:
(a) Creditor's debtor/लेनदार का ऋणी
(b) Debtor's debtor/ऋणी का ऋणी
(c) Judgement debtor's debtor/निर्णीत ऋणी का ऋणी
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

276. Under CPC which of the following is a garnishee/सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन एक गारनिशी है:
(a) Judgement debtor/निर्णीत ऋणी
(b) Judgment debtor's debtor/निर्णीत ऋणी का ऋणी
(c) Creditor of Judgement debtor/निर्णीत ऋणी का लेनदार
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2012

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

277. Garnishee is a person who is:
'गार्निशी' (Garnishee) कौन-सा एक व्यक्ति है?
(a) Defaulter/दोषी
(b) Decree holder/डिक्री धारक
(c) Debtor of judgement debtor/निर्णय ऋणी का ऋणी (जजमैंट डैब्टर का ऋणी)
(d) Foreigner/विदेशी

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

278. Where any property has been attached in execution of decree and the court, for any reason, passes an order dismissing the execution-application but omits to give any direction as to attachment?
जहॉं कोई सम्पत्ति किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क कर ली गयी है और न्यायालय किसी कारण से निष्पादन आवेदन को खारिज कर देता है और कुर्की के बारे में कोई आदेश नहीं करता, वहाँ कुर्की:
(a) Attachment shall be deemed to have ceased
समाप्त हो जायेगी
(b) Attachment shall cease after three months
तीन महीने के बाद समाप्त होगी
(c) Attachment shall cease after six months
छः महीने बाद समाप्त होगी
(d) Attachment shall cease after one year
एक साल बाद समाप्त होगी।

MPHC CJ 1997

Ans. (a) सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 57(2) के अनुसार, जहाँ कोई सम्पत्ति किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क कर ली गयी है और न्यायालय किसी कारण से डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित करता है और कुर्की के बारे में कोई आदेश नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि कुर्की समाप्त हो गई है।

279. Which of the following provisions of C.P.C. provides for adjudication of claims and objections of attachment of property?
निम्न में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रावधान कुर्क की गई सम्पत्ति के दावों और आपत्तियों के न्याय निर्णयन की बात करता है?
(a) Order 21 Rule 59/आदेश 21 नियम 59
(b) Order 21 Rule 58/आदेश 21 नियम 58
(c) Order 21 Rule 57/आदेश 21 नियम 57
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 58 के अधीन कुर्क की गई सम्पत्ति पर दावों का और ऐसी सम्पत्ति की कुर्की के बारे में आक्षेपों (आपत्तियों) के न्यायनिर्णयन का उपबन्ध किया गया है। नियम 58 के अधीन केवल वे आक्षेप किये जायेंगे जिन्हें किसी तीसरे पक्षकार द्वारा उठाया जाएगा। इस नियम के अन्तर्गत तीसरा पक्षकार आक्षेप के लिए निम्न में से कोई विकल्प चुन सकता है-
(1) चाहे तो वह आवेदन के माध्यम से आक्षेप कर सकता है या
(2) वह ऐसा करने के लिए एक नियमित वाद ला सकता है।
नियम 58 का उद्देश्य शीघ्र और संक्षिप्त उपाय प्रस्तुत करना है।

280. In execution of a decree a movable property is auction sold by the execution court. The auction purchaser deposits the entire auction price then and there even before expiry of 30 days and takes the delivery of the auctioned property. An objection complaining that the auction was conducted with material irregularity is filed within 30 days from the date of auction. State which one of the following is legally correct?
एक डिक्री के निष्पादन में निष्पादन न्यायालय द्वारा जंगम सम्पत्ति का नीलाम विक्रय द्वारा गया है। नीलामी क्रेता 30 दिनों के समाप्ति के पूर्व तब और वही सम्पूर्ण नीलाम मूल्य निक्षिप्त करता है और नीलाम की गयी सम्पत्ति का परिदान लेता है। यह शिकायत करते हुए कि नीलाम तात्विक

अनियमितता के आधार पर किया गया था, आक्षेप नीलामी की तिथि से 30 दिनों के भीतर तात्विक अनियमितता के साथ किया गया था, आक्षेप नीलाम की तिथि से 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है। बताइये निम्नलिखित में से कौन एक विधितः सत्य है?

(a) Objection is maintainable as it has been filed within 30 days of the auction./आक्षेप सम्पोषणीय है क्योंकि यह नीलाम के 30 दिनों के भीतर दाखिल किया गया है

(b) Auction sale is vitiated as the auctioned property has been delivered without waiting for its confirmation within 30 days of auction. /नीलाम विक्रय दूषित है क्योंकि नीलामी सम्पत्ति 30 दिनों के भीतर इसकी सम्पुष्टि के लिए प्रतीक्षा किये बिना परिदत्त की गयी है

(c) No confirmation of sale is required in the present case/वर्तमान मामले में विक्रय में कोई सम्पुष्टि आवश्यक नहीं है

(d) None of the above is correct/उपर्युक्त में से कोई सहीं नहीं है

UP (HJS) 2009

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21, नियम 77 के उपनियम (2) के अनुसार, जहां जंगम सम्पत्ति का लोक नीलम द्वारा विक्रय किया जाता है वहां क्रयधन का संदाय कर दिये जाने पर उसके लिए रसीद वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति देगा जो विक्रय कर रहा है और विक्रय आत्यन्तिक हो जाएगा।
नियम 78 के अनुसार, जंगम सम्पत्ति के विक्रय के प्रकाशन या संचालन में की कोई भी अनियमितता विक्रय को दूषित नहीं करेगा, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसे क्षति हुई है, वाद ला सकेगा।

281. How much amount an auction purchaser should deposit immediately after the sale? संपत्ति के विक्रय के तुरंत पश्चात् क्रेता को कितना प्रतिशत राशि जमा कराना आवश्यक हैः

(a) Ten percent/दस प्रतिशत
(b) Twenty percent/बीस प्रतिशत
(c) Twenty five percent/पच्चीस प्रतिशत
(d) Fifty percent/पचास प्रतिशत

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 84 (1) के अनुसार, स्थावर सम्पत्ति के हर विक्रय पर वह व्यक्ति जिसका क्रेता होना घोषित किया गया है, अपने क्रय धन की रकम के पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी या अन्य व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरन्त पश्चात् देगा।
इस प्रकार सम्पत्ति के विक्रय के तुरन्त पश्चात् क्रेता को पच्चीस प्रतिशत राशि जमा कराना आवश्यक है।

282. Auction purchaser shall pay full of purchase money:/नीलामी का क्रेता पूरा धन संदाय करेगाः

(a) within 7 days /सात दिन में
(b) within 15 days /पन्द्रह दिन में
(c) within 21 days /इक्कीस दिन में
(d) within 30 days /तीस दिन में

MPHC CJ 2007
Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 85 के अनुसार,नीलामी का क्रेता पूरे धन का संदाय 15 दिन के भीतर न्यायालय में जमा करके करेगा।

283. Which among the following is not correct in relation to consideration of Order 21 Rule 90/ आदेश 21 नियम 90 के संबंध में निम्न में क्या सही नहीं है

(a) there must be a material irregularity or fraud in publishing or conducting of the sale
विक्रय के प्रकाशन या संचालन में सारवान अनियमितता या कपट का होना
(b) it must relate to conduct of sale alone
यह मात्र विक्रय के संचालन से संबंधित होना चाहिए
(c) the applicant must have sustained substantial injury/आवेदक को सारवान क्षति होनी चाहिए
(d) such injury must have been caused by material irregularity or fraud/ऐसी क्षति अनियमितता या कपट के द्वारा कारित होनी चाहिए

MPHC CJ 2020

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 90 में उपबन्ध किया गया है कि जहाँ किसी डिक्री के निष्पादन में किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया गया है, वहाँ डिक्रीदार या क्रेता या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो आस्तियों के आनुपातिक वितरण में अंश पाने का हकदार है या जिसके हित विक्रय के द्वारा प्रभावित हुए है, विक्रय को उसके प्रकाशन या संचालन में हुई तात्विक अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा।।
अतः आदेश 21 नियम 90 केवल विक्रय के संचालन से सम्बन्धित न होकर आस्तियों के अनुपातिक वितरण के अंश से भी सम्बन्धित है।

284. Within which period, a person having an interest in immovable property should deposit the decretal as well as the amount to be given to the Actual purchaser, for getting the sale set aside?/यदि विक्रीत अचल संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति आज्ञप्त रकम तथा क्रेता को दी जाने वाली रकम न्यायालय में जमा कराकर विक्रय निरस्त कराना चाहता है तो उसे आवश्यक रकम विक्रय के कितने दिन के भीतर जमा करा देना चाहियेः

(a) Ten days/दस दिन
(b) Twenty days/बीस दिन
(c) Twenty five days/पच्चीस दिन
(d) Sixty days/साठ दिन

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 92(2) के अनुसार, यदि विक्रीत अचल सम्पत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति आज्ञप्त रकम तथा क्रेता को दी जाने वाली रकम न्यायालय में जमा कराकर विक्रय निरस्त कराना चाहता है तो उसे आवश्यक रकम विक्रय के 60 दिन के भीतर जमा करा देना चाहिए।

285. The objection presented before trial under Order 21 Rule 97 was set aside by him. The said order can be challenged by which of the following process-/विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 21 नियम 97 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश आपत्ति निरस्त की जाती है उक्त आदेश को किस प्रक्रिया द्वारा चुनौती दी जा सकेगी?

(a) Appeal/अपील (b) Revision/पुनरीक्षण
(c) Writ/रिट (d) Suit/वाद

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्ति यदि निरस्त की जाती है तो इस आदेश को अपील में चुनौती दी जा सकती है।
श्रीमती साबिरा बेगम बनाम डी.जे. रामपुर (1992 All H.C.) के मामले में उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 21 नियम 97 के अधीन आपत्ति का निरस्त किया जाना अपील योग्य है, इसका पुनरीक्षण नहीं हो सकता है।

286. In execution proceeding before Trial Court a person filed application under Order 21 Rule 97 C.P.C. on ground that he was bonafide purchaser of suit property. His objection-
विचारण न्यायालय के समक्ष निष्पादन की कार्यवाही में एक व्यक्ति ने सि.प्र.सं. के आदेश 21 नियम 97 के अंतर्गत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वह वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है। उसकी आपत्ति -

(a) Is maintainable because he has bonafide purchaser/प्रचलन योग्य है चूँकि वह सद्भावी क्रेता है
(b) Is not maintainable because his lis pendens prohibits a party from dealing with property which is the subject matter of suit
प्रचलन योग्य नहीं है चूँकि लंबित वाद किसी पक्षकार को वाद की संपत्ति के लेनदेन का प्रतिषेध करता है
(c) Is maintainable because he has not filed independent suit/प्रचलन योग्य है चूँकि उसने स्वतंत्र वाद प्रस्तुत नहीं किया है
(d) Can be heard only if parties permit
तभी सुनी जा सकती है जब पक्षकार इसकी अनुमति दें

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 21 नियम 97 में प्रावधान किया गया है कि डिक्री के निष्पादन में विक्रय की गई किसी सम्पत्ति के क्रेता का ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा डाली जाती है वहाँ सद्भावी क्रेता ऐसे प्रतिरोध या बाधा का परिवाद करते हुए आवेदन न्यायालय से कर सकेगा।

287. Where on the day fixed for hearing in the execution application, if application is dismissed when applicant is absent at the time of hearing then–/यदि निष्पादक आवेदन में सुनवाई के लिए पुकार होने पर आवेदक के अनुपस्थित रहने पर आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो–

(a) Applicant can file new application for execution/आवेदक निष्पादन हेतु नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है
(b) Applicant can file an application under Order 9 Rule 9 for setting aside/आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. में ऐसे आदेश को अपास्त करने का आवेदन आवेदक दे सकता है
(c) Applicant can file an application under Section 151 CPC for re hearing/धारा 151 सी.पी.सी. में आवेदक आवेदन देकर पुनःसुनवाई का निवेदन कर सकता है
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2020

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21, नियम 105(2) के अनुसार, जहां नियत दिन या किसी अन्य दिन जिस तक सुनवाई स्थगित की जाए मामले की सुनवाई के लिए पुकार होने पर आवेदक उपसंजात नहीं होता है, वहां न्यायालय आदेश कर सकेगा कि आवेदन खारिज कर दिया जाए।

288. Under which provision of Code of Civil Procedure, restoration or setting aside of orders passed ex parte can be sought regarding an application field under Order XXI of CPC which has been dismissed for non appearance or decided ex parte?
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अन्तर्गत, आदेश XXI के अधीन प्रस्तुत एक आवेदन के एक पक्षीय रूप से निर्णित किये जाने या अनुपस्थिति में खारिज किये जाने के आदेशों की पुनर्स्थापना अथवा अपास्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है?

(a) Order IX Rule 13/आदेश IX नियम 13
(b) Order XXI Rule 58/आदेश XXI नियम 58
(c) Order XXI Rule 106/आदेश XXI नियम 106
(d) Order XXI Rule 100/आदेश XXI नियम 100

Rajasthan (J) 2018, 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 106 के अन्तर्गत, आवेदक जिसके विरूद्ध नियम 105 के उपनियम (2) के अधीन कोई आदेश किया जाता है अथवा उपनियम (3) या नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन विरोधी पक्षकार जिसके विरूद्ध कोई एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है, उस आदेश को अपास्त करने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि आवेदन की सुनवायी के लिए पुकार होने पर उसके उपसंजात न होने के पर्याप्त कारण थे तो न्यायालय जो ठीक समझे, आदेश अपास्त करेगा।

आदेश-22 पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला

289. The death of a plaintiff or defendant shall not cause the suit of abate, if/वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के कारण वाद का उपशमन नहीं होगा, यदि

(a) the cause of action survives/वाद हेतुक बचा रहता है
(b) the relief survives/अनुतोष बचा रहता है
(c) the right to sue survives
वाद लाने का अधिकार बचा रहता है
(d) All of the above/ये सभी

Uttarakhand (J) 2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 1 के अनुसार, वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के कारण वाद का उपशमन नहीं होगा, यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है।

290. What shall be status of a suit on party's death?
पक्षकार की मृत्यु पर एक वाद की क्या स्थिति होगी?

(a) The death of plaintiff will abate the suit/वादी की मृत्यु से वाद का उपशमन हो जाएगा
(b) The death of the defendant will abate the suit/प्रतिवादी मृत्यु से वाद का उपशमन हो जाएगा

(c) Both (a) and (b)/दोनों (a) एवं (b)
(d) The death of plaintiff or defendant will not cause the suit to abate if the right to sue survives/यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से वाद का उपशमन नहीं होगा

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

291. Where one of two or more defendents dies and the right to sue does not survives against the surviving defendant or defendants alone but legal representative of deceased defendent was not made a party than-
जहां दो या अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरुद्ध बचा नहीं रहता है किन्तु मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तब–
(a) The claim will abate at whole/दावा संपूर्णतः उपशमित हो जाता है
(b) Claim shall abate against the deceased defendent only/दावा केवल मृत प्रतिवादी के विरुद्ध उपशमित हो जाता है
(c) Claim will not abate against any of those/दावा किसी के विरुद्ध उपशमित नहीं होता है
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

MP (HJS) 2019

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 4 (1) के अनुसार, जहां दो या दो से अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरुद्ध बचा नहीं रहता है या एक मात्र प्रतिवादी या एकमात्र उत्तरजीवी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहाँ इस निमित्त किये गये आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनायेगा और वाद में अग्रसर होगा।
परन्तु उपनियम (3) के अनुसार यदि विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है तब वाद, जहाँ तक वह मृत प्रतिवादी से सम्बन्धित है, उसके विरूद्ध उपशमित हो जायेगा।

292. In a miscellaneous appeal arising out of a pending suit defendant appellant dies and an application for substitution is filed and allowed. Appeal is decided three years thereafter. Substitution is filed and allowed. Appeal is decided three years thereafter. Subsequently, when the suit is taken up, an objection that the suit has abated as no application to substitute the heirs of the deceased was filed therein within the prescribed period, is raised from the side of the defendant. Suggest the stand legally open to such plaintiff?
एक लम्बित वाद से उत्पन्न प्रकीर्ण अपील में प्रतिवादी–अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है एवं प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दाखिल एवं अनुज्ञात किया जाता है। अपील तत्पश्चात् तीन वर्ष बाद निर्णीत की जाती है। तत्पश्चात् जब वाद ग्रहण किया जाता है, तब प्रतिवादी पक्ष से यह आक्षेप उठाया जाता है कि वाद उपशमित हो गया है क्योंकि उसमें विहित अवधि के भीतर मृतक के उत्तराधिकारियों ने प्रतिस्थापित करने के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है। ऐसे वादी को उपलब्ध विधिक उपचार का सुझाव दीजिए–
(a) plaintiff may apply for substitution with an application for condonation of delay./वादी विलम्ब की माफी के लिए आवेदन के साथ प्रतिस्थापन के लिए आवेदन कर सकता है
(b) Information of death of defendant was not given to the trial court, therefore, shelter of Order 22 Rule 10A C.P.C. may by invoked./चूँकि प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना विचारण न्यायालय को नहीं दी गयी थी, इसलिए आदेश XXII, नियम 10–क, सिविल प्रक्रिया संहिता का आश्रय लिया जा सकता है
(c) Record of the trial court was in appeal and thus, the plaintiff was prevented by sufficient cause in not filing the substitution application earlier./चूँकि विचारण न्यायालय का अभिलेख अपील में था एवं वादी प्रतिस्थापना आवेदन पहले दाखिल न करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था
(d) The substitution allowed in miscellaneous appeal would ensure in the suit also and application for substitutions is not required as the heirs are on record./प्रकीर्ण अपील में अनुज्ञात किया गया प्रतिस्थापन भी वाद में सुनिश्चित करेगा एवं प्रतिस्थापन के लिए आवेदन आवश्यक नहीं है क्योंकि उत्तराधिकारी अभिलेख पर है।

UP (HJS) 2009

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22, नियम 5 के अनुसार, जहाँ इस सम्बन्ध में प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति मृत वादी या मृत प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं वहाँ ऐसे प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जायेगा। परन्तु जहाँ अपील न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उद्भूत होता है वहाँ वह न्यायालय प्रश्न का अवधारण करने के पूर्व किसी अधीनस्थ न्यायालय को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस प्रश्न का विचारण करे और अभिलेखों को, जो ऐसे विचारण के समय अभिलिखित किए गए साक्ष्य के, यदि कोई हो, अपने निष्कर्ष के और उसके कारणों के साथ वापस करे, और अपील न्यायालय उस प्रश्न का अवधारण करने में उन्हें ध्यान में रख सकेगा। चूंकि अपील न्यायालय विधिक प्रतिनिधि के प्रश्न का अवधारणा करने में सक्षम है और प्रश्नगत मामले में उसने विवादग्रस्त विषय से सम्बन्धित प्रकीर्ण अपील में उसका अवधारण कर दिया है अतः यह आक्षेप पोषणीय नहीं है कि विहित समयावधि के भीतर उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन नहीं किया है। यहाँ अलग से उस वाद में प्रतिस्थापन आवेदन किया जाना आवश्यक नहीं है।

293. Point out the correct Answer:
Under Civil Procedure Code where any party dies after conclusion and before pronouncement of judgement/सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निष्कर्ष के बाद एवं निर्णय सुनाये जाने से पहले किसी पक्षकार के मृत्यु पर-

सही उत्तर बताइयेः

(a) The suit shall be abated/वाद का उपशमन हो जायेगा।
(b) The suit shall not be abated/वाद का उपशमन नहीं होगा।
(c) The suit shall not be abated if cause of action survives/वाद हेतुक बचा हो तो उपशमन नहीं होगा
(d) It will be deemed that judgment has been pronounced after death of the party/ऐसा माना जायेगा कि निर्णय मृत्यु होने के पश्चात सुनाया गया है।

MPHC (CJ) 2021
Uttarakhand (J) 2008

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 6 के अनुसार, यदि दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार की सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् और निर्णय सुनाये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ वाद का उपशमन नहीं होगा, और उसके बाद सुनाये गये निर्णय का वहीं प्रभाव और बल होगा मानों वह मृत्यु के पूर्व सुनाया जा चुका हो।

294. Where between the conclusion of the hearing and the pronouncing of the judgment, the death of either party causes, there shall be जहाँ सुनवाई की समाप्ति के पश्चात् एवं निर्णय सुनाने से पहले किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है वहाँ-

(a) abatment of the case/वाद का उपशमन हो जायेगा
(b) No abatment of the case/वाद का उपशमन नहीं होगा
(c) No abatment if cause of action survive/वाद हेतुक बचा हो तो उपशमन नहीं होगा
(d) Depends upon the discretion of the court/न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगा

MPHC CJ 1997, 2014
Jharkhand (J) 2014
Chhattisgarh (J) 2004, 2008, 2020
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

295. Under Civil Procedure Code 1908, on death of either parties to the suit between the conclusion of the hearing and the pronouncing of the judgment, the suit ..../सी.पी.सी. 1908 के तहत, सुनवाई की समाप्ति और निर्णय सुनाने के बीच किसी भी पक्षकार की मृत्यु के कारण वाद ....

(a) shall abate /उपशमन होगा
(b) shall not abate /उपशमन नहीं होगा
(c) may abate with the permission of the Court न्यायालय की अनुमति से उपशमन होगा
(d) may abate with the constant of the other party दूसरे पक्षकार की सहमति से उपशमन होगा

MPHC CJ 2013 Shift-I, 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

296. If the sole plaintiff dies after the hearing of the suit was concluded, the suit shall/यदि वाद की सुनवायी समाप्त होने के उपरांत एकमात्र वादी की मृत्यु हो जाती है तो वाद–

(a) abate/उपशमित हो जायेगा
(b) continue as it is/ऐसे ही जारी रहेगा
(c) continue in the name of legal representatives/ विधिक प्रतिनिधियों के नाम से जारी रहेगा
(d) continue only if an application has been submitted within limitation for adding the legal representatives as plaintiff/केवल तभी जारी रहेगा जब वादी के विधिक प्रतिनिधियों को वादी के रूप में प्रतिस्थापित करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है

MPHC CJ 2020

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

297. An appeal against the order of refusal to set aside the abetment of the suit or the dismissal made under order 22 rule 9 C.P.C. is maintainable under which section?/वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 9 के अधीन दिया गया है, के विरुद्ध अपील सी.पी.सी. की किस धारा के तहत प्रस्तुति योग्य है?

(a) Section 96 CPC/धारा 96 सी.पी.सी.
(b) Section 104 CPC /धारा 104 सी.पी.सी.
(c) Section 100 CPC /धारा 100 सी.पी.सी.
(d) Section 114 CPC /धारा 114 सी.पी.सी.

MP (HJS) 2017

Ans. (b) : वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इन्कार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 9 के अधीन दिया गया है, के विरूद्ध अपील सी0पी0सी0 की धारा 104 के तहत प्रस्तुत किया जायेगा।
आदेश 43 नियम 1 खण्ड (K) यह स्पष्ट करता है कि वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इंकार के आदेश से अपील धारा 104 के अन्तर्गत आदेशों से अपील की भांति हो सकेगा।

298. Which of the following statement is correct- निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) Rejection of suit under Order 7 Rule 11 prohibits new suit upon same issue /आदेश 7 नियम 11 के अधीन वादपत्र का नामंजूर किया जाना नए वाद का वर्जन करता है
(b) Rejection of suit under Order 9 Rule 2 prohibits new suit upon same issue /आदेश 9 नियम 2 के अधीन वाद का खारिज किया जाना नए वाद का वर्जन करता है
(c) Rejection of suit under Order 9 Rule 3 prohibits new suit upon same issue /आदेश 9 नियम 3 के अधीन वाद का खारिज किया जाना नए वाद का वर्जन करता है
(d) Rejection of suit under Order 22 prohibits new suit upon same issue /आदेश 22 के अधीन वाद का उपशमन नए वाद का वर्जन करता है

MP (HJS) 2019

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 9 के अनुसार, जहां वाद का इस आदेश के अधीन उपशमन हो जाता है या वह खारिज किया जाता है, वहां कोई भी नया वाद उसी वाद हेतुक पर नहीं लाया जायेगा।

299. Where a suit abates or dismissed under Order 22 of C.P.C., on the same cause of action:/जहां पर एक दावा आदेश 22 सी.पी.सी. के तहत उपशमित अथवा खारिज होता है, तो उसी वाद कारण पर–

(a) New suit may be instituted with the consent of parties
पक्षकारों की सहमति से नया वाद संस्थित हो सकता है
(b) With prior permission of the court, fresh suit may be filled/न्यायालय की पूर्व अनुमति से नया दावा दायर हो सकता है
(c) No fresh suit shall be brought
कोई नया वाद नहीं लाया जा सकेगा
(d) If sufficient cause is shown, then new suit may be filled/यदि पर्याप्त कारण दर्शित है, तो नया वाद दायर हो सकता है

Chhattisgarh 2003, 2008
Jharakhand (J) 2014
MPHC CJ 2018, 2020
MP(HJS) 2018, 2020

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

300. A pleader has a duty to inform the court about the death of parties under–/सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक अधिवक्ता का कर्त्तव्य है कि वह पक्षकार की मृत्यु की सूचना न्यायालय को दे–

(a) Order 22 Rule 1 C.P.C./आदेश 22 नियम 1 के अन्तर्गत
(b) Order 22 Rule 4 C.P.C./आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत
(c) Order 22 Rule 8 C.P.C./आदेश 22 नियम 8 के अन्तर्गत
(d) Order 22 Rule 10A C.P.C./आदेश 22 नियम 10–क के अन्तर्गत

UP (HJS) 2012

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 10A के अनुसार, वाद में पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाले प्लीडर को जब कभी यह जानकारी प्राप्त हो कि पक्षकार की मृत्यु हो गयी है तो वह न्यायालय को इसकी इत्तिला देगा और तब न्यायालय ऐसे मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को देगा और इस प्रयोजन के लिए प्लीडर और मृत पक्षकार के बीच हुई संविदा अस्तित्व में मानी जायेगी।

301. Under the Code of Civil Procedure, 1908, in one situation the contract of engagement of a lawyer by the party to suit will be deemed to continue even after the death of that party. Which is that situation?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत, एक परिस्थिति में वाद के पक्षकार द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति की संविदा उस पक्षकार की मृत्यु के पश्चात् भी जारी मानी जाएगी। वह कौन सी परिस्थिति है?

(a) Till the pleader inform the court about death of party./जब तक प्लीडर न्यायालय को पक्षकार की मृत्यु की सूचना दें।
(b) Till the legal heirs engage a new lawyer. /जब तक विधिक प्रतिनिधि नया अधिवक्ता नियुक्त करें।
(c) Till an application for impleadment of legal heirs is filed /जब तक विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए।
(d) Till the legal heirs are brought on record/जब तक विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया जाए।

Rajasthan (J) 2021

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

302. In which proceedings Rule 3, 4 and 8 of Order 22 of CPC shall not apply:
किन कार्यवाहियों में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 8 लागू नहीं होगा?

(a) Civil Suit /व्यवहार वाद
(b) Civil Appeal /व्यवहार अपील
(c) Miscellaneous Appeal /विविध अपील
(d) Execution of Decree /डिक्री के निष्पादन

MPHC CJ 2017

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के **आदेश 22 नियम 12** के अनुसार, नियम 3, नियम 4 और नियम 8 की कोई भी बात किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्यवाहियों पर लागू नही होगी।

303. To which of the cases the provisions of order 22 rule 3 and 4 C.P.C. do not apply?
आदेश 22 नियम 3 एवं 4 सी.पी.सी. के प्रावधान निम्न में से किस प्रकरण में लागू नहीं होते हैंः

(a) Suit/वाद
(b) Execution proceedings/प्रवर्तन कार्यवाही
(c) First appeal/प्रथम अपील
(d) Second appeal/द्वितीय अपील

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

आदेश-23 वादों का प्रत्याहरण और समायोजन

304. Order XXIII of the Civil Procedure Code applies to the following:/सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXIII निम्न पर लागू होता है:

(a) Withdrawal of suits/वाद को वापस लेना
(b) Appeals/अपील
(c) Execution proceeding/निष्पादन
(d) All the above/उपर्युक्त सभी

MPADPO 2010 Paper Ist
UPPCS (J)-2006

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 का आदेश XXIII वादों के प्रत्याहरण और समायोजन से संबंधित है। वादों का प्रत्याहरण दो प्रकार से हो सकता है।
(1) न्यायालय की अनुमति के बिना,
(2) न्यायालय की अनुमति से

305. Right to withdraw the suit, is:
वाद के प्रत्याहरण का अधिकार है:

(a) an absolute right of the plaintiff
वादी का निरपेक्ष अधिकार
(b) a qualified right of the plaintiff
वादी का सीमित अधिकार
(c) fettered by certain conditions
कतिपय शर्तों द्वारा बाधित
(d) Both (b) and (c) /(b) एवं (c) दोनों

MPHC CJ 2012

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 1 के अनुसार, वाद के संस्थित किये जाने के पश्चात किसी भी समय वादी वाद का प्रत्याहरण सभी या किन्ही प्रतिवादियों के विरूद्ध कर सकेगा। अतः यह वादी का निरपेक्ष अधिकार है।

306. The maxim "Invito beneficium non datur" (The law confers upon a man no rights or benefits which he does not desire) relates to which of the provision under the Code of Civil Procedure 1908?
सूत्र 'इन्वाइटो बेनिफिसियम नान डाटूर' (विधि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या फायदा उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रदान नहीं करती है) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के किस प्रावधान से संबंध रखता है?

(a) Section 26/धारा 26
(b) Order 6, Rule 1/आदेश 6, नियम 1
(c) Section 148-A/धारा 148–क
(d) Order 23, Rule 1/आदेश 23, नियम 1

UPPCS (J)-2018

Ans. (d) : सूत्र 'इन्वाइटो बेनिफिसियम नान डाटूर' अर्थात विधि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या फायदा उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रदान नहीं करती है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 1 से संबंधित है।
आदेश 23 नियम 1 में प्रावधान किया गया है कि वाद संस्थित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा।

307. Abandonment of suit presented by minor through next friend/नाबालिग की ओर से वादमित्र द्वारा प्रस्तुत दावा का परित्याग–

(a) May be made any time as a matter of right/एक अधिकार के रूप में कभी भी किया जा सकता है
(b) can not be abandoned/परित्याग नहीं किया जा सकता है
(c) can be abandoned only with the permission of court/सिर्फ न्यायालय की अनुमति से ही परित्याग किया जा सकता है
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

MP (HJS) 2014

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 1 के परन्तुक के अनुसार, जहाँ वादी अवयस्क है वहाँ न्यायालय की इजाजत के बिना न तो वाद का और न दावें के किसी भाग का परित्याग किया जाएगा।

308. According to CPC after withdrawal of suit plaintiff/सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, वाद के प्रत्याहरण के बाद वादी–

(a) May file subsequent suit on the same subject matter/उसी विषयवस्तु के सम्बन्ध में नया वाद प्रस्तुत कर सकता है।
(b) May file subsequent suit on the same subject matter only with permission of the Court/उसी विषयवस्तु के सम्बन्ध में नया वाद सिर्फ न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत कर सकता है।
(c) May file subsequent suit on the same subject matter only with permission of the High Court/उसी विषयवस्तु के सम्बन्ध में नया वाद सिर्फ उच्च न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत कर सकता है।
(d) Can not file subsequent suit on the same issue till the court was not permitted the withdrawal application with permission of file subsequent suit/जब तक कि उसे वाद के प्रत्याहरण के समय न्यायालय ने नया वाद संस्थित करने की स्वतन्त्रता के साथ वाद के प्रत्याहरण की अनुमति न दी गई हो, तब तक उसी विषयवस्तु के सम्बन्ध में नया वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

MP (HJS) 2016

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 के नियम 1 (3) के अनुसार, वाद के प्रत्याहरण के बाद वादी जब तक कि उसे वाद के प्रत्याहरण के समय न्यायालय ने नया वाद संस्थित करने की स्वंतत्रता के साथ वाद का प्रत्याहरण करने की अनुमति न दी हो तब तक उसी विषयवस्तु के सम्बन्ध में नया वाद प्रस्तुत नही कर सकता है।
न्यायालय वाद प्रत्याहरण का आदेश देते समय वादी को नया वाद लाने की अनुमति तभी देगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाय कि-
(1) वाद किसी प्रारूपिक त्रुटि (formal defect) के कारण विफल हो जायेगा अथवा
(2) वाद की विषयवस्तु या दावें के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने की पर्याप्त आधार हैं।

309. An application for the withdrawal of suit has been filed along with permission for grant of liberty to file fresh suit, in such an application court can/नये सिरे से दावा लाने की इजाजत सहित दावे को प्रत्याहृत करने के लिए प्रस्तुत आवेदन की स्थिति में न्यायालय

(a) allow the application without leave to file fresh suit/इजाजत दिये बगैर आवेदन को मंजूर कर सकेगा
(b) reject or allow the application in Toto
पूर्णरूप से या तो आवेदन को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा
(c) may pass any appropriate order
कोई भी समुचित आदेश पारित किया जा सकेगा
(d) All of these/ये सभी

MPHC CJ 2020

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

310. Which one comes in the preview of "formal defect" for withdrawal of suit under Order 23 Rule 1(3) of C.P.C. ?
आदेश 23 नियम 1(3) सि.प्र.सं. के तहत वाद के प्रत्याहरण हेतु निम्न में से कौन ''प्रारूपिक त्रुटि'' की परिधि में आता है?

(a) Want of notice under Section 80 C.P.C.
सि.प्र.सं. की धारा 80 के तहत नोटिस का अभाव
(b) Confusion regarding identification of suit property/वाद सम्पत्ति के संबंध में भ्रम
(c) Improper valuation of suit
वाद का अनुचित मूल्यांकन
(d) All of these/ये सभी

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 23 नियम 1 (3) में वाद के प्रत्याहरण (वापसी) हेतु ''प्रारूपिक त्रुटि'' के आधार को स्पष्ट है। इसकी परिधि में निम्नवत् आते हैं-
(1) संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस का अभाव,
(2) वाद सम्पत्ति के सम्बन्ध में भ्रम,
(3) वाद का अनुचित मूल्यांकन।

311. After withdrawal of the suit, a plaintiff:
वाद के प्रत्याहरण के पश्चात् वादी-
(a) can institute a fresh suit in respect of the same subject-matter/समान वाद विषय के संदर्भ में नया वाद दायर कर सकता है
(b) can institute a fresh suit in respect of the same subject-matter only with the leave of the court /समान वाद विषय के संदर्भ में नया वाद दायर कर सकता है परन्तु केवल न्यायालय की अनुमति पर
(c) can institute a fresh suit in respect of the same subject-matter, without liberty of the court/समान वाद विषय के संदर्भ में न्यायालय की अनुमति के बिना भी वाद दायर कर सकता है
(d) cannot institute a fresh suit in respect of the same subject-matter, unless liberty is given at the time of withdrawal of the suit/समान वाद विषय के संदर्भ में नया-वाद नहीं दायर कर सकता है जब तक कि प्रत्याहरण के समय पर न्यायालय की अनुमति प्राप्त न हो।

UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 1(4) के अनुसार, जहाँ वादी-
(a) उपनियम (1) के अधीन किसी वाद का या दाबे के भाग का परित्याग करता है, अथवा
(b) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना वाद से या दावे के भाग से प्रत्याहृत कर लेता है।
वहाँ वह ऐसे खर्चे के लिए दायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णीत करें और वह ऐसी विषय-वस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संस्थित करने से प्रवारित होगा।

312. Parties to the suit compromise in a suit
एक मामले में वाद के पक्षकार समझौता कर सकते हैं-
(a) under Order XXIII, Rule 3A of CPC/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 3 क के अन्तर्गत
(b) under Order XXIII, Rule 3 of CPC/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 3 के अन्तर्गत
(c) under Order XXIII, Rule 1 of CPC/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 1 के अन्तर्गत
(d) under Order XXIII, Rule 4 of CPC/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 4 के अन्तर्गत

UP (HJS) 2014

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 3 के अन्तर्गत जहाँ न्यायालय को यह समाधान करा दिया जाता है कि वाद पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किसी विधिपूर्ण करार या समझौते के द्वारा पूर्णतः या भागतः समायोजित किया जा चुका है या जहाँ प्रतिवादी वाद की विषय-वस्तु के या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में वादी की तुष्टि कर देता है, वहाँ न्यायालय ऐसे करार, समझौते या तुष्टि के अभिलिखित किये जाने का आदेश करेगा और जहाँ तक कि वह वाद के पक्षकारों से सम्बन्धित है, चाहे करार, समझौते या तुष्टि के विषय वही हों या न हों, जो कि वाद कि विषय-वस्तु है, वहाँ तक तद्नुसार डिक्री पारित करेगा।

313. Parties to the suit can compromises in a suit
वाद के पक्षकार वाद में समझौता कर सकते है
(a) Order 23 Rule 1 of CPC/सी.पी.सी. के आदेश 23 नियम 1 के अन्तर्गत
(b) Order 23 Rule 3 of CPC/सी.पी.सी. के आदेश 23 नियम 3 के अन्तर्गत
(c) Order 23 Rule 3A of CPC/सी.पी.सी. के आदेश 23 नियम 3A के अन्तर्गत
(d) Order 23 Rule 4 of CPC/सी.पी.सी. के आदेश 23 नियम 4 के अन्तर्गत

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II, 2019

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

314. Which one of the following statement is incorrect regarding the compromise under Order 23 Rule 3 of Civil Procedure Code?
निम्न में से कौन-सा कथन आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समझौते के संबंध में सही नहीं है?
(a) Must be in writing and signed by the party
पक्षकार के द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए
(b) Must be in writing and need to be lawful agreement/लिखित एवं विधिपूर्ण करार से संबंधित हो
(c) It is required that subject matter of the compromise is the same as the subject matter of the suit/यह आवश्यक है कि समझौते की विषयवस्तु वही हो जो वाद के दावे की विषयवस्तु है
(d) A compromise which is voidable under the Indian Contract Act shall also/भारतीय संविदा अधिनियम के तहत यदि समझौता शून्यकरणीय है तब इस नियम के तहत भी शून्यकरणीय होगा

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 3 के तहत वाद में समझौता हेतु यह आवश्यक है कि इस निमित पक्षकारों के बीच विधिपूर्ण करार हो जो लिखित और हस्ताक्षरित होगा। कोई करार, या समझौता जो भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन शून्य या शून्यकरणीय है, इस नियम के अधीन विधिपूर्ण नहीं समझा जायेगा।

315. Where a decree of compromise which was not lawful, there-/यदि कोई समझौता जिस पर डिक्री आधारित है, विधिपूर्ण नहीं था। तब:
(a) Suit shall lie to set aside such decree
डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद लाया जा सकेगा
(b) Complaint has to made to High Court
उच्च न्यायालय में परिवाद करना होगा
(c) No suit shall lie to set aside such decree
डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद नहीं लाया जा सकेगा
(d) Suit may lie to set aside such decree with the leave of District Judge
जिला न्यायाधीश की अनुमति से डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद लाया जा सकेगा।

MPHC CJ 1997
Chhattisgarh (J) 2008

Ans. (c) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 3 A के अनुसार, कोई डिक्री अपास्त करने के लिए कोई वाद इस आधार पर नहीं लाया जाएगा कि वह समझौता जिस पर डिक्री आधारित है, विधिपूर्ण नहीं था।
नोट-यह प्रावधान 1976 के अधिनियम संख्या 104 द्वारा (01/02/1977 से प्रवृत) अन्तःस्थापित किया गया है।

आदेश-24 न्यायालय में जमा करना

316. Who does make payment of money into court under order XXIV of the Code of Civil Procedure, 1908?/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXIV में किसके द्वारा धनराशि का भुगतान किया जाता है?
(a) Plaintiff/वादी द्वारा (b)Defendant/प्रतिवादी द्वारा
(c) Witness/साक्षी द्वारा
(d) Court itself/न्यायालय स्वयं द्वारा
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 24 में न्यायालय में रकम जमा करने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। आदेश 24 नियम 1 के अनुसार, ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी भी वाद में प्रतिवादी वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय में धन की ऐसी राशि का निक्षेप कर सकेगा जो उसके विचार में दावे की पूर्ण तुष्टि हो।

आदेश-25 खर्चों की प्रतिभूति

317. Who does furnish security for costs under order XXV of the Code of Civil Procedure, 1908? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के XXV के अन्तर्गत खर्चों के लिए प्रतिभूति कौन देता है?
(a) Defendant/प्रतिवादी (b) Witness/साक्षी
(c) Co-defendant/सह-प्रतिवादी
(d) Plaintiff/वादी
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 25 नियम 1 के अनुसार वाद के किसी भी प्रक्रम पर न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या किसी प्रतिवादी के आवेदन पर वादी को यह आदेश दे सकेगा कि वह न्यायालय द्वारा निश्चित समय के भीतर प्रतिवादी द्वारा उपगत व्ययों के भुगतान हेतु प्रतिभूति दें।

318. When the court pass an order for payment of security under order XXV of the Code of Civil Procedure, 1908 and if the security is not furnished, the court shall make an order for जब न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXV के अन्तर्गत प्रतिभूति देने का आदेश पारित किया जाता है एवं वह प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो न्यायालय आदेश पारित करेगा कि
(a) dismissal of suit/वाद खारिज कर दिया जाए।
(b) stay of suit/वाद को रोक दिया जाए।
(c) return of plaint/वाद-पत्र लौटा दिया जाए।
(d) rejection of plaint/वाद-पत्र नामंजूर कर दिया जाए।
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 25 नियम 2 के अनुसार, यदि वादी नियत समय के भीतर प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो न्यायालय वाद को खारिज कर सकेगा।

आदेश-26 कमीशन

319. Which one of the following Order of Civil Procedure Code, 1908 is related to issue Commission?/व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्न आदेशों में से कौन सा आदेश कमीशन जारी करने से सम्बन्धित है?
(a) Oder 24/आदेश 24 (b) Order 26/आदेश 26
(c) Order 25/आदेश 25 (d) Oder 27/आदेश 27
UPPCS (J)-2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का **आदेश 26** तथा धारा 75 कमीशन का प्रावधान करता है जिसमें साक्षी की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, वैज्ञानिक अन्वेषण, अनुसचिवीय कार्य करने, जंगम सम्पत्ति के विक्रय के लिए, लेखाओं की परीक्षा के लिए तथा विभाजन के लिए कमीशन जारी किया जाता है।

320. Which one is not correctly matched? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
(a) Institution of Suit : Order IV
वाद संस्थित करना : आदेश 4
(b) Judgement and Decree: Order XX
निर्णय एवं डिक्री : आदेश 20
(c) Issue of Summons: Order V
सम्मन निर्गत करना : आदेश 5
(d) Issue of Commissions: Order XXI
कमीशन जारी करना : आदेश 21
Uttarakhand (J) 2011

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत-
वाद का संस्थित करना- आदेश 4
निर्णय एवं डिक्री- आदेश 20
सम्मन निर्गत करना- आदेश 5 में प्रावधान किया गया है, जब कि कमीशन जारी करना आदेश 26 में प्रावधान किया गया है न कि आदेश 21 में अतः विकल्प (d) सही सुमेलित नहीं है।

321. For whose examination, commission may be issued by the court under Order XXVI of C.P.C.?/किसके परीक्षा के लिए आदेश 26 के तहत न्यायालय द्वारा कमीशन निकाला जा सकेगा?
(a) Any person resident beyond the local limits of its jurisdiction/कोई व्यक्ति जो उसके स्थानीय अधिकारिता के बाहर का निवासी हो।
(b) Any person who is about to leave such limits of its jurisdiction/कोई व्यक्ति जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमायें छोड़ने वाला हो।
(c) Any person in the service of Government who cannot attend the court without detriment to the public service/कोई सरकारी सेवक जो सरकारी कार्यों में व्यवधान के बिना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न हो सके।
(d) All of these/उपरोक्त सभी।
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 26 नियम 4 (1) के अनुसार, कोई भी न्यायालय–
(1) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से परे निवासी किसी भी व्यक्ति की,
(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसी सीमाओं को उस तारीख से पहले छोड़ने वाला है, जिसको न्यायालय में परीक्षा की जाने के लिए वह अपेक्षित है, तथा

(3) सरकार की सेवा के किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसकी बारे में न्यायालय की राय है कि वह लोक सेवा को क्षति पहुंचाये बिना हाजिर नहीं हो सकता,
परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन किसी भी वाद में निकाल सकेगा।

322. Order XXVI, Rule 4A CPC., empowers the court to issue commission in a suit for examination of a person–
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 4-क के अधीन वाद में व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने के लिए सशक्त है-

(a) resident within the local limits of its jurisdiction/उसमें अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने पर
(b) resident beyond the local limits of its jurisdiction/उसकी स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने पर
(c) who is about to leave the local limits of its jurisdiction/जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को छोड़ चुका हो
(d) Both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों

UP (HJS) 2012

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 26 नियम 4A के अनुसार, कोई न्यायालय न्यायहित में या मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए या किसी अन्य कारण से, किसी वाद में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए कमीशन या प्रश्नावली या अन्यथा निकाल सकेगा और इस प्रकार लेखबद्ध किये गये कथन को साक्ष्य में पढ़ा जायेगा।

323. The purpose for which commission for local inspection cannot be issued is:
स्थानीय निरीक्षण हेतु कमीशन जिस उद्देश्य के लिए जारी नहीं किया जा सकता है वह है:

(a) to collect evidence on a fact/किसी तथ्य पर साक्ष्य एकत्रित करने हेतु
(b) to elucidate a subject of dispute/विवाद के किसी विषय के विशदीकरण हेतु
(c) to determine the market value of the asset. /सम्पत्ति के बाजार मूल्य के अभिनिश्चय हेतु
(d) to determine the amount of mesne profit /अंतःकालीन लाभ की राशि के अभिनिश्चय हेतु

Chhattisgarh (J) 2011

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 26 नियम 9 अनुसार– किसी भी वाद में जिसमें न्यायालय विवाद में के (1) किसी विषय के विशदीकरण के या (2) किसी सम्पत्ति के बाजार-मूल्य के या (3) किन्हीं अन्तःकालीन लाभों या नुकसानी या वार्षिक शुद्ध लाभों की रकम के अभिनिश्चियन के प्रयोजन के लिए स्थानीय अन्वेषण करना अवेक्षणीय या उचित समझता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे वह ठीक समझे, ऐसा अन्वेषण करने के लिए और उस पर न्यायालय को रिपोर्ट देने के लिए उसे निदेश देते हुए कमीशन निकाल सकेगा। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि किसी तथ्य पर साक्ष्य एकत्रित करने हेतु कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है।

324. A commission to make local investigation can be issued under/स्थानीय जांच करने के लिए आयोग किसके तहत गठित किया जा सकता है?

(a) Order XXVI, Rule 1, CPC
ऑर्डर XXVI, नियम 1, सी.पी.सी.
(b) Order XXVI, Rule 6, CPC
ऑर्डर XXVI, नियम 6, सी.पी.सी.
(c) Order XXVI, Rule 9, CPC
ऑर्डर XXVI, नियम 9, सी.पी.सी.
(d) Order XXVI, Rule 10, CPC
ऑर्डर XXVI, नियम 10, सी.पी.सी.

Bihar (J) 2020

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत न्यायालय विवाद में के किसी विषय के विशदीकरण के या किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के या किन्ही अन्तःकालीन लाभों या नुकसानी या वार्षिक शुद्ध लाभों की रकम के अभिनिश्चयन के प्रयोजन के लिए स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा।

325. Civil Procedure Code - The Court can issue a Commission for Scientific investigation under-
सिविल प्रक्रिया संहिता :- वैज्ञानिक अन्वेषण के लिये न्यायालय .... के प्रावधान के अंतर्गत कमीशन जारी कर सकता है-

(a) Rule 10-A of Order 26 of CPC
सी.पी.सी. के आदेश 26 नियम 10-क
(b) Rule 10-B of Order 26 of CPC
सी.पी.सी. के आदेश 26 नियम 10-ख
(c) Rule 10-C of Order 26 of CPC
सी.पी.सी. के आदेश 26 नियम 10-ग
(d) Rule 11 of Order 26 of CPC
सी.पी.सी. के आदेश 26 नियम 11

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 75 तथा आदेश 26 के तहत कमीशन जारी करने का प्रावधान दिया गया है। आदेश 26 नियम 10A में प्रावधान किया गया है कि जहां वाद में उद्भूत होने वाली किसी प्रश्न में कोई ऐसा वैज्ञानिक अन्वेषण अंतर्ग्रस्त है, जो न्यायालय की राय में न्यायायल के समक्ष सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता है, वहां न्यायालय कमीशन यह निदेश देते हुए निकाल सकेगा कि वह ऐसे प्रश्न का जांच करें और उसकी रिपोर्ट न्यायालय को दें।

326. Under Civil Procedure Code a court may not issue a commission—
सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, न्यायालय कमीशन नहीं जारी कर सकेगा:-

(a) For elucidating any matter in dispute
किसी विषय के विशदीकरण के लिए
(b) For ascertaining the market value of any property
किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए
(c) For assessing the amount of any measne profits or damages /किन्हीं अंतःकालीन लाभों या नुकसानों के निर्धारण के लिए
(d) For framing of issue /वाद विषय निर्धारण के लिए

MPHC CJ 2016

Ans. (d): सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 75-78 सपठित आदेश 26 में कमीशन, न्यायालय निम्न उद्देश्य के लिए जारी कर सकता है-

- किसी विषय के विशदीकरण के लिए- आदेश 26 नियम 9
- किसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए- आदेश 26 नियम 9
- किन्ही अन्तः कालीन लाभो या नुकसानी के निर्धारण के लिए- आदेश 26 नियम 9
  किन्तु वाद विषय निर्धारण के लिए कमीशन जारी नहीं किया जायेगा।

327. The commission to make local investigate can be issued for the purposes of/स्थानीय अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए कमीशन को निर्गत किया जा सकता है-

1. collecting evidence on a fact/किसी तथ्य पर साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए
2. elucidating any matter in dispute/विवाद के किसी मामले के विशदीकरण के लिए
3. ascertaining the amount of mesne profit/ अन्तःकालीन लाभ की राशि का निर्धारण करने के लिए
4. ascertaining the market value of the property/ सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए

उपर्युक्त में से कौन-कौन से सही है?

Code/कूट:

(a) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(b) 2, 3 and 4/2, 3 और 4
(c) 1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 और 4
(d) 1 and 2/1 और 2

Jharkhand (J) 2008

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

328. Which of the following power is not vested in commissioner if he is not a judge of a civil court?यदि कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तो निम्न में से कौन सी शक्ति उसे प्रदत्त नहीं है?

(a) Power to make partition of property/सम्पत्ति को विभाजित करने की शक्ति
(b) Power to impose penalties/शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्ति
(c) Power to call for and examine documents/दस्तावेजों को मँगवाने एवं परीक्षण करने की शक्ति
(d) Power to examine accounts/लेखाओं के परीक्षण की शक्ति

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 26 नियम 17 के परन्तुक के अनुसार जब कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तब वह शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा, किन्तु ऐसे कमिश्नर के आवेदन पर ऐसी शास्तियाँ उस न्यायालय द्वारा जिसने कमीशन निकाला था अधिरोपित की जा सकेगी।

नोट-यह परन्तुक सि.प्र.सं. (संशोधन) अधिनियम 1976 (01/02/1977 से प्रवृत) द्वारा अन्तः स्थापित किया गया।

329. Which of the following court may issue Commission under Rule 19 of order XXVI of the Code of Civil Procedure, 1908? सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXVI के नियम 19 के अन्तर्गत निम्न में से कौन सा न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है?

(a) Any Civil Court/कोई भी सिविल न्यायालय
(b) Supreme Court/उच्चतम न्यायालय
(c) District Court/जिला न्यायालय
(d) High Court/उच्च न्यायालय

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 26 नियम 19 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि

(क) विदेश में स्थित कोई विदेशी न्यायालय अपने समक्ष की किसी कार्यवाही में किसी साक्षी का साक्ष्य अभिप्राप्त करना चाहता है।,
(ख) कार्यवाही सिविल प्रकृति की है तथा
(ग) साक्षी उस उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता की सीमाओं के भीतर निवास करता है तो नियम-20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकता है।

330. In which of the following case commission under Order 26 CPC cannot be issued?/निम्नलिखित में किस परिस्थिति में आदेश 26 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता?

(a) to examine witnesse /साक्षियों की परीक्षा के लिए
(b) for local investigations स्थानीय अन्वेषणों के लिए
(c) for scientific investigations वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए
(d) for appointment of receiver रिसीवर की नियुक्ति के लिए

MPHC CJ 2011

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 26 के तहत न्यायालय निम्न उद्देश्यों हेतु कमीशन जारी कर सकता है-

1. साक्षियों की परीक्षा करने के लिए
2. स्थानीय अन्वेषण के लिए
3. वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए
4. अनुसचिवीय कार्य करने के लिए
5. जंगम सम्पत्ति के विक्रय के लिए
6. लेखाओं की परीक्षा करने के लिए
7. विभाजन करने के लिए

आदेश-27 सरकार द्वारा या उसक विरुद्ध या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

331. Order XXVII of the Code of Civil Procedure, 1908 deals with/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XXVII संबंधित है

(a) Suits by or against the Government or Public officer in their official capacity./सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरूद्ध वाद से
(b) Summary procedure/संक्षिप्त प्रक्रिया से
(c) Adjustments/स्थगन से
(d) Death, Marriage and Insolvency of parties/ पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला से

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 27 सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या अपने पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद से सम्बन्धित है।

332. In a suit filed against the Government the process shall be deemed to have been duly served upon the Government when:/सरकार के खिलाफ दाखिल वाद में सरकार पर आदेशिका की तामील उचित रूप से पर्याप्त माना जायेगा जबः

(a) the process is served upon the official who is competent to take decision in respect of the subject matter of the suit /आदेशिका की तामील उस प्राधिकारी पर किया जाता है जो वाद के विषय-वस्तु के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु सक्षम हो

(b) the process is served upon the local office of the Government situated in the place where the suit is being instituted /आदेशिका सरकार के उस स्थानीय कार्यालय पर उस स्थान पर तामील किया जाता है जहाँ वाद दाखिल किया जाता है

(c) the notice regarding filing of the suit is posted at any conspicuous place in the court premises as well as in the collectorate/वाद के दाखिल होने की सूचना न्यायालय और कलेक्ट्रेट में किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया जाता है

(d) the process is served upon the Government Pleader appointed to represent the Government in the court where the suit is being instituted/जहाँ वाद दाखिल किया जा रहा है वहाँ के सरकार का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त सरकारी वकील पर आदेशिका का तामील किया जाता है

Bihar (HJS) 2016

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 27 नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी न्यायालय में का सरकारी प्लीडर ऐसे न्यायालय द्वारा सरकार के विरुद्ध निकाली गई आदेशिकाएं लेने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा। अतः सरकार के विरुद्ध दाखिल वाद में सरकार पर आदेशिका की तामील उचित रूप से पर्याप्त माना जायेगा जब आदेशिका की तामील सरकारी वकील को किया जाता है।

333. Which of the following is the agent to receive process in a suit instituted against the Government on behalf of the Government:- निम्न में से कौन राज्य शासन के विरुद्ध संस्थित किये गये वाद में शासन की ओर से आदेशिका प्राप्त करने के लिए उसका अभिकर्ता हैः

(a) Collector/कलेक्टर

(b) Chief secretary/मुख्य सचिव

(c) Tahsildar/तहसीलदार

(d) Government Pleader/शासकीय अभिभाषक

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 27 नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी न्यायालय में का सरकारी प्लीडर ऐसे न्यायालय द्वारा सरकार के विरूद्ध निकाली गई आदेशिकाएं लेने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा।

334. Rule 8 of order XXVII of the Code of Civil Procedure, 1908 deals with/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXVII का नियम 8 संबंधित है

(a) Procdure in suits against public officer/लोक अधिकारी के विरूद्ध वादों में प्रक्रिया

(b) Definition of Government/सरकार की परिभाषा

(c) Persons authorizd to act for Government/सरकार के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति

(d) Agent for Government to receive process/आदेशिका प्राप्त करने के लिए सरकार का अभिकर्ता

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 27 में लोक अधिकारी के विरूद्ध वादों में प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। आदेश 27 नियम 8 उपनियम (1) के अनुसार- जहाँ किसी लोक-अधिकारी के विरूद्ध किसी वाद की प्रतिरक्षा करने का जिम्मा सरकार लेती है, वहाँ सरकारी प्लीडर उपसंजात होने और वाद पत्र का उत्तर देने का प्राधिकार दिये जाने पर न्यायालय से आवेदन करेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पत्र उसके प्राधिकार का टिप्पणी सिविल वादों के रजिस्टर में प्रविष्ट करायेगा।
उपनियम 2 के अनुसार- जहाँ उस दिन को जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए सूचना में नियत है, या उस दिन के पूर्व कोई आवेदन सरकारी प्लीडर द्वारा उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाये वहाँ मामला ऐसे चलेगा जैसे वह प्राइवेट पक्षकारों के बीच चलता है,परन्तु प्रतिवादी की गिरफ्तारी या उसकी सम्पत्ति की कुर्की डिक्री के निष्पादन में की जा सकेगी, अन्यथा नहीं।

आदेश-27क वे वाद जिनमें संविधान के निर्वचन या कोई सारभूत विधि प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो

335. Suit in which there is a question of interpretation of constitution or any substantial question is included notice should be given to- ऐसे वाद में जिसमें संविधान के निर्वचन का प्रश्न या सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, वहां पर, नोटिस दिया जाएगा–

(a) Government Advocate/शासकीय अधिवक्ता

(b) Collector/कलेक्टर

(c) Cheif seceratary /मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव

(d) Attorney genreal of India/भारत के महान्यायवादी

MP (HJS) 2019

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 27A नियम (1) के अनुसार ऐसे वाद में जिसमें संविधान के निर्वचन या सारवान प्रश्न अंर्तग्रस्त है वहां पर भारत के महान्यायवादी को न्यायालय द्वारा नोटिस दिया जायेगा।

336. Suits relating to constitutional validity of statutory instruments are provided in-/सांविधिक लिखत की संवैधानिकता को चुनौती देने से संबंधित प्रावधान हैं।

(a) Order 27A, Rule 1-A of the CP.C./आदेश 27 क, नियम 1–क सि.प्र.सं. के अन्तर्गत

(b) Order 34, Rule 1 of the CP.C./आदेश 34, नियम 1 सि.प्र.सं. के अन्तर्गत

(c) Order 32A, Rule 3 of the CP.C./आदेश 32 क, नियम 3 सि.प्र.सं. के अन्तर्गत

(d) Order 37, Rule 2 of the CP.C./आदेश 37, नियम 2 सि.प्र.सं.

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : सांविधिक लिखत की संवैधानिकता को चुनौती देने से संबंधित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 27A नियम 1A में दिया गया है। नियम 1A के अनुसार,किसी ऐसे वाद में जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता के सम्बन्ध में ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है जो नियम 1 में वर्णित प्रकृति का प्रश्न नहीं है, न्यायालय-
1. यदि वह प्रश्न सरकार से सम्बन्धित है तो सरकारी प्लीडर को अथवा
2. यदि वह प्रश्न सरकार से भिन्न किसी प्राधिकारी से सम्बन्धित है तो, उस प्राधिकारी को, जिसने कानूनी लिखत जारी की थी,

सूचना दिये बिना प्रश्न का अवधारण करने के लिए अग्रसर नहीं होगा।

337. In what capacity the court may add Government as a party under rule 2 of order XXVII A of the Code of Civil Procedure, 1908?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXVII-क, के नियम 2 के अन्तर्गत न्यायालय, सरकार को किस रूप में पक्षकार जोड़ सकता है?
(a) As a plaintiff/वादी के रूप में
(b) As a witness/साक्षी के रूप में
(c) As a defendant/प्रतिवादी के रूप में
(d) As a co-plaintiff/सह-वादी के रूप में

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 27A नियम 2 के अनुसार, किसी भी ऐसे वाद में जिसमें संविधान के अनु0 147 सपठित अनु0 132(1) में यथानिर्दिष्ट कोई प्रश्न अर्न्तग्रस्त है, यदि यथास्थिति भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता नियम-1 के अधीन सूचना की प्राप्ति पर या अन्यथा यथास्थिति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने के लिए न्यायालय से आवेदन करता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अर्न्तग्रस्त विधिप्रश्न के समाधानप्रद अवधारणा के लिए ऐसा जोड़ा जाना आवश्यक है या वांछनीय है तो वह वाद के किसी भी प्रक्रम में यह आदेश कर सकेगा कि वह सरकार ऐसे वाद में प्रतिवादी के रूप में जोड़ ली जाए।

आदेश-29 नियमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

338. Order 29 CPC deals with-
आदेश 29 सी.पी.सी. सम्बन्धित है-
(a) Suit by the Government/सरकार द्वारा वाद
(b) Suit by the Indigent person/निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद
(c) Suit by or against the Corporation/निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 29 निगमों द्वारा या उसके विरूद्ध वाद से सम्बन्धित है। निगम के द्वारा या निगम के विरूद्ध वाद निगम के नाम से संस्थित किया जाता है।

339. Where the suit is instituted against a corporation, the summons may be served
जहाँ वाद किसी निगम के विरूद्ध संस्थित किया जाता है, समन की तामील की जा सकती है
(a) on the secretary/सचिव को
(b) on the director/निदेशक को
(c) on any principal officer/अन्य प्रधान अधिकारी को
(d) Any of these/इनमें से किसी को भी

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXIX नियम 2 के अनुसार, जहाँ वाद किसी निगम के विरूद्ध है वहाँ समन की तामील-
(क) उस निगम के सचिव या किसी भी निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी पर की जा सकेगी, अथवा
(ख) उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या यदि कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है तो उस स्थान पर जहाँ निगम कारोबार करता है, छोड़कर या समन को ऐसे कार्यालय या स्थान के पते पर भी निगम को सम्बोधित करके डाक द्वारा भेजकर की जा सकेगी।

340. In a suit against a Corporation, the summons may be served on–/किसी निगम के विरुद्ध वाद में समन की तामील की जायेगी–
(a) Any employee of the corporation/निगम के किसी भी कर्मचारी पर
(b) Relative of the director of the corporation/निगम के निदेशक के रिश्तेदार पर
(c) Principal officer of the corporation/निगम के प्रधान अधिकारी पर
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (J) 2017

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की आदेश 29 नियम 2 के अनुसार, किसी निगम के विरूद्ध वाद में समन की तामील उस निगम के सचिव या किसी भी निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी पर की जा सकेगी।

आदेश-32 अवयरकों और विकृतचित व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद

341. Under Order XXXII of C.P.C., who can file suit on behalf of minor?/सि.प्र.सं. के आदेश XXXII के तहत अवयस्क की ओर से कौन वाद ला सकेगा?
(a) Next friend of the minor/अवयस्क का वाद मित्र
(b) Receiver appointed by the court/न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक
(c) Guardian appointed by the court/न्यायालय द्वारा संरक्षक
(d) Representative of the next friend of minor/अवयस्क के वाद का प्रतिनिधि

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 32 नियम 1 के अंतर्गत, अवयस्क द्वारा हर वाद उसके नाम में ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जाएगा जो ऐसे वाद में अवयस्क का वाद मित्र कहलाएगा।

342. A suit may be instituted by a minor?
अवयस्क द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है?
(a) in his name/उसके नाम से
(b) in his name by next friend
वादमित्र द्वारा उसके नाम में
(c) guardian of minor in his own name
अवयस्क के संरक्षक द्वारा स्वयं के नाम से
(d) relative of minor in his name
अवयस्क के संबंधी द्वारा उसके नाम में

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

343. A suit of a minor is instituted by
एक अवयस्क के लिए वाद संस्थित किया जाता है:
(a) Next friend/वाद मित्र द्वारा
(b) Guardian/संरक्षक द्वारा
(c) Legal representative/विधिक प्रतिनिधि द्वारा
(d) Any one of them/उपरोक्त में से कोई भी

MP (ADPO) 2016 Paper-I

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

344. A person who institutes a suit on behalf of a minor is known as/वह व्यक्ति जो अवयस्क की ओर से वाद संस्थित करता है, कहलाता है
(a) Guardian/संरक्षक
(b) Representative/प्रतिनिधि
(c) Next-Friend/वाद मित्र
(d) Relative/रिश्तेदार

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : वह व्यक्ति जो अवयस्क की ओर से वाद संस्थित करता है, वाद मित्र कहलाता है।

345. Under Order 32 Rule 1 of Civil Procedure Code a minor means a person who has not attained his majority within the meaning of............/आदेश 32 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अवयस्क व्यक्ति से अभिप्रेत है, जिसने अपनी वयस्कता निम्नलिखित अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं की है .....
(a) Juvenile Justice Act/किशोर न्याय अधिनियम
(b) Civil Procedure Code/व्यवहार प्रक्रिया संहिता
(c) Indian Majority Act/भारतीय वयस्कता अधिनियम
(d) Hindu Minority and Guardianship Act
हिन्दू अप्राप्तव्य एवं संरक्षकता अधिनियम

MPHC CJ 2016, 2018 Shift-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की आदेश 32 नियम 1 के स्पष्टीकरण के अनुसार- अवयस्क से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अर्थ में अपनी वयस्कता प्राप्त न किया है अर्थात् 18 वर्ष से कम आयु का हो।

346. A suit instituted on behalf of minor-
अवयस्क की ओर से पेश किया गया वाद:
(a) may be withdrawan any time within the subject matter of right/किसी भी समय अधिकार के विषयांतर्गत वापस लिया जा सकता है
(b) Can not be withdrawan/वापस नहीं लिया जा सकता है
(c) can be withdrawan only with the prior permission of court/केवल न्यायालय की अनुमति से ही वापस लिया जा सकता है
(d) None of the above (a) or (b) /(a) अथवा (b) में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2011

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 नियम 1 के परन्तुक के अनुसार–अवयस्क की ओर से पेश किया गया वाद केवल न्यायालय की अनुमति से ही वापस लिया जा सकता है।

347. "Guardian at litium" used under Civil Procedure Code, 1908 means
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रयुक्त शब्दावली ''वादार्थ संरक्षक'' से अभिप्रेत है-
(a) A local Commissioner/एक स्थानीय आयुक्त
(b) A court/एक न्यायालय
(c) A person defending a suit on behalf of an insane person/एक व्यक्ति जो पागल व्यक्ति की तरफ से प्रतिरक्षा करता है
(d) A person defending a suit on behalf of a minor/एक व्यक्ति जो अवयस्क की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 32 नियम 3 के अनुसार जहाँ प्रतिवादी अवयस्क वहाँ न्यायालय उसकी अवयस्कता के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर उचित व्यक्ति को ऐसे अवयस्क के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगा।

348. "Guardian at litem" used under Civil Procedure Code, 1908 means
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में प्रयुक्त शब्दावली ''वादार्थ संरक्षक'' से अभिप्रेत है–
(a) A local commissioner/एक स्थानीय आयुक्त
(b) A court/एक न्यायालय
(c) A person defending a suit on behalf of a insane person/एक व्यक्ति जो पागल व्यक्ति की तरफ से प्रतिरक्षा करता है
(d) A person appointed by court to defend a suit on behalf of a minor/न्यायालय द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति जो अवयस्क की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है

MPHC (CJ) 2021

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

349. "Guardian at litem" is—
''वादार्थ संरक्षक'' है-
(a) A person defending a suit on behalf of a minor/एक व्यक्ति जो अवयस्क की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है
(b) A receiver/एक प्रापक
(c) A local commissioner/एक स्थानीय कमीश्नर
(d) A court/एक न्यायालय

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

350. The Court is required to appoint a guardian at litem-/न्यायालय के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक है :-
(a) For a minor plaintiff only
केवल अवयस्क वादी के लिए
(b) For a minor defendant only
केवल अवयस्क प्रतिवादी के लिए
(c) For a minor plaintiff and defendant both
वादी एवं प्रतिवादी दोनों के लिये
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2014, 2019 Shift-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 32 नियम 3 के अन्तर्गत वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति केवल अवयस्क प्रतिवादी के लिए करना आवश्यक है।

351. Any agreement or compromise enterd into by next-friend or guardian for the suit on behalf of minor without the leave of the court shall be न्यायालय की इजाजत के बिना, किसी वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क की ओर से किया गया करार या समझौता

(a) void against all parties/सभी पक्षकारों के विरूद्ध शून्य होगा।

(b) voidable against all parties/सभी पक्षकारों के विरूद्ध शून्यकरणीय होगा।

(c) voidable against all parties other than minor/अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरूद्ध शून्यकरणीय होगा।

(d) valid/वैध होगा।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 32 नियम 7(2) के अनुसार, न्यायालय की इजाजत के बिना किसी वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क की ओर से किया गया करार या समझौता अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरूद्ध शून्य करणीय होगा।

352. A next friend or guardian on behalf of minor under Order XXXII, Rule 7 of CPC– आदेश XXXII, नियम 7 व्यवहार प्रक्रिया के अंतर्गत वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक अव्यस्क की ओर से–

(a) can enter into an agreement without the leave of the court but cannot compromise a suit
न्यायालय की अनुमति के बिना अनुबंध कर सकता है, परंतु वाद में समझौता नहीं कर सकता है

(b) can neither enter into an agreement nor compromise the suit without leave of the court/न्यायालय की अनुमति के बिना न तो अनुबंध कर सकता है और न किसी वाद में समझौता कर सकता है

(c) cannot enter into an agreement without leave of the court but enter into a compromise
न्यायालय की अनुमति के बिना अनुबंध कर सकता है, परंतु समझौता कर सकता है

(d) can enter into an agreement and also compromise in a suit without leave of the court/न्यायालय की अनुमति के बिना अनुबंध कर सकता है एवं अवयस्क की ओर से समझौता भी कर सकता है

MPHC (CJ) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

353. Under Order XXXII Rule 9 of the Code of Civil Procedure, a next friend of a minor can be removed:/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 9 के अन्तर्गत एक अवयस्क के वाद-मित्र को हटाया जा सकता है-

(a) if he ceases to reside in India during the pendency of the suit/यदि वाद के लम्बित रहने के दौरान वह भारत के भीतर निवास करना छोड़ देता है

(b) where his interest becomes adverse to that of the minor/जहाँ उसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल हो जाता है

(c) where he does not do his duty/जहाँ वह अपना कर्त्तव्य नहीं करता है

(d) for any of the above reasons/उपरोक्त में से किसी भी कारण पर

Chhattisgarh (J) 2012
Rajsthan JLO 2013
UP (HJS) 2018 Part-III
MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 32 नियम 9(1) के अनुसार, जहाँ अवयस्क के वाद-मित्र का हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल है या जहाँ उस प्रतिवादी से जिसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल है, उसकी ऐसी संसक्ति है जिससे यह असंभाव्य हो जाता है कि अवयस्क के हित की संरक्षा वह उचित रूप से नहीं करेगा या जहाँ वह अपना कर्त्तव्य नहीं करता है या वाद के लम्बित रहने के दौरान भारत के भीतर निवास करना छोड़ देता है वहाँ या किसी भी अन्य पर्याप्त कारण से उसके हटाए जाने के लिए आवदेन अवयस्क की ओर से या किसी प्रतिवादी द्वारा किया जा सकेगा और यदि समनुदिष्ट हेतुक की पर्याप्तता के बारे में न्यायालय का समाधान हो जाता है तो, वाद-मित्र के तदनुसार हटाए जाने के लिए आदेश कर सकेगा और खर्चों के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

354. Proceeding in a suit, relating to minor shall not be stayed: अवयस्क पक्षकार के वाद में कार्यवाही को रोका नहीं जाएगाः

(a) On retirement of the next friend of a minor
वाद मित्र के निवृत्त होने पर

(b) On attaining the majority by the minor
अवयस्क वादी के वयस्क हो जाने पर

(c) On removal of the next friend of a minor
वाद मित्र हटा दिया जाने पर

(d) On death of the next friend of a minor
वाद मित्र की मृत्यु हो जाने पर

MPHC CJ 2007

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 32 के नियम 10 के अनुसार- अवयस्क पक्षकार के कार्यवाही में वाद मित्र के निवृत होने या हटाये जाने पर या मृत्यु हो जाने पर, कार्यवाही तब तक रोकी जायेगी जब तक नये वाद मित्र की नियुक्ति नहीं हो जाती। आदेश 32 नियम 12 के अन्तर्गत वाद के अवयस्क पक्षकार के वयस्क हो जाने पर उसके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उसके वयस्क हो जाने पर कार्यवाही रोक दिया जायेगा।
अवयस्क के वयस्क होने पर अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया-
(1) वह वयस्क होने पर निर्वाचित करेगा कि वाद या कार्यवाही आगे चलाएगा या नहीं
(2) जब आगे कार्यवाही जारी रखने का निर्वाचन करेगा तब वाद मित्र के उन्मोचन और स्वयं के नाम से आगे कार्यवाही चलाने की इजाजत के लिए आवेदन करेगा।

355. Whether a minor on attaining majority may, if a sole plaintiff, apply that a suit instituted in his name by next friend be dismissed on the ground that it was unreasonable or improper?

क्या एक अवयस्क, यदि वह एकमात्र वादी है, वयस्क होने पर उसके नाम से वादमित्र द्वारा दायर वाद को अयुक्तियुक्त या अनुचित होने के आधार पर खारिज कराने हेतु आवेदन दे सकेगा?

(a) No /नहीं
(b) With the consent of next friend वादमित्र से अनुमति लेकर आवेदन देगा
(c) Yes /हाँ
(d) Joint applications will lie with next friend वादमित्र के साथ संयुक्त रूप से आवेदन पत्र

MPHC CJ 2015
Chhattishgarh (J) 2003

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 32 नियम 14 के अनुसार, यदि अवयस्क एकमात्र वादी है तो वयस्क होने पर उसके नाम से वादमित्र द्वारा दायर वाद को अयुक्तियुक्त या अनुचित होने के आधार पर खारिज कर सकेगा।

356. Order 32 of the code of Civil Procedure is ralated to?/सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 32 संबंधित है।

(a) Suit by or against minors and persons of unsound mind/अव्यस्कों और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरूद्ध वाद
(b) Suit by or against trustees executors and administrators/न्यासियों निष्पादकों और प्रशासकों के द्वारा या उनके विरूद्ध वाद
(c) Suit related to matters concerning family/ कुटुम्ब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित वाद
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Chhattishgarh (J) 2019

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 32 नियम 1 से 16 तक अव्यस्को और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरूद्ध वाद से सम्बन्धित प्रावधान करता है।

357. Procedure for suits relating to matters concerning the family is given in- परिवार से संबंधित मामलों के वाद में प्रक्रिया दी गई है-

(a) Order 32-A CPC/आदेश 32-ए सीपीसी में
(b) Order 29 CPC/आदेश 29 सीपीसी में
(c) Order 27-A CPC/आदेश 27-क सीपीसी में
(d) Order 30 CPC/आदेश 30 सीपीसी में

MPHC CJ 2018 Shift-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 32 A में परिवाद या कुटुम्ब से सम्बन्धित वाद की प्रक्रिया दी गयी है।
इस आदेश के उपबंध कुटुम्ब से सम्बन्ध रखने वाले विषयों से सम्बन्धित वादों को लागू होगें।

358. Order 32-A relates to/आदेश 32-क सम्बन्धित है

(a) Suit by or against minors and person of unsound mind/अवयस्क और विकृतचित व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद
(b) Suit relating to matters concerning the family/कुटुम्ब से सम्बन्ध रखने वाले विषयों से सम्बन्धित वाद
(c) Suit by indigent person/निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

आदेश-33 निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद

359. Where are the provision relating to case of indigent person given in the C.P.C./अकिंचन व्यक्तियों के वाद के उपबन्ध सिविल प्रक्रिया संहिता में कहाँ दिये गये हैं?

(a) Order 33/आदेश 33 (b) Order 32/आदेश 32
(c) Section 55/धारा 55 (d) Section 89/धारा 89

MP (ADPO) 2008 Paper-I
Jharkhand (J) 2014

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 33 में अकिंचन व्यक्तियों द्वारा वाद के सम्बन्ध में उपबंध दिए गये हैं।

360. Under which provision of the Code, an indigent can file a suit किस प्रावधान के अन्तर्गत अकिंचन वाद प्रस्तुत कर सकता है ?

(a) Order 33 Rule 1/आदेश 33 नियम 1
(b) Order 33 Rule 2/आदेश 33 नियम 2
(c) Order 33 Rule 4/आदेश 33 नियम 4
(d) Order 33 Rule 5/आदेश 33 नियम 5

MPHC CJ 2010

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 33 अकिंचनवाद से सम्बन्धित है। आदेश 33 नियम 1 के अन्तर्गत अकिंचन वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इस आदेश में कुल 18 नियम दिये गये हैं।

361. A person instituting a suit in "form of a pauper" is known as: एक व्यक्ति अकिंचन के रूप में वाद संस्थित करता है, उसे जाना जायेगा :

(a) Intelligent person /बुद्धिमान व्यक्ति
(b) Juristic person /विधिक व्यक्ति
(c) First person /प्रथम व्यक्ति
(d) Indigent person /निर्धन व्यक्ति

MPHC CJ 2009

Ans. (d) : जो व्यक्ति अकिंचन के रूप में वाद संस्थित करता है उसे निर्धन व्यक्ति माना जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 33 निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद से सम्बन्धित है। आदेश 33 नियम (1) के स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी व्यक्ति को निर्धन तब कहा जाता है जबकि उसके पास न्यायालय शुल्क अदा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है अथवा वादग्रस्त डिक्री के निष्पादन से छूट प्राप्त सम्पत्ति और वाद की विषय वस्तु के अतिरिक्त 1000 रुपये से अधिक की सम्पत्ति नहीं है।

362. What does Pauper Suit mean? 'अकिंचन मुकदमे' (Pauper Suit) का अर्थ क्या है?

(a) Suit by third party/तीसरे पक्ष द्वारा मुकदमा
(b) Suit by public servant/लोकसेवक द्वारा मुकदमा
(c) Suit by indigent person/जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा मुकदमा
(d) Suit by legal representative/कानूनी प्रतिनिधि द्वारा मुकदमा

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

363. A person is an indigent person within the meaning of order XXXIII, Rule 1 of Civil Procedure Code, if he is not possessed of-
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIII नियम 1 के अनुसार एक व्यक्ति निर्धन होगा यदि उसके पास नहीं है-

(a) Sufficient means to pay the fee payable on the plaint/इतना पर्याप्त साधन कि वह वाद पत्र में निर्धारित फीस दे सके
(b) Property of more than 500 Rupees/500 रु. से ज्यादा की सम्पत्ति
(c) Sufficient means for his livelihood/जीविका के लिये पर्याप्त साधन
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 33 नियम (1) का स्पष्टीकरण (1) के अनुसार कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति तब है—
(क) जबकि उसके पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है, कि वह ऐसे वाद में वाद-पत्र के लिए विधि द्वारा विहित फीस दे सके (डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त सम्पत्ति से और वाद की विषय वस्तु से भिन्न)
(ख) जहां ऐसी कोई फीस विहित नहीं है, वहाँ जब वह 1,000 रूपया के मूल्य की ऐसी सम्पत्ति का हकदार नहीं है, जो डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त सम्पत्ति से और वाद की विषय वस्तु से भिन्न है।

364. No permission to sue as an indigent can be granted, if/''निर्धन व्यक्ति'' के रूप में वाद प्रस्तुत करने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती यदि ....

(a) the application does not disclose a cause of action/आवेदन के अभिकथनों से ''वाद हेतुक'' दर्शित नहीं होता हो
(b) any other person has agreed to finance the litigation/किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमें बाजी के वित्त पोषण का करार किया हो
(c) the interest of applicant in the subject matter stands transferred to another person
जहां विषय वस्तु में आवेदक के हित किसी अन्य व्यक्ति में अंतरित हो गये हों
(d) all of the above /उपरोक्त सभी दशाओं में

MPHC CJ 2017

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 33 नियम 5 में उन दशाओं का वर्णन किया गया है जहां निर्धन व्यक्ति का आवेदन न्यायालय नामंजूर कर देगा –
(क) जहाँ आवेदन नियम 2 और 3 में विहित रीति में विरचित नही है।
(ख) जहाँ आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है।
(ग) जहाँ आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले 2 माह के भीतर कपटपूर्वक निर्धन व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति का व्ययन किया गया है;
(घ) जहाँ वाद-हेतुक दर्शित नहीं होता,
(ड.) जहाँ प्रस्थापित वाद की विषयवस्तु के बारे में कोई ऐसा करार किया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी विषयवस्तु में हित अभिप्राप्त कर लिया है;
(च) जहाँ आवेदन में आवेदक द्वारा किए गए अभिकथनों से यह दर्शित होता है कि वाद तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा वर्जित है,
(छ) जहाँ किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेंबाजी के वित्तपोषण के लिए उसके साथ करार किया है।

365. The Court shall reject an application to sue an indigent person:
निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय वहाँ अस्वीकार कर देगा।

(a) Where it contains the particulars required in regard to plaint/जहाँ उसमें वादपत्रों के सम्बन्ध में अपेक्षित विशिष्टयाँ अंतर्विष्ट हो।
(b) Where it is presented to be Court by the applicant in person/जहाँ वह स्वयं आवेदक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो।
(c) Where applicant's allegation show a cause of action/जहाँ आवेदक के अभिकथनों से वादकारण दर्शित होता हो
(d) Where any other person has entered into an agreement with the applicant to finance the litigation /जहाँ किसी अन्य व्यक्ति के मुकदमेबाजी के वित्त पोषण हेतु आवेदक के साथ अनुबन्ध किया हो

MPHC CJ 1996

Ans. (d) उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

366. In which circumstance the court can withdraw permission to sue as an indigent person?
किस परिस्थिति में न्यायालय निर्धन के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण कर सकेगा-

(a) If he is guilty of improper conduct in the course of the suit/यदि वह वाद के दौरान अनुचित व्यवहार का दोषी है।
(b) If appears that his means are such that he ought not to continue to suit as an indigent person/यदि यह प्रतीत हो कि वादी के पास ऐसे साधन हैं कि उसे निर्धन के रूप में वाद नहीं करते रहना चाहिए।
(c) If he entered into an agreement with any other person who has obtained an interest in subject-matter of suit/यदि वह वाद की विषयवस्तु के बारे में कोई ऐसा करार कर ले जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी विषयवस्तु में कोई हित अभिप्राप्त कर लिया हो।
(d) All of these/उपरोक्त सभी।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 33 नियम 9 के अंतर्गत प्रतिवादी या सरकारी प्लीडर के आवेदन पर निम्नलिखित आधारों पर न्यायालय वादी को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संचालन की अनुमति को वापस ले सकता है–
(1) यदि वादी वाद के दौरान तंग करने वाले या अनुचित आचरण का दोषी है,
(2) यदि यह प्रतीत होता है कि वादी के साधन ऐसे है कि निर्धन व्यक्ति के रूप में उसे वाद नहीं करते रहना चाहिए, या
(3) वादी ने वाद की विषयवस्तु के संबंध में ऐसा कोई करार किया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी विषयवस्तु में कोई हित प्राप्त कर लिया है।

367. Where an indigent person succeeds, the court fee shall be recovered?/जहाँ निर्धन वादी सफल होता है वहाँ न्याय शुल्क की वसूली:

(a) From the defendant /प्रतिवादी से होगी
(b) By the State Government /राज्य सरकार से होगी

(c) Not recoverable /वसूली योग्य नहीं है
(d) From the Plaintiff /वादी से होगी

MPHC CJ 1997
Chhattisgarh (J) 2004
MPADPO 2016
MPHJS 2017

Ans. (d) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 33 नियम 10 के अनुसार जहाँ वादी वाद में सफल हो जाता है, वहाँ न्यायालय फीस की उस रकम की संगणना करेगा जो यदि उसे (निर्धन व्यक्ति) के रूप में वाद लाने के लिए अनुज्ञा न दी गई होती तो वादी द्वारा संदत्त की जाती, ऐसी रकम राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से वसूलीय होगी जो उसे संदत्त करने के लिए डिक्री द्वारा आदिष्ट है और वह वाद की विषयवस्तु पर प्रथम भार होगी।

368. Under which Section/Order of the Civil Procedure Code a Provision is made to provide "free legal services to indigent persons"?
सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किस धारा/आदेश में किया गया है?

(a) Section 151/धारा 151
(b) Section 115/धारा 115
(c) Order XXXIII, Rule 18/आदेश 33, नियम 18
(d) Order XXXIX, Rule 2/आदेश 39, नियम 2

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 33 नियम 18 में निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केन्द्र सरकार की शक्ति के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

369. In connection with a suit by an indigent person, the suit is deemed to be instituted on the date
सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, निर्धन व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में वाद उस तिथि को प्रस्तुत किया हुआ समझा जायेगाः

(a) When the application for leave to sue as a pauper is made
जब निर्धन के रूप में अनुमति का आवेदन प्रस्तुत हुआ
(b) When such application is admitted
जब ऐसा आवेदन स्वीकार किया गया
(c) When such application is rejected
जब ऐसा आवेदन निरस्त किया गया
(d) When the issues are framed
जब वाद प्रश्न निर्मित किये गये

MPHC CJ 2015

Ans. (a) : भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के धारा 3 उपधारा 2 खण्ड 'a' (ii) के अनुसार अकिंचन की दशा में वाद का आरम्भ उस तिथि को माना जायेगा जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने के लिए आवेदन उसके द्वारा किया जाता है।

आदेश-35 अन्तराभिवाची

370. Rules relating to interpleader suit have been provided in the CPC under which of the following orders?
सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतराभिवाची वाद से सम्बन्धित नियम निम्नलिखित में से किस आदेश में हैं?

(a) Order 50/आदेश 50 में
(b) Order 35/आदेश 35 में
(c) Order 55/आदेश 55 में
(d) Order 40/आदेश 40 में

MP (HJS) 2017
Uttarakhand (J) 2014

Ans : (b) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 35 तथा धारा 88 में अंतराभिवाची वाद से सम्बन्धित नियम दिये गये है। ऐसे वाद में वास्तविक विवाद वादी तथा प्रतिवादी के मध्य न होकर प्रतिवादी तथा प्रतिवादी के मध्य होता है। ऐसे वाद में वादी केवल प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी अन्य दावे का हकदार नहीं होता है।

371. Provisions relating to interpleader suit are contained in/इन्टर-प्लीडर (अन्तराभिवाची) वाद से संबंधित प्रावधान समाहित है-

(a) Order XXXVI of CPC
आदेश XXXVI सीपीसी के अंतर्गत
(b) Order XXII of CPC
आदेश XXII सीपीसी के अंतर्गत
(c) Order XXXIV of CPC
आदेश XXXIV सीपीसी के अंतर्गत
(d) Order XXXV of CPC
आदेश XXXV सीपीसी के अंतर्गत

Jharkhand (J) 2016

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

372. In Interpleader suit, the real dispute is between-/अन्तरभिवाची वाद के अंदर वास्तविक विवाद मध्य में होता है-

(a) Only plaintiffs/केवल वादियों में
(b) The plaintiff and defendants/वादी एवं प्रतिवादी में
(c) The defendants only/केवल प्रतिवादियों में
(d) The husband and wife only/केवल पति एवं पत्नी में

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 88 सपठित आदेश 35 के अन्तर्गत अन्तराभिवाची वाद के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। ऐसे वाद में वास्तविक विवाद वादी तथा प्रतिवादी के मध्य न होकर प्रतिवादी तथा प्रतिवादी के मध्य होता है। ऐसे वाद में वादी केवल प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी अन्य दावे का हकदार नहीं होता है।

373. 'A' deposits a box of jewels with 'B' as his agent. 'C' alleges that the jewels were wrongfully obtained by 'A' from him and claims them from 'B'. Here 'B'
'A' आभूषणों का एक बॉक्स अपने अभिकर्त्ता के रूप में 'B' के पास निक्षिप्त करता है। 'C' का यह अभिकथन है कि आभूषण 'A' ने उससे सदोष अभिप्राप्त किये थे और वह उन्हें 'B' से लेने के लिए दावा करता है। यहाँ 'B'

(a) can institute interpleader suit against 'A'
'A' के विरुद्ध अन्तराभिवाची वाद दायर कर सकता है।
(b) can institute interpleader suit against 'C'
'C' के विरुद्ध अन्तराभिवाची वाद दायर कर सकता है।
(c) can institute intgerpleadear suit against 'A' and 'C' both/'A' तथा 'C' दोनों के विरुद्ध अन्तराभिवाची वाद दायर कर सकता है।

(d) cannot institute an interpleader suit against 'A' and 'C'/'A' तथा 'C' दोनों के विरुद्ध अन्तराभिवाची वाद दायर नहीं कर सकता है।

UPPCS (J)-2013

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 35 नियम 5 के दृष्टान्त (a) पर आधारित है जिसके अनुसार B अन्तराभिवाची वाद A और C के विरूद्ध संस्थित नहीं कर सकता है। नियम 5 में प्रावधान किया गया है कि अभिकर्ता और अभिधारी अन्तराभिवाची वाद संस्थित नहीं कर सकते हैं।

आदेश-37 संक्षिप्त प्रक्रिया

374. The provision in respect of summary procedure has been laid down under-/विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं-

(a) Order 32A of CPC/आदेश 32क सीपीसी में
(b) Order 29 of CPC/आदेश 29 सीपीसी में
(c) Order 34 of CPC/आदेश 34 सीपीसी में
(d) Order 37 of CPC/आदेश 37 सीपीसी में

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 37 में विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। आदेश 37 नियम 1 के अनुसार संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया निम्नलिखित न्यायालयों पर लागू होगा-
1. उच्च न्यायालय, 2. नगर सिविल न्यायालय, 3.लघुवाद न्यायालय 4. अन्य न्यायालय

375. In the Code of Civil Procedure 1908 summary procedure is provided in/संक्षिप्त प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के किस आदेश में उपबंधित है:

(a) Order 37/आदेश 37 (b) Order 38/आदेश 38
(c) Order 39/आदेश 39 (d) Order 40/आदेश 40

Jharakhand (J) 2014
MP (ADPO) 2016 Paper-I
Rajsthan JLO 2019

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

376. A suit under Order 37 of CPC can be filed on सी.पी.सी. के आदेश 37 के अन्तर्गत कोई वाद दाखिल किया जायेगा

(a) Court of Small Causes/लघुवाद न्यायालय में
(b) City Civil Court/नगर सिविल न्यायालय में
(c) High Court/उच्च न्यायालय में
(d) All the above/उपरोक्त सभी में

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37 नियम 1 के अनुसार यह आदेश निम्नलिखित न्यायालयों को लागू होगा अर्थात्—
(a) उच्च न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय और लघुवाद न्यायालय और
(b) अन्य न्यायालय
परन्तु उच्च न्यायालय खण्ड (b) मे निर्दिष्ट न्यायालयों के बारे में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आदेश के प्रवर्तन को वादों के केवल ऐसे प्रवर्गों तक निर्बन्धित कर सकेगा, जो वह उचित समझे और इस आदेश के प्रवर्तन के अधीन लाए जाने वाले वादों के प्रवर्गों को समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मामले की परिस्थितियों में यथा अपेक्षित और निर्बन्धित कर सकेगा, बढ़ा सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा जो वह उचित समझे।

377. Suit for recovery of money in promissory notes can be filed/वचन-पत्र में धन की वसूली का सूट फाइल किया जा सकता है

(a) under normal procedure/सामान्य प्रक्रिया के तहत
(b) under summary procedure as laid down in Order 37, CPC/सारांश प्रक्रिया के तहत जैसा कि आदेश 37 में निर्धारित है
(c) in the High Court/उच्च न्यायालय में
(d) as a writ petition/रिट याचिका के तौर पर

Jharkhand (J) 2019

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 में संक्षिप्त प्रक्रिया (Summary procedure) से संबंधित प्रावधान दिया गया है। आदेश 37 के प्रावधान निम्न से सम्बंधित वादों पर लागू होंगे-
(1) वचन-पत्रों से संबंधित वाद,
(2) विनिमय पत्रों से संबंधित वाद,
(3) हुण्डियों से संबंधित वाद।

378. A suit under Order 37 can be filed on the basis of/आदेश 37 के अन्तर्गत एक वाद इन आधारों पर दायर किया जा सकता है

(a) Bills of exchange/विनिमय पत्रों
(b) Hundies/हुण्डियों
(c) Promissory notes/वचन पत्रों
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37 नियम (1) उपनियम (2) के अनुसार, यह आदेश निम्नलिखित वादों के वर्ग को लागू होता है अर्थात्—
(a) विनिमय पत्रों, हुण्डियों और वचन पत्रों के आधार पर वाद
(b) ऐसे वाद जिसमें वादी, प्रतिवादी द्वारा संदेय ऋण या धन के रूप में परिनिर्धारित मांग को ब्याज सहित या ब्याज के बिना केवल वसूल करना चाहता है, जो निम्नलिखित के आधार पर उद्भूत होता है—
1. लिखित संविदा, अथवा
2. ऐसी अधिनियमिति जिसमें वसूल की जाने वाली राशि कोई नियत धन राशि है या किसी शास्ति से भिन्न ऋण स्वरूप है अथवा
3. ऐसी प्रत्याभूति जिसमें केवल किसी ऋण या परिनिर्धारित मांग के बारे में मूलधन के लिए दावा किया गया है

379. Which of the following suit cannot be disposed of by the summary procedure?
निम्नलिखित में से कौन सा वाद संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निस्तारित नहीं किया जा सकता?

(a) Suit based upon bill of exchange/विनिमय-पत्रों पर आधारित वाद
(b) Suit based upon promissory note/वचन-पत्रों पर आधारित वाद
(c) Suit for partition of property/संपत्ति के विभाजन के लिए वाद
(d) Suit for recovery of debt arising on written contract/लिखित संविदा से उद्भुत ऋण वसूली के लिए वाद

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

380. In a summary suit presented under Order 37 Civil Procedure Code it is necessary for the defendant to appear before the court within how many days of the service of the summon of appearance/आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत संक्षिप्त वाद में प्रतिवादी को उपस्थिति के समन की तामीली के कितने दिन की अवधि में न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है?

(a) 10 days /10 दिन (b) 15 days /15 दिन
(c) 30 days /30 दिन (d) Two months /दो माह

MPHC CJ 2013 Shift-I

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 37 नियम 3 के अनुसार, किसी ऐसे वाद में जिसे यह आदेश लागू होता है वादी प्रतिवादी पर वादपत्र और उसके उपाबन्धों की एक प्रति सम्मन के साथ तामील करेगा और प्रतिवादी ऐसी तामील के 10 दिन के भीतर किसी भी समय स्वयं या प्लीडर द्वारा उपस्थित हो सकेगा।

381. If the defendant enters on appearance in a suit instituted under Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908, what shall the plaintiff serve on the defendant in form number 4A in Appendix 'B'?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXVII के अन्तर्गत संस्थित वाद में यदि प्रतिवादी उपसंजात होता है तो उसके पश्चात वादी, प्रतिवादी पर परिशिष्ट 'ख' के प्रारूप संख्यांक 4-क में क्या तामील करेगा?

(a) Summons for settlement of issues/विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन
(b) Summons for judgment/निर्णय के लिए समन
(c) Summons for temporary injuction/आदेश के लिए समन
(d) Summons for temporary injuction/अस्थायी व्यादेश के लिए समन

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 37 नियम 3(4) के अनुसार संक्षिप्त प्रक्रिया सम्बन्धी वाद में यदि प्रतिवादी उपस्थित होता है तब वादी प्रतिवादी पर निर्णय के लिए समन परिशिष्ट B के प्रारूप संख्या-4A या ऐसे अन्य प्रारूप में जो समय-समय पर विहीत किया जाए, तामील करेगा।

382. A decree passed in a summary suit under Order XXXVII CPC can be set aside by the court:/आदेश 37 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक संक्षिप्त दावे में पारित डिक्री को न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है–

(a) For any sufficient cause./किसी पर्याप्त हेतुक के लिए
(b) Under special circumstances/विशेष परिस्थितियों में
(c) Under any circumstance/किसी भी परिस्थिति में
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (DJC) 2018

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37 नियम 4 के अनुसार, संक्षिप्त दावे में पारित डिक्री को न्यायालय विशेष परिस्थिति में यदि युक्तियुक्त प्रतीत हो तो अपास्त कर सकेगा। यदि आवश्यक हो तो निष्पादन पर रोक लगाकर प्रतिवादी को समन पर उपसंजात होने और वाद में प्रतिरक्षा करने की इजाजत दे सकेगा।

383. A decree passed in a suit under Order XXXVII of C.P.C. without applying for leave defend may be set aside under:/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अन्तर्गत किसी वाद में पारित डिक्री को प्रतिरक्षा करने की अनुमति के लिए आवेदन किये बिना किसके अन्तर्गत अपास्त किया जा सकता है-

(a) Order IX, Rule 13 of C.P.C./आदेश 9, नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता
(b) Order XXXVII, Rule 4 of C.P.C./आदेश 37, नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता
(c) Order XXXVII, Rule 7 of C.P.C./आदेश 37, नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता
(d) Either (a) or (b) or (c)/ या (a) या (b) या (c)

UP (HJS) 2018 Part-III

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 37 नियम 4 के अनुसार, डिक्री देने के पश्चात् यदि न्यायालय को विशेष परिस्थितियों के अधीन ऐसा करना युक्तियुक्त लगे तो वह ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय ठीक समझे, डिक्री को अपास्त कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उसका निष्पादन रोक सकेगा या अपास्त कर सकेगा और समन पर उपसंजात होने और वाद में प्रतिरक्षा करने की प्रतिवादी को इजाजत दे सकेगा।

384. By which one of the amendment of CPC scope of summary trial was substantially widened?
सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित किस संशोधन के द्वारा संक्षिप्त विचारण को बहुत व्यापक बनाया गया है?

(a) CPC (Amendment) Act, 1999/सि.प्र.सं. (संशोधन) अधिनियम, 1999
(b) CPC (Amendment) Act, 2002/सि.प्र.सं. (संशोधन) अधिनियम, 2002
(c) CPC (Amendment) Act, 1976/सि.प्र.सं. (संशोधन) अधिनियम, 1976
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा बहुत व्यापक बनाया गया है। आदेश 37 में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

आदेश-38 निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की

385. When defendant may be called upon to furnish security for appearance?
कब प्रतिवादी को अपनी उपस्थिति हेतु प्रतिभूति निष्पादित करने के लिए आदेशित किया जा सकेगा?

(a) Left the local limits of the jurisdiction of the court/जब वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा से फरार हो गया हो
(b) Is about to abscond/फरार होने वाला हो
(c) Has disposed of his property from the local limits of the jurisdiction of the court/न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता से अपनी सम्पत्ति को हटा रहा हो।
(d) All of these/उपरोक्त सभी

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (d): सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 1 के अनुसार यदि न्यायालय को वाद के किसी भी प्रक्रम में या तो शपथ पत्र द्वारा या किसी अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाता है कि वाद के विचारण में विलम्ब करने या न्यायालय की किसी आदेशिका अथवा कानूनी कार्यवाही से बचने या अपने विरुद्ध पारित की जाने वाली डिक्री के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न करने के आशय से प्रतिवादी–
(1) न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार हो गया है या उन्हें छोड़ गया है, अथवा
(2) न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार होने ही वाला है या उन्हें छोड़ने ही वाला है, अथवा
(3) अपनी सम्पत्ति को पूर्णतः या अंशतः व्ययनित कर चुका है या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटा चुका है, अथवा
(4) इस उद्देश्य से भारत छोड़ने वाला है, जिससे डिक्री के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न हो या विलम्ब हो।
वहाँ न्यायालय प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए और न्यायालय के समक्ष उसे इसलिए लाए जाने के लिए कि वह यह हेतुक दर्शित करें कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति क्यों न दें, वारण्ट निकाल सकेगा।

386. In case where value of the subject matter of suit is not more than rupees 50 period of detention in civil jail should not be /उन मामलों में जहाँ वाद की विषय वस्तु का मूल्य 50 रुपये से अधिक न हो वहां आदेश 38 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सिविल कारागार में निरोध की अवधि होगी–
(a) More than six days/छः दिन से अधिक
(b) Not more than six weeks/छः सप्ताह से अधिक नहीं
(c) Not more than six months /छः माह से अधिक नहीं
(d) Not more than three months/तीन माह से अधिक नहीं

MP (HJS) 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 38 नियम 4 के परन्तुक के अनुसार - कोई व्यक्ति कारागार में इस नियम के अधीन किसी भी दशा में छह माह से अधिक के अवधि के लिए और यदि वाद की विषयवस्तु की रकम का मूल्य पचास रुपये से अधिक नही है तो छह सप्ताह से अधिक के अवधि के लिए निरुद्ध नही किया जायेगा।

387. Under which provision of CPC attachment before judgement is provided
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध कहाँ दिया गया है?
(a) Order 39 Rule 1, 2/आदेश 39 नियम 1 व 2 में
(b) Order 40 Rule 1/आदेश 40 नियम 1
(c) Section 96/धारा 96 में
(d) Order 38 Rule 5-13/आदेश 38 नियम 5-13 में

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का **आदेश 38** 'निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की' से संबंधित है। इसमें कुल 13 नियम है जिसमें नियम 1-4 'निर्णय के पहले गिरफ्तारी' तथा नियम 5-13 'निर्णय के पहले कुर्की' से संबंधित उपबंध दिया गया है।

388. Under which of the following provision of the Civil Procedure Code, 1908 attachment before judgment is provided?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के निम्न प्रावधानों में से किसमें निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध दिया गया है?
(a) Order 38 Rule 5-13/आदेश 38 नियम 5-13 में
(b) Order 39 Rule 1 and 2
आदेश 39 नियम 1 और 2 में
(c) Order 40 Rule 1/आदेश 40 नियम 1 में
(d) Section 96/धारा 96 में

UPPCS (J)-2015

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

389. Under which provision of Civil Procedure Code, Attachment before Judgement is provided?/सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्णय के पूर्व कुर्की का प्रावधान कहाँ दिया गया है?
(a) Order 26 Rule 04/आदेश 26 नियम 04
(b) Order 39 Rule 02/आदेश 39 नियम 02
(c) Order 38 Rule 05/आदेश 38 नियम 05
(d) Order 40 Rule 01/आदेश 40 नियम 01

Chhattishgarh (J) 2012, 2020

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

390. Under Order XXXVIII, Rule 5 of the Civil Procedure Code, 1908, attachment before judgement can be in respect of
व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 38 नियम 5 के अन्तर्गत निर्णय के पूर्व कुर्की की जा सकती है-
(a) immovable property/अचल सम्पत्ति की
(b) movable property/चल सम्पत्ति की
(c) both (a) and (b)/दोनों (a) और (b) की
(d) attachment cannot be made before judgement
निर्णय से पहले कुर्की नहीं की जा सकती

UPPCS (J)-2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का **आदेश 38** निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की का प्रावधान करती है। इसमें कुल 13 नियम है जिसमें नियम 1-4 निर्णय के पहले गिरफ्तारी तथा 5-13 निर्णय के पहले कुर्की (चल तथा अचल सम्पत्ति की) से सम्बन्धित है।

391. An attachment made before judgment in a suit which is dismissed for default—
किसी ऐसे वाद में जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है, निर्णय के पूर्व की कुर्की:
(a) Shall not become revived merely by reason of the facts that order for dismissal of the suit for default has been set aside/मात्र इस कारण पुन: प्रवर्तित नहीं होगा कि व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करने का आदेश अपास्त कर दिया गया है
(b) Shall become revived merely on the basis of restoration of suit /मात्र इस कारण पुन: प्रवर्तित हो जायेगी कि व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करने का आदेश अपास्त कर दिया गया है।
(c) Shall become revived on the order of Appellate Court
अपीलीय न्यायालय के आदेश से पुन: प्रवर्तित होगा
(d) Shall become revived on the order of High Court
उच्च न्यायालय के आदेश से पुन: प्रवर्तित होगा

MPHC CJ 1997

Ans. (a): सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 38 नियम 11A (2) के अनुसार, किसी ऐसे वाद में जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है, निर्णय के पूर्व की गयी कुर्की केवल इस तथ्य के कारण पुन: प्रवर्तित नहीं होगी कि व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करने का आदेश अपास्त कर दिया गया है, और वाद प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

392. Attachment before judgment in a suit dismissed in default
व्यतिक्रम में खारिज वाद में निर्णय पूर्व कुर्की–
(a) revives automatically on the restoration of the suit/वाद के पुर्नस्थापन से स्वतः पुर्नजीवित हो जाती है
(b) does not revive automatically on the restoration of the suit
वाद के पुर्नस्थापन से स्वतः पुर्नजीवित नहीं हो जाती है
(c) may or may not revive depending on the facts and circumstances of the case
वाद के पुर्नस्थापन से स्वतः पुर्नजीवित होगा या नहीं ऐसा प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थियों पर निर्भर होगा
(d) revives automatically on the restoration of the suit or does not revive automatically on the restoration of the suit
वाद के पुर्नस्थापन से स्वतः पुर्नजीवित हो जाती है या वाद के पुर्नस्थापन से स्वतः पुर्नजीवित नहीं हो जाती है

MP (HJS) 2020

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

393. Which of the following court does not have power to attach immovable property under Order 38 Rule 13?/आदेश 38 नियम 13 के अन्तर्गत कौन-सी न्यायालय को अचल सम्पत्ति को कुर्क करने का अधिकार नहीं है?
(a) District Court/जिला न्यायालय
(b) Small Cause Court/लघु वाद न्यायालय
(c) Appellate Court/अपीलीय न्यायालय
(d) Civil Court (Junior Division)/सिविल न्यायालय (कनिष्ठ वर्ग)

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II, 2019

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 38 नियम 13 के अनुसार इस आदेश की कोई भी बात स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के लिए किसी लघुवाद न्यायालय को सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी।

आदेश-39 अस्थायी व्यादेश और अन्तवर्ती आदेश

394. The provisions regarding temporary injunction are contain in which order of the Code of Civil Procedure, 1908?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के ________ में अस्थाई व्यादेश संबंधी प्रावधान निहित हैं।
(a) Order XL/आदेश XL
(b) Order XXX/आदेश XXX
(c) Order XLI/आदेश XLI
(d) Order XXXIX/आदेश XXXIX

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXIX (आदेश 39) में अस्थायी व्यादेश और अन्तवर्ती आदेश से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।

395. The provision relating to temporary injunction are provided/अस्थायी व्यादेश के बारे में उपबन्ध दिये गये हैं –
(a) Under Order 37/आदेश 37 में
(b) Under Order 38/आदेश 38 में
(c) Under Order 39/आदेश 39 में
(d) Under Order 40/आदेश 40 में

MP (ADPO) 2008 Paper-I

Ans. (c): उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

396. Under which order and rule temporary injunction can be granted by the court?
किस आदेश व नियम के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है?
(a) Order XXXIX, Rule 1/आदेश XXXIX नियम (1)
(b) Order XXXIX, Rule 3/आदेश XXXIX नियम (3)
(c) Order XXXIX, Rule 5/आदेश XXXIX नियम (5)
(d) Order XXXIX, Rule 6/आदेश XXXIX नियम (6)

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 1 के अंतर्गत उन दशाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है।
व्यादेश से तात्पर्य एक ऐसी विधिक आदेशिका से है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है।

397. Under which provisions of Civil Procedure Code temporary injuctions are granted?
सिविल प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अधीन अस्थायी व्यादेश दिए जाते हैं?
(a) Under Section 116/धारा 116 में
(b) Under Section 152/धारा 152 में
(c) Under Order 39, Rule 1/आदेश 39 नियम 1 में
(d) Under Order29, Rule 1/आदेश 29 नियम 1 में

UPPCS (J)-2012

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

398. Which of the following grounds is not a appropriate ground for temporary injunction under the Code of Civil Procedure?
निम्नलिखित में से कौन सा आधार अस्थाई व्यादेश हेतु एक उचित आधार सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नहीं है?
(a) That any property in dispute is in danger of being wasted/यह कि विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में खतरा है कि उसका दुर्व्ययन हो सकता है
(b) That the defendant threatens to dispose of his property/यह कि प्रतिवादी अपनी सम्पत्ति को व्ययनित करने की धमकी देता है
(c) That the property in dispute is likely to be acquired by the government/यह कि विवादग्रस्त सम्पत्ति की सरकार द्वारा अधिग्रहण की सम्भावना है
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

UK PCS (J) 2019
Uttarakhand (J) 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 39 अस्थायी व्यादेश और अन्तर्वर्ती आदेश से सम्बन्धित प्रावधान करता है। आदेश 39 नियम 1 में वे दशाएं बतायी गई है जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा। नियम 1 के अनुसार, जहां किसी वाद में शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि-
(a) वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, उसे नुकसान पहुँचाएगा या अन्य संक्रांत करेगा या डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा
(b) प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है या आशय रखता है,
(c) प्रतिवादी वादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुँचाने की धमकी देता है। वहां न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकेगा।

399. Under Civil Procedure Code, defendant can ask for temporary injunction against the plaintiff if-
सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश मांगा जा सकता है, यदि–
(a) There appears to be a danger that plaintiff would waste or alienate the suit property
जब ऐसा प्रतीत होता है कि वादी से यह खतरा हो कि वह वाद की सम्पत्ति का दुर्व्ययन अथवा संक्रांत कर सकता है
(b) The plaintiff threatens to dispose off the property with a view to defrauding his creditors/वादी अपने लेनदारों को कपट-वंचित करने की दृष्टि से सम्पत्ति व्ययनित करने की धमकी देता है
(c) Plaintiff threatens the defendant to disposses him from the suit property
वादी, प्रतिवादी को वाद सम्पत्ति से बेकब्जा करने की धमकी देता है
(d) All of these/इनमें से सभी

MPHC CJ 2013, 2018 Shift-II

Ans. (d) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

400. Temporary injunction may be granted:
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है:
(a) To restrain any election
किसी निर्वाचन को रोकने के लिए
(b) To restrain dispossession from property
सम्पत्ति से बेदखली रोकने के लिए
(c) To restrain any intended disciplinary action against public servant/लोक सेवक के विरूद्ध आशयित अनुशासनात्मक कार्यवाही रोकने के लिए
(d) In all the above circumstances
उपर्युक्त सभी स्थितियों में

MPHC CJ 2012, 2016

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

401. The court shall not grant temporary injunction where/न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी नहीं करेगा:
(a) Any property, in dispute, in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party
जहाँ वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा नुकसान पहुँचायेगा या अन्य संक्रान्त करेगा
(b) Where plaintiff can be compensated by money/जहाँ वादी को प्रतिपूर्ति धन से हो सकती है
(c) That the defendant threatened to remove or dispose of the property with a view of defrauding his creditors/जहाँ प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपटवंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

MPHC CJ 2011

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

402. CPC provides/सी.पी.सी. उपलब्ध करती है
(a) For permanent injunction/स्थायी व्यादेश के लिये
(b) For perpetual injunction/शाश्वत व्यादेश के लिये
(c) For temporary injunction/अस्थाई व्यादेश के लिये
(d) For mandatory injunction/आज्ञापक व्यादेश के लिये

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 के तहत अस्थाई व्यादेश से सम्बन्धित उपबंध किया गया है जबकि स्थायी व्यादेश, शाश्वत व्यादेश तथा आज्ञापक व्यादेश सम्बन्धी प्रावधान विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में किया गया है।

403. Order XXXIX, Rule 2 of the Civil Procedure Code deals with/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2 में निर्हित है।

(a) Attachment before judgement
निर्णय से पहले कुर्की
(b) Temporary injunction/अस्थायी व्यादेश
(c) Execution of Decree/डिक्री का निष्पादन
(d) Appointment of Receiver/रिसीवर की नियुक्ति

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 2 में भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

404. When temporary injunction can not be granted कब अस्थायी व्यादेश नहीं दिया जायेगा?

(a) To stop any election/किसी निर्वाचन को अवरुद्ध करने के लिए
(b) To stop auction made by Government/शासन द्वारा किये जाने वाले किसी नीलाम को रोकने के लिए
(c) To stop departmental enquiry agaisnt any Government servent/किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच को स्थगित करने के लिए
(d) In all of these cases/इन सभी मामलों में

MP (HJS) 2018

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 2 उपनियम 2 के परन्तुक (केवल मध्य प्रदेश राज्य में लागू) के अनुसार, कोई ऐसा व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा-

1. जहाँ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 38 तथा 41 के प्रावधानों के अनुसार कोई शाश्वत व्यादेश मंजूर नहीं किया जा सकता था, अथवा
2. किसी व्यक्ति, जो लोक सेवा या राज्य के मामलों से सम्बन्धित पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसमें राज्य सरकार के स्वामित्व में या द्वारा नियंत्रित किसी कम्पनी या निगम का कर्मचारी भी शामिल है, के स्थानान्तरण, निलम्बन, पदावनति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, पदच्युति, पद से हटाने या सेवा के अन्यथा पर्यवसान या से प्रभार ग्रहण करने के लिए आदेश के प्रवर्तन को स्थगित करने के लिए अथवा
3. किसी व्यक्ति, जो लोक सेवा या राज्य के मामलों से सम्बन्धित पर नियुक्त किया गया हो, जिसमें राज्य सरकार के स्वामित्व में या द्वारा नियंत्रित कम्पनी का कर्मचारी भी शामिल है, के विरूद्ध किसी आनुशासनिक कार्यवाही, जो लम्बित हो या
4. किसी निर्वाचन को निर्बन्धित करने के लिए, अथवा
5. किसी नीलामी, जो किये जाने के लिए आशयित है, को निर्बन्धित करने के लिए या सरकार द्वारा की गयी किसी नीलामी के प्रभाव को निलम्बित करने के लिए भू राजस्व के रूप में वसूली योग्य किसी बकाये की वसूली की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी जाये, और इन प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया व्यादेश का कोई आदेश शून्य होगा।

405. Which of the following statement is incorrect? कौन सा कथन सही नहीं है?

(a) Temporary injunctions may be granted only at the time of institution of suit /अस्थायी व्यादेश सिर्फ वाद संस्थित करते समय प्रदान किया जा सकता है
(b) Temporary injunctions may be granted at any stage of suit /अस्थायी व्यादेश वाद के किसी भी प्रक्रम में प्रदान किया जा सकता है
(c) Temporary injunctions are regulated by the code of civil procedure 1908/अस्थायी व्यादेश व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 से संचालित होता है
(d) Temporary injunctions are forms of preventive relief
अस्थायी व्यादेश एक निरोधक अनुतोष का रूप है

MPHC CJ 2017

Ans. (a) : अस्थायी व्यादेश एक निवारक उपचार है जो एक निश्चित समय तक या न्यायालय का अगला आदेश होने तक चालू रहता है। अस्थायी व्यादेश वाद के किसी भी प्रक्रम पर प्रदान किया जा सकता है, यहाँ तक कि समन का तामील होने से पहले भी दिया जा सकता है।

406. Morgan Stanley Mutual Fund v. Kartik Das Case related to which of the following? मोर्गन स्टेनले म्युचुअल फण्ड बनाम कार्तिक दास का वाद निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है?

(a) Issuance of Commission/कमीशन निकालने से
(b) Attachment before judgment/निर्णय से पूर्व कुर्की से
(c) Interim injunction/अन्तरिम व्यादेश से
(d) Affidavits/शपथ पत्र से

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (c) मोर्गन स्टेनले म्युचुअल फण्ड बनाम कार्तिक दास (1994 SC) का वाद अंतरिम व्यादेश से सम्बन्धित है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 39, नियम 1-5 अन्तरिम व्यादेश (अस्थायी व्यादेश) का उपबंध करता है।

407. Under which one of the following provision of the Civil Procedure Code, 1908 consequences of disobedience or breach of injuction has been described?/व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्न किस प्रावधान में व्यादेश की अवज्ञा या भंग के परिणाम का वर्णन किया गया है?

(a) Order XXXII/आदेश 32
(b) Order XXXIII/आदेश 33
(c) OrderXXXIX Rule 2A/आदेश 39 नियम 2 क
(d) None of the above/उपर्युक्त के से कोई नहीं

UPPCS (J)-2016

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के **आदेश 39 नियम 2A** में व्यादेश की अवज्ञा या भंग के परिणाम का वर्णन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे भंग या अवज्ञा करने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति को कुर्क किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को 3 माह से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में डाला जा सकता है।

408. In a case of breach of terms on which injunction was granted under Civil Procedure Code, 1908 the court may pass an order of
निबन्धनों के भंग की दशा में जिन पर कि अस्थाई आदेश दिया गया था, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत, न्यायालय आदेश दे सकता है?

(a) attachment and sale of property.
सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय का
(b) attachment of property and detention in civil prison/सम्पत्ति की कुर्की और सिविल कारागार में निरोध का
(c) arrest and detention in civil prison for 3 moths/गिरफ्तारी और सिविल कारागार में 3 माह तक निरोध का
(d) (a) and (c) both/(a) और (c) दोनों का

UPPCS (J)-2015

Ans. (b) : : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

409. Which of the provision of C.P.C. deals with consequences of disobedience of an injunction granted by Court?/दीवानी प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान न्यायालय द्वारा अनुदत्त व्यादेश की अवज्ञा के परिणाम की बात करता है?

(a) Order 39 Rule 1/आदेश 39 नियम 1
(b) Order 39 Rule 2/आदेश 39 नियम 2
(c) Order 39 Rule 2-A/आदेश 39 नियम 2(क)
(d) Order 39 Rule 3/आदेश 39 नियम 3

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

410. A decree for injunction if not obeyed-/व्यादेश की डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया गया है तब–

(a) Is not executable/निष्पादनीय नहीं है
(b) Is executable by detention of the judgment debtor in civil prison or by attachement of his property/निर्णीतऋणी के सिविल कारावास एवं उसकी सम्पत्ति की कुर्की द्वारा निष्पादनीय है
(c) Is executable by filing a petition under Order 39 Rule 2-A of the CPC/सि.प्र.सं. के आदेश 39 नियम 2(ए) के तहत याचिका प्रस्तुत कर निष्पादनीय है
(d) Is executable by filing a fresh suit
नया वाद प्रस्तुत कर निष्पादनीय है

MPHC CJ 2018 Shift-I

Ans. (b) : : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

411. Period of detention in civil imprisonment as a consequence of disobedience or breach of any injunction, shall not exceed
व्यादेश के भंग या अवज्ञा के परिणामस्वरूप सिविल कारागार में निरोध की अवधि अधिक नहीं होगी-

(a) 1 month/1 माह से (b) 3 months/3 माह से
(c) 6 months/6 माह से (d) 1 year/1 वर्ष से

MPHC (CJ) 2006
Jharkhand (J) 2014
Uttarakhand (J) 2014, 2019
Chhattisgarh (J)2020

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 2-A में प्रावधान किया गया है कि व्यादेश (Injunction) के भंग या अवज्ञा के परिणामस्वरूप सिविल कारागार में निरोध की अवधि 3 माह से अधिक नहीं होगी।

412. Temporary injunction can be granted by court:
अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा कब स्वीकार की जा सकती है?

(a) after service of notice to other party/दूसरे पक्षकार को नोटिस की तामील के पश्चात्
(b) after hearing both the parties/दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात्
(c) after hearing the applicant only/सिर्फ प्रार्थी को सुनने के पश्चात्
(d) either (a) or (b)/या तो (a) या (b)

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत न्यायालय अस्थाई निषेधाज्ञा सिर्फ प्रार्थी को सुनने के पश्चात् भी जारी कर सकता है। आदेश 39 नियम 3 के परन्तुक में प्रावधान किया गया है कि जहाँ यह प्रस्थापना की जाती है कि विरोधी पक्षकार को आवेदन की सूचना दिये बिना व्यादेश दे दिया जाये वहाँ न्यायालय अपनी ऐसी राय के लिए कि विलम्ब द्वारा व्यादेश देने का उद्देश्य विफल हो जायेगा, कारण अभिलिखित करते हुए व्यादेश जारी कर देगा।

413. Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the Court shall make an endeavour to finally dispose of the application within .... days.
जहाँ कोई आदेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिये बिना दिया गया है वहां न्यायालय व्यादेश के लिये आवेदन को व्यादेश दिये जाने से .... दिन के भीतर निपटायेगी।

(a) Fifteen days/15 दिन (b) Thirty days/30 दिन
(c) Sixty days/60 दिन (d) Ninety days/90 दिन

Chhattishgarh (J) 2003,2011
MP (HJS) 2016
MPHC CJ 2019,2020

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3-A के अनुसार- जहाँ कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिये बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, तीस दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहाँ वह ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थता के लिए कारण अभिलिखित करेगा।

414. Under which provision of Civil Procedure Code an order of temporary injunction may be discharged varied or set-aside?
सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अस्थाई व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त उनमें फेर-फार या उसे अपास्त किया जा सकेगा?

(a) Rule 7 of Order 39/आदेश 39 नियम 7
(b) Rule 2A of Order 39/आदेश 39 नियम 2ए

(c) Rule 9 of Order 39/आदेश 39 नियम 9
(d) Rule 4 of Order 39/आदेश 39 नियम 4

MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के **आदेश 39 नियम 4** में प्रावधान किया गया है कि व्यादेश के किसी भी आदेश को उस आदेश से असंतुष्ट किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय से किए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरफार या अपास्त किया जा सकेगा।

415. Under Order 39 Rule 4 of CPC an order for injunction may be discharged, varied or set aside by the Court:/आदेश 39, नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय द्वारा व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरबदल या उसे अपास्त किया जा सकता है-

(a) On the application of the plaintiff/वादी के आवेदन पर
(b) On the application of the defendant/प्रतिवादी के आवेदन पर
(c) On the application of any party/किसी पक्ष के आवेदन पर
(d) Court on its own motion/न्यायालय की स्वतः प्रेरणा पर

UP (HJS) 2018 Part-I
MP (HJS) 2019

Ans. (c) : : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

416. Which of the following combinations are correctly matched?

1. **Temporary injunction - Order 39 C.P.C**
2. **Suit by indigent person - Order 33 C.P.C**
3. **Powers of Appellate Court - Section 102 C.P.C.**
4. **Right to file caveat - Section148-A C.P.C.**

Select the correct answer using the code given below:

निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित है?

1. **अस्थायी आदेश - आदेश 39 सि0प्र0 संहिता**
2. **निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद - आदेश 33 सि0प्र0 संहिता**
3. **अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ - धारा 102 सि0प्र0संहिता**
4. **कैवियट दायर करने का अधिकार - धारा 148क सि0प्र0 संहिता**

नीचे दिये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट:

(a) 1, 2 and 4/1, 2 और 4
(b) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(c) 1, 3 and 4/1, 3 और 4
(d) 2, 3 and 4/2, 3 और 4

UPPCS (J)-2003

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का **आदेश 39** अस्थायी व्यादेश और अन्तर्वती आदेश,**आदेश 33** निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद तथा **धारा 148-A** कैवियट दायर करने के अधिकार से सम्बन्धित है अत: विकल्प (1), (2) व (4) सही सुमेलित है। अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ **धारा 107** में दी गयी है जबकि **धारा 102** कतिपय मामलों में द्वितीय अपील का न होना से संबंधित है।

417. In which of the following provisions relating to Injuction mentioned?
निम्नलिखित में से किसमें व्यादेश (इंजंक्शन) से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं?

(a) Section 95 read with Order XXXIX/आदेश XXXIX के साथ धारा 95 की व्याख्या
(b) Section 30 read with Order XI/आदेश XI के साथ धारा 30 की व्याख्या
(c) Section 36 read with Order XXI/आदेश XXI के साथ धारा 36 की व्याख्या
(d) Section 51 read with Order XXI/आदेश XXI के साथ धारा 51 की व्याख्या

Chhattishgarh (J) 2016, 2017

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 के अंतर्गत, अस्थायी व्यादेश से संबंधित प्रावधान किया गया है। आदेश 39 नियम (1) के अनुसार निम्नवत् दशाओं में अस्थायी व्यादेश जारी हो सकेगा-

(a) विवाद ग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा।
(b) प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट-वंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है या आशय रखता है,
(c) प्रतिवादी वादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है,

धारा 95 में अपर्याप्त आधार पर व्यादेश इत्यादि के लिए प्रतिकर का प्रावधान है।

418. Rules 6 to 10 of Order 39 of CPC deal with
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 6 से 10 का सम्बन्ध है

(a) attachment of property/सम्पत्ति की कुर्की
(b) arrest of persons/व्यक्तियों की गिरफ्तारी
(c) plaints/वादपत्र
(d) interlocutory orders/अन्तर्वर्ती आदेश

Uttarakhand (J) 2014

Ans : (d) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 6 से 10 का सम्बन्ध अंतर्वर्ती आदेश से है।
अन्तर्वर्ती आदेश के अन्तर्गत न्यायालय-
(1) अन्तरिम विक्रय का आदेश दे सकता है
(2) वाद की विषय वस्तु का निरोध, परिरक्षण, निरीक्षण आदि का आदेश कर सकता है
(3) जो भूमि वाद की विषय वस्तु हो उस पर पक्षकार का तुरन्त कब्जा का आदेश कर सकता है
(4) वाद की विषय वस्तु धन या कोई अन्य चीज होने पर उसे न्यायालय में जमा करने का आदेश कर सकता है।

419. Proceedings by which a decree holder seeks to recover money or property of judgment debtor in the hands of third party is known as
जिस कार्यवाही द्वारा एक डिक्री धारक तीसरे पक्ष के हाथों में ऋणी के धन या सम्पत्ति की वसूली करना चाहता है उसे किस नाम से जाना जाता है?
(a) Inter pleader suit/इंटरप्लीडर सूट
(b) Mesne profit/मेस्ने प्रॉफिट
(c) Garnishee order/गार्निशी ऑर्डर
(d) Doctrine of Subrogation/डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन

Chhattishgarh (J) 2017
MPHJS 2019

Ans. (c) : गारनिशी आदेश के माध्यम से डिक्री धारक तीसरे पक्ष के हाथों में से निर्णित ऋणी के धन या सम्पत्ति की वसूली करना चाहता है।

420. Interlocutory order are issued by civil court?
अंतर्वर्ती आदेश (इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर) सिविल कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं:
(a) During pendency of Civil proceedings/सिविल कार्यवाही की विचाराधीन के दौरान
(b) To summon the person/व्यक्ति को बुलाने के लिए
(c) For execution of decree/डिक्री के निष्पादन के लिए
(d) For attachment of property/सम्पत्ति संलग्न करने के लिए

Chhattishgarh (J) 2016

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 6 से 10 तक में अंतवर्ती आदेश से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।
अंतवर्ती आदेश वह आदेश है जो किसी वाद के विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।
नियम 6 के अनुसार, अंतवर्ती आदेश द्वारा किसी जंगम सम्पत्ति के विक्रय का आदेश, वाद के पक्षकारों के आवेदन पर, न्यायालय द्वारा दिया जा सकेगा, यदि-
(1) वह सम्पत्ति वाद की विषयवस्तु है, और
(2) शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील प्रवृत्ति का है।

आदेश-40 रिसीवरों की नियुक्ति

421. Appointment of receiver has been dealt with/निम्नलिखित में से किसके अधीन रिसीवर की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है?
(a) under Order XLIV/आदेश XLIV
(b) under Order XLII/आदेश XLII
(c) under Order XL/आदेश XL
(d) under Order XLY/आदेश XLY

30rd BPSC (J) 2018

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XL (आदेश 40) में रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। रिसीवर शब्द की परिभाषा संहिता में नहीं दी गयी है। परन्तु रिसीवर से तात्पर्य न्यायालय द्वारा नियुक्त एक ऐसे व्यक्ति से है, जो मुकदमेबाजी के दौरान सम्पत्ति का प्रबन्ध करता है और उससे सम्बन्धित भाटक, उपज, लाभ एवं आय आदि का संग्रहण करता है। साथ-साथ न्यायालय के निर्देशानुसार ऐसी संग्रहीत वस्तुओं का उपयोजन और विभाजन भी करता है।

422. Under which Order of Civil Procedure Code provision relating to "Appointment of Receivers" has been provided?
सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत 'रिसीवर नियुक्ति' का प्रावधान दिया गया है?
(a) Order XL, Rule 1/आदेश 40, रूल 1
(b) Order XXI, Rule 1/आदेश 21, रूल 1
(c) Order XI, Rule 1/आदेश 11, रूल 1
(d) Order XX, Rule 1/आदेश 20, रूल 1

Uttarakhand (J) 2011

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

423. A receiver is an:/एक रिसीवर है:
(a) agent of defendant/प्रतिवादी का प्रतिनिधि
(b) agent of plaintiff/वादी का प्रतिनिधि
(c) agent of both plaintiff or defendant/वादी और प्रतिवादी दोनों का प्रतिनिधि
(d) officer of the court/न्यायालय का अधिकारी

UPPCS (J) 2012
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
MPHC CJ 2018 Shift-II
Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 40 नियम 1 में न्यायालय द्वारा रिसीवर की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार रिसीवर न्यायालय का अधिकारी होता है तथा इसके अधिकार तथा कर्त्तव्य विधि अनुसार न्यायालय द्वारा नियत की जाती है।

424. A person who is appointed to protect the disputed property is known as:
किसी विवादग्रस्त सम्पत्ति की रक्षा के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है वो कहलाता है।
(a) A judgment debtor/एक निर्णित ऋणी
(b) Commissioner/कमीश्नर
(c) Receiver/प्रापक
(d) A pauper/एक निर्धन व्यक्ति

27th BPSC (J) 2011

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 40 में प्रापक (रिसीवर) के नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। प्रापक न्यायालय द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जिसे किसी विवादग्रस्त सम्पत्ति की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है।

425. In Civil Procedure Code the appointment of 'Receiver' has been dealt with
सिविल प्रक्रिया संहिता में 'रिसीवर' (प्रापक) की नियुक्ति बताई गई है:
(a) Under order XLIV/आदेश XLIV के अन्तर्गत
(b) Under order XL/आदेश XL के अन्तर्गत
(c) Under order XLII/आदेश XLII के अन्तर्गत
(d) Under order XLV/आदेश XLV के अन्तर्गत

Uttarakhand (J) 2021

Ans. (b) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

426. Under Civil Procedure Code, a Court may appoint a 'receiver' of any property
सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक न्यायालय किसी सम्पत्ति का 'प्रापक' नियुक्त कर सकता है-
(a) only before the decree/केवल डिक्री के पूर्व
(b) only after the decree/केवल डिक्री के पश्चात्
(c) before or after the decree
डिक्री के पूर्व अथवा पश्चात्
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2016
MP (HJS) 2018

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 40 नियम 1 के अनुसार, न्यायालय डिक्री से पूर्व या पश्चात् प्रापक की नियुक्ति कर सकता है बशर्ते न्यायसंगत व सुविधापूर्ण प्रतीत होनी चाहिए।

427. The court may by order appoint a receiver of any property before decree:
न्यायालय आदेश द्वारा, वहाँ किसी सम्पत्ति का जयपत्र के पहले प्रापक (रिसीवर) नियुक्त कर सकता है।
(a) Where it appears to the court to be just and convenient/जहाँ न्यायालय को वह न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता हो।
(b) Where the suit property is in danger of being wrongfully sold in execution of a decree
जहाँ वादग्रस्त सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जायेगा।
(c) Where the defendant is about to dispose of the whole or any part of his property
जहां प्रतिवादी अपनी पूरी सम्पत्ति या उसके भाग को व्ययनित करने ही वाला हो
(d) Where the defendant has ascended the local limits of the jurisdiction of the court
जहाँ प्रतिवादी न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं से फरार हो गया हो।

MPHC CJ 1996

Ans. (a) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

428. Appointment of receivers of any property can be made when-/रिसीवरों की नियुक्ति, सम्पत्ति हेतु, कब की जा सकेगीः
(a) Before decree/डिक्री के पहले
(b) After decree/डिक्री के पश्चात्
(c) Only appellate court can made order/अपील न्यायालय ही केवल आदेश दे सकेगी
(d) It appears to the court to be just and convenient whether before or after decree/ विचारण न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होने पर डिक्री के पहले या पश्चात्

Chhattishgarh (J) 2004

Ans. (d) : : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

429. Provisions under Order 40 Rule 3 is-
आदेश 40 नियम 3 में प्रावधान है–
(a) Appointment of receivers/प्रापक की नियुक्ति
(b) Duties of receivers/प्रापक के कर्त्तव्य
(c) Remuneration of receivers/प्रापक के पारिश्रमिक
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 40 नियम 3 के अनुसार रिसीवर (प्रापक) के निम्नलिखित कर्त्तव्य है—
1. सम्पत्ति की बावत वह जो कुछ प्राप्त करेगा उसका सम्यक रूप से लेखा देने के लिए ऐसी प्रतिभूति (यदि कोई हो) देगा जो न्यायालय ठीक समझे,
2. अपनी लेखाओं को ऐसी अवधियों पर और ऐसे प्रारूप में देगा जो न्यायालय निर्दिष्ट करे,
3. अपने द्वारा शोध्य रकम ऐसे संदत्त करेगा जो न्यायालय निर्दिष्ट करें,
4. अपने द्वारा जान-बूझकर किए गए व्यतिक्रम या अपनी घोर उपेक्षा से सम्पत्ति को हुई, किसी हानि के लिए उत्तरदायी होगा।

430. Under which provision of C.P.C. the collector may be appointed as a Receiver?
कलेक्टर दीवानी प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अन्तर्गत प्रापक (रिसीवर) नियुक्त हो सकता है?
(a) Order 40 Rule 1/आदेश 40 नियम 1
(b) Order 40 Rule 2/आदेश 40 नियम 2
(c) Order 40 Rule 3/आदेश 40 नियम 3
(d) Order 40 Rule 5/आदेश 40 नियम 5

Uttarakhand (J) 2006, 2008, 2016
UPPCS (J)-2012

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 40 नियम 5 के अनुसार, जहां सम्पत्ति सरकार को राजस्व देने वाली है या जिससे राजस्व का मोचन या समनुदेशन किया गया है और न्यायालय का विचार है कि सम्बन्धित व्यक्तियों के हित की अभिवृद्धि कलेक्टर के प्रबन्ध द्वारा होगी वहां न्यायालय कलेक्टर की सहमति से उसे रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

431. Where the decree is for the partition of an undivided estate assessed to the payment of revenue to the government, the partition of the estate, in accordance with the law for the time being in force, shall be made by
जहाँ जयपत्र किसी ऐसी अविभक्त सम्पदा के विभाजन के लिए है, जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धार्य है, वहाँ सम्पदा का विभाजन संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा?
(a) The Patwari /पटवारी द्वारा
(b) The Nazir /नाजिर द्वारा
(c) The Collector /कलेक्टर द्वारा
(d) The Commissioner appointed by the court
न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा

MPHC CJ 2015

Ans. (c) : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

आदेश-41 मूल डिक्रियों की अपीलें

432. Under Code of Civil Procedure 1908, an appeal may be filed by way of
दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन एक अपील दायर की जा सकती है-

(a) Application/प्रार्थनापत्र के माध्यम से
(b) Petition /याचिका के माध्यम से
(c) Memorandum/ज्ञापन के माध्यम से
(d) Notice/सूचना के माध्यम से

UPPCS (J)-2012

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के **आदेश 41, नियम 1** के अनुसार, हर अपील अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी और न्यायालय में या ऐसे अधिकारी के समक्ष जो न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे, उपस्थापित की जाएगी। ज्ञापन के साथ निर्णय की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी।

433. Every appeal shall be preferred under the Code of Civil Procedure, 1908 in the form of ______ signed by the appellant or his pleader.
प्रत्येक अपील, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत, अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित_____ के रूप में की जायेगी।

(a) application/आवेदन-पत्र (b) memorandum/ज्ञापन
(c) plaint/वाद-पत्र (d) notice/सूचना

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (b) : : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

434. When the appeal calls for hearing and the appellant does not appear, which of the following statements are true?/जब अपील में सुनवाई के लिए पुकार होती है तथा अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता, उस स्थिति में कौन-सा कथन सत्य है?

(a) court may order that the appeal be dismissed /न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि अपील निरस्त की जावे
(b) court will dispose of the appeal on merit /न्यायालय गुण-अवगुण पर अपील का निराकरण करेगा
(c) court after hearing the respondent shall pass order on merit /न्यायालय प्रत्यर्थी को सुनने के पश्चात् गुण-अवगुण के आधार पर आदेश पारित करेगा
(d) All of these/इनमें से सभी

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 17(1) के अनुसार, जहां नियत दिन को या किसी अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात नहीं होता है वहां न्यायालय आदेश कर सकेगा कि अपील खारिज (निरस्त) की जाए।

435. Period to file cross-objection under order 41 Rule 22 of the civil procedure code?
आदेश 41 नियम 22 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आक्षेप पेश करने की अवधि?

(a) within one month from the date of service of notice of hearing/सुनवाई का सूचनापत्र तामील होने के एक माह के भीतर
(b) on the first and second date of hearing/सुनवाई की प्रथम या द्वितीय तारीख पर
(c) at any time before the last argument /अंतिम तर्क के पूर्व किसी भी समय
(d) Never/कभी नहीं

MP (HJS) 2018

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 22 के अंतर्गत आक्षेप (Cross-objection) अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की सूचना के 1 माह के भीतर पेश किया जा सकता है।
डिक्री के विरुद्ध आक्षेप–जब पारित डिक्री भागतः प्रत्यर्थी के पक्ष में है और भागतः विरुद्ध और ऐसी डिक्री की अपील की जाती है, तो प्रत्यर्थी डिक्री के उस भाग पर जो उसके विरुद्ध है ऐसी आपत्ति कर सकेगा जो एक पृथक अपील के रूप में की जा सकती थी। ऐसी आपत्तियों को प्रति आपत्ति या आक्षेप कहा जाता है।

436. In how much time, respondent may file cross-objections from the day to serive of the notice of the hearing of appeal?/प्रत्यर्थी, अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक की सूचना तामील से, डिक्री के विरूद्ध प्रत्याक्षेप कितने समय में कर सकेगाः

(a) In 15 days /15 दिन में
(b) In one months /एक माह में
(c) In 45 days /45 दिन में
(d) In 21 days /21 दिन में **MPHC CJ 2007**

Ans. (b) : : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

437. The decision of the First appellate court will be in writing and stated-/प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित में होगा एवं अभिकथित होंगे–

(a) point of determination/निराकरण के बिन्दु
(b) decision thereon/उन पर निष्कर्ष
(c) reason for the decision/निष्कर्ष के कारण
(d) all the above/इनमें से सभी

MP (HJS) 2018

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 में प्रावधान किया गया है कि अपील न्यायालय का निर्णय लिखित होगा और उसमें अभिकथित होंगे–
1. निराकरण के बिन्दु 2. उन पर विनिश्चय
3. विनिश्चय के लिए कारण, तथा
4. जहां वह डिक्री जिसकी अपील की गई है, उलट दी जाती है या उसमें फेरफार किया जाता है, वहां वह अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार है।

438. An appellate court need not state in its judgment/एक अपीलीय न्यायालय को अपने निर्णय में बताने की आवश्यकता नहीं हैः

(a) the points for determination formulated by it/ इसके द्वारा बनाये गये विनिश्चय हेतु बिन्दुओं को
(b) the issues framed by the trial court/ विचारण न्यायालय द्वारा बनाये गये वाद-बिन्दुओं को

(c) the reason for the decision having been arrived at by the appellate court/अपीलीय न्यायालय के द्वारा निर्णय पर पहुँचने में प्रयुक्त तर्कों का
(d) the relief to which the appellant is entitled in case the appeal is allowed/उन मामलों में जब अपील स्वीकृत होता है उन अनुतोषों का जिसका अपीलाण्ट हकदार है **Bihar (HJS) 2016**

Ans. (b) : : उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

आदेश-42 अपीलीय डिक्रियों की अपीलें

439. Order 42 of the Code of Civil Procedure deals with/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 42 में वर्णित है:
(a) Appeal to Supreme Court
उच्चतम न्यायालय में अपील
(b) Appeal by indigent person
निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील
(c) Appeal against orders/आदेशों के विरुद्ध अपील
(d) Appeal from appellate decrees
अपीलीय डिक्रियों से अपील
Uttarakhand (J) 2009
Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 42 में अपीलीय डिक्रियो से अपील के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

आदेश-43 आदेशों की अपीलें

440. Under the Code of Civil Procedure, an appeal shall lie from which of the following orders? सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन से आदेश की अपील होगी?
(a) an order under Order XLI Rule 23/आदेश 41 नियम 23 के अधीन आदेश
(b) an order under Order XLI Rule 25/आदेश 41 नियम 25 के अधीन आदेश
(c) an order under Order XLI Rule 17/आदेश 41 नियम 17 के अधीन आदेश
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं
Rajsthan (DJC) 2012
Chhattishgarh (J) 2012
UP (HJS) 2018 Part-I

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 में उन आदेशों को बताया गया है जिनकी अपील हो सकती है। आदेश 43 नियम 1 (u) के अनुसार-जहाँ अपील न्यायालय की डिक्री की अपील होती हो वहाँ मामले को प्रतिप्रेषित करने का आदेश जो आदेश 41 के नियम 23 या नियम 23-A के अधीन दिया गया हो, अपील हो सकेंगी। जब कि आदेश 41 नियम 25, एवं आदेश 41 नियम 17 के अधीन आदेश अपील योग्य नहीं है।

441. Which of the following Order is not appealable under Civil Procedure Code?/सी.पी.सी. के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा आदेश अपीलीय नहीं है?
(a) Order under Section 24/धारा 24 के अधीन आदेश
(b) Order under Section 95/धारा 95 के अधीन आदेश
(c) Order under Order 40 Rule 1/आदेश 40 नियम 1 के अधीन आदेश
(d) Order under Order 11 Rule 21/आदेश 11 नियम 21 के अधीन आदेश **Chhattishgarh (J) 2012**
Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 सपठित आदेश 43 के अनुसार धारा 95 के अधीन आदेश, आदेश 40 नियम 1 के अधीन आदेश तथा आदेश 11 नियम 21 के अधीन आदेश अपीलीय आदेश है, जबकि धारा 24 के अधीन आदेश अपीलीय आदेश नहीं है।

442. Whether an appeal shall lie against the order dismissing the application for setting aside the ex-parte order?/क्या एक पक्षीय आज्ञप्ति अपास्त करने के आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील हो सकेगी?
(a) Yes/हाँ (b) No/नहीं
(c) Not always/हमेशा नहीं
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं
MP (HJS) 2015

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 नियम 1(d) के अनुसार, एक पक्षीय आज्ञप्ति अपास्त करने के आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी।

443. An appeal under Order XLIII of Code of Civil Procedure shall lie from which of the following orders:/न्यायालय द्वारा पारित निम्न में से किस आदेश के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII के अन्तर्गत अपील होगी-
(a) Rule-11 of Order VII, rejecting the plaint/आदेश VII नियम 11 के अन्तर्गत वादपत्र को नामंजूर किया जाना
(b) Rule-9 of Order XXII, refusing to set aside the abatement or dismissal of suit/आदेश XXII नियम 9 के अन्तर्गत वाद के उपशमन अथवा खारिजी को अपास्त किये जाने से इन्कार करना
(c) Rule-1 of Order VIII, not permitting the defendant to present the written statement/आदेश VIII नियम 1 के अन्तर्गत प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देना
(d) Rule-5 of Order XIV, refusing to strike out the issue at the instance of either of the parties/आदेश XIV नियम 5 के अन्तर्गत किसी भी पक्षकार की प्रार्थना पर विवाद्यक को काटने से मना करना
Rajasthan (J) 2015
MPHC CJ 2019 Shift-I

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की आदेश 43 नियम 1(k) अनुसार, वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इन्कार करने का आदेश, जो आदेश 22 नियम 9 के अधीन दिया गया है उसकी अपील की जा सकती है।

444. Under Civil Procedure Code, when application for review is dismissed-/सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जब पुनर्विलोकन का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है-

(a) appeal can be filed against the order
आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकेगी

(b) no appeal lies/अपील नहीं की जा सकेगी

(c) with the permission of court, appeal can be filed against the order
न्यायालय की अनुमति से अपील की जा सकेगी

(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत जब पुनर्विलोकन का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो अपील नहीं की जा सकेगी। संहिता के आदेश 43 नियम 1 के उपनियम (w) के अनुसार- धारा 104 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पुनर्विर्लोकन के लिए आवेदन मंजूर करने का आदेश जो आदेश 47 नियम 4 के अधीन दिया गया है उसकी अपील हो सकेगी।

445. Under order 43 of Civil Procedure Code, against which order an appeal shall not lie— सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-43 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आदेश की अपील नहीं होगी?

(a) An order to set aside or refusing to set aside a sale/जहां पर आदेश विक्रय को अपास्त करने या अपास्त करने से इंकार का है

(b) An order rejecting an application for permission to sue as an indigent person
जहां पर आदेश निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन को नामंजूर करने का है

(c) An order on an objection to the draft of a document /जहां पर आदेश दस्तावेज के या पृष्ठांकन के प्रारूप पर किए गए आक्षेप का है

(d) When the subordinate court has exercised its jurisdiction illegally or with material irregularity/जहां पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से किया है **MPHC CJ 2016**

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 नियम 1 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश की अपील हो सकेगी

- जहाँ पर आदेश विक्रय को अपास्त करने या अपास्त करने से इन्कार का है- (उपनियम-(j))
- जहाँ पर आदेश निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन को नामंजूर करने का है- (उपनियम-(n a))
- जहाँ पर आदेश दस्तावेज के या पृष्ठांकन के प्रारूप पर किये गये आक्षेप का है। (उपनियम (i))

जबकि जहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप या तात्विक अनियमितता के प्रयोग में किया है तो इसकी अपील नहीं होगी।

446. Against a decree passed in a suit after recording a compromise, an appeal on the ground that the compromise should not have been recorded, can be filed under– समझौता लेखबद्ध करने के उपरान्त वाद में पारित किसी डिक्री के विरूद्ध अपील इस आधार पर कि समझौता लेखबद्ध नहीं किया जाना चाहिए था, किस प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकती है–

(a) Section 151 CPC/धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

(b) Order XXIII CPC/आदेश XXIII सिविल प्रक्रिया संहिता

(c) Order XLIII Rule 1-A CPC/आदेश XLIII नियम 1-क सिविल प्रक्रिया संहिता

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (J) 2017

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 नियम 1-A (2) के अनुसार, ऐसी डिक्री के विरूद्ध अपील में जो समझौता अभिलिखित करने के पश्चात या समझौता अभिलिखित किया जाना नामंजूर करने के पश्चात् वाद में पारित की गई है, अपीलार्थी को इस आधार पर डिक्री का प्रतिवाद करने की स्वतंत्रता होगी कि समझौता अभिलिखित किया जाना चाहिए, था या नहीं किया जाना चाहिए था।

आदेश-44 निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें

447. Even an indigent person has to been provided right to appeal by the Code of Civil Procedure, 1908 in/एक निर्धन व्यक्ति को भी अपील करने का अधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदान किया गया है–

(a) Order 34/आदेश 34 में

(b) Order 24/आदेश 24 में

(c) Order 43/आदेश 43 में

(d) Order 44/आदेश 44 में

BPSC (APO) 2012

Ans : (d) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 33 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद लाने का अधिकार तथा आदेश 44 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील करने का अधिकार सम्बंधी प्रावधान किया गया है।

**448. Select the correct answer, In the appeal of the pauper
सही उत्तर का चयन करें-निर्धन व्यक्ति की अपील में-**

(a) the appellate court is bound to accept the appellants affidavits that he is a pauper, notwithstanding the objection raised by the respondent/प्रत्यर्थी द्वारा आपत्ति करने पर भी, अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी के शपथ पत्र को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, कि वह एक निर्धन व्यक्ति है।

(b) the appellate court has not power to inquire whether the applicant is a pauper. /अपीलीय न्यायालय को जाँच करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है कि क्या आवेदक एक निर्धन व्यक्ति है।

(c) Once in civil suit the plaintiff is declared to be a pauper, he will be considered to be pauper in applellete proceeding /एक बार दीवानी वाद में वादी को निर्धन व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है, तो वह अपीलीय कार्यवाही में भी निर्धन व्यक्ति माना जावेगा।

(d) Govt. advocate or respondent can object to the statement of the affidavit submitted by the appellant./शासकीय अभिभाषक या प्रत्यर्थी, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अभिकथनों पर आपत्ति कर सकता है। **MP (DLAO) 2021**

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 44 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील का उपबन्ध किया गया है। आदेश 44 नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि अपीलकर्ता निर्धन व्यक्ति है या नहीं इसकी कोई अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु यदि सरकारी प्लीडर या प्रत्यर्थी ऐसे शपथ-पत्र में किये गये कथन पर विवाद करता है तो पूर्वोक्त प्रश्न की जांच अपील न्यायालय द्वारा या अपील न्यायालय के आदेशों के अधीन उसी न्यायालय के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

आदेश-45 उच्चतम न्यायालय में अपीलें

449. Under which order of the Civil Procedure Code provisions relating to appeals to the Supreme Court has been provided?/ सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है?

(a) Order XLIV/आदेश 44
(b) Order XLV / आदेश 45
(c) Order XLVI/ आदेश 46
(d) Order XLVII/ आदेश 47

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-III

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 45 के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय में अपीलें, आदेश 44 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें, आदेश 46 में निर्देश तथा आदेश 47 में पुनर्विलोकन से संबंधित प्रावधान दिये गये है।

आदेश-47 पुनर्विलोकन

450. In a civil proceeding an application for review is entertained only on a ground mentioned in दीवानी कार्यवाही में पुनर्विलोकन की दरखास्त निम्न में से किसमें दर्शित आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है?

(a) Order XLVII Rule 1 of CPC/आर्डर XLVII रूल 1 सी.पी.सी.
(b) Order XLVII Rule 2 of CPC/आर्डर XLVII रूल 2 सी.पी.सी.
(c) Order XLVI Rule 3 of CPC/आर्डर XLVI रूल 3 सी.पी.सी.
(d) Order XL Rule 1 of CPC/आर्डर XL रूल 1 सी.पी.सी.

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-III

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 47 नियम 1 के अनुसार जो कोई व्यक्ति- (a) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है, किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है,
(b) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है अथवा
(c) लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गए निदेश पर विनिश्चय से, अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात उस समय जब डिक्री पारित की गयी थी, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरुद्ध पारित डिक्री या किए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए, वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था।

451. Against which of the following order an appeal shall not lie under the Code of Civil Procedure, 1908?/सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किस आदेश की अपील नहीं की जा सकती?

(a) an order in interpleader suit under Rule 3 of Order XXXV./अन्तराभिवाची वाद में आदेश जो कि आदेश XXXV के नियम 3 के अन्तर्गत दिया गया हो।
(b) an order of refusal under Rule 19 of Order XLI to re-admit and appeal/अपील को आदेश XLI के नियम 19 के अधीन पुनःग्रहण करने से इन्कार का आदेश।
(c) an order under Rule 4 of Order XLVII granting an application for review./पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर करने का आदेश जो आदेश XLVII के नियम 4 के अधीन दिया गया हो।
(d) an order of return of plaint under Rule 10 of Order VII where the procedure of Rule 10A of Order VII has been followed/वाद पत्र को लौटाने का आदेश जो आदेश VII के नियम 10 के अधीन दिया गया हो जहाँ आदेश VII के नियम 10-क प्रक्रिया का अनुसारण किया गया हो।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 7 के अनुसार, पुर्नविलोकन के लिए किये गये आवेदन को नामंजूर करने वाला न्यायालय का आदेश अपीलनीय नही होगा परन्तु मंजूर करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है।

452. Which provision in Code of Civil Procedure, 1908 bars entertainment of application to review an order made on an application for a review or a decree or order passed or made on a review;/व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 में कौनसा प्रावधान पुनर्विलोकन के आवेदन पर किये गये आदेश के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किये गये आदेश के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन ग्रहण करने को वर्जित करता है;

(a) Section 11/धारा 11
(b) Section 10/धारा 10
(c) Order XLVII Rule 9/आदेश XLVII नियम 9
(d) Order IX Rule 9/आदेश IX नियम 9

Rajasthan (J) 2018, 2019

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 9 के अनुसार, पुनर्विलोकन के आवेदन पर किये गये आदेश के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किये गये आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा।

अध्याय – 16
विविध

1. Sweeping change introduced by the Civil Procedure Code (Amendment) Act, 2002 is with the object to/दीवानी प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा प्रस्तुत व्यापक परिवर्तन किस उद्देश्य के साथ है?

(a) give more power to Civil Courts
सिविल न्यायालयों को अधिक शक्ति देना
(b) reduce the power to Civil Courts
सिविल न्यायालयों की शक्ति को कम करना
(c) cut short delay in disposal of suit
मुकदमे के निपटान में देरी में कटौती
(d) make provisions stringent
प्रावधानों को कठोर बनाना

Bihar (J) 2020

Ans. (c) : दीवानी प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 मलिमथ कमेटी के सुझाव पर किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य वादों तथा सिविल कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है।
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 1 जुलाई, 2002 से लागू है।

2. The Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 1999 and 2002 were enacted on the recommendations of
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 एंव 2002......के सुझाव पर बनाये गये थे।

(a) Santhanam Committee/संथानम कमेटी
(b) Malimath Committee/मलीमथ कमेटी
(c) Thakkar Committee/ठक्कर कमेटी
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

29th BPSC (J) 2017

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 एंव 2002 **मलीमथ कमेटी** के सुझाव पर बनाए गये थे, जिसका उद्देश्य है वादों तथा सिविल कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 विधि आयोग की चौदहवीं रिपोर्ट पर आधारित था।

3. The 'Rule of Damdupat' is
'दामदूपत का नियम' किससे संबंधित है?

(a) a rule relating to costs/लागतों से संबंधित नियम
(b) a rule relating to interest/ब्याज से संबंधित नियम
(c) a rule of res judicata/रेस जूडीकाटा का नियम
(d) a rule of evidence/साक्ष्य का नियम

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
Bihar (J) 2020

Ans. (b) : दामदूपत का नियम ब्याज से संबंधित नियम है। यह नियम यह कहता है कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए। यह नियम प्रतिभूत (secured) एवं अप्रतिभूत (unsecured) दोनों ऋणों पर लागू होता है।

4. In which of the following cases the Supreme Court has upheld the constitutionality of the Code of Civil Procedure (Amendment) Acts of 1999 and 2002?
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियमों, 1999 तथा 2002 की संवैधानिकता को मान्य ठहराया है?

(a) Salam Advocate Bar Association, Tamil Nadu v. Union of India/सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ
(b) Delhi High Court Bar Association v. Union of India/दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ
(c) Allahabad High Court Bar Association v. Union of India/इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ
(d) Punjab and Haryana High Court Bar Association v. Union of India/पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ

Jharkhand (J) 2008
Rajsthan (J) 2015
UP (HJS) 2018 Part III

Ans. (a) : सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ (2005 SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1999 तथा 2002 को संवैधानिक माना।

5. Interveners are/इंटरवीनर्स वो होते हैं जो

(a) entitled to be impleaded
इम्प्लीड होने के हकदार हो
(b) not entitled to be impleaded
इम्प्लीड होने के हकदार न हो
(c) a waste of time for the court
न्यायालय के कीमती समय को जाया करे
(d) a burden for the plaintiff/वादी पर एक भार हो

Jharkhand (J) 2019

Ans. (b) : इंटरवीनर्स ऐसे व्यक्ति को कहते है, जो किसी प्राधिकार के बिना हस्तक्षेप करता है तथा वह इम्पलीड होने का हकदार नहीं होता है।

6. **The Orders and Rules in the First Schedule of the Code of Civil Procedure:/सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में के आदेश और नियम-**
(a) are mere guide lines/केवल दिशानिर्देश है
(b) will prevail over the provisions of a Section/धारा के प्रावधानों पर अभिभावी होगा
(c) cannot over ride the provisions in a Section/धारा में के प्रावधानों पर अध्यारोह नहीं कर सकता
(d) the Courts are not bound to follow them/उनका अनुसरण करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है

25th BPSC (J) 2000

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसूची 1 के अंतर्गत प्रावधानित आदेश, धारा के प्रावधानों पर अध्यारोही नहीं है किन्तु वे धारा का अनुसमर्थन करते हैं।

7. **In which of the following cases has the Supreme Court held that "When hearing of the suit is commenced, it has to be continued from day to day"?/निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ''जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है, तो उसे दिन प्रतिदिन जारी रखा जाना चाहिए''?**
(a) M.V. Shastry v. Gopal Krishna Bhat/एम.वी. शास्त्री बनाम गोपालकृष्ण भट्ट
(b) Ram Narang v. Ramesh Narang/राम नारंग बनाम रमेश नारंग
(c) Lachhman Dass v. Jagat Ram/लछमन दास बनाम जगत राम
(d) Bajaj Auto Ltd v. TVS motor co./बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम टी.वी.एस. मोटर कंपनी

Chhattishgarh (J) 2017

Ans. (d) : बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम टी0बी0एस0 मोटर कंपनी के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बौद्धिक सम्पदा सम्बन्धित मामले में दिन प्रतिदिन सुनवाई होना चाहिए और कहा कि सामान्यतया इसे चार माह के अंदर विनिश्चित कर दिया जाना चाहिए। सभी अधीनस्थ न्यायालयों को तथा अधिकरणों को निर्देशित किया कि वे ईमानदारी से इस निर्देश का पालन करें।

8. **Which of the following suits is not triable by a Civil Court:- निम्न वादों में से किसके संबंध में व्यवहार न्यायालय को विचारण करने की अधिकारिता नहीं हैः**
(a) For declaration that A is widow of B/उद्घोषणा हेतु कि अ, ब की विधवा है
(b) For possession of land/जमीन के कब्जे हेतु
(c) Petition for divorce/विवाह विच्छेद हेतु आवेदन
(d) For consolidation of holdings/खाते की चकबंदी हेतु

Chhattishgarh (J) 2008

Ans. (d) : खाते की चकबन्दी हेतु व्यवहार न्यायालय को विचारण करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसे मामलो में व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता वर्जित रहती है।

9. **To whom of the following the plea of adverse possession as a defence is available under the code of Civil procedure/दीवानी प्रक्रिया संहिता, के अधीन बचाव पक्ष के रूप में प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक् निम्नलिखित में से किसको उपलब्ध है?**
(a) To defendant against plaintiff/ प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध
(b) To plaintiff against defendant/ वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध
(c) To both plaintiff and defendant against each other/ वादी तथा प्रतिवादी दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध
(d) Neither to plantiff nor to defendant/ न वादी को न ही प्रतिवादी को

MP (ADPO) 2009 Paper-I

Ans. (a) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत किसी वाद में बचाव का कार्य प्रतिवादी का है जो कि वादी के दावे का विरोध करता है। अतः जहाँ कोई वाद कब्जे के सम्बन्ध में है वहाँ प्रतिवादी वादी के प्रति प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपना बचाव कर सकता है।

10. **Which of the following statements is false/निम्न में से कौन सा कथन असत्य है-**
(a) every suit by a minor shall be instituted in his name by person who in such suit shall be called the next friend/अवयस्क द्वारा हर वाद उसके नाम से ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जाएगा जो ऐसे वाद में अवयस्क का वाद मित्र कहलाएगा
(b) no temporary injunction shall be granted by a Court under Order 39 Rule 1 or 2 Code of Civil Procedure, 1908 where no perpetual injunction could be granted in view of the provisions of Section 38 and Section 41 of the Specific Relief Act, 1963/आदेश 39 नियम 1 और 2 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाएगी जहां विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 और 41 के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए शाश्वत व्यादेश नहीं दिया जा सकता
(c) where it appears to the Court to be just and convenient, the Court may by order appoint a receiver of any property, whether before or after decree/जहां न्यायालयों को यह न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है वहां न्यायालय आदेश द्वारा किसी संपत्ति का रिसीवर चाहे डिक्री के पहले या पश्चात् नियुक्त कर सकेगा
(d) none of these statement are false इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है

MPHC CJ 2020

Ans. (d) : उपरोक्त सभी कथन सत्य है–
(1) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 32 नियम 1 में प्रावधान किया गया है कि अवयस्क द्वारा हर वाद उसके नाम में ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जाएगा, जो ऐसे वाद में अवयस्क का वाद-मित्र कहलाएगा।

(2) म.प्र. सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आदेश 39 नियम 1 और 2 के अन्तर्गत कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाएगी, जहाँ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 और 41 के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए शाश्वत व्यादेश नहीं दिया जा सकता है।

(3) आदेश 40 नियम 1 (1) में उपबन्ध किया गया है कि जहाँ न्यायालय को यह न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है वह न्यायालय आदेश द्वारा किसी सम्पत्ति का रिसीवर चाहे डिक्री के पहले या पश्चात् नियुक्त कर सकेगा।

11. In a case fact in issue relating to possesson, ownership, jurisdiction, valuation of case and court fee are made. Which fact in issue/issues is decided earlier/एक वाद में स्वत्व, आधिपत्य, क्षेत्राधिकार वाद मूल्यांकन एवं न्यायालय शुल्क सम्बन्धी वाद-पद बनाये जाते हैं। इनमें से पहले किन वाद-पदों का या किस वाद-पद का विचारण अथवा निस्तारण किया जाना चाहिए?

(a) Fact in issue relating to ownership/ स्वत्व सम्बन्धी वाद-पद का
(b) Fact in issue relating to possession/ आधिपत्य सम्बन्धी वाद-पद का
(c) Fact in issue relating to jurisdiction/ क्षेत्राधिकार सम्बन्धी वाद-पद का
(d) Fact in issue relating to valuation of case and court fee/वाद मूल्यांकन एवं न्यायालय शुल्क सम्बन्धी वाद-पदों का

MP (ADPO) 2008 Paper-I

Ans. (c): जहाँ कि किसी वाद में स्वत्व, आधिपत्य, क्षेत्राधिकार, वाद मूल्यांकन एवं न्यायालय शुल्क सम्बन्धी वाद-पद (विवाद्यक) बनाये जाते हैं। वहाँ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम इसी विवाद्यक का निस्तारण किया जाता है कि क्या न्यायालय को उस वाद को ग्रहण करने की या उसके विचारण की शक्ति प्राप्त है कि नहीं।

12. 'Even after ex-party proceeding, the defendant can take part in further proceedings of the suit. This principle was pronounced by Hon'ble Supreme Court in the case of-
''एक पक्षीय कार्यवाही करने के बाद भी प्रतिवादी वाद की अग्रिम कार्यवाही में भाग ले सकता है।'' यह सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा.......... के न्यायदृष्टांत में उद्घोषित किया गया है।

(a) State of Bombay Vs United Motors स्टेट आफ बाम्बे बनाम यूनाईटेड मोटर्स
(b) State of Rajasthan Vs Vidyawati स्टेट आफ राजस्थान बनाम विद्यावती
(c) Vijay Vs R.N. Gupta education society विजय बनाम आर. एन. गुप्ता शिक्षण संस्था
(d) Arjun Singh Vs Mohindar Kumar अर्जुन सिंह बनाम मोहिन्दर कुमार

MPHC CJ 2019 Shift-II

Ans. (d) : अर्जुन सिंह बनाम मोहिन्दर कुमार, ए.आई.आर. 1964 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि एकपक्षीय कार्यवाही करने के बाद भी प्रतिवादी वाद की अग्रिम कार्यवाही में भाग ले सकता है।

13. Where an instrument has been admitted in evidence, such admission can be called in question, on the ground that the instrument has not been duly stamped:
जहाँ कोई लिखत साक्ष्य में ग्रहित की गई है, ऐसा ग्रहण, इस आधार पर कि लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं की गई है, को प्रश्नगत किया जा सकता है–

(a) At any stage of the suit/बाद के किसी भी प्रक्रम पर
(b) Shall not be called in question at any stage of the suit/उस वाद के किसी भी प्रक्रम में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
(c) At the time of final hearing of the suit/वाद की अन्तिम सुनवाई के समय।
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Rajasthan (DJC) 2018

Ans. (b) : भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की धारा 36 के अनुसार-जहाँ एक बार दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य कर लिया जाता है, वहाँ उसी आधार पर वाद या कार्यवाही के किसी अन्य प्रक्रम पर यह प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं की गई है। इसका एक अपवाद भारतीय स्टाम्प की धारा 61 में दिया गया है।

14. 'Issue relating to jurisdiction can be tried as a preliminary issue only when it can be decided without recording any evidence'. This principle was laid down by a Full Bench of the M.P. High Court in which case-
अधिकारिता से संबंधित वाद प्रश्न को तब ही प्रारंभिक वादप्रश्न के रूप में विचारित किया जा सकता है जबकि उसको साक्ष्य अभिलिखित किये बिना निर्णीत किया जा सकता हो, यह सिद्धांत म.प्र. उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने किस प्रकरण में प्रतिपादित किया था–

(a) Ram Dayal Umraomal vs. Pannalal Jagannath Ji AIR 1979 MP 153/राम दयाल उमरावल बनाम पन्नालाल जगन्नाथ जी एआईआर 1979 म.प्र. 153
(b) Subhash Chand vs. Chairman AIR 1978 MP 35/सुभाष चंद वि. चेयरमेन एआईआर 1978 म.प्र. 135
(c) Nathu Prasad vs. Singhai Kapur Chand AIR 1977 MP 135/नाथू प्रसाद वि. सिंघाई कपूर चंद एआईआर 1977 म.प्र. 135
(d) Buddulal vs. Chotelal AIR 1978 MP 169 बुध्धुलाल वि. छोटेलाल एआईआर 1978 म.प्र. 169

MP (HJS) 2013, 2020

Ans. (a) : राम दयाल उमरावल बनाम पन्नालाल जगन्नाथ जी (1979 म.प्र.) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि, अधिकारिता से संबंधित वाद प्रश्न को तब ही प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में विचारित किया जा सकता है जबकि उसको साक्ष्य अभिलिखित किये बिना निर्णीत किया जा सकता हो।

15. Which of the following statement is not true with regard to the Code of Civil Procedure?
सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

(a) Before 1859, there was not uniform code of Civil Procedure./सन् 1859 से पहले कोई समान सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं थी।
(b) The Code of Civil Procedure, 1908 came into force with effect from January o1, 1909./सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 दिनांक 01 जनवरी, 1909 को लागू हुई।
(c) The Code of Civil Procedure, 1908 has retrospective effect./सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का पूर्वव्यापी प्रभाव है।
(d) The first schedule of the Code of Civil Procedure, 1908 comprises 51 orders./सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची में 51 आदेश हैं।

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 भूतलक्षी प्रभाव (retrospective effect) नहीं रखती वरन यह भविष्य लक्षी प्रभाव (prospective effect) रखती हैं

16. Who does decide the jurisdiction of a civil court?/सिविल न्यायालय की अधिकारिता कौन अभिनिर्धारित करता है?

(a) Pleading of the plaintiff/वादी का अभिवचन
(b) Pleading of the defendant/प्रतिवादी का अभिवचन
(c) Court itself/न्यायालय स्वयं
(d) Statement given by witness/साक्षी द्वारा दिया गया कथन

Rajasthan (JLO) 2019 Paper-II

Ans. (c) : सिविल न्यायालय की अधिकारिता न्यायालय स्वयं अभिनिर्धारित करता है।

17. Civil Procedure Code has a total of-
सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल

(a) 158 Sections and 52 orders/158 धारायें तथा 52 आदेश है
(b) 158 Sections and 51 orders/158 धारायें तथा 51 आदेश है
(c) 167 Sections and 52 orders/167 धारायें तथा 52 आदेश है
(d) 161 Sections and 51 orders/161 धारायें तथा 51 आदेश है

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल 158 धारायें तथा 51 आदेश तथा आठ परिशिष्ट है। यह संहिता 1 जनवरी 1909 को प्रवृत्त हुआ तथा इसमें अब तक कुल चार बार संशोधन हो चुका है—
1. सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1976
2. सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1999
3. सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2002
4. सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2015

18. Under CPC, which of the following matching is not a correct match?/सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजन सुमेलित नहीं है?

(a) Temporary injunction - Order 39/अस्थाई व्यादेश - आदेश 39
(b) Right to lodge a caveat - Section 148-A/केवियट दयर करने का अधिकार - धारा 148-A
(c) Suit by Indigent person - Order 33/निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद - आदेश 33
(d) Powers of Appellate Court - Section 102/अपीलीय न्यायालय की शक्ति - धारा 102

Rajasthan (JLO) 2013 Paper-II
MP (ADPO) 2010 Paper-I

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 107 में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 102 में उन मामलों का उल्लेख किया गया है, जिनमें आगे द्वितीय अपील नहीं होगी।

19. Which of the following is not correctly matched?/निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?

(a) Presentation of plaint- Section 26; Order 4, rule 1/वाद का उपस्थापन–धारा 26; आदेश 4, नियम 1
(b) Interpleader suits- Section 88; Order 35, Rule 1/अन्तराभिवाची वाद –धारा 88; आदेश 35, नियम 1
(c) Friendly suit- Section 90; Order 35
मैत्री पूर्ण वाद – धारा 90; आदेश 35
(d) Equitable set-off-Order 20, Rule 19(3)
साम्यिक मुजराई – आदेश 20, नियम 19(3)

UPPCS (J)-2018

Ans. (c) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 90 और आदेश 36 में मैत्री पूर्ण वाद से संबंधित प्रावधान दिया गया है। जबकि आदेश 35 में अन्तराभिवाची वाद से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।

20. Which of the following is not maintainable in law?
निम्न में से क्या कानून में पोषणीय नहीं है?

(a) written statement to counter claim /प्रतिदावा के लिए लिखित कथन
(b) cross appel by the decree holder/डिक्री धारक के द्वारा क्रास अपील

(c) revision petition against an order allowing a petition under Order VI Rule 17 of the Code of Civil Procedure/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत एक याचिका को स्वीकृत करते हुए आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका
(d) an appeal against a petition having been rejected under Order IX Rule 13 /आदेश IX नियम के 13 के तहत खारिज किये गये याचिका के विरुद्ध एक अपील

Bihar (HJS) 2016

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 नियम 6 B के अनुसार प्रतिदावें का अधिकार रखने वाला व्यक्ति लिखित कथन में प्रतिदावे के आधार का अभिकथन करेगा।
आदेश 6 नियम 17 के तहत अभिवचनों में संशोधन के आवेदन को स्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है अतः धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार इसके विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका स्वीकार्य है।
आदेश 9 नियम 13 के तहत किसी एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु किया गया आवेदन यदि नामंजूर कर दिया जाता है तो उसे एक डिक्री माना जायेगा और धारा 96 के तहत इसके विरुद्ध अपील हो सकेगा।
इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता में डिक्री धारक द्वारा क्रास अपील सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है। अतः डिक्री धारक के द्वारा क्रास अपील पोषणीय नहीं है।

21. Which of the following combinations are correctly matched?

1. Judgment and decree - Section 34. C.P.C.
2. Costs - Section 35, C.P.C.
3. Institution of suits - Section 26, C.P.C.
4. Legal representative - Section 50, C.P.C.

Select correct answer using the code given below:

निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सही सुमेलित है?

1. निर्णय और डिक्री - धारा 34, सि.प्र.सं.
2. खर्चे - धारा 35, सि.प्र.सं.
3. वादों का संस्थित किया जाना - धारा 26, सि.प्र.सं.
4. विधिक प्रतिनिधि - धारा 50, सि.प्र.सं.

Code/कूटः

(a) 2, 3 and 4/2, 3 और 4
(b) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(c) 1, 3 and 4/1, 3 और 4
(d) 1, 2 and 4/1, 2 और 4

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : सही सुमेलित है-

निर्णय और डिक्री	- धारा 33
खर्चे (costs)	- धारा 35
वादों का संस्थित किया जाना	- धारा 26
विधिक प्रतिनिधि	- धारा 50

धारा 34 - ब्याज (Interest) से संबंधित उपबंध करता है।

22. Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the list:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनेंः

List-I (सूची- I)	List-II (सूची- II)
A. Objections to jurisdiction अधिकारिता के बारे में आक्षेप	**- Razia Begam V. Sahebjadi Anwar Begam रजिया बेगम बनाम साहबजादी अनवर बेगम**
B. Additional Parties पक्षकारों का जोड़ा जाना	**- Kiran Singh V. Chaman Paswan किरण सिंह बनाम चमन पासवान**
C. Constructive res judicata आन्वयिक पूर्व–न्याय	**- American Cynamid Co. V. Ethicon Ltd. अमेरिकन साइनामाइड कं. बनाम इथिकान लि.**
D. Temporary injunction अस्थायी व्यादेश	**- Workmen V. Board of Trustees, cochin Port Trust वर्कमेन बनाम बोर्ड आफ ट्रस्टीज, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट**

Code/कूटः

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	1	3	2	4
(c)	4	2	3	1
(d)	3	4	1	2

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : सही सुमेलित है-

(A) अधिकारिता के बारे में आक्षेप	किरण सिंह बनाम चमन पासवान (1954 SC)
(B) पक्षकारों का जोड़ा जाना	रजिया बेगम बनाम साहबजादी अनवर बेगम (1955 SC)
(C) आन्वयिक पूर्व–न्याय	वर्कमेन बनाम बोर्ड आफ ट्रस्टीज, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (1978 SC)
(D) अस्थायी व्यादेश	अमेरिकन साइनामाइड कं. बनाम इथिकान लि. (1975 AC)

23. Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the list:
सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनेंः

List-I (सूची- I)	List-II (सूची- II)
A. Right lodge caveat कैवियट दाखिल करने का अधिकार	**- Section 144 - धारा 144**

B.	Restitution प्रत्यास्थापन	- Section 148-A - धारा 148-क
C.	Inherent power of न्यायालय की अन्तर्नि- हित शक्तियाँ	- Section 151 - धारा 151
D.	Suits of civil nature दीवानी प्रकृति के वाद	- Section 9 - धारा 9

Code/कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	1	3	4
(b)	1	2	4	3
(c)	2	3	1	4
(d)	3	4	1	2

UPPCS (J)-2018

Ans. (a) : सही सुमेलित है-

कैवियट दाखिल करने का अधिकार	- धारा 148-क
प्रत्यास्थापन	- धारा 144
न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ	- धारा 151
दीवानी प्रकृति के वाद	- धारा 9

24. Which one of the following combinations are not correctly matched?

1. Res subjudice - Section 11
2. Res judicata - Section 10
3. Judgment and decree - Section 33
4. Summon to witness - Section 80

Select the correct answer by using the code given below

निम्नलिखित में कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं है?

1. विचाराधीन - धारा 11
2. प्राङ्गन्याय - धारा 10
3. निर्णय और डिक्री - धारा 33
4. साक्षी को समन - धारा 80

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए:

Code/कूट:

(a) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(b) 1, 2 and 4/1, 2 और 4
(c) 1, 3 and 4/1, 3 और 4
(d) 2, 3 and 4/2, 3 और 4

UPPCS (J)-2003

Ans. (b) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 10** वाद का रोक दिया जाना/विचाराधीन-न्याय, **धारा 11** पूर्व-न्याय/प्राङ्गन्याय एवं **धारा 31** साक्षी को समन से सम्बन्धित है। **धारा 33** निर्णय और डिक्री एवं **धारा 80** सूचना से सम्बन्धित है। अत: कूट 1, 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है।

25. Which of the following combinations are correctly matched?

1. Equity of judgment debtor - Sec. 49, C.P.C.
2. Privileged documents - Sec. 29, C.P.C.
3. Legal representative - Sec. 50, C.P.C.
4. Pauper suit - Order 33, C.P.C

Select the correct answer using the code given below:

निम्नलिखित संयोजनों में कौन सही सुमेलित है?

1. निर्णीत ऋणी की साम्या - धारा 49 सि0 प्र0 संहिता
2. विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज - धारा 29 सि0 प्र0 संहिता
3. विधिक प्रतिनिधि - धारा 50 सि0प्र0 संहिता
4. अकिंचन वाद - आदेश 33 सि0 प्र0 संहिता

नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

Code /कूट:

(a) 1, 2 and 3 /1, 2 और 3
(b) 1, 2 and 4/1, 2 और 4
(c) 2, 3 and 4/2, 3 और 4
(d) 1, 3 and 4/ 1, 3 और 4

UPPCS (J)-2003

Ans. (d) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 49** निर्णीत ऋणी की साम्या, धारा 50 विधिक प्रतिनिधि तथा आदेश-33 अकिंचन वाद से सम्बन्धित है। अत: विकल्प (1), (3) और (4) सही है। धारा 29 विदेशी समनों की तामील से सम्बन्धित है न कि विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज से।

26. Which of the following combinations are not correctly matched?

(1) Execution of decree - Section 77, C.P.C.
(2) Letter of request - Section 82, C.P.C.
(3) Legal representative - Section 50, C.P.C.
(4) Institution of suit - section 28, C.P.C.

Select the correct answer using the codes given below:/निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही रूप से सुमेलित नहीं हैं?

(1) डिक्री का निष्पादन - धारा 77, सि0प्र0सं0
(2) अनुरोध पत्र - धारा 82, सि0प्र0सं0
(3) विधिक प्रतिनिधि - धारा 50, सि0प्र0सं0
(4) वाद का संस्थित किया जाना - धारा 28, सि0प्र0सं0

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये:

(a) (1), (2) and (3)/(1), (2) एवं (3)
(b) (1), (2) and (4)/(1), (2) एवं (4)
(c) (1), (3) and (4)/(1), (3) एवं (4)
(d) (2), (3) and (4)/(2), (3) एवं (4)

UPPCS (J)-2006

Ans. (b) : प्रश्न में दिए गए कूटों (1) , (2) एवं (4) सही रुप से सुमेलित नहीं है। केवल कूट (3) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 50- विधिक प्रतिनिधि से सम्बन्धित है। प्रश्न में दी गई धाराओं का उनकी विषयवस्तु से सही सुमेलन इस प्रकार है-

डिक्री का निष्पादन	- धारा 82 सि0प्र0सं0
अनुरोध पत्र	- धारा 77 सि0प्र0सं0
वादों का संस्थित किया जाना	- धारा 27 सि0प्र0सं0

27. Certain topics under the Code of Civil Procedure are described hereunder in List-1 while their Section/Order numbers are mentioned in List-II. Match the entries of List-I and List-II and write the correct answer using the codes below:

List-I	List-II
A. Affidavit	1 Order 26
B. Arrest before judgement	2. Order 33
C. Commission to examine witnesses	3. Order- 19
D. Suit by indigent Person	4. Order 38

सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये कुछ प्रावधानों के विषय नीचे सूची-I में तथा उनसे सम्बन्धित धारा/आदेश की संख्या सूची-II में वर्णित है। सूची-I एवं सूची-II को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर इंगित कीजिए–

सूची- I	सूची-II
A. शपथ पत्र	1. आदेश 26
B. निर्णय पूर्व गिरफ्तारी	2. आदेश 33
C. साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन	3. आदेश 19
D. निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद	4. आदेश 38

Code/कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	1	3	4
(b)	3	2	1	4
(c)	3	4	1	2
(d)	1	2	3	4

UPPCS (J)-2006

Ans. (c) : सही सुमेलित है-

शपथ पत्र	- आदेश 19
निर्णय पूर्व गिरफ्तारी	- आदेश 38
साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन	- आदेश 26
निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद	- आदेश 33

28. Match List-I with List-II and select the correct answer by using the codes given below the list:

List-I	List-II
A. Interpleader Suit	1. Section 46
B. Letter of Request	2. Section 88
C. Precepts	3. Section 30
D. Power to order	4. Section 77

सूची-I को सूची- II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये:

सूची- I	सूची- II
A. अन्तराभिवाची वाद	1. धारा 46
B. अनुरोध पत्र	2. धारा 88
C. आज्ञा पत्र	3. धारा 30
D. प्रकटीकरण हेतु आदेश निर्दोषित: प्राप्त सम्पत्ति	4. धारा 77

Codes/कूट:

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	2	4	1	3
(c)	3	2	4	1
(d)	3	1	2	4

UPPCS (J)-2013

Ans. (b) : सही सुमेलित है-

अन्तराभिवाची वाद	→ धारा 88
अनुरोध पत्र	→ धारा 77
आज्ञा पत्र	→ धारा 46
प्रकटीकरण हेतु आदेश करने की शक्ति	→ धारा 30

29. 'Custodia legis' means:
'कस्टोडिया लेजिस' का तात्पर्य है-

(a) Quorum of Judges/न्यायाधीशों का गणपूर्ति
(b) In default/व्यतिक्रम
(c) Court's custody/न्यायालय की अभिरक्षा
(d) Custody of law/विधि की अभिरक्षा

UP (HJS) 2016

Ans. (d) : 'कस्टोडिया लेजिस' (Custodia legis)-यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है विधि की अभिरक्षा।

30. If a judge dies after writing his judgment but before delivering in open court, then the judgment shall be considered as
यदि एक न्यायाधीश की अपने निर्णय के लिखने के पश्चात् लेकिन खुले न्यायालय में सुनाने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो वह निर्णय माना जाएगाः

(a) Judgment of the court/न्यायालय का निर्णय
(b) Opinion of the judge/न्यायाधीश की राय
(c) Only a dying declaration/केवल एक मृत्युकालिक कथन
(d) None of these/उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (J) 2019

Ans. (b) : यदि एक न्यायाधीश की अपने निर्णय लिखने के पश्चात् लेकिन खुले न्यायालय में सुनाने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो वह निर्णय न्यायाधीश की राय माना जायेगा (सुरेन्द्र सिंह बनाम उ.प्र. राज्य, AIR 1954 SC)।

31. Which of the following is not correctly matched according to Civil Procedure Code, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?

(a) Legal Representative : Section 50/विधिक प्रतिनिधि : धारा 50
(b) Letter of Request : Section 77/अनुरोध-पत्र : धारा 77
(c) Notice : Section 80/सूचना : धारा 80
(d) Res-Sub-Judice : Section 11/विचारधीन वाद : धारा 11

Uttarakhand (J) 2015

Ans. (d) : सही सुमेलित है—	
1. धारा 50	विधिक प्रतिनिधि
2. धारा 77	अनुरोध-पत्र
3. धारा 80	सूचना
4. धारा 11	प्राङ्न्याय
5. धारा 10	विचारधीन वाद

32. Match the following lists and tick the correct code-

List-I (Order of CPC)	**List-II (Subjects)**
(A) Order XVII	**1. Execution**
(B) Order XXI	**2. Suit by or against Corporation**
(C) Order XXIX	**3. Suit by Indigent**
(D) Order XXXIII	**4. Adjournment**

निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (दी. प्र. सं. के आदेश)	**सूची-II (विषय)**
A. आदेश 17	1. निष्पादन
B. आदेश 21	2. निगमों द्वारा या उसके विरुद्ध दावा
C. आदेश 29	3. निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद
D. आदेश 33	4. स्थगन

कूट:

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	1	2	3	4
(b)	4	3	2	1
(c)	4	1	2	3
(d)	3	2	4	1

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (c) : सही सुमेलित है-	
A. आदेश 17	स्थगन।
B. आदेश 21	डिक्री एवं आदेशों के निष्पादन।
C. आदेश 29	निगमों द्वारा या उसके विरुद्ध दावा।
D. आदेश 33	निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद।

33. Match the following lists and tick the correct code-

List-I	**List-II**
(A) Section 10	**1. Inherent Power of the court**
(B) Section 11	**2. Transfer of decree**
(C) Section 39	**3. Res-judicata**
(D) Section 151	**4. Res-subjudice**

निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट को सहायता से सही उत्तर चुनिए:

सूची-I	**सूची-II**
A. धारा-10	1. न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ
B. धारा-11	2. डिक्री का अन्तरण
C. धारा-39	3. पूर्व न्याय
D. आदेश-151	4. विचाराधीन न्याय

कूट:

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	4	3	2	1
(b)	1	2	3	4
(c)	2	3	4	1
(d)	3	4	1	2

Uttarakhand (J) 2006

Ans. (a) : सही सुमेलित है-	
A. धारा-10	विचाराधीन न्याय।
B. धारा-11	पूर्व न्याय।
C. धारा-39	डिक्री का अन्तरण।
D. आदेश-151	न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ।

34. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists:
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

List-I	**List-II**
A. Amount paid by the decree-holder for detention of the judgement-debtor in civil prison/ दीवानी कारागार में निर्णीत-ऋणी की निरुद्धि के लिए आज्ञप्तिधारक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि	**1. Set-off/ मुजराई**
B. Person allowed to file suit or appeal without Court fee/बिना कोर्ट फीस के वाद या अपील लाने के अनुज्ञात व्यक्ति	**2. Mesne profit/ मध्यवर्ती लाभ**

C. Adjustment of dependent's claim with the plaintiff's claim/प्रतिवादी के दावे का वादी के दावे के साथ समायोजन	3. Indigent/ अकिंचन
D. Gains from property by a person having wrongful possession/ दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को सम्पत्ति से लाभ	4. Substance allowance/जीवन निर्वाह भत्ता

Codes/कूट:

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	3	4	2	1
(c)	2	1	4	3
(d)	3	1	2	4

Jharkhand (J) 2008

Ans. (a) : सही सुमेलित है-

A. प्रतिवादी के दावे का वादी के दावे के साथ समायोजन	1. मुजराई (आदेश 8 नियम 6)
B. दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को सम्पत्ति से लाभ	2. मध्यवर्ती लाभ (धारा 2(12))
C. बिना कोर्ट फीस के वाद या अपील लाने के अनुज्ञात व्यक्ति	3. अकिंचन (आदेश 33)
D. दीवानी कारागार में निर्णीत-ऋणी की निरुद्धि के लिए आज्ञप्तिधारक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि	4. जीवन निर्वाह भत्ता (धारा 57)

35. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists:
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः

List-I	List-II
A. Restitution/नये सिरे से	1. Representative of minor or afresh a plaintiff of unsound mind a civil suit/दीवानी वाद में अवयस्क अथवा विकृत-चित्त वाले वादी का प्रतिनिधि पुनःस्थापना
B. Next friend/निकटतम मित्र	2. Person representing the estate of the deceased /मृतक की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति
C. Legal representative विधिक प्रतिनिधि	3. Debtor of the judgment-debtor liable for payment or delivery /भुगतान अथवा परिदान के लिए निर्णय-ऋणी का ऋणी
D. Garnishees/अनुऋणी	4. Setting aside ex parte decree and rehearing the case/एकपक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त करना तथा वाद की पुनःसुनवाई

Codes:

	A	B	C	D
(a)	2	3	1	4
(b)	4	3	2	1
(c)	4	1	2	3
(d)	3	4	2	1

Jharkhand (J) 2008

Ans. (c) : सही सुमेलित है-

A. नये सिरे से	एकपक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त करना तथा वाद की पुनःसुनवाई (आदेश 9 नियम 13)
B. निकटतम मित्र	दीवानी वाद में अवयस्क अथवा विकृत-चित्त वाले वादी का प्रतिनिधि पुनःस्थापना (आदेश 32)
C. विधिक प्रतिनिधि	मृतक की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति (धारा 2(11))
D. अनुऋणी	भुगतान अथवा परिदान के लिए निर्णय-ऋणी का ऋणी (आदेश 21 नियम 46A-I)

36. In which case Supreme Court held that "Possession follow title"
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि 'आधिपत्य स्वत्व का अनुसरण करता है

(a) Nazir Mohamed v. J. Kamla and others
नजीर मोहम्मद बनाम जे कमला और अन्य
(b) Sudhir Kumar alias S Baliyan v. Vinay Kumar G.B./सुधीर कुमार उर्फ एस. बालीयान बनाम विनय कुमार जी.बी.
(c) Deepika Shukla v. Ashish Shukla
दीपिका शुक्ला बनाम आशीष शुक्ला
(d) Radheshyam v. Kamala Devi and others
राधेश्याम बनाम कमला देवी और अन्य

MPHC (CJ) 2021

Ans. (a) : नजीर मोहम्मद बनाम जे कमला और अन्य (2020 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिपत्य स्वत्व का अनुसरण करता है।